



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940

No. 211]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/CHAITRA 13, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

आय-कर

सा.का.नि. 332(अ)—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(I) "2017" अंकों के स्थान पर, "2018" अंक रखे जाएंगे;

(II) खंड (क) में,—

(i) "जो व्यक्ति है" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसा व्यक्ति है, जो साधारणतया निवासी नहीं है से भिन्न निवासी है और" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ii) "कोई अग्रणीत हानि" शब्दों के पश्चात् "या अग्रणीत करने वाली हानि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) परंतुक में, मद (I) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(I) जिसकी भारत से बाहर अवस्थित आस्तियां हैं (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है);

(Iक) जिसे भारत से बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है;

(Iख) जिसकी भारत से बाहर के किसी स्रोत से आय है;

(Iग) जिसकी आय का धारा 5क के उपबंधों के अनुसार प्रभाजन किया जाना है;"

(III) खंड (ग) में, "स्वत्वधारी कारबार या वृत्तिक से व्युत्पन्न आय" शब्दों के स्थान पर, "कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय" शब्द रखे जाएंगे;

(IV) खंड (घ) में, "आय किसी स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति से व्युत्पन्न होती है" शब्दों के स्थान पर, "आय कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) में, "2016" अंकों के स्थान पर, "2017" अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में, "प्ररूप सहज (आईटीआर-1), प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप सुगम (आईटीआर-4), प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर-V" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष
	[ऐसे व्यष्टियों के लिए, जिनकी आय मासिक तौर पर निवासी से भिन्न निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों से आय हटाने के बाद कुल आय पचास लाख रुपये तक है] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)	2018-19

भाग क - सर्वसाधारण की जानकारी											
स्थायी लेखा संख्या		नाम	आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हों)								
मोबाइल नं०		पता: प्लॉट / द्वार / ब्लाक सं.	परिसर/भवन/ग्राम मार्ग/गली / डाकघर								
ई-मेल पता		क्षेत्र/अवस्थान पिनकोड	नगर/शहर/जिला राज्य देश								
फाइल की गई विवरणी ()/कृपया अनुदेश देखें - / ► ☐ नियत तारीख काया इससे पूर्व- 139(1), ► ☐ विलंबित-धारा 139(4) के अधीन, ► ☐ पुनरीक्षित -धारा 139(5) के अधीन, ► ☐ धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ► ☐ 139(9)-त्रुटियुक्त, ► ☐ 142(1), ► ☐ 148, ► ☐ 153A/153C			केवल एक भरें यदि आप संबंधित हैं ► ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य								
यदि पुनरीक्षित/त्रुटियुक्त हों तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)											
यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया हो ►											
क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाली सिविल संहिता द्वारा शासित होंगे? हाँ ☒ हाँ ☐ नहीं (यदि “हाँ” तबपति-पत्नी का पक्ष भरें)											
भाग ख - सकल कुल आय											
केवल संपूर्ण रुपए (₹) में											
वेतन/पेंशन	ख1	i वेतन (सभी भत्तों, परिलब्धियां और वेतन के स्थान पर लाभ को छोड़कर)	i								
		ii भत्ते, जो छूट प्राप्त नहीं हैं	ii								
		iii परिलब्धियों का मूल्य	iii								
		iv वेतन के स्थान पर लाभ	iv								
		v धारा 16 के अधीन कटौतियां	v								
		vi 'वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभावी आय (i + ii + iii + iv + v)			ख1						
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं ☐ स्वतः अधिभोग ☐ किराए पर यदि किराए पर दिया गया है, तो व्यौर प्रस्तुत करें -										
एकल गृह संपत्ति	i	प्राप्त समग्र किराया/प्राप्य / किराए योग्य मूल्य	i								
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर	ii								
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii								
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत	iv								
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v								
	vi 'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभावी आय (iii - iv + v)			ख2 ()							
ख3	अन्य स्रोतों से आय		ख3								
ख4	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई है तो नकारात्मक अंक भरें)		ख4 ()								
भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)											
80ग		80घ		80छ		80ननक					
कई अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)											
कुल कटौतियां		ग1		कुल आय (ख4 - ग1)		ग2					
भाग घ - संदेय कर की संगणना											
घ1	कुल आय पर संदेय कर		घ2	धारा 87क के अधीन छूट		घ3	रिबेट के पश्चात् कर				
घ4	घ3 पर उपकर		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89(1) के अधीन				

घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन	
घ10	धारा 234च के अधीन फीस		घ11	कुल कर, फीस और ब्याज (घ5+घ7+ घ8+ घ9 + घ10 - घ6)				
घ12	कुल संदत्त कर		घ13	कुल संदेय (घ11 - घ12) (यदि घ11 > घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12 - घ11) (यदि घ12 > घ11)	
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय	10(38)		10(34)		कृषि-आय (≤ Rs.5000)		अन्य	कृ. विनिर्दिष्ट करें
भाग ड - अन्य जानकारी								
घ15	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धरित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय हूँ नहीं)							
क्रम	बैंक का आईएफएस काड	बैंक का नाम	खाता संख्या	(प्रतिदाय के लिए एक विवरण चिह्न ☒ लगाएं)				
I								
II								
अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे								
	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान सं.	संदत्त कर				
	(स्तंभ i)	(स्तंभ ii)	(स्तंभ iii)	(स्तंभ iv)				
आर 1								
आर 2								
अनुसूची-स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संगृहीत कर के ब्यौरे [जारी प्ररूप 16/16क/27व या कटौतीकर्ता/नियोजक/संग्रहकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 26थक के अनुसार]								
	कटौतीकर्ता का टहल/ किराएदार का पैन	कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता/ किराएदार का नाम	ऐसी रकम जल कर कटौती/वसूली के अधीन हल	कर कटौती/संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया/ संग्रह किया गया कर	(5) में से इस वर्ष दावा की गई रकम		
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)		
टी1								
टी2								

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्रासिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख व हस्ताक्षर

मैं, पुत्र/पुत्री
तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी है (यदि आवंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)।

तारीख:

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही है और पूर्ण है

की क्षमता में तैयार कर रहा हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक

ह.:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें:

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्ररूप आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष
		2 0 1 8 - 1 9

भाग क- साधारण	साधारण
व्यावसायिक सूचना	प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम स्थायी लेखा सं. (पैन) फ्लैट./ द्वार/ ब्लाक सं0 परिसर/भवन /गांव का नाम प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒

		☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविमक्त कुटुंब	
मार्ग/गली/डाकघर		जन्म तिथि/गठन/ (तिथि/मास/वर्ष) / /	
क्षेत्र/ अवरस्थान		आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हूँ)	
नगर/ शहर/ जिला		राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
		देश	नियोजन प्रवर्ग(यदि नियोजन में है) (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0/ मोबाइल नं. 1		मोबाइल नं0 2	
ई मेल पता -1 (स्वयं का)		आय-कर वार्ड/सर्किल	
ई मेल पता -2			
प्रस्थित पड़ल करन	(क) विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखिए] ☐ नियत तारीख को या उससे पूर्व - 139(1), ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) , ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5), ☐ उपांतरित विवरणी - 92गघ ☐ धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9)- त्रुटिपूर्ण , ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क/153ग		
(ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटियुक्त है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष)	/ /	
(ग)	यदि धारा के 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन किसी सूचना के उत्तर में फाइल की गई है ऐसी सूचना की तारीख या धारा 92गघ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख अंकित करें	/ /	
(घ)	निवास की प्रास्थिति लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायदा लेना चाहते हैं ? (निवासी की दशा में लागू)	☐ हां ☐ नहीं
(ङ)	क्या अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार ? ☐ हां ☐ नहीं		
(च)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (यदि “हां”, कृपया अनुसूची 5क भरें)		
(छ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -		
(1)	प्रतिनिधि का नाम		
(2)	प्रतिनिधि का पता		
(3)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)		

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह का 3ख) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टॉप न लगाए (बार कोड के लिए स्थान)			
केवल कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं. तारीख प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर			
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभाय @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7ii)	का	
	ii लघु अवधि प्रभाय @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7iii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभाय (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7iv)	काiii	
	iv कुल लघु अवधि (का + काii + काiii)	3काiv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभाय @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7v)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभाय @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7vi)	खाii	
	iii कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्टि करें)	3खाiii	
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3काiv + 3खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्टि करें)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से प्रभाय योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 3i) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4क	
	ख प्रभाय योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 1वiii)	4ख	
	ग घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के क्रियाकलापों और उनके रखरखाव से (अनुसूची असो का 3घ) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	योग (1+2+3ग+4घ)	5	
6	5के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xi और 3xi का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 4ख स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2x)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 4ख का 3xi)	9	
10	धारा 111क, 112 आदि के अधीन आय प्राभाय के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का न और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभाय (अनुसूची सोआ में 3) का कुल)	13	
14	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)	14	
15	“संकलित आय” (12-13+14) [लागू होगा यदि (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभाय न हो, से अधिक हो]	15	

16	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि का .xi कुल पक्तियां)	16	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

पी व का संघ	1	कुल आय पर संदेय कर			
		क भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	1क		
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii) का कुल)	1ख		
		ग कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]	1ग		
	घ	कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख-1ग)		1घ	
	2	धारा 87क के अधीन रिबेट		2	
	3	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (1घ - 2)		3	
	4	3 पर अधिभार (1 करोड़ से अधिक है तो भाग ख कुल आय के 13 यदि लागू हो)		4	
	व	अनुसूची धा के 12(ii) के 25%	4क		
	ख	[अनुसूची धा के (3)-(12(ii))]	4ख		
	ग	कुल (क + ख)		4	
	5	शिक्षा अधिभार, जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अधिभार भी है (3 + 4ग)		5	
	6	सकल कर दायित्व (3 + 4ग + 5)		6	
	7	कर राहत			
	क	धारा 89	7क		
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची टीआर का)	7ख		
	ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का)	7ग		
	घ	योग (7क + 7ख + 7ग)		7घ	
	8	सकल कर दायित्व (6 - 7घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)		8	
	9	ब्याज और संदेय फीस			
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	9क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	9ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	9ग		
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	9घ		
	ङ	कुल संदेय ब्याज (9क + 9ख + 9ग + 9घ)		9ङ	
	10	संकलित दायित्व (8 + 9ङ)		10	
संदत कर	11	संदत कर			
	क	अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से)	11क		
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 5 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 9 का योग योग)	11ख		
	ग	स्रोत पर कर कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती के स्तंभ 6 का कुल)	11ग		
	घ	स्वनिर्धारण कर (अनुसूची आयकर से)	11घ		
	ङ	संदत कुल कर (11क + 11ख + 11ग + 11घ)		11ङ	
	12	संदेय कर (यदि 10 11घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)		12	
	13	प्रतिदाय (यदि 11 ङ 10 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)		13	
	14	पूर्ववर्ष में किसी भी समय भारत में धारित बैंक खातों के ब्यौरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) (अनिवासी की दशा में प्रतिदाय के प्रत्यय के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत किए जा सकते हैं)			

बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी)	बैंक का नाम	खाता संख्या (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएन)	खाता का इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हूँ प्राप्त करना चाहते हैं	
	i					
	ii					
15	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हूँ कर्हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी सप्त से आय हूँ (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां हूँ तब अनुसूची चक का भरना सुनिश्चित करें)					☐ हां ☐ नहीं

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

यहां हस्ताक्षर करें➔

तारीख

16 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम

17

18 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				

टिप्पण ► भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 11क और 11ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।

ख वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

वेतन से स्रोत पर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभाय आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	i										
	ii										
टिप्पण ▶											
ग											

अन्य आय पर श्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का टेन/ क्रयकर्ता/ किराएदार का पैन	कटौतीकर्ता क्रयकर्ता/ किराएदार का नाम	विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र सं.	दावा न किया अग्रणीत टीडीएस (बी/एफ)	वित्त वर्ष जिसमें टीडीएस की कटौती की गई है			(7) या (8) में से टीडीएस प्रत्यय, जिसका इस वर्ष दावा किया जा रहा है केवल तभी जब तत्स्थानी आय का प्रस्ताव इस वर्ष कर के लिए किया गया है		(7) या (8) में से अग्रणीत टीडीएस प्रत्यय				
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	अग्रणीत लाई गई रकम	स्वयं द्वारा कटौती किया गया है	धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी द्वारा कटौती किया गया या नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती किया गया (यदि लागू हो)	स्वयं द्वारा कटौती किया गया है	धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी द्वारा दावा किया गया या नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
	i							आय	टीडीएस	पति या पत्नी/ अन्य व्यक्ति का पैन		आय	टीडीएस	पति या पत्नी/ अन्य व्यक्ति का पैन	
	ii														
टिप्पण ▶ NOTE ▶ कृपया भाग ख-ननझ के 11ख में स्तंभ (9) का योग दर्ज करें															
घ	श्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)														
श्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे	Sl No	संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम		(4) से अधिक रकम, जहाँ पति या पत्नी के पास दावा की गई है यदि धारा 5क लागू है								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)								
	i														
	ii														
	NOTE ▶ कृपया भाग ख-ननझ के 11ख में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें														

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ 1 से 12) की अनुसूचियों को भरें।

प्ररूप आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी		निर्धारण वर्ष	
	(कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तिओं और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए)		2 0 1 8 - 1 9	
कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (संलग्न अनुदेश भी देखिए)				

भाग क जीईएन

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	प्लेट/दरवाजा/ब्लॉक सं०		परिसर/भवन/ग्राम का नाम	प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☒ ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	सड़क/ गली/डाक घर		जन्म तिथि/ स्वरूप (तिथि/मास/वर्ष) / /	
	क्षेत्र/अवस्थान		आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हैं)	
	नगर/शहर/जिला		राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
			देश	नियोजन प्रवर्ग (यदि नियोजन में हैं) (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ सरकार ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य
	निवास/कार्यालय का एस०टी०डी० कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2	
	ई मेल पता-1 (स्वयं का)		आय-कर वार्ड/ सार्किल	
	ई मेल पता-2			
	फाइल करने की प्रास्थिति	(क)	विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 7 देखिए] ☐ नियत तारीख को या उस से पूर्व -139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् -139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी - 139(5), ☐ उपांतस्थित विवरणी- 92 ग घ, ☐ धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9)- त्रुटिपूर्ण ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153क/153ग	
(ख)		यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष) / /		
(ग)		यदि धारा 139 (9)/ 142 (1)/148/153 क / 153 ग के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी नोटिस की तारीख भरे या धारा 92 क ग घ के अधीन है तो अग्रिम कीमत निर्धारण का करार भरे / /		
(घ)		आवासीय प्रास्थिति	उपयुक्त विकल्प पर ✓ का निशान लगाएं ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू) ☐ हां ☐ नहीं
(ङ)		क्या अधिनियम की धारा 94 क के अधीन अधिसूचित देश अवस्थित व्यक्ति के साथ संव्यहार किया गया है ☐ हां ☐ नहीं		
(च)		क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)		
(छ)		क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -		
(1)		प्रतिनिधि का नाम		
(2)		प्रतिनिधि का पता		
(3)		प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)		
(ज)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है ☒ हां ☐ नहीं			
लेखा परीक्षा जानकारी	(क)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) / /		
(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रसीद सं०

तारीख

प्राप्तकर्ता पदवायी की मुहर और हस्ताक्षर

कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें		
	क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश सं० .9(ii) देखें)	संपत्ति का नाम, यदि कोई है	वर्णन
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

निधियों के स्रोत

का	1 स्वामी की निधि					
	क	स्वामी की पूंजी	क			
	ख	आरक्षित और अधिशेष				
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		खi	
		ii	पूंजी आरक्षिति		खii	
		iii	कानुनी आरक्षिति		खiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षिति		खiv	
		v	योग (खi + खii + खiii + खiv)		खv	
	ग	कूल स्वत्वधारी की निधि (क+खv)		1ग		
	2 ऋण निधियां					
	क	प्रतिभूत ऋण				
		i	विदेशी मुद्रा ऋण		क i	
		ii	रूपए में ऋण			
			अ		बैंकों से ऋण	iiअ
			आ		अन्य से	iiआ
			इ		योग (iiअ + iiआ)	iiइ
		iii	योग (कi + iiइ)		कiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)				
		i	बैंकों से ऋण	खi		
		ii	अन्य से	खii		
		iii	योग (ख i + खii)			खiii
	ग	योग ऋण निधि (कiii + खiii)		2ग		
	3 आस्थगित कर दायित्व		3			
	4 निधियों के स्रोत (1ग + 2ग +3)		4			
1 स्थिर आस्तियां						
क	सकल : ब्लाक	1क				
ख	अवक्षयण	1ख				

	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग		
	घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
	ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ	
2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	का		
		iii योग (का + का)		का	
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
		i साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा		
		ii अधिमानी शेयर	खा		
		iii डिबेंचर	खा		
		iv योग (खा + खा + खा)		ख	
	ग	कुल विनिधान (का + ख)		2 ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां			
		i बीजक			
		अ भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	ia		
		आ कच्ची सामग्री	ia		
		इ कार्यरत भंडार	ia		
		ई तैयार माल / व्यापार माल	ia		
		उ योग (ia + ia + ia + ia)		ia	
		ii अन्यान्य ऋणी		का	
		iii नकद और बैंक अतिशेष			
		अ हस्तगत नकदी	iiiा		
		आ बैंक के पास अतिशेष	iiiा		
		इ योग (iiiा + iiiा)		iii	
	iv	अन्य चालू आस्तियां		का	
	v	कुल चालू आस्तियां (ia + का + iii + का)		क	
	ख	ऋण और अग्रिम			
		i नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	ख		
		ii निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	ख		
		iii राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	ख		
		iv योग (ख + ख + ख)		ख	
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (क + ख)		3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध			
		i चालू दायित्व			
		अ अन्यान्य लेनदार	ia		
		आ पट्टाघृत आस्तियों के लिए दायित्व	ia		
		इ उपर्युक्त पर उद्भूत ब्याज	ia		
		ई उद्भूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	ia		
		उ योग (ia + ia + ia + ia)		ia	
		ii उपबंध			
		अ आयकर के लिए उपबंध	iiा		
		आ छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiा		
		इ अन्य उपबंध	ii		
		ई योग (iiा + iiा + ii)		ii	
	iii	योग (ia + ii)		घ	
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घ)		3ङ	
4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख	आस्थागत कर आस्ति	4ख		

कोई लेखा मामला नहीं	ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग	
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
	5	निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)	5	
	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2018 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)		
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम	6क	
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम	6ख	
	ग	व्यापारगत स्टाक की कुल रकम	6ग	
	घ	नकदी बकाया की रकम	6घ	

भाग क- लाभ और हानि सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि लेखा
(उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, मद 1 से मद 52 भरें, अन्यथा मद 53 भरें)

लाभ और हानि लेखा को ऋण

1	प्रचालन से राजस्व								
	क	विक्रय/कारवार का सकल प्राप्तियां (शुद्ध रिटर्न और प्रतिदाय यदि कोई है)							
	i	माल का विक्रय		i					
		सेवाओं का विक्रय		ii					
		अन्य प्रचालित राजस्व (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करे)							
		क		iii	क				
			ख		iii			ख	
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii			ग	
	iv	योग (i + ii + iii ग)						कiv	
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां						ख	
	ग	विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा क संबन्ध में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर							
	i	संघ उत्पाद शुल्क		i					
		सेवा कर		ii					
		मुल्य बर्धित कर/ विक्रय कर		iii					
		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)		iv					
		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)		v					
		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)		vi					
		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)		vii					
		कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर		viii					
ix		योग (i + ii + iii + iv + v + +vi + +vii + viii)			ग ix				
घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख + ग ix)				1घ				
2	अन्य आय								
i	किराया		i						
	कमीशन		ii						
	लाभांश		iii						
	ब्याज		iv						
	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ		v						
	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ		vi						
	अन्य एसटीटी विनिधान के विक्रय पर लाभ		vii						
	चालू उतार चड़ाव मद्दे लाभ		viii						
	कृषि आय		ix						
	कोई अन्य आय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करे)								
	क		x	क					
		ख		x	ख				
		ग	योग (x क + x ख)	x	ग				
	xi	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x ग)						2xi	
3	अंतिम स्टाक								
i	कच्ची सामग्री		3i						
	प्रगति में कार्य		3ii						
	अंतिम माल		3iii						

लाभ और हानि लेखा को उधार

	योग (3i + 3ii + 3iii)				3iv	
4	लाभ और हानि लेखा से लेनदारों का योग (1घ + 2xi + 3iv)				4	
5	आरंभिक स्टाक					
	i	कच्ची सामग्री	5i			
	ii	प्रगति में कार्य	5ii			
	iii	अंतिम माल	5iii			
	iv	योग (5i + 5ii + 5iii)		5iv		
6	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				6	
7	क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा-शुल्क	7i			
	ii	प्रति शुल्क	7ii			
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	7iii			
	iv	संघ उत्पाद-शुल्क	7iv			
	v	सेवा कर	7v			
	vi	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	7vi			
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	7vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	7viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	7ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	7x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	7xi			
	xii	योग (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii + 7ix + 7x + 7xi)		7xii		
8	भाड़ा				8	
9	भंडार और अतिरिक्त पूजों की खपत				9	
10	विद्युत और ईंधन				10	
11	किराया				11	
12	भवन की मरम्मत				12	
13	मशीनरी की मरम्मत				13	
14	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वेतन और मजदूरी	14i			
	ii	बोनस	14ii			
	iii	चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति	14iii			
	iv	छुट्टी भुनाया जाना	14iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	14v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	14vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	14vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	14viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	14ix			
	x	किन्हीं कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	14x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)		14xi		
	xii	क	अनिवासियों को संदत्त 14 xi में सम्मिलित कोई प्रति कर	xii	क	हां / नहीं
		ख	यदि हां तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xii	ख	
15	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	15i			
	ii	जीवन बीमा	15ii			
	iii	की मेन बीमा	15iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	15iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (15i + 15ii + 15iii + 15iv)		15v		
16	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय				16	
17	मनोरंजन				17	
18	सत्कार				18	
19	सम्मेलन				19	

20	विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)				20								
21	विज्ञापन				21								
22	कमीशन												
	i	कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को	i										
	ii	अन्य को	ii										
	iii	योग (i + ii)		22iii									
23	रोयलटी												
	i	कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को	i										
	ii	अन्य को	ii										
	iii	योग (i + ii)		23iii									
24	वृत्तिक/परामर्शी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस												
	i	कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को	i										
	ii	अन्य को	ii										
	iii	योग (i + ii)		24iii									
25	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग				25								
26	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी हैं				26								
27	विदेश यात्रा व्यय				27								
28	वाहन व्यय				28								
29	टेलीफोन व्यय				29								
30	अतिथि गृह व्यय				30								
31	क्लब व्यय				31								
32	त्यौहार आयोजन व्यय				32								
33	छात्रवृत्ति				33								
34	दान				34								
35	संदान				35								
36	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी हैं)												
	i	संघ उत्पाद शुल्क	36i										
	ii	सेवा कर	36ii										
	iii	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	36iii										
	iv	उपकर	36iv										
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	36v										
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	36vi										
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	36vii										
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	36viii										
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर जिसमें एस टी टी और सी टी टी सम्मिलित हैं	36ix										
X	संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)			36x									
37	लेखा परीक्षा फीस				37								
38	अन्य व्यय (स्वरूप और रकम में विनिर्दिष्ट करें)												
	i		i										
	ii		ii										
	iii	योग (i + ii)		38iii									
39	डूबंत ऋण (उस व्यक्ति का पैना विनिर्दिष्ट करें/ यदि उपलब्ध है/जिसके लिए एक लाख रुपये या इससे अधिक की रकम के लिए डूबंत ऋण का दावा किया गया है और रकम)												
	i										39i		
	ii										39ii		
	iii										39iii		
	iv	अन्य(एक लाख रुपये से अधिक) जहां पैना उपलब्ध नहीं है									39iv		
	v	अन्य (एक लाख रुपये से कम रकम)									39v		
	vi	कुल डूबंत ऋण(39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)									39vi		

	40	इवन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	40	
	41	अन्य उपबंध	41	
	42	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]	42	
	43	ब्याज		
		i कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को	i	
		ii अन्य को	ii	
		iii योग (i + ii)	43iii	
	44	अवक्षयण और अपाकरण	44	
	45	करों से पूर्व लाभ (42 - 43iii - 44)	45	
	46	चालू कर के लिए उपबंध	46	
कर उपबंध और विनियोग	47	अस्थागित कर के लिए उपबंध	47	
	48	कर के पश्चात् लाभ (45 - 46 - 47)	48	
	49	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया	49	
	50	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48 + 49)	50	
	51	आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित	51	
	52	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (50 - 51)	52	
	53	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें-		
कोई लेखा मामला नहीं		(i) निर्धारिती के लिए, जो कारबार चला रहा है		
		क सकल प्राप्तियां	53(i)क	
		ख सकल लाभ	53(i)ख	
		ग व्यय	53(i)ग	
		घ शुद्ध लाभ	53(i)घ	
		(ii) निर्धारिती के लिए, जो वृत्ति चला रहा है		
		क सकल प्राप्तियां	53(ii)क	
		ख सकल लाभ	53(ii)ख	
		ग व्यय	53(ii)ग	
		घ शुद्ध लाभ	53(ii)घ	
		योग [53(i)घ + 53(ii)घ]	53	

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

अन्य जानकारी

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख
4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ग क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं	
	घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित हैं-	
	क धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क
	ख प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख
	ग पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वधेत दावे	5ग
	घ आय की कोई अन्य मद	5घ
	ङ पूंजी रसीद, यदि कोई है	5ङ
	च लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ)	5च

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iia)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii k)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	कोई अन्य नामंजूरी	6 थ	
	द	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क to 6 थ का योग)	6 द	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रैक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुमाने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अनुपालना पर, धारा 40(क) (Iख) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग	
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII- ख	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ	
	च	घनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii क)]	अच	
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ	

	ज	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अज	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	धारा 40क (2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञेय पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाता के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति के उपयोग से भिन्न माध्यम से संदत्त रकम	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्याप्ट निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम	9च	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाषिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च	
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)	10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाषिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च	
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11ज	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख	सेवा कर	12ख	
	ग	मुल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	12ग	
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज	कोई अन्य करम	12ज	
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15

भाग क मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3		
	4	अंतिम स्टाक	4		
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5		
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
	क	आरंभिक स्टाक	6क		
		पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख		
		पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग		
		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ		
		अंतिम स्टाक	6ङ		
		प्राप्त तैयार माल	6च		
		प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ		
		कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज		
	7	तैयार माल/ उपोत्पाद			
	क	आरंभिक स्टाक	7क		
		पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख		
		पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग		
		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ		
		अंतिम स्टाक	7ङ		
		कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च		

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय

1	वेतन (अनुसूची घ का 6)				1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ख)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)				2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ					
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i			
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ख42) (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ग48) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii			
	iv	धारा 115खखच के अधीन पेटेंट से आय (अनुसूची खत का 3ड)	3iv			
	v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG (अनुसूची का.वृ. का 3च)	3v			
	vi	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v) (यदि 3vi हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)			3vi	
4	पूँजी अभिलाभ					
	क	अल्पकालिक				
		i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 ii)	क i		
		ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iii)	क ii		
		iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iv)	क iii		
		iv	अल्पकालिक योग (क i + aii + aiii)	4 क iv		
	ख	दीर्घकालिक				
		i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iv)	खi		
		ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 vi)	खii		
		iii	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	खiii		
	ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क iv + 4 ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)			4 ग	
5	अन्य स्रोतों से आय					

क	घुड़दोड़ स्वामिस्व से भिन्न अन्य स्रोत और विशेष दर पर प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 1 ँ) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 क	
ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 1चvii)	5 ख	
ग	घुड़दोड़ के स्वामिस्व और अनुक्षण के क्रियाकलाप से (अनुसूचि ण ध का 3 ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग	
ड	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ	
6	कुल योग (1 + 2 + 3vi + 4 ग + 5 घ)	6	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची गमत क चालू वर्ष की हानि के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची गमत क चालू वर्ष + 5ख के स्तंभ 5 का योग)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियाँ (अनुसूची खचट क के 2xiii, 3xiii और 4xiii का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची BFLA + 5ख का 5xiv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112 के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क का ग)	12	
13	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (10-11) तक सीमित]	13क	
ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और (10-11-3iii) तक सीमित]	13ख	
ग	कुल (13क + 13ख) (10-11) तक सीमित)	13ग	
14	कुल आय (10 - 12-13ग)	14	
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची गचट की पंक्ति xi का योग)	18	

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय	1क	
	ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू हो)	1ख	
	ग	उपर (1 क + 1 ख) पर माध्यमिक और	1 ग	
	घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह)	1 घ	
2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द)	2ख	
	ग	कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख- टी आई कुल आय का (14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)	2घ	
	ड	धारा 87क के अधीन रिबेट	2ड	
	च	रिबेट के पश्चात् संदेय कर (2घ - 2 ड)	2च	
	छ	अधिभार	2छ	
	i	अनुसूची धझ के 13(i) का 25	2छ	
	ii	(2च)-(अनुसूची धझ का	2छ	
	ii	कुल (i + ii)	2छii	
	ज	शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और	2ज	
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छii + 2झ)	2झ	
3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)		3	
4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)		4	
5	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3 - 4)		5	
6	कर राहत			
	क	धारा 89	6क	
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख	

	ग धारा 91 (अनुसूची ल द का)	6ग	
	घ कुल (6क + 6ख + 6ग)	6द	
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि)	7	
8	ब्याज और फीस देय		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के	8क	
	ख अग्रिम कर के संदाय के	8ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के	8ग	
	घ आय की विवरणी देने में	8घ	
	ड कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग +)	8ड	
9	औसत दायित्व (7 + 8ड)	9	
10	संदत्त कर		
	क अग्रिम कर (अनुसूची इन से)	10क	
	ख स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की)	10ख	
	ग टीसीएस (अनुसूची स्रोत पर)	10ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आय-कर से)	10घ	
	ड संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)	10ड	
11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12	
13	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में किसी भी समय धारित किसी बैंक खाते के ब्यौरे (निष्क्रिय खाते को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, प्रतिदाय जमा करने के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे दें)		
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक की दशा में (स्वीफ्ट कोड)	बैंक का नाम
			खाता सं. (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएएन)
			खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
i			
ii			
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में विद्यमान हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)		
	☐ हां ☐ नहीं		

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम	16	

17 અનુસૂચી-આયકર

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[illegible]

टिप्पण ► भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 11क और 11ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।

ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्याँरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख - टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।

ग स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यापै [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 26 थख /26 यग के अनुसार

[illegible]

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ख में स्तम्भ 8 का योग प्रविष्ट करें।

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)

टीसीएस पर आय

क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक (टीएएन)	संग्राहक का नाम	अग्रनीत किया गया अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्तीय वर्ष का टीसीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5) या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)		अग्रनीत की जा रही (5) या (6) से रकम
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रण किया गया	रकम बी एफ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

टिप्पण  कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ 1 से 20) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन

वेतन से आय के ब्यौरे

नियोजक का नाम

नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो)

नियोजक का पता

नगर/शहर

राज्य

पिन कोड

वैतन

1

वैतन (वैतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ को छोड़ कर)

1

2

भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं हैं (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)

2

3

परिलब्धियों का मूल्य (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)

3

4

वैतन के स्थान पर लाभ (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)

4

5

धारा 16 के अधीन कटौती (सरकार द्वारा मनोरंजन भत्ते और नियोजन पर कर)

5

6

‘वैतन’ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (1+3+4+5-6)

6

7

धारा 10 के अधीन छूटप्राप्त भत्ते (ऊपर क्रम 6 में अंतर्विष्ट न की जाए)

7

i

यात्रा रियायत/प्राप्त सहायता [(धारा 10(5))]

7i

ii

गैर-मुद्रा परिलब्धि पर नियोजक द्वारा संदत्त कर [(धारा 10(10ग))]

7ii

iii

मकान किराए पर होने वाला व्यय चुकाने के लिए भत्ता [(धारा 10(13क))]

7iii

iv

अन्य भत्ते

7iv

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें)

1	संपत्ति 1 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिन कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत 							
	सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं०		संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत			
	I							
	II							
	/यदि विकल्प लागू हो तो ☒ का निशान लगाए /		किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (यदि उपलब्ध हो)			
	☐ यदि किराए पर हो		I					
	☐ यदि स्व दखलकृत हो		II					
	☐ यदि किराए पर दिया गया समझा गया							
2	संपत्ति 2 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिन कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत 							
	सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं०		संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत (यदि उपलब्ध हो)			
	I							
	II							
	/यदि विकल्प लागू है तो ☒ का निशान लगाए /		किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)			
	☐ यदि किराए पर हो		I					
	☐ यदि स्व दखलकृत हो		II					
	☐ यदि किराए पर दिया हुआ समझा गया							
3	संपत्ति 3 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिन कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत 							
	सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं०		संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत (यदि उपलब्ध हो)			
	I							
	II							
	/यदि विकल्प लागू है तो ☒ का निशान लगाए /		किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)			
	☐ यदि किराए पर हो		I					
	☐ यदि स्व दखलकृत हो		II					
	☐ यदि किराए पर दिया हुआ समझा गया							
4	संपत्ति 4 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिन कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत 							
	सहस्वामी (स्वामियों) का नाम		सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं०		संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत (यदि उपलब्ध हो)			
	I							
	II							
	/यदि विकल्प लागू है तो ☒ का निशान लगाए /		किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)			
	☐ यदि किराए पर हो		I					
	☐ यदि स्व दखलकृत हो		II					
	☐ यदि किराए पर दिया हुआ समझा गया							

च	स्वामिस्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं की शेर प्रतिशतता X 2 च)	2च	
छ	2च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	कुल (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	गृह संपत्ति 2 से आय (2झ - 2ज)	2ञ	
3	“गृह संपत्ति से आयशु शीर्ष के अधीन आय		
क	30% कटौती के पश्चात् धारा 25 के अधीन वर्ष के दौरान अप्राप्य किराया और प्राप्त किराए का बकाया	3क	
ख	कुल (1 य + 2 य + 3 क) (यदि नाकारात्मक है तो अनुसूचीगमक की 2 i ले)	3ख	
टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क त और ठ का मद 45)	1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख	
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य/प्रभार्य/धारा खखछ के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय/उधार प्राप्ति	क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूँजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के अधीन
		च	115खखछ के अधीन
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कङ/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44छ/44छक अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
क	फर्मों से आय का अंश	5क	
	एओपी/वीओआई से आय का अंश	5ख	
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)	
	i	ग i	
	ii	ग ii	
	iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग
घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ	
6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 4- 5 घ)	6	
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखछ के अधीन प्रभार्य आय/सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूँजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के अधीन
		च	115खखछ के अधीन
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित	8	
9	कुल (7 क + 7 ख + 7 ग + 7 घ + 7 ङ + 7 च + 8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)	12i	
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करें और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6द)	14	

15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कज)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)	17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)	18		
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कघ/ 32कग/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35 कखख/ 35 कग/ 40 क(3क)/ 33कग/ 72 क/ 80 इझाघ/ 80-1क के अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23		
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	24		
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25		
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26		
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28		
29	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची ड घ द की मद 10 (41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 छ)	31		
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32		
33	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3ख + 4ङ)	33		
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34		
35	आय (13 + 26 - 34)	35		
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i धारा 44कघ	36i		
	ii धारा 44कघक	36ii		
	iii धारा 44कड	36iii		
	iv धारा 44ख	36iv		
	v धारा 44खख	36v		
	vi धारा 44खखक	36vi		
	vii धारा 44खखख	36vii		
	viii धारा 44घ	36viii		
	ix धारा 44घक	36ix		(प्ररूप उ ग ड की मद ण)
	x आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	36x		
	xi कुल (36i to 36x)	36xi		
37	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36xi)	37		
38	सट्टे कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू होने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 37 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें)	क 38		
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	39		
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	40		

	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	41		
	42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)	ख 42		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
	43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	43		
	44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	44		
	45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा (i) 35 क छ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया हैं)	45		
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)	46		
	47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियां	47		
	48	अनुमानित कारबार से आय (46 – 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)	ग 48		
	49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्सू से चयनित की जाए)	ग 49		
	घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 38+ ख 42+ ग 48)	घ		
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक		(क 38)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि(i – iv)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पुँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी		
2	दर (%)	15	30	40
		(i)	(ii)	(iii)
3(क)	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
3(ख)	पूर्ण वर्ष के प्रथम दिन को अवलिखित मूल्य उन आस्ति समूह के, जो पुरानी सारणी के अनुसार 50%, 60% या 80% की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र थे।			
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन			
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3(क)+ 3(ख) + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन			
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			

11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)			
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)			
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)			
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			
20	धारा 501 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3(क) - 3(ख) - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							

12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी					
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क			
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग			
		घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ		
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क			
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागू)	2ग			
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ		
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 12v)				3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 12vi)				4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 12vii)				5	
	6	कुल अवक्षयण (1घ+2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)	1घ		
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क+2ख+2ग)	2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)	3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)	4		
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)	5		
6	कुल अवक्षयण (1घ+2घ+3+4+5)	6		

अनुसूची इएसआर

धारा 35 या 35 ग ग ग या 35 ग ग घ के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)	
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से	
क	i प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य	क i
	ii स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii
	iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क i या क ii)	क iii
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ	
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
	iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv

	ग	शेष (क iii – ख iv)	1 ग		
	घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख/54 ग/ 54 छ/54 क (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	1 घ		
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		क 1	
2		विक्रय गिरावट से			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज ड क का 5)	
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ङ)	
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)		क 2 ग	
3		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
	iv	योग(i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शेष (3 क – ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभान्स/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)		क 3 ड	
4		अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभान्स की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय)			
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं		क 4 क	
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं		A4 ख	
5		अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्न) के विक्रय से			
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-			
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्ति/प्राप्त्य प्रतिकर			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
	ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शेष (5 क iii – ख iv)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभान्स/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ		
	ङ	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)		क 5 ड	
6		उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	I आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें			
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्ति/ प्राप्ति प्रतिकर का पूर्ण			

			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य							
			ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)		ig					
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य							
			iii	कुल (ig + ii)		क iii					
			ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii					
			iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		ख iii					
			iv	योग (i + ii + iii)		ख iv					
			ग	शेष (6क iii - ख iv)		6 ग					
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि-उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		6 घ								
	ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		6ङ							
	च	धारा के अधीन कटौति 54 ग/54 छ/54 छ क		6च							
	छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ + 6च)		क 6छ							
7	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि										
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतर्गत आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?										
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं										
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियाँ अंतर्गत की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2014-15	54घ/54छ/54छक								
	ii	2015-16	54ख								
	ख धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख)						क7				
	8	एसटीसीजी की रकम जो क।क7 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशेष दरों पर प्रभाय नहीं है									
	क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क 7 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी एए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(8) या (9) के नीचे]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I											
II											
क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि									क8 क	
ख	डी टी ए ए के अनुसार विशेष करों या प्रभाय एस टी सी जी की कुल राशि									क8 ख	
9	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 - क 8क)									क 9	
ख	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6 और 7 निवासियों में लागू नहीं है)										
दी	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से									
	क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य						क i		
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य						क ii			

	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क i या क ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (क iii – ख iv)		1 ग	
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54 छ/54 छ क/54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			ख 1 ङ
2	विक्रय गिरावट से			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 CEA का 5)
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 CEA का 6 (ङ))
	ग	शेष (2 क – 2 ख)	2 ग	
	घ	धारा 54ङ ग/54ङ/ 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	2 घ	
	ङ	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग -2 घ)		ख 2 ङ
3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्)			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेष (3 क – ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 54 ङ ग/54ङ/ 54च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3 घ	
	ङ	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग – 3 घ)		ख 3 ङ
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है) (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से			
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेष (4 क – ख iv)	4 ग	
	घ	धारा 54 ङ ग/54ङ/ 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ	
	ङ	उपर बी 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग-4घ)		ख 4ङ
5	अनिवारियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)			
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	5क	
	ख	धारा 54 ङ ग/54ङ/ 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग	शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (5क-5ख)		ख5ग
6	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटें या शून्य कूपन बंधपत्र जहा धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से			
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें	
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त्य प्रतिकर का पूर्ण	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग

		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		iii	कुल (ig + ii)	क iii		
ख		धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	शेष (6क iii - ख iv)	6 ग		
		घ	धारा 54 ड ग / 54डड / 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	6d		
7		अनिवासियों के मामले में उपर 6की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6 ग - 6 घ)				ख 6ड
		अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
		क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	7 क		
		ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	7 ख		
		ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (7 क - 7 ख)			ख 7 ग
		घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	7 ग		
		ड	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	7ड		
8		च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (7 ग - 7ड)			ख 7 च
		उपर जहां पी-1 से वी-7 तक लागू नहीं है वहां आस्तियों के विक्रय से				
	क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें			
		ख	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त प्राप्त्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य		
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
			ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		iii	कुल (ig + ii)	क iii		
9		ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	शेष (8 क iii - ख iv)	8 ग		
		घ	धारा 54 घ/54 ड ग / 54डड / 54 च / 54 छ क के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरो	8 घ		
10		ड	उपर ख 8 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8ग - 8घ)			ख 8ड
		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?				
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2014-15	54/54घ/54छ/54छक		
		ii	2015-16	54ख		
		ख	क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xi+ख)				ख9
		10 एलटीसीजी की रकम जो मद ख 1 से ख 9 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशय दरों पर प्रभाय नहीं है				

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से क7 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख10क
ख	डीटीए के अनुसार विशेष करों या प्रभार्य एस टी सी जी की कुल राशि									ख10ख
11	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड +ख5ग+ ख6ड + ख7ग + ख7च +ख8ड +ख9- ख10क) (हानि की दशा में अनुसूची सीएफएल से 9भ i के अंक लें)									ख10
ग	“ पूंजी अभिलाभ ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख 11) (शून्य के रूप में ख 11 ले यदि हानि है)									ग
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना									
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54डड/54 च/54 छ/54 छक /54ख ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित व्योरे दें									
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये आवासीय घर की लागत					क ii			
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					क v			
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये कृषि भूमि की लागत					ख ii			
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ख iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					ख v			
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत					ग ii			
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ग iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					ग v			
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					घां	दिन/मास/वर्ष		
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम					घांii			
	iii	विनिधान की तारीख					घांiii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	दावाकृत कटौती की रकम					घांiv			
ङ	धारा 54डड के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ङां	दिन/मास/वर्ष		
	ii	विनिर्दिष्ट आस्ति में निहित रकम					ङांii			
	iii	निवेश की तारीख					ङांiii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	दावाकृत कटौती की रकम					ङांiv			
च	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					चां	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये आवासीय घर की लागत					चांii			

		<table border="1"> <tr> <td>iii</td><td>नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख</td><td>चiii</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम</td><td>चiv</td><td></td></tr> <tr> <td>v</td><td>दावाकृत कटौती की रकम</td><td>चv</td><td></td></tr> </table>	iii	नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv		v	दावाकृत कटौती की रकम	चv										
iii	नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष																				
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv																					
v	दावाकृत कटौती की रकम	चv																					
		छ धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती																					
		<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख</td><td>छi</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय</td><td>छii</td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख</td><td>छiii</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम</td><td>छiv</td><td></td></tr> <tr> <td>v</td><td>दावाकृत कटौती की रकम</td><td>छv</td><td></td></tr> </table>	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छiv		v	दावाकृत कटौती की रकम	छv		
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष																				
ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii																					
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष																				
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छiv																					
v	दावाकृत कटौती की रकम	छv																					
		ज धारा 54ज के अधीन दावाकृत कटौती																					
		<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख</td><td>जi</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय</td><td>जii</td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख</td><td>जiii</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम</td><td>जiv</td><td></td></tr> <tr> <td>v</td><td>दावाकृत कटौती की रकम</td><td>जv</td><td></td></tr> </table>	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	जi	दिन/मास/वर्ष	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	जii		iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	जiii	दिन/मास/वर्ष	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	जiv		v	दावाकृत कटौती की रकम	जv		
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	जi	दिन/मास/वर्ष																				
ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	जii																					
iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	जiii	दिन/मास/वर्ष																				
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	जiv																					
v	दावाकृत कटौती की रकम	जv																					
		झ धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)																					
		<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख</td><td>झi</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>ii</td><td>नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र</td><td>झii</td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>विनिर्दिष्ट की तारीख</td><td>झiii</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr> <tr> <td>iv</td><td>दावाकृत कटौती की रकम</td><td>झiv</td><td></td></tr> </table>	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	झi	दिन/मास/वर्ष	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	झii		iii	विनिर्दिष्ट की तारीख	झiii	दिन/मास/वर्ष	iv	दावाकृत कटौती की रकम	झiv						
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	झi	दिन/मास/वर्ष																				
ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	झii																					
iii	विनिर्दिष्ट की तारीख	झiii	दिन/मास/वर्ष																				
iv	दावाकृत कटौती की रकम	झiv																					
		ञ कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1छ + 1ज + 1झ)	1 ञ																				

[illegible]

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-10 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार		चालू वर्ष का अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि का मुजरा			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि का मुजरा		मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	10%	20%		
	1	2	3	4	5	6	7		
i	मुजराई के पश्चात् हानि (इस पंक्ति को भरें यदि गणना किए गए अंक नकारात्मक हैं) →			(क 3ड+ क 4 क)	क 5ड	(क 1ड+ क 2 ग + क 4 ख + क 6 छ + क 7+ क 8 ख)	(ख 4 ड+ख 6 ड+ ख 7 ग)	(ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5च + ख 7 च + ख 8 ड+ ख 9)	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(क 3ड+ क 4 क)						
iii		30%	क 5ड						
iv	लागू दर		(क 1ड+ क 2 ग + क 4 ख + क 6 छ + क 7+ क 8ख)						
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	(ख 4ड+ ख 6ड+ ख 7 ग)						
vi		20%	(ख 1ड+ ख 2ड+ ख 3ड+ ख 5च + ख 7 च + ख 8ड+ ख 9)						
vii	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi)								
viii	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i – vii)								
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)		16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)

1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
4	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 ix से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
5	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची ध त झ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय		
	क	लाभांश, सकल	1क	
	ख	ब्याज, सकल	1ख	
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग	
	घ	अन्य, सकल (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से होने वाली आय को छोड़कर)		
	i	लॉटरी, वर्ग पहली आदि से जीत के द्वारा आय	1घा	
	ii	क धारा 68 के अधीन नकद प्रत्यय		
		ख धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिवेश		
		ग धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत रकम इत्यादि		
		घ धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिवेश इत्यादि		
		ङ धारा 69ग के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय इत्यादि		
		च धारा 69घ के अधीन हंडी पर प्रतिसंदत्त या उधार ली गद्द रकम		
		कुल (क + ख + ग + घ + ङ + च)	1घाii	
	iii	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति जो कर से प्रभार्य है		
		क बिना प्रतिफल के प्राप्त धनराशि की कुल कीमत		
		ख बिना प्रतिफल संपत्ति का संटाम्प शुल्क मूल्य से प्राप्त स्थावर संपत्ति के मामले में		
		ग उक्त प्रतिफल के आधिक्य में अपर्याप्त प्रतिफल संपत्ति का, स्टॉप शुल्क मूल्य के लिए प्राप्त स्थावर संपत्ति के मामले में		
		घ बिना प्रतिफल, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से प्राप्त किसी अन्य संपत्ति के मामले में		
		ङ उक्त प्रतिफल के आधिक्य में अपर्याप्त प्रतिफल, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य के लिए प्राप्त किसी अन्य संपत्ति के मामले में		
		योग (क + ख + ग + घ + ङ)	1घाiii	
	iv		1घाiv	
	v		1घाv	

	vi	कुल (1घा+1घii+1घiii + 1घiv + 1घv)							1घvi		
ड	योग (1क+1ख+1ग+1घvi)									1ड	
च	विशेष दर पर कर को प्रभार्य “ड” में सम्मिलित आय (अनुसूची एसआई में लिया जाय)										
	i	लॉटरी, वर्ग पहेली, खेल, द्यूत, शर्त लगाने आदि से जीत के द्वारा आय (115 खख के अधीन)							1च i		
	ii	देशी कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख से अधिक है (धारा 115खखक के अधीन)							1च ii		
	iii	धारा 115खखड के अधीन कर प्रभार्य के लिए समझी गई आय							1च iii		
	iv	धारा 115खखच के अधीन पेटेंट प्रभार्य से आय							1च iv		
	V	धारा 115 खखख के अधीन प्रत्ययों के अंतरण से आय							1च v		
	Vi	अध्याय XII/XII के अधीन कोई अन्य आय, जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभार्य है							1चvi		
	Vii	डीटीएए के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय									
		क्रम स.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डी डी टी एए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो	यदि टी आर सी प्राप्त हो (हां/नहीं)	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
	II										
	III	डी टी ए ए के अनुसार विशेष करों या प्रभार्य एस टी सी जी की कुल राशि							1चvii		
	viii	विशेष दर पर कर को प्रभार्य “1ड” में सम्मिलित आय (1घा +1च ii+1च iii + 1च iv + 1च v + 1चvi + 1चvii)							1चviii		
छ	सामान्य लागू दरों पर कर को प्रभार्य सकल रकम (1ड -1 चviii)									1 ज	
ज	धारा 57 के अधीन कटौतियां (1चi, 1चii, 1चiii, 1चiv, 1चv 1चvi और 1चvii के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न)										
	i	व्यय/कटौती					जा				
	ii	अवक्षयण					जii				
	iii	योग					जiii				
झ	धारा 58 के अधीन कटौती न होने वाली रकम									1 झ	
ञ	धारा 59 के अधीन कर पर प्रभार्य लाभ									1 ञ	
ट	अन्य स्रोत से आय (स्वयं की घुड़ दौड़ से भिन्न और विशेष दर पर कर को प्रभार्य रकम 1 छ – जiii + 1 झ + 1 ञ) (यदि नकारात्मक है तो (अनुसूची सीवाईएलए के 4 i से अंक लें)									1 ट	
2	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1 च viii + 1 ट)									2	
3	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय										
	क	प्राप्तियां					3क				
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां					3ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न होने वाली रकम					3 ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर पर प्रभार्य लाभ					3 घ				
	ड	शेष (3क – 3ख + 3 ग + 3 घ) (यदि नकारात्मक है तो (अनुसूची सीएफएलए के 10xi से अंक लें)							3 ड		
4	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (2 + 3 ड) (शून्य के रूप में 3ड ले यदि नकारात्मक हैं)									4	
इस शीर्ष के अधीन टिप्पण ► 1 आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें											

क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि		(अनुसूची ज त का 3 ख)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2v)	(अनुसूची ण द का 1 ट)	
ii	वेतन	(अनुसूची द का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 3ख)				
iv	कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टे पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क38)				
v	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 7 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 7 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 7 iv)				
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 7 v)				
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 7 vi)				
xii	अन्य स्रोत (स्वयं की घुड़दौड़ों से लाभ अपवर्जित करते हुए और कर की विशेष दर पर प्रभार्य रकम)	(अनुसूची ण द का 1 ट)				
xiii	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ण द का 3 ड)				
xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
xv	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xiv)					

अनुसूची बीएफएलए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	अनुसूची ग म त क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख/च गृह संपत्ति हानि)			

iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ट क का 5 vii)	(ख/च अल्पकालिक पूँजी हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख/च अल्पकालिक पूँजी हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख/च अल्पकालिक पूँजी हानि)			
ix	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख/च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूँजी हानि)			
x	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख/च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूँजी हानि)			
xi	अन्य स्रोतों से आय (स्वयं की घुड़दौड़ों और घुड़दौड़ों का अनुरक्षण से लाभ अपवर्जित करते हुए और कर की विशेष दर पर प्रभार्य रकम)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)				
xii	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(घुड़ दौड़ों से ख/च हानि)			
xiii	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+viii2+ix2+x2+xi2)					
xiv	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5 +xii5)					

अनुसूची सीएफएल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के व्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षेप भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	अनामेलित अवक्षेप भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूँजी हानि	दीर्घअवधि पूँजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2010-11								
ii	2011-12								
iii	2012-13								
iv	2013-14								
v	2014-15								
vi	2015-16								
vii	2016-17								
viii	2017-18								
ix	पूर्व वर्ष हानियों का योग ख / च								
x	अनुसूची बीएफएल में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल का 2ii)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)	(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल का 2 v)			(अनुसूची बीएफएल का 2xii)

हानियों का अग्रनयन

xi	2018-19 (चालू वर्ष की हानियाँ)	(अनुसूची बीएफएलए क का 2xv)	(अनुसूची बीएफएलए क का 3xv)	(अनुसूची बीपी का ख 42, यदि v ड)	(अनुसूची बीपी का ग 48, यदि v ड))	(अनुसूची सीजी की मद ड 2viii+3viii+4viii)	(अनुसूची सीजी की मद ड 5viii+6viii)	(अनुसूची ओएस का 3ड यदि - बीई)
xii	अगले वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि (ix - x + xi)							

अनुसूची अ.अ

धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(बीएफएलए का 3xiii)			(बीएफएलए का 4xiii)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से चिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकत: रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से चिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकत: रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची - 80अक

धारा 80अक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80अक(4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80अक(4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ग	धारा 80अक(4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
घ	धारा 80अक(4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (4) (vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2 + घ1 + घ2)				च

अनुसूची-80- झख

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
		क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
		ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(5))	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
		ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)	
घ	मल्टीप्लेक्स थिअटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7 क))	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))	
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))	
ङ	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7ख))	ङ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))	
		ङ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))	
च	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां (धारा 80झख(9))	च1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		च2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
छ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख(10))	छ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		छ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख(11))	ज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
झ	पट्टियों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख(11क))	झ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		झ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ञ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80झख(11 क))	ञ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ञ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ट	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख(11 ख))	ट1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ट2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ठ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती झझारा 80झख(11ग)	ठ1	उपक्रम संख्या 1	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))	
		ठ2	उपक्रम संख्या 2	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))	
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियां (क1 से ट2 का योग)				ड

अनुसूची-80- झग या 80झड

धारा 80झग या 80 झड के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां				क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
					क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां				ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
					ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
ग	उत्तरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां				ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
					ग1	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद
घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां						
घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियां (घ का 1 से घछ 2 का योग)				घज		
ङ	धारा 80झग या 80झड के अधीन कुल कटौतियां (क + घ+ ग + घज)				ङ		

अनुसूची-6 क

अध्याय 6 क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती						
क	80 ग		ख	80 गगग			
ग	80गगघ(1)		घ	80 गगघ (1ख)			
ङ	80गगघ(2)		च	80गगछ			
छ	80 घ		ज	80घघ			
झ	80 घघख		ञ	80 ङ			
ट	80 ङ ङ		ठ	80 छ			
ड	80छछ		ढ	80 छछग			
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से ढ का योग)						1	
2	भाग ग - कतिपय आय/अन्य कटौती की बावत कटौती						
ण	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ङ)	त	80- झकख			
थ	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ङ)	द	80- झखक			
ध	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग /80झङ का ङ)	न	80जजक			
प	80जजकक		फ	80 थथख			
ब	80 ददख						
भाग ग के अधीन कुल कटौती (ण से व का योग)							2
3	भाग नक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती						
भ	80 ननक		म	80प			
भाग नक और घ के अधीन कुल कटौती (भ से म का योग)						3	

4 अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियां (1 से 3 का योग)				4	
अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना					
कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
	क	क्षीर्ष ई के अधीन" कतिपय आय की बाबत कटौतियां 'अध्याय जू-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क		
	ख	धारा 10क के अधीन कटौती का दावा	2ख		
	ग	धारा 35कघ के अधीन भास्तिर्यों पर अवश्रयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग		
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ		
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)			3
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3 20 लाख रुपए से अधिक है)			4

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना					
1	निर्धारण वर्ष 2018-19 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1
2	निर्धारण वर्ष 2018-19 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]				3
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)				
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) उ (ख3)-(ग)
			अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)		
	I	2013-14			
	ii	2014-15			
	iii	2015-16			
	iv	2016-17			
	v	2017-18			
	vi	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)			
	vii	योग			
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुलट				5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुलट				6

अनुसूची - विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पती/ पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की आय में शामिल है । (अव्यस्क बालक की आय यदि प्रति व्यक्तियों की आय बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं.	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रुपए)
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभाय आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111 क (शेयर यूनिटों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है)	☐	15	(अनुसूची ख च ट क का 5 vi)	
2	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटी संदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची ख च ट क का 5 vii)	
3	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/यूनिटों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
4	112(1) (ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
5	115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
6	115 क ग क (जीडीआर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ ii एस के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
8	115 ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ट क के 5 ix का भाग)	
9	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची ख च ट क का 5x)	
10	115खख (लाटरी, वर्ग शब्द पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ण द का 1 च 1i)	
11	115 क ग (विदेशी करेंसी में खरीदे गये बंधपत्रों या जीडीआर से आय)	☐	10	(अनुसूची ण द के 1 च 1ii का भाग)	
12	115खखक (देशी कंपनी से लाभांश जो आय 10 लाख रु० से अधिक है)	☐	10	(अनुसूची ण ध के 1चii का भाग)	
13	115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	☐	60	(अनुसूची ण ध के 1चiii का भाग)	
14	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची खत का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची णध का 1चiv)	
15	115खखड (कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची खत का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची णध का 1चv)	
16	115 क (ख) (रोयल्टी से अनिवासी की आय)	☐		(अनुसूची ण द के 1 चvi का भाग)	
17	डीटीएए दर के अधीन प्रभाय	☐		(अनुसूची ओएस के 1चvii का भाग + अनुसूची सीजी का क8ख और ख 10)	
18					
			योग		

अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्म जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	व्याज से आय				1	
	2	देशी कंपनी से लाभांश आय (दस लाख ₹0 से अनधिक रकम)				2	
	3	उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष				3	
	4	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)					
	i	कृषि पर उपगत व्यय		i			
	ii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि		ii			
	iii	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)		iii		4	
	5	अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				5	
	6	योग (1+2+3+4+5)				6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हो
	1.			i	गृह संपत्ति		
				ii	पूंजी अभिलाष		
				क	अल्पकालिक अवधि		
					दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य खोत		
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
				क	धारा 10(23खख) के अधीन		
					के अधीन		
					धारा.....के अधीन		
2.				i	गृह संपत्ति		
				ii	पूंजी अभिलाष		
				क	अल्पकालिक अवधि		
					दीर्घकालिक अवधि		

				iii	अन्य स्रोत		
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
				क	धारा 10(23खख) के अधीन		
				ख	धारा के अधीन		
				ग	धारा.....के अधीन		
टिप्पण ►		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।					

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत

भारत से बाहर आय और कर राहत

क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख -टीआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ख)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डीटीएए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूँजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूँजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।						

अनुसूची टीआर भारत से बाहर संदत करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा

कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत कर (प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

		योग			
2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90 क) (1 (घ) के योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 (घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय/जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यांरे दें				4
	क	कर प्रतिदाय की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

[illegible]

(ii)										
घ	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)									
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
ङ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है									
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो बताते हैं प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।									
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
									राशि	अनुसूची पेश की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है									
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है ।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				
						राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)										
(ii)										

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक					
आय के शीर्ष	शीर्ष के अधीन प्राप्त आय	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1 गृह संपत्ति					
2 कारबार या वृत्ति					
3 पूंजी अभिलाष					
4 अन्य स्रोत					
5 योग					

अनुसूची 5क

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-ख में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

क	स्थायर आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं0	विवरण	पता रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)
	(i)		
	(ii)		
	ख जंगम आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं0	विवरण	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि	
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति	
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान	
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) रु0 में
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सच्ची जमा रशियां)	
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां	
	(ग)	बीमा पॉलिसी	
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन	
	(ङ)	हाथ नकदी	
ग भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज			
क्रम सं0	फर्म/एओपी का नाम और पता	फर्म/एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म/एओपी में निर्धारिती का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क-ख-ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी व्यवसाय और वृत्ति से उपध्वारात्मक आय के लिए [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष 2018-19

ए.1 प्रथम नाम

ए.2 मध्य नाम

ए.3 अंतिम नाम

ए.4 स्थायी लेखा संख्या

ए.5 जन्म तिथि

ए.6 आय-कर वाड/सकिल

ए.7 फ्लैट /द्वार/भवन

ए.8 परिसर/भवन/ग्राम का नाम

ए.9 मार्ग/गली

ए.10 क्षेत्र/अवस्थान

ए.11 नगर/ शहर/ जिला

ए.12 राज्य और देश

ए.13 पिन कोड /जिप कोड

ए.14 आधार नम्बर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)

ए.15 प्रास्थिति

ए.16 मोबाइल नं 1 निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं 0

☐ व्यक्ति ☐ हि.अवि.कु.
☐ ☐ ☐ ☐ (☐ ☐ ☐ ☐)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ए.17 मोबाइल नं 2

ए.18 ई मेल पता

 ए.19 केवल एक भरे ☐ प्रतिदेय कर ☐ संदेय कर ☐ शून्य कर शेष ए. 20 केवल एक भरे ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं

 ए. 21 केवल एक भरे : फाइल की गई ☐ नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी 139(5)

या सूचना के उत्तर में

☐ 142 (1)☐ 148☐ 139(9)☐ 153क/153ग☐ धारा 119 (2)(ख) के अधीनए.22 क्या व्यक्ति को धारा 5क के अधीन पुर्तगात सविल सहिता द्वारा शासित किया गया ☐
 ए.23 यदि ए22 लागू होता है तो पति/पत्नी का
 स्थायी लेखा संख्यांक

 ए.24 यदि पुनरीक्षित/
 त्रुटिपूर्ण है ☐

मूल विवरणी की रसीद सं०

और ☐

मूल विवरणी फाइल करने की तारीख

ए.25 यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के उत्तर में फाइल किया गया हो ☐

नोटिस की तारीख

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण (•) में

ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें।	ख 1	
ख 2	i वेतन (वेतन के बदले में सभी भत्ते परिलब्धियां और लाभ को छोड़कर)	i	
	ii भत्ते जिस पर छूट नहीं है	ii	
	iii परिलब्धियों का मूल्य	iii	
	iv वेतन के बदले लाभ	iv	
	v धारा 16 के अधीन कटौतियां	v	
	Vi वेतन शीर्षके के अधीन प्रभाष्य आय (i + ii + iii + iv - v) टिप्पण: पृष्ठ 5 पर दी गई अनुसूची टीडीएसआई को भरना सुनिश्चित करें)	ख 2	
ख 3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्वयं के अधिभाग में ☐ किराए पर ☐ यदि मुक्त हो तो उसका ब्याँरा नीचे दें -		
इफाल गृह संपत्ति	i कुल प्राप्त/प्राप्त/भाटक मूल्य का किराया	i	
	ii स्थानीय प्राधिकारी को सौंपत कर	ii	
	iii वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii	
	iv वार्षिक मूल्य का 30%	iv	

घ18

कुल संदेय (घ13 - घ18, यदि घ13 > घ18)

घ19

► घ19

घ20

प्रतिदाय (घ18-घ13, यदि घ18 > घ13)

► घ21

केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय

(यदि कृषि आय 5000/-रु० से अधिक है आ.क.वि.3/5 का प्रयोग करें)

►

घ22 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं) (अनिवासी के मामले में प्रतिदायके प्रत्यय के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकेगा)

क्र०सं० बैंक का आईएफएस कोड भारत में धारित बैंक खाते के मामले में (विदेशी बैंक खाते के मामले में एसडब्ल्यूआईएफटी कड) बैंक का नाम (स्टैंड.iii) खाता संख्या (विदेशी बैंक खाते के मामले में आईबीएएन) यदि आपका कोई प्रतिदाय है तो उसे जमा करवाने के लिए खाता इंगित करें (एक खाते पर निशान लगाए)

1 ►		►		►		►	
2 ►		►		►		►	

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान

तारीख

वहां हस्ताक्षर करें►

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और व्यंज दे:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

स्थायी लेखा संख्या

व्यवसाय या वृत्ति की प्रकृति, यदि एक से अधिक कारबार है, तीन मुख्य कार्यकलाप/उत्पाद उपदर्शित करें

क्रम सं०	कोड	कारबार का नाम	वर्णन
(i)	► <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 400px; height: 15px;"></table>
(ii)	► <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 400px; height: 15px;"></table>
(iii)	► <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table> ►	<table border="1" style="display: inline-table; width: 400px; height: 15px;"></table>

अनुसूची बी.पी. -- व्यवसाय या वृत्ति से आय के व्यौर

44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय की संगणना

ड 1	सकल आवत या सकल प्राप्तियां		
क	विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व पाने वाले के खाते में देय बैंक खा पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के माध्यम से प्राप्त	► ड 1क	
ख	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>	► ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय (ड 1 का 8%)		
क	ड 1क का 6%	► ड 2क	
ख	ड 1ख का 8%	► ड 2ख	
ग	कुल (क + ख)	► ड 2ग	
टिप्पण -- यदि सकल प्राप्तियों की उपर्युक्त प्रतिशतता से कम आय है तो 44 कख के अधीन कर संपरीक्षा आजापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 को भरना है न कि इस फार्म को			
44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय की गणना (वृत्ति)			
ड 3	सकल प्राप्तियां	► ड 3	

ड 4	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (ई 3 का 50%) टिप्पण—यदि सकल प्राप्ति के 50% से कम आय है, तो 44कख के अधीन संपरीक्षा आज़ापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 से भरना है न कि इस फार्म के	▶ ड 4	
44कड के अधीन उपधाराणात्मक आय की संगणना			
ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधाराणात्मक आय टिप्पण—यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित लाभ से कम है या किसी समय स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तो नियमित आकवि-4 भरा जाना है, न कि यह प्ररूप	▶ ड 5	
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण—यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	▶ ड 6	
ड 7	धारा 44 कड (ई-5-ई-6) के उपधाराणात्मक आय	▶ ड 7	
ड 8	व्यवसाय या वृत्ति के अधीन प्रभाष्य आय (ड 2+ ड 4+ ड 7)	▶ ड 8	
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना			
ड 9	जीएसटीआर सं०	▶ ड 9	
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार कुल आवर्त/सकल प्राप्तियां	▶ ड 10	
कारबार की वित्तीय विशेषताएं टिप्पण—ड 9 से ड 23 के लिए, 31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)			
ड 11	भागीदारों/सदस्यों की स्वयं की पूंजी	▶ ड 11	
ड 12	प्रतिभूत ऋण	▶ ड 12	
ड 13	अप्रतिभूत ऋण	▶ ड 13	
ड 14	अग्रिम राशि	▶ ड 14	
ड 15	विविध लेनदार	▶ ड 15	
ड 16	अन्य दायित्व	▶ ड 16	
ड 17	कुल पूंजी और दायित्व (R 11+R 12+R 13+R 14+R 15+R 16)	▶ ड 17	
ड 18	सावाधि आस्तियां	▶ ड 18	
ड 19	तालिकाएं	▶ ड 19	
ड 20	विविध ऋणी	▶ ड 20	
ड 21	बैंक के अतिशेष	▶ ड 21	
ड 22	हाथ में नकदी	▶ ड 22	
ड 23	उधारा और अग्रिम राशि	▶ ड 23	
ड 24	अन्य आस्तियां	▶ ड 24	
ड 25	योग आस्तियां (R 18+R 19+R 20+R 21+R 22+R 23+R 24)	▶ ड 25	
टिप्पण ▶ इस सूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रति निर्देश करें (R 15, R 19, R 20, R 22 आज़ापक हैं)			

बनसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (उन दशा में आवेदन जहां कुल आय 50 लाख से अधिक है)

आस्थियों और दायित्वों के ब्यौरे	अ स्थावर आस्ति के ब्यौरे		
	क्रम. सं०.	विवरण	पता
	(1)	(2)	(3)
	(i)		
	(ii)		
	ब जंगम आस्ति के ब्यौरे		
	क्रम. सं०.	विवरण	रकम (व्यय) रु० में
	(1)	(2)	(3)
	(i)	आभूषण, सोना चांदी, आदि	
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला सम्बन्धी कोई कार्य	

(iii) यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान		
(iv) वित्तीय आस्ति		रकम (व्यय) रु० में
(क)	बैंक (सभी जमाओं सहित)	
(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां	
(ग)	बीमा पालिसी	
(घ)	दिया गया अग्रिम उधार और	
(ङ)	हाथ नकदी	
इ इसके भागीदार या सदस्य के रूप में व्यक्तियों (एओपी) का फर्म या संगम की आस्ति में ब्याज धारित		
क्रम. सं०.	फर्म (फर्मों)/एओपी का नाम और पता	फर्म/एओपी का पैन
		लागत पर फर्म/एओपी में निर्धारिती का विनिश्चयन
(1)	(2)	(4)
(i)		
(ii)		
ई आस्ति (अ +आ +इ) के सम्बन्ध में दायित्व		
पृष्ठ	कृपया इस अनुसूची को भरते समय अनुदेशों को निदिष्ट करें	

स्थायी लेखा संख्या

[illegible]

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहक(कों) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]						
क्रम. सं०.	कलक्टर का कर सग्रह खाता संख्या	कलक्टर का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्गित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम	दावाकृत कुल (4) में से पति-पत्नी के पास रकम, यदि 5अ लागू हो
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
i						
ii						

टिप्पण ▶

कृपया डी/6 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (हैन) (स्तंभ i)	निर्बोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस				

[illegible]

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यापार [कटौतीकर्ता/(कर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या उनके द्वारा दिया गया प्ररूप 26थग के अनुसार]

		कटौतीकर्ता/क्रेता/अभिधारी का टैन	कटौतीकर्ता/क्रेता/अभिधारी का नाम	स्रोत पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक	कटौती कर का वर्ष	फार्म 26एएस में वर्णित प्राप्ति के ब्यौरे	कटौती किया गया कर			इस वर्ष में दावा करते हुए स्तंभ (6) या (7) में से टीडीएस प्रत्यय			
							स्वयं हार्थों में	नियम 37खक(2) के अनुसार धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति के हार्थों में (यदि लागू हो)		स्वयं हार्थों में	नियम 37खक(2) के अनुसार धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति के हार्थों में (यदि लागू हो)		
		(स्तंभ i)	(स्तंभ ii)	(स्तंभ iii)	(स्तंभ iv)	(स्तंभ v)	(स्तंभ vi)	(स्तंभ vii)		(स्तंभ viii)	(स्तंभ ix)		
							आय	टी डी एस	पति या पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति का पैना		आय	टी डी एस	पति या पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति का पैना
टी 1													
टी 2													
टी 3													
टी 4													

टिप्पण : (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (iv) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (vii) का योग घ15 में प्रविष्ट करें ।

स्थायी लेखा संख्या

[illegible]

अनुपूख अनुसूची-आयकर (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 की मद आर 1-आर 5 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

	बीएसआर कोड (स्तंभ i)							नियुक्ति की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष)							चालान सं. (स्तंभ iii)							संदर्भ क्र (स्तंभ iv)						
आर 6																												
आर 7																												
आर 8																												
आर 9																												
आर 10																												
आर11																												
आर12																												
आर13																												
आर14																												

[illegible]

अनुपूरक अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 की मद एस1-एस3 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

	कर कटौती खाता संख्या (टेन (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन प्रभाय आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस 4				
एस 5				
एस 6				
एस 7				
एस 8				
एस 9				
एस 10				
एस 11				
एस 12				
एस 13				

स्थायी लेखा संख्या

[illegible]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन प्रसार्य आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस 14				
एस 15				

अनुसूचक अनुसूची-छोत पर कटौती किया गया कर (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-छोत पर कटौती किया गया कर 2 की मद टै1-टै4 के समाप्त होने के पश्चात् है प्रयोग की जाए)

	कटौतीकर्ता का टीएन (स्तंभ i)	कटौतीकता का नाम (स्तंभ ii)	स्रोत पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक (स्तंभ iii)	कटौती का वर्ष (स्तंभ iv)	कटौती किया गया कर (स्तंभ v)	(6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ vi)	यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ vii)
टी 5							
टी 6							
टी 7							
टी 8							
टी 9							
टी 10							
टी 11							
टी 12							
टी 13							
टी 14							
टी 15							
टी 16							

स्थायी लेखा संख्या

	कटौतीकर्ता का टीएएन (स्तंभ i)	कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii)	खात पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक (स्तंभ iii)	कटौती का वर्ष (स्तंभ iv)	कटौती किया गया कर (स्तंभ v)	(6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ vi)	यदि ए23 लागू है, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ vii)
टी 17							
टी 18							
टी 19							
टी 20							
टी 21							
टी 22							
टी 23							
टी 24							
टी 25							
टी 26							
टी 27							
टी 28							
टी 29							
टी 30							
टी 31							

अनुसूचक अनुसूची-खात पर संग्रहित किया गया कर (मुख्य प्रारूप, आदि में अनुसूची-खात पर संग्रहित किया गया कर की मद यू1-यू3 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

	कर कटौती खाता संख्या (स्तंभ i)	संग्राहक का नाम (स्तंभ ii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iii)	(iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv)	यदि ए23 लागू है, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ v)
यू 4					
यू 5					
यू 6					
यू 7					
यू 8					
यू 9					
यू 10					
यू 11					
यू 12					
यू 13					

[illegible]

स्थायी लेखा संख्या

	कर कटौती खाता संख्या (स्तंभ i)	संग्राहक का नाम (स्तंभ ii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iii)	(iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv)	यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ v)
यू 19					
यू 20					
यू 21					
यू 22					
यू 23					
यू 24					
यू 25					
यू 26					
यू 27					
यू 28					
यू 29					
यू 30					

प्ररूप आ.क.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यक्ति (ii) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (संलग्न अनुदेश भी देखें)	निर्धारण वर्ष	
	2 0 1 8 - 1 9		

भाग क-साधारण	साधारण			
व्यक्तिगत जानकारी	नाम	स्थायी लेखा संख्यांक		
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो, विवरणा की तारीख (दि.मा.व)		
	पल्लेट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान		
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड/ ज़िप कोड	आयकर वाडे/सर्किल
	देश			
	निवास/कार्यालय का फोन न० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1	मोबाइल सं० 2		
	ई-मेल पता-1			
	ई-मेल पता-2			
	विवरण देने की प्रक्रिया	(क) फाइल की गई विवरणी (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं०-6 देखें] ☐ को या नियत तारीख से पूर्व -139(1), ☐ नियत तारीख के पश्चात् -139(4), ☐ पुनरीक्षित विवरणी -139(5), ☐ उपान्ति विवरणी - 92गघ ☐ द्वारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9)- त्रुटिपूर्ण ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153क ☐ 153ग		
(ख) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण की सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		/ /		
(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153A/153ग के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी सूचना की तारीख भरें, या धारा 92 गघ के अधीन अग्रिम कीमत करार की तारीख भरें		/ /		
घ निवास संबंधी प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी				
ङ क्या अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित अवस्थिति के भीतर किसी व्यक्ति के साथ कोई संयवहार किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं				
च अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं				
छ क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबोधित करें।				
ज क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निष्ठास्ति द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें—				
(1) प्रतिनिधि का नाम				
(2) प्रतिनिधि का पता				
(3) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक				
संपरीक्षा जानकारी	(क) क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
	(ख) क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			

[illegible]

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है	
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अनवधारित या अज्ञात है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	4	यदि उपरोक्त "1" और "2" के उत्तर दोनों "नहीं" हैं, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :	
	(i)	क्या किसी हिताधिकारी की आय आधारभूत छूट सीमा से अधिक है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं
क्र.सं.		कोड (कृपया अनुदेश सं० 7(i) देखें)	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क- बीएस

31 मार्च, 2018 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि निबधित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत					
	1	भागीदार/सदस्यता निधि					
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी	क				
		ख	आरक्षितियां और अधिशेष				
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi			
		ii	पूंजी आरक्षिति	खii			
		iii	कानूनी आरक्षिति	खiii			
		iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv			
		v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv			
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)				खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)				1ग	
	2	ऋण निधि					
	क	प्रतिभूत ऋण					
		i	विदेशी करेंसी में ऋण	का			
		ii	रुपए में ऋण				
अ		बैंकों से	iiअ				
आ		अन्य से	iiआ				
इ	योग (iiअ+iiआ)				iiइ		

		iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii ई)		का+ii	ई		का+iii	
	ख		अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)						
	i		विदेशी मुद्रा ऋण	का					
	ii		रुपया ऋण						
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ					
		आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ					
		इ	अन्य से	iiइ					
		ई	कुल रुपया ऋण (ii-न+ii-ग+ii-इ)	iiई					
		iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii ष)					ख+iii	
	ग		कुल ऋण निधि (का+iii + ख+iii)					2ग	
	3		आस्थगित कर दायित्व					3	
	4		अग्रिम						
	i		आयकर अधिनियम की धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i					
	ii		अन्य से	ii					
	iii		कुल अग्रिम (i+ii)					4iii	
	5		निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)					5	
	आ		निधियों का उपयोग						
	1		नियत आस्तियाँ						
		क	सकल :ब्लॉक	1क					
		ख	अवबन्धन	1ख					
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग					
		घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ					
		ङ	योग (1ग+1घ)					1R	
	2		विनिधान						
		क	दीर्घकालिक विनिधान						
		i	संपत्ति में विनिधान	i					
		ii	साम्बा लिखत						
			अ सूचीबद्ध साम्बा	iiअ					
		आ	असूचीबद्ध साम्बा	iiआ					
		इ	योग	iiइ					
		iii	अधिमानी शेयर	iii					
		iv	सरकारी या न्यास संपत्तियाँ	iv					
		v	डिबेंचर या बंधपत्र	v					
		vi	पारस्परिक निधियाँ	vi					
		vii	अन्य	vii					
		viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)					कviii	
	ख		अल्पकालिक विनिधान						
		i	साम्बा लिखत						
		अ	सूचीबद्ध साम्बा	iअ					
		आ	असूचीबद्ध साम्बा	iआ					
		इ	योग	iइ					
		ii	अधिमानी शेयर	ii					
		iii	सरकारी या न्यास संपत्तियाँ	iii					
		iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv					

निधियों का उपयोग

	v	पारस्परिक निधियाँ	v		
	vi	अन्य	vi		
	vii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii +iii+iv+v+vi)	खvii		
	ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)	2ग		
3	चालू अस्तियाँ, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू अस्तियाँ			
	i	सूचियाँ			
	अ	कच्चा माल	iअ		
	आ	प्रगतिगत स्टॉक	iआ		
	इ	तैयार माल	iइ		
	ई	व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई		
	उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ		
	ऊ	खुले औजार	iऊ		
	ए	अन्य	iए		
	ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)	iऐ		
	ii	विविध देनदार			
	अ	एक से वर्ष से अधिक के लिए बकाया	iiअ		
	आ	अन्य	iiआ		
	इ	कुल विविध देनदार	iiइ		
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
	अ	बैंक में अतिशेष	iiiअ		
	आ	हाथ में नकदी	iiiआ		
	इ	अन्य	iiiइ		
	ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ + iiiइ)	iiiई		
	iv	अन्य चालू अस्तियाँ	कiv		
	v	कुल चालू अस्तियाँ (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)	कv		
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi		
	ii	निर्बंध, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खiii		
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	v	खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक		
	ख	काखार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख		
	ग	योग (कv+खiv)	3ग		
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
	i	विद्यमान दायित्व			
	अ	विविध लेनदार			
	1	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1		
	2	अन्य	2		
	3	योग (1+ 2)	अ3		
	आ	मट्टावृत्त अस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
	इ	ऋण पर प्रोद्भूत व्याज और शोध	iइ		
	ई	ऋण पर प्रोद्भूत व्याज किन्तु शोध नहीं	iई		
	उ	अग्रिम में प्राप्त आय	iउ		

लेखा न होने की दशा			ऊ	अन्य संदेय	iऊ		
			ए	योग (अ3+iआ+iइ+iउ+iऊ ऊ)		iiए	
			ii	उपबंध			
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
			आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
			इ	अन्य उपबंध	ii इ		
			ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)		iiiई	
			iii	योग (iउ+ iiई)		घiii	
			ऊ	शुद्ध चालू आस्तियां (उग-घ+iii)		3ऊ	
			4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
			ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
			ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग		
			घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
			5	निधियों के उपयोग का योग (1ऊ + 2ग + 3ऊ+4घ)		5	
			ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्तों की नियमित लेखा-बाहेरा नहीं रखी जाती है, वह कारबार या वृत्तों की बाबत 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें			
लेखा न होने की दशा			1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
			2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
			3	व्यवसायगत स्टाक की कुल रकम		ग3	
			4	नकद अतिशेष की रकम		ग4	

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में जहां नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, मद 1 से 52 करें अन्वया मद 53 भरे)

1	प्रचालनों से राजस्व						
	अ	कारखाने के विक्रय/सकल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदाओं तथा शुल्क या कर का कुल योग, यदि कोई हों)					
		i	माल का विक्रय	i			
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		iii क			
			ख	iii ख			
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv	योग (i+ii + iiiग)		अiv		
		आ	वृत्ति से सकल प्राप्तियां				
		इ	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
		i	संच उत्पाद शुल्क	i			
		ii	सेवा कर	ii			
		iii	भूखण्डवर्षित कर/विक्रय कर	iii			
		iv	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii	संच राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		Viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	viii			
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		अix		
		अक	प्रचालनों से कुल राजस्व (अiv+आ + इ ix)				
					1 अक		
2	अन्य आय						

लाभ-हानि लेखे से विकलन

	i	किराया	i			
	ii	कमीशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	व्याज से आय	iv			
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
	vi	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूत संव्यवहार कर के लिए प्रभावे प्रतिभूतियां हैं	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	करेंसी उतार-चढ़ाव लेखे पर लाभ	viii			
	ix	कृषि आय	ix			
	x	कोई अन्य आय				
		क	xक			
		ख	xख			
		ग योग (x क + x ख)	xग			
	xi	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xग)				2xi
3	बंद स्टॉक					
	i	कच्चा माल	3i			
	ii	प्रगतिगत कार्य	3ii			
	iii	तैयार माल	3iii			
	योग (3i + 3ii + 3iii)			3iv		
4	लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1ई + 2xi + 3iv)				4	
5	आरंभिक स्टॉक					
	i	कच्चा माल	5i			
	ii	प्रगतिगत कार्य	5ii			
	iii	तैयार माल	5iii			
	योग (5i + 5ii + 5iii)			5iv		
6	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क वा कर, यदि कोई हो)				6	
7	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संवत् या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क	7i			
	ii	प्रति शुल्क	7ii			
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	7iii			
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	7iv			
	v	सेवा कर	7v			
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	7vi			
	vii	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	7vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	7viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	7ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	7x			
	xi	कोई अन्य कर, संवत् या संदेय	7xi			
	xii	योग (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii + 7ix + 7x + 7xi)				7xii
8	भाड़ा				8	
9	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग				9	
10	विद्युत और ईंधन				10	
11	किराया				11	
12	भवन की मरम्मत				12	

13	मशीनरी की मरम्मत				13	
14	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वेतन और मजदूरी	14i			
	ii	बोनस	14ii			
	iii	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	14iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	14iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	14v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	14vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	14vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	14viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	14ix			
	x	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	14x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)				14xi
xii	क्या 14xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii क	हां/नहीं			
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xii ख				
15	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	15i			
	ii	जीवन बीमा	15ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	15iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत फैक्ट्री, कार्यालय, माल आदि भी हैं	15iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (15i + 15ii + 15iii + 15iv)				15v
16	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				16	
17	मनोरंजन				17	
18	सत्कार				18	
19	सम्मेलन				19	
20	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				20	
21	विज्ञापन				21	
22	कमीशन					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग(i + ii)		22iii		
23	स्वामिस्व					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)		23iii		
24	वृत्तिक/पञ्चमर्श फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)		24iii		
25	होटल, बोर्डिंग और वासा				25	
26	विदेश यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय				26	
27	विदेश यात्रा व्यय				27	
28	वाहन व्यय				28	
29	टेलीफोन व्यय				29	

30	अतिथि गृह व्यय	30	
31	क्लब व्यय	31	
32	उत्सव समारोह व्यय	32	
33	छात्रवृत्ति	33	
34	दान	34	
35	संदान	35	
36	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	i संघ उत्पाद शुल्क	36i	
	ii सेवा कर	36ii	
	iii मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	36iii	
	iv उपकर	36iv	
	v केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	36v	
	vi राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	36vi	
	vii एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	36vii	
	viii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	36viii	
	ix एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर	36ix	
	x संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x	
37	लेखा परीक्षा शुल्क	37	
38	फर्म के भागीदारों का वेतन/पारिश्रमिक (भाग क-साधारण के अधीन भागीदारों/सदस्यों की मद 5 के स्तंभ (8) का योग)	38	
39	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i	i	
	ii	ii	
	iii योग (i + ii)	38iii	
40	ड्यूबत ऋण (जिस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्याक, यदि उपलब्ध हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके लिए 1 लाख रु. या अधिक का ड्यूबत ऋण दारा किया गया है और रकम)		
	i	39i	
	ii	39ii	
	iii	39iii	
	iv अन्य (1 लाख रु. से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्याक उपलब्ध नहीं है	39iv	
	v अन्य (1 लाख रु. से कम रकम)	39v	
	vi कुल ड्यूबत ऋण (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)	39vi	
41	ड्यूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	40	
42	अन्य उपबंध	41	
43	व्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]	42	
44	व्याज		
	i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न निवासी को		
	क भागीदारों को	i क	
	ख अन्यो के	i ख	
	ii भारत में सदत्त या एक निवासी को सदत्त		
	क भागीदारों को	ii क	
	ख अन्यो के	ii ख	
	iii योग (i क + i ख + ii क + ii ख)	43iii	
45	अवक्षयण और अपाकरण	44	
46	कर पूर्व लाभ (42 - 43iii - 44)	45	
47	चातू कर के लिए उपबंध	46	

	48	आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध	47	
	49	कर पश्चात् लाभ (45-46-47)	48	
	50	पूर्व वर्ष से अग्रणीत बकाया	49	
	51	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+49)	50	
	52	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	51	
	53	भागीदार के लेखों में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (50-51)	52	
कोई लेखा मामला नहीं	54	उस दशा में जहाँ कारबार या वृत्ति की लेखा बहियाँ नहीं रखी जाती हैं वहाँ कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें-		
	(i)	कारबार कर रहे निर्धारित के लिए		
	क	सकल प्राप्तियाँ	54(i)क	
	ख	सकल लाभ	54(i)ख	
	ग	व्यय	54(i)ग	
	घ	शुद्ध लाभ	54(i)घ	
	(ii)	वृत्ति कर रहे निर्धारित के लिए		
	क	सकल प्राप्तियाँ	54(ii)क	
	ख	सकल लाभ	54(ii)ख	
	ग	व्यय	54(ii)ग	
	घ	शुद्ध लाभ	54(ii)घ	
		योग [54(i)घ + 54(ii)घ]	54	

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ ☐ बणिज्य ☐ नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख (iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4 ङ	
	5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
	ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धि कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहाँ संबंध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दाव	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखों में विकलित रकम		
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मई बीमा के लिए सदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए सदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	

ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमिशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त व्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भविष्य निधि या आबंविषता निधि या कर्मचारी राज्य बंधन निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
ठ	द्वंद्व और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	द्वंद्व और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों को दी गई परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है [36(1)(x)]	6त	
थ	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 द	
घ	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ का योग)	6 घ	
न	नियोजित कर्मचारियों को कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम		
क	पूंजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
ङ	तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(ख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	

	छ	राजस्व, अनुज्ञापति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारितोषिक की रकम [40(ख)]	अज		
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
	झ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अझ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9 धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम					
	क	धारा 40क(2)(ख) में प्रोविदेन्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञेय, लेखा आदाता बैंक या लेखा आदाता बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के प्रयोग के सिवाए संदत्त रकम	9ख		
	ग	उपदान के संदाह के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)		9च	
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या आधेवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारियों को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)		10ज	
11 पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या आधेवार्षिक निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारियों को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)		11ज	
12 निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम					

	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	काई अन्य कर	12ज		
	झ	वक्तव्या कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ		
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13		
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14		
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15		

भाग क-परिणामक व्यौर परिणामक व्यौर (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

परिणामक व्यौर	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में		
	1	आरंभिक स्टाक	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4	बंद स्टाक	4	
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
	6	कच्ची सामग्री		
	क	आरंभिक स्टाक	6क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	बंद स्टाक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
	क	आरंभिक स्टाक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	बंद स्टाक	7ङ	
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

भाग ख-कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3ख) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
	2	कारखान या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारखान के कारखान और विनिर्दिष्ट कारखान से भिन्न कारखान से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
	ii	सट्टेबाजी के कारखान से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-खत का ख42) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारखान से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-खत का ग48) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2iii	

	iv	धारा 115खख (3 अनुसूची बीपी का 3घ के अधीन पेटेंट से आय)	2iv		
	v	धारा 115खख के अधीन कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय	2v		
	vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv + 2v) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्टि में ले जाएँ)	2vi		
3	पूँजी अभिलाभ				
	क	अल्प कालिक			
	i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7ii)	का		
	ii	30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7iii)	काii		
	iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7iv)	काiii		
	iv	कुल अल्प कालिक (का + काii + काiii)	3काiv		
	ख	दीर्घ कालिक			
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7v)	खi		
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7vi)	ख ii		
	iii	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii) (यदि हानि हो तो शून्य करें)	ख iii		
	ग	कुल पूँजी अभिलाभ (3 काiv + 3 खiii) (यदि हानि हो तो शून्य करें)	3c		
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से भिन्न स्रोतों से और विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ग घ का ठ ज़) (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें)	4 क		
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का ठ मंरे)	4 ख		
	ग	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से (अनुसूची ओएस का 3 ग) (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें)	4 ग		
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ		
5	योग (1 + 2vi + 3 ग + 4 घ)		5		
6	5 के सामने मुजर किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xiii, 3xiii और 4xiii का योग)		6		
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची 5 बीएफएलए + 4ख का योग)		7		
8	7के संबंध में मुजर किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि (अनुसूची बीएफएलए के 2xii, 3xii और 4xii का योग)		8		
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के 5xiii भी + 4 ख)		9		
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112 आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय		10		
11	धारा 10 कक के अधीन कटीती (अनुसूची 10 कक का ज़)		11		
12	अध्याय 6क के अधीन कटीतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]	12क		
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]	12ख		
	ग	कुल (12क + 12ख) (9-10) तक सीमित]	12ग		
13	कुल आय (9- 11-12ग)		13		
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)		14		
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)		15		
16	कुल आय (13 - 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा)		16		
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)		17		
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय		18		

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
		ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू हो)	1 ख	
		ग	शिक्षा उप कर जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त 1क+ 1ख पर उच्चतर शिक्षा उप कर भी है	1 ग	
		घ	माना गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
		ग	कृषि आय पर छूट/भाग ख-नज़ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ	
		ड	उपकर	2ड	

		i अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ड i		
		ii ((2घ) – (अनुसूची एस आई का 12(ii))	2ड ii		
		iii कुल (i + ii)	2ड iii		
	च	2घ +2ड iii पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर	2च		
	छ	कुल आब पर संदेय कर (2घ +2ड iii+ 2च)	2छ		
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)			3	
4	पूरे वर्षों में संदत्त कर का घास 115त्रग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)			4	
5	धारा 115 त्रग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)			5	
6	कर राहत				
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख		
	ग	योग (6क + 6ख)	6ग		
7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)			7	
8	ब्याज और देय फीस				
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में बतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में बतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)	8 ड		
9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)			9	
10	संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (16क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	स्रोत पर काट गया कर (16ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
	ग	टीसीएस (16ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर (16क के स्तंभ 5 से)	10घ		
	ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ड		
11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा			12	
13	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारण किए गए सभी बैंक खाते के ब्यारे (डारमेंट खातों को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, किसी विदेशी बैंक खाते के ब्यारे नकद प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे)				
	क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी कोड)	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
	i				
	ii				
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय				
	(i) भारत के बाहर स्थित कोई आसुतियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हितधारिकारी स्वामी, हितधारिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।				□ हां □ नहीं
	(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या				
	(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में हो लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

में यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान तारीख यहाँ हस्ताक्षर करें →

15	अनुसूची-आयकर
क	आय-कर के आग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्रम सं.	वीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)	
	i					
	ii					
	iii					
टिप्पण ▶ भाग ख-टीडीआई के क्रम सं 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।						

ख	आय के स्रोत (टीडीएस) पर काटे गए कर के ब्याँरे (कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या दिए गए प्ररूप 26थख/26थग के अनुसार)										
क्रम सं.	कटौतीकर्ता का टैन /क्रेता या अभिधारी का पैन	कटौतीकर्ता/ क्रेता/ अभिधारी का नाम	अन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक	दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च	चाहू विवेक वष का स्रोत पर कटौती किया गया कर	इस वर्ष दावा किए जानेवाले (7) या (8) में से जमा टीडीएस (यदि तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए पेश की जाती है।	आगे ले जाने वाले (7) या (8) में से जमा टीडीएस				
				विवेक वष जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई है	रकम ख/ च	सवयं की गई कटौती	नियम 37 खक्(2) के अनुसार किसीअन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागूहो)	सवयं द्वारा कियागयादावा	नियम 37 खक्(2) के अनुसार किसीअन्य व्यक्ति द्वाराकिया गया दावा (यदि लागूहो)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
							आय टीडीएस अन्य व्यक्ति का पैन		आय टीडीएस अन्य व्यक्ति का पैन		
i											
ii											
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख –टीडीआई के 10ख में स्तंभ (8) का योगप्रविष्ट करें।											

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्याँस [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
क्रम सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च	चाहू विवेक वष का स्रोत पर कटौती किया गया कर	(6) या (7) में से रकम जिसका इस वर्ष दावा किया गया है (केवल तभी जब तत्स्थानी आय का इस वर्ष के कर के लिए प्रस्ताव किया गया है)	(6) या (7) में से अग्रणीत रकम		
			विवेक वष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)		
i								
ii								
टिप्पण ▶ कृपया भाग ग –टीडीआई के 10ख में स्तंभ (7) का योगप्रविष्ट करें।								

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ ध1 से ध18) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू करें)

अनुसूची एचपी

गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)

1	संपत्ति 1 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिनकोड	
	क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में निवेशित अंश की प्रतिशतता							
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक		संपत्ति में अंश का प्रतिशत			
	I							
	II							
	सही का ☒ निशान लगाएं (यदि लागू विकल्प हो) ☐ यदि किराए पर है ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार (किराएदारों) के नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)			
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)				1क		
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख				
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को सदाय किया जाता है		1ग				
	घ	योग (1ख+1ग)		1घ				
	ङ	वार्षिक मूल्य (1क-1घ)				1ङ		
	च	स्वामित्वाधीन संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं का प्रतिशत भाग x ङ)				1च		
	छ	1च का 30%		1छ				
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज				
झ	योग (1छ + 1ज)		1झ					
ञ	गृह संपत्ति से आय 1 (1च - 1i)				1ञ			
2	संपत्ति 2 का पता		नगर/शहर		राज्य		पिनकोड	
	क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
	संपत्ति में निवेशित अंश की प्रतिशतता							
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक		संपत्ति में अंश का प्रतिशत			
	I							
	II							
	सही का ☒ निशान लगाएं (यदि लागू विकल्प हो) ☐ यदि किराए पर है ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार (किराएदारों) के नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार (किराएदारों) का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)			
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)				2क		
	ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती		2ख				
	ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को सदाय किया जाता है		2ग				
	घ	योग (2ख+2ग)		2घ				
	ङ	वार्षिक मूल्य (2क-2घ)				2ङ		
	च	स्वामित्वाधीन संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं का प्रतिशत में अंश) x 2e				2च		
	छ	2च का 30%		2छ				
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		2ज				
झ	योग (2छ + 2ज)		2झ					
ञ	गृह संपत्ति से आय 2 (2च - 2ज)				2ञ			
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय							
	क	30% कटौती के पश्चात् धारा 25 के अधीन वर्ष के दौरान अप्राप्त किराया या किराए का बकाया				3क		
	ख	योग (1ज + 2ज + 3क)				3ख		

अनुसूची — कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ सर्टिफिकेट के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति							
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 45 या मद 53घ)				1		
	2क	1 में सम्मिलित सर्टिफिकेट के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			2क			
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)			2ख			
	3	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय /प्राप्ति यां	क	गृह संपत्ति	3क			
			ख	पूंजी अभिलाम	3ख			
			ग	अन्य स्रोत	3ग			
			घ	धारा 115खखच	3घ			
			ङ	धारा 115खखछ	3ङ			
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44ख/44खख/44खखक/44घ/44घक/44घख अथवा 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है			4			
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त हैं						
		(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क				
		(ख)	एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख				
		(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		i		ग i				
			ii		ग ii			
			iii	योग (ग i + गii)	5ग iii			
	(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)			5घ			
	6	व्यय (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 4- 5घ)					6	
	7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क			
			ख	पूंजी अभिलाम	7ख			
			ग	अन्य स्रोत	7ग			
			घ	धारा 115खखच	7घ			
			ङ	धारा 115खखछ	7ङ			
	8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय				8		
	9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8)				9		
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)					10	
	11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण					11	
	12	आवकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
		i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडल का स्तंभ 6)			12i		
		ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)			12ii		
		iii	कुल (12i + 12ii)				12iii	
	13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)					13	
	14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)				14		
	15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)				15		
	16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)				16		
	17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9घ)				17		
	18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -णझ का 11ज)				18		
	19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज				19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय				20			

21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनजब नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारिती भारीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और सटाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का सतंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 35 या धारा 35गग या धारा 35गघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है (अनुसूची डघद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गग या 35गघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10छ)	31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32	
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और सटाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का सतंभ 3ख + 4ड.)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)		34
35	आव (13+26-34)		35
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	36i	
	ii धारा 44कघक	36ii	
	iii धारा 44कड	36iii	
	iv धारा 44ख	36iv	
	v धारा 44खख	36v	
	vi धारा 44खखक	36vi	
	vii धारा 44खखख	36vii	
	viii धारा 44घ	36viii	
	ix धारा 44घक	36ix	(प्राप्ति 3गड की मद 4)
	x धारा 44घख	36x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	36xi	
	xii कुल (36i to 36x)		36xii
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36xi)		37
38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7 क, 7 ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरे) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं)		क 38
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		39
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		41
42	सट्टेबाजी के कारबार से आव (39+40-41) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)		आ42
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन		
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44
45	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है		45
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43+44-45)		46
47	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)		47

	48	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (46-47) (हानि की दशा में T.xi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएँ)			इ48
	49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मैन्यू से चयन किए जाएँ)			इ49
घ	'कारखार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रचार्य आय (क38+ ख42+ ग48)				घ
ङ	चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय की क्रिसम	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के
			(1)	(2)	(3) = (4)
	i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या नकारात्मक हो)		(क 38)	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शेष हानि (i – iv)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी		
2	दर (%)	15	30	40
		(i)	(ii)	(iii)
3(क)	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवाल्लिखित मूल्य			
3(ख)	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवाल्लिखित मूल्य, आस्तियों के उन खंडों के लिए जो पुरानी सारणी के अनुसार 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास के लिए पात्र थी ।			
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण			
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3(क) + 3(ख) + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण			
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
14	आसति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,			
17	कुल नियत मूल्यह्रास (15-16)			

18	उत्तराधिकार, सम्मेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास			
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			
20	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाश/हानि (5 + 8 - 3(क) - 3(ख) - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3		पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4		पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5		3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
6		रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7		पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8		7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
9		रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10		पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11		आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12		कुल अवक्षयण। (10+11)							
13		आयकर अधिनियम (सूतंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात मूल्यहास,							
14		कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15		उत्तराधिकार, सम्मेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							
16		आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17		धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाश/हानि (5 + 8 - 3-4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18		पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
	घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)			1घ
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 12v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 12vi)				4
5	पोत (अनुसूची डीओए 12vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1घ+2घ+3+4+5)				6

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)			1घ
2	भवन (जि सके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

अनुसूची ईएसआर		धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटीती		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटीती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटीती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			

अनुसूची-पूजी अभिलाम

पूजी अभिलाम

क अल्प कालिक पूजी अभिलाम (एसटीसीसी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)			
अल्प कालिक पूजी अभिलाम	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से	
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य
		iii	पूजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii)
	ख धारा 48 के अधीन कटीतियां		
	ग	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)
	ग तुलन कां३ - ख iv)		1 ग
	घ धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटीती (नीचे मद घ में ब्यापारे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ
	ङ स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)		क 1 ङ
	2	स्लम्य बिक्री से	
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क (प्ररूप 3गडक का 5)
		ख बचनबंद या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख (प्ररूप 3गडक का 5)
		ग स्लम्य की बिक्री से अल्प कालिक पूजी अभिलाम (2 क-2 ख)	क 2 ग
	3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के पस्तुक के प्रतिफल का पूरा मूल्य	
	ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां	
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय
		iv	योग(i + ii + iii)
	ग शेष (3 क - ख iv)		3 ग
	घ धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभान्स/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी		3 घ
	ङ साम्ना शेयर या साम्ना उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूजी अभिलाम (एसटीटी संदल) (3 ङ + 3 घ)		क 3 ङ

4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)		
	क संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है	क 4	क
	ख संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है	क 4	ख
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उमर ए 3 से भिन्न)		
	क i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।		
	क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड		
	ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से	ग	
	ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में		
	iii कुल (ग + ii)	क	
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग शेष (5 क iii - ख iv)	5 ग	
	घ धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ	
	ङ साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	क 5	ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
	क i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में		
	क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त		
	ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर		
	ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग	
	ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii कुल (ग + ii)	क	
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग शेष (6 क iii - ख iv)	6 ग	

	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञित हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभान्वित/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
	ङ	अवशेषों आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ		
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी			क 6छ
7					
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपरोक्त में नहीं लायी जा सकती किसी राशि □□ उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?			
		पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	नई आस्तियां वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		क्रम सं.	वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i 2014-15	54घ/54छ/54छक		
धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि					
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)					
क7					
8					
क 1 -क7 में अंतर्विष्ट एसटीसी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभाव्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभाव्य है					
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क7 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I				
	II				
क डीटीए के अधीन एसटीसी प्रभाव्य कर की कुल राशि					
क8 क					
ख डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाव्य एसटीसी की कुल रकम					
क8 ख					
9					
कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क5 ङ+ क6 छ+ क7 - क 8 क)					
क 9					
ख दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5 और 6 लागू नहीं हैं)					
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से			
	क i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			का
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य			काii
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रभाजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii)			काiii
ख धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय			ख iii

	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (क iii - ख iv)	1 ग		
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/ 54 डड/ 54 छ / 54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ		
	इसथावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)				ख 1 ड
2	स्लमप विक्री से				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2क	(प्ररूप 3गडक का 5	
	ख	बचनबंद या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	(प्ररूप 3गडक का	
	ग	शेष (2 क - 2 ख)	2 ग		
	घ	धारा 54डग/ 54डड के अधीन कटौती	2 घ		
	ड	स्लमप के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ)			ख 2 ड
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	बोग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (3क - ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 54डग/ 54डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3 घ		
	ड	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (3 ग - 3 घ)			ख 3 ड
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	बोग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (4 क - ख iv)	4 ग		
	घ	धारा 54डग/ 54डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ		
	ड	पूर्ववर्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (4ग-4घ)			ख 4 ड
	5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनियों के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)			
	क	सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ कालिक पूंजी	5क		
	ख	धारा 54डग/ 54डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम (5क-5ख)			ख 5ग
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट बूनियों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से				
	क	I कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य			

[illegible]

क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख 8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएफ का आर्टिकल	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 से कम)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीएफ के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि									ख9क
ख	डीटीएफ के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम									ख9ख
10	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष (ख 1ड + ख 2ड + ख 3ड + ख 4ड + ख 5ग + ख 6ड + ख 7ड + ख 8 - ख 9 क) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गबठ) की 9 xi पर ले जाएं									ख10
ग	“पूँजी अक्षिाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख 10) (/ यदि हानि हो तो ख 10 को शून्य लें)									ग
घ	पूँजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना									
1	धारा 54ख/54घ / धारा 54डग/ धारा 54डड/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्योरे दें।									
क	54ख के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आसृति के अंतरण की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई कृषि भूमि की लागत					क ii				
iii	नई कृषि भूमि की खरीद की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					क iv				
v	कम किए गए दावे की रकम					क v				
ख	54घ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आसृति के अर्जन की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सर्निर्माण की लागत					ख ii				
iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					ख iv				
v	कम किए गए दावे की रकम					ख v				
ग	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आसृति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम					ग ii				
iii	निवेश की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	कम किए गए दावे की रकम					ग iv				
घ	धारा 54डड के अधीन दावाकृत कटौती									
i	मूल आसृति के अंतरण की तारीख					घां	दिन/मास/वर्ष			
ii	विनिर्दिष्ट आसृति में निहित रकम					घांii				
iii	निवेश की तारीख					घांiii	दिन/मास/वर्ष			
iv	दावाकृत कटौती की रकम					घांiv				
ड	54छ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आसृति के अंतरण की तारीख					डां	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई आसृति के क्रय और सर्निर्माण के लिए वहन की गई लागत और त्तरण					डांii				
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आसृतियों के क्रय/सर्निर्माण की तारीख					डांiii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					डांiv				
v	कम किए गए दावे की रकम					डांव				
च	54छक के अधीन कम किया गया दावा									
i	शहरी क्षेत्र से मूल आसृति के अंतरण की तारीख					चां	दिन/मास/वर्ष			

			ii	नई आसृति के क्रय और सनरुडरण के लिए वहन की गई लागत और व्यय			चंi		
			iii	सेज में नई आसृतियों के क्रय/सनरुडरण की तारीख			चंiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम			चiv		
			v	कम किए गए दावे की रकम			चv		
			छ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग+1घ+1ङ + 1च)			1छ		

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजरई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हों)	मुजरई की गई पूंजी हानि			मुजरई की गई दीर्घ कालिक पूंजी हानि		मुजरई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)	
			15%	30%	लागू दर	10%	20%		
		1	2	3	4	5	6	7	
i	मुजरई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(क 3 ङ+ क 4 क)	क 5 ङ	(क 1 ङ+ क 2 ग+ क 4 ख+ क 6 छ+ क 7)	(ख 4 ङ+ + ख 6 ङ)	(ख 1 ङ+ ख 2 ङ+ ख 3 ङ+ ख 5 ग+ ख 7 ङ+ ख 8)		

	ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(क 3 ङ+ क 4 क)						
	iii		30%	क 5 ङ						
	iv		लागू दर	(क 1 ङ+क 2 ग+क 4 ख+क 6 छ+क 7)						
	v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	(ख 4 ङ+ + ख 6 ङ)						
	vi		20%	(ख 1 ङ+ ख 2 ङ+ ख 3 ङ+ ख 5 ग+ ख 7 ङ+ ख 8)						
	vii	कुल हानि मुजर (ii + iii + iv + v + vi)								
	Viii	मुजर के पश्चात् शेष हानि (i – vii)								
	च	पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना								
		पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)	
	1	15% की दर से प्रभार अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो								
	2	30% की दर से प्रभार अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो								
	3	लागू दर से प्रभार अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो								
	4	10% की दर से प्रभार दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो								
	5	20% की दर से प्रभार दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो								

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय			
	क	लाभांश, सकल			1क
	ख	ब्याज, सकल			1ख
	ग	मज्जिनसं, सयत्र, भवन से किराए की आय			1ग
	घ	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय को छोड़कर) प्रकृति का उल्लेख करें ।			
	i	लाटरी, वर्ग पहेली आदि में जीत के माध्यम से आय			1घi
	ii	क	धारा 68 के अधीन रोकड़ जमा		
		ख	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान		
		ग	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन इत्यादि		
		घ	धारा 69 ख के अधीन अप्रकटित विनिधान इत्यादि		
		ङ	धारा 69ग के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय इत्यादि		

	च	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार या पुनःसंदत्त रकम																																									
		कुल (क + ख + ग + घ + ङ+ च)	1घii																																								
	iii	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय्यहै																																									
	क	प्रतिफल के बिना प्राप्त किए गए धन का कुल मूल्य																																									
	ख	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अचल संपत्ति की दशा में, संपत्ति का स्टॉप ड्यूटी मूल्य																																									
	ग	अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त अचल संपत्ति की दशा में ऐसी प्रतिफल से अधिक संपत्ति के लिए स्टॉप ड्यूटी मूल्य																																									
	घ	प्रतिफल के बिना कोई अन्य संपत्ति प्राप्त होने की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य																																									
	ङ	अपर्याप्त प्रतिफल के लिए कोई अन्य संपत्ति प्राप्त किए जाने की दशा में ऐसे प्रतिफलके आधिक्य में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य																																									
		योग (क +ख +ग +घ +ङ)	1घiii																																								
	iv		1घiv																																								
	V		1घv																																								
	Vi	योग (1घा + 1घii+ 1घiii + 1घiv + 1घv)	1घvi																																								
ड	योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घvi)		1 ड																																								
च	एलई में सम्मिलित विशेष दर पर कर से प्रभाय्य आय (अनुसूची एसएल में ले जाई जाएगी)																																										
	i	लाटरी, क्रासवर्ड वगे पहेली, दौड़, जुआ, सट्टेबाजी आदि मे जीत के माध्यम से धारा 155खख के अधीन आय	1चा																																								
	ii	घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख रु से अधिक है (धारा 115खखघक के अधीन) (केवल फर्मों के लिए)	1चाii																																								
	iii	धारा 115खखड. के अधीन कर को प्रभाय्य समझी गई आय	1चाiii																																								
	iv	धारा 11खखच के अधीन प्रभाय्य पेटेंट से आय	1चाiv																																								
	v	धारा 115बीबीजी के अधीन कार्बन क्रेडिट के अंतरण से आय	1चv																																								
	vi	अध्याय XII/XII-क के अधीन कोई अन्य आय जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभाय्य है	1चvi																																								
	Vii	डीटीए के अधीन विषय दर पर प्रभाय्य आय पर कर																																									
		<table><tr><td>क्रम सं.</td><td>आय की रकम</td><td>आय की प्रकृति</td><td>देश का नाम और कोड</td><td>डीटीए का आर्टिकल</td><td>संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय्य नहीं हो, शून्य होगा)</td><td>क्या टीआरसी प्राप्त की गई है</td><td>आई टी एक्ट की धारा</td><td>आइटी एक्ट अनुसार दर</td><td>लागू दर(6 या 9 से कम)</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr><tr><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>II</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्रम सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय्य नहीं हो, शून्य होगा)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	I										II										
	क्रम सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय्य नहीं हो, शून्य होगा)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)																																	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)																																	
I																																											
II																																											
III	डीटीए के अधीन विषय दर पर प्रभाय्य आय की कुल रकम								1चvii																																		
Viii	विशिष्ट दर पर कर को प्रभाय्य योग्य ‘1ड’ में सम्मिलित ओय (1चा +1चाii+1चाiii +1चाiv+1चv+1चvi +1चvii)								1चviii																																		
छ	साधारण लागू दर पर कर से प्रभाय्य समय रकमे (1ड – 1चviii)								1छ																																		
ज	धारा 57 के अधीन कटौती (1चा, 1चाii, 1चाiii, 1चाiv, 1चv, 1चvi और 1चvii के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न)																																										
झ	i	व्यय/कटौतियाँ					जाi																																				
	ii	अवक्षेपण					ज ii																																				
	iii	योग					ज iii																																				
ञ	धारा 58 के अधीन रकम जो कटौती योग्य नहीं है।								1झ																																		
ट	धारा 58 के अधीन लाभ जो कर से प्रभाय्य है ।								1ट																																		
ड	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों से भिन्न और विशेष दर पर कर से प्रभाय्य) (1छ – ज iii + 1 झ + 1 ञ) (नकारात्मक की दशा में संख्या को अनुसूची सीवाईएसए 4झ की में ले जाएं								1ट																																		
2	अन्य स्रोत से आब (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1चviii + 1ट) (□□□□ □□ □□ □□ / ट□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□								2																																		
3	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से आय																																										

4	क	प्राप्तियाँ	3क	
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	3ख	
	ग	धारा 58 के अधीन रकम जो कटौती योग्य नहीं	3ग	
	घ	धारा 58 के अधीन लाभ जो कर से प्रभाय है।	3घ	
	ङ	अतिशेष (3क - 3ख + 3ग + 3घ) (यदि नकारात्मक है तो संख्या को अनुसूची गबट के 10xi को ले जाएँ)	3ङ	
4	“अन्य स्रोतों” से आर शीर्ष के अधीन आय (2 + 3ङ) (नकारात्मक की दशा में 3ङ को ले जाएँ)			4

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.स.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के मुजरे के पश्चात् लिए मुजराई की गई हानि शेष बची चालू वर्ष विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न
		1	2	3	4
		5=1-2-3-4			
i	हानि की मुजराई की जानी है		(अनुसूची एचपी का 3ख)	(अनुसूची जट का 2v)	(अनुसूची ओएस का 1e)
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 3ख)			
iii	कारबार (जिसमें सट्टे की आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय सम्मिलित नहीं है)	(अनुसूची एचपी का क 38)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची एचपी की मद ड का 3ii)			
v	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची एचपी की मद ड 3ii)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7ii)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7 iii)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7iv)			
ix	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीघ कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7v)			
x	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीघ कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7 vi)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 7 vi)		
xi	अन्य स्रोत (रेस के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और विशेष कर की दर से प्रभाय आय को छोड़कर)	(अनुसूची ओएस की मद 1e)			
xii	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 3ङ)			
xiii	मुजरा की गई कुल हानि (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii)				
xiv	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xiii)				

अनुसूची-वीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.स.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (स्वित)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत स्ट्टेबाजी से आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय शामिल नहीं है)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि स्ट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि स्ट्टेबाजी से हानि है)			
iv	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
v	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vi	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीवाईएलए का 5viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

viii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभावी दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ix)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
ix	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभावी दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष	(अनुसूची सीवाईएलए का 5x)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
x	अन्य स्रोत (रैस के घाटों के स्वामित्व से लाभ और विशेष कर की दर से प्रभावी आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xi)				
xi	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xii	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xiii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि	योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5)				

अनुसूची-सीएफएल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस	दोड़ के घाटों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i	2010-11									
ii	2011-12									
iii	2012-13									
iv	2013-14									
v	2014-15									
vi	2015-16									
vii	2016-17									
viii	2017-18									
ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च									
x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	सीवाईएलए			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2018-19 (चालू वर्ष की हानि)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xiv)	(अनुसूची बीएफ का ख 42 , यदि -v'ड)	(अनुसूची बीएफ का ग48 , यदि -v'ड)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 2viii+3viii+4viii))	((अनुसूची सीजी की मद ड का 5viii+6viii))		(अनुसूची ओएस का 3इ यदि -v'ड)
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि									

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(बीएफएलए का 3xii)			(बीएफएलए का 4xii)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)

I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती				
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्रम सं.	वचनबंध	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं.	रकम	
	क	वचनबंध सं0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बइनबंध 1 के लिए	
	ख	वचनबंध सं0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बइनबंध 2 के लिए	
	ड	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)				

अनुसूची-80छ धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के व्यौर

संदानों के व्यौर

अ	बिना उर्हता सीमा के 100% कटौती के लिए उपयुक्त संदान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का स्थायी लेखा संख्यांक	संदान की रकम	संदान की उपयुक्त रकम
	i				
	ii				
	iii	योग			
आ	अर्हता सीमा के बगैर 50% कटौती के लिए उपयुक्त संदान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का स्थायी खाता संख्यांक	संदान की रकम	
	i				
	ii				
	iii	योग			
	ख	अर्हता सीमाके अधीन रहते हुए 100% कटौती के लिए उपयुक्त संदान			
	आदाता का नाम और पता		आदाता का स्थायी लेखा संख्यांक	संदान की रकम	संदान की उपयुक्त रकम
	i				
	ii				
	iii	योग			
	घ	अर्हता सीमाके अधीन रहते हुए 50% कटौती के लिए उपयुक्त संदान			
	आदाता का नाम और पता		आदाता का स्थायी लेखा सं0	संदान की रकम	संदान की उपयुक्त रकम
	i				
	ii				

	iii	योग			
उ	कुल संदान (कां० + खा० + ग + च०)				

अनुसूची-80-इक धारा 80- उक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80-इक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-इक (4) (ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-इक (4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	धारा 80-इक (4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ङ	धारा 80-इक (4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80-इक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ङ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80-इक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2 + घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2)				च

अनुसूची-80-इख धारा 80-इख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80-इख (4))	क1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80-इख (4))	ख1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80-इख (5))	ग1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा 80-इख (7क))	घ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
		घ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
ङ	कन्वेंशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा 80-इख (7ख))	ङ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
		ङ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
च	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा 80-इख (9))	च1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		च2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
छ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (10))	छ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		छ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ज	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (11))	ज1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ज2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
झ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या जलवायु उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (11क))	झ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		झ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ञ	अनाज की संग्रहाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (11क))	ञ1	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ञ2	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ट	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (11ख))	ट1	बचनबंध सं० 1	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))	
		ट2	बचनबंध सं० 2	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))	
ठ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-इख (11ग))	ठ1	बचनबंध सं० 1	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))	
		ठ2	बचनबंध सं० 2	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))	
ड	धारा 80-इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ट2 का योग)				ड

धारा 80-झग के अधीन कटौती

अनुसूची-80-झग या 80-झड		धारा 80-झग या धारा 80झड के अधीन कटौतियां							
धारा 80-झग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		क1	वचनबंध सं0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
				क2	वचनबंध सं0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ख1	वचनबंध सं0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
				ख2	वचनबंध सं0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ग1	वचनबंध सं0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
				ग1	वचनबंध सं0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)			
	घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती							
	घक असम	घक1	वचनबंध सं0 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घक2	वचनबंध सं0 2				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घख अरुणाचल प्रदेश	घख1	वचनबंध सं0 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घख2	वचनबंध सं0 2				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घग मणिपुर	घग1	वचनबंध सं01				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घग2	वचनबंध सं02				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घघ मिजोरम	घघ1	वचनबंध सं0 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घघ2	वचनबंध सं02				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घङ मेघालय	घङ1	वचनबंध सं0 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घङ2	वचनबंध सं0. 2				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घच नागालैंड	घच1	वचनबंध सं0. 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घच2	वचनबंध सं0. 2				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घछ त्रिपुरा	घछ1	वचनबंध सं0 1				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
		घछ2	वचनबंध सं0 2				(वचनबंध के प्ररूप 10संसीबी की मद 30)		
	घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)					घज		
	ङ	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)					ङ		

अनुसूची -6क		अध्याय 6क के अधीन कटौतियां	
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	
	क	80छ	ख 80छग
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख)		1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	
	ग	80-झक (अनुसूची 80- ठक का च)	घ 80-झकख
	ङ	80-झकग	च 80-झकख (अनुसूची 80- झख का ड)
	छ	80-झकख	ज 80झग/80झड (अनुसूची 80 झग/80झड का ड)
	झ	80जक	ञ 80जकक
	ट	80टक	ठ 80ठ
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (ग से ठ तक का योग)		2
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 से 2 का योग)	3

अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क
		ख धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख
		ग आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जात है पर अवक्षय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग
		घ कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)	3
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर [(3)का 18.5 प्रतिशत] (व्यक्ति, एचयूएफ, एओपी, बोझोई, एजेपी के मामले में यदि (3)20 लाख से अधिक है तो यह लागू होगा।	4

अनुसूची एएमटीसी		धारा 115अघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2018-19 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 1घ)					1
2	निर्धारण वर्ष 2018-19 में अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)					2
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]					3
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अन्वयेन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (अ)	एएमटी प्रत्यय		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
	i	2012-13	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	
	ii	2013-14				
	iii	2014-15				
	iv	2015-16				
	v	2016-17				
	vi	2017-18				
	vii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	viii	योग				
5	धारा 115अघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]					5
6	पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दावित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]					6

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभावी आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया उद्देश सं0-7 (ii) देखें)

क्र.सं.	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111 क (शेयरों/साम्पा उन्मुख पारस्परिक निधियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ/)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का 5v)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का सदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vi)	
3	112 पसंुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/बुनित सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों/जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ix of)	
9	115ख (जीवनबीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीपी का भाग4)	
10	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग च 1 च ii)	
11	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च i)	
12	115 खखघ (10 लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से लाभांश आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 1च ii)	
13	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	
14	115खखघ (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 1चiv)	
15	115खखघ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 1चv)	
16	115 क (ख) (अनिवासी की राजस्व से आब)	☐	25	(अनुसूची ओएस का भाग 1चvi)	
17	डीटीएए दर के अधीन प्रभावी	☐		(अनुसूची ओएस के 1चvii का भाग + अनुसूची सीजी का क8ख और ख 10 ख)	
18		☐			
19		☐			
	योग				

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	व्याज से आय	1	
	2	लाभांश से आय	2	
	3	उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष	3	
	4	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	
		ii कृषि पर उपगत व्यय	ii	
		iii पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अन्यायमेलित कृषि हानि	iii	
	iv	वर्ष (i-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4	
	5	अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है	5	
	6	योग (1+2+3+4+5)	6	

अनुसूची पीटीआई धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर ख्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो
1.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूंजी अभिलाष		
			क	अल्पकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य ख्रोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23खख) के अधीन		
			ख	धारा के अधीन		
			ग	धारा के अधीन		
			ग	धारा के अधीन		
2.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूंजी अभिलाष		
			क	अल्पकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य ख्रोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23खख) के अधीन		
			ख	धारा के अधीन		
			ग	धारा के अधीन		
			ग	धारा के अधीन		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्टित करें।

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर आय और कर राहत						
क्र. सं.	देश कोड	कर सदायकता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का स्रोत	भारत से बाहर आय (भाग भारत से बाहर संदत्त कर तज्ञ में शामिल)	भारत में सामान्य राहत (ङ) = (ग) या आय पर संदत्त कर (घ) जो भी निम्नतर हो	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत द्वारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद	
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	
भारत से बाहर से आय और कर राहत	1		i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
	2			i	गृह संपत्ति				
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें						

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए कर्षे पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
		देश कोड	कर सदायकता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च घ ङ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च घ ङ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		योग				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का रद्दाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें				4	
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है		
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें				

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

क पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गये विदेशी बैंक खाता रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित हैं)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	बैंक का नाम और पता	खाताधारक का नाम	प्रास्थिति-स्वामी/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष (रु. में)	खाते में प्रोदभूत ब्याज	इस विवरणी में कराधेय और प्रस्तुत की गई आय राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
ख पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी सत्ता में वित्तीय ब्याज का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)											

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	व्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे व्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणों में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)											
(ii)											

ग पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अचल संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणों में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)										
(ii)										

घ पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणों में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)										
(ii)										

ङ पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में)	न्यायपालिका के पास प्रोदभूत आय कर देय है	यदि (7) हां है तो धावे में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणों में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थानक हो।

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थानक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणों में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारखार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिसमें प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणों में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)									
(ii)									

टिप्पण ►

कृपया इस अनुसूची से भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें।

प्ररूप

आकवि -6

भारतीय आयकर विवरणी

[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कंपनियों से भिन्न कंपनियों के लिए]

[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें]
(संलग्न अनुदेशों को भी देखें)

निर्धारण वर्ष

2 0 1 8 - 1 9

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना

नाम	स्थायी लेखा सं०	
क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	कारपोरेट पहचान संख्या (का०प०स०) ए०सी०ए० द्वारा जारी	
फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒
		(i) देशी कंपनी ☐
		(ii) विदेशी कंपनी ☐
कस्बा/शहर/जिला	राज्य	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)
	देश	☐
कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1	मोबाइल नं०-2	आय-कर वार्ड/सर्किल

ई मेल पता-1

ई मेल पता-2

फाइल करने की प्रारूपिता

क	फाइल विवरणी (निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 5 देखें] ☐ या देय तारीख से पूर्व -139(1), ☐ देय तारीख के पश्चात् -139(4), ☐ पुनरीक्षित विवरणी -139(5) ☐ उपांतस्थित विवरणी- 92 ग घ, ☐ धारा (2)119ख(के अधीन या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9)- त्रुटिपूर्ण, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग
ख	यदि पुनरीक्षित है/त्रुटिपूर्ण होने के उत्तर में, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें
ग	धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन सूचना के उत्तर में इस प्रकार की सूचना की तारीख, यदि फाइल ली गई हो या धारा 92 ग घ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख
घ	आवासीय प्रारूपिता (निशान लगाएं) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी
ङ	क्या धारा 115बक का विकल्प हो रहा है? (हाँ/ नहीं) (चरेलू कम्पनी पर लागू)
च	क्या पिछले वर्ष 2015-16 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 50 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (चरेलू कम्पनी पर लागू)
छ	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है?
ज	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
झ	क्या निर्धारित से कंपनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है?
ञ	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
ट	क्या निर्धारित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और अपनी आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है? (सही का निशान) ☒ हाँ ☐ नहीं
ठ	क्या निर्धारित कम्पनी सनापन के अधीन है (सही का निशान) ☒ हाँ ☐ नहीं
ड	क्या एफआईआई/एफपीआई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं

	क	क्या अधिनियम की धारा 94 के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में स्थित एक व्यक्ति के साथ संव्यवहार किया गया ☐ हां ☐ नहीं															
	ण	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाईल की जा रही है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -															
		(1)	निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम														
	(2)	निर्धारित के प्रतिनिधि का पता															
		(3)	निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक														
संपरीक्षा सूचना	(क)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं															
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं															
	(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं															
		(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)														
		(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम														
		(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या														
		(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)														
		(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रेशन सं०														
		(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)														
		(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख														
	(घ)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश 5(III) देखें)															
		92ड				115जख											
	ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?															
		अधिनियम और धारा				(दिन/मास/मास)				अधिनियम और धारा				(दिन/मास/मास)			
कारबार संगठन	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें ☐															
	(ख)	यदि समनुषंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें															
		पैन	धारक कंपनी का नाम				धारक कंपनी का पता				धारित शेयरों का प्रतिशत						
	(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी का उल्लेख करें															
		पैन	समनुषंगी कंपनी का नाम				समनुषंगी कंपनी का पता				धारित शेयरों का प्रतिशत						
प्रमुख व्यक्ति	(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें															
		पैन	समामेलक कंपनी का नाम				समामेलक कंपनी का पता										
	(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें															
		पैन	समामेलित कंपनी का नाम				समामेलित कंपनी का पता										
	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें															
		पैन	परिणामिक कंपनी का नाम				परिणामिक कंपनी का पता										
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें																
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम				अवीलीन कंपनी का पता											
प्रमुख व्यक्ति	प्रबंध निदेशक, निदेशकों, सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए थे																
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक	निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नियोप०सं)											

शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)	
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	
कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार	कंपनी का स्वरूप				(निशान लगाएं) ☒
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			☐ हां ☐ नहीं
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			☐ हां ☐ नहीं
	7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें				
	क्र.सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]	वर्णन		
(i)					
(ii)					
(iii)					

भाग क-तुलन पत्र 31 मार्च, 2018 को या सम्मेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I साधारण पूंजी और दायित्व				
	1	शेयर धारक की निधि			
		क	शेयर पूंजी		
		i	प्राधिकृत	का	
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	कii	
		iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	कiii	
		iv	कुल(कii + कiii)	कiv	
		ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i	पूंजी आरक्षित	खा	
		ii	पूंजी मोचन आरक्षित	खाii	
	iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	खाiii		
	iv	डिवेन्चर मोचन आरक्षित	खाiv		

		v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खv			
		vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi			
		vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क	viiक			
			ख	viiख			
			ग	कुल (viiक+viiख)	खvii		
		viii	अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेख में अतिशेष (नामें पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii			
		ix	कुल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामें पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)		खix		
		ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम		1 ग		
			घ	शेयर धारक की कुल निधि (काiv + खix+1 ग)			1 घ
2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है						
	i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i		2		
	ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii				
	iii	कुल (i+ii)					
3	स्थगित दायित्व						
	क	दीर्घकालिक उधार			i ग		
		i	बंधपत्र/डिबेंचर				
			क	विदेशी मुद्रा		i क	
			ख	रुपया		i ख	
			ग	कुल (i क +ii ख)			
		ii	आवधिक ऋण			ii ग	
			क	विदेशी मुद्रा	iiक		
			ख	ऋण रूप में			
			1	बैंकों से	ख1		
				2	अन्य से		ख2
				3	कुल (ख1+ख2)		ख3
			ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)			
		iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व				iii
		iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)				iv
		v	अन्य निक्षेप				v
		vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)				vi
		vii	अन्य ऋण और अग्रिम				vii
		viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता				viii
		ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)				3क
		ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)				3ख
		ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व				3ग
			i	व्यापार संदेय	i		
ii	अन्य		ii				
iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)						
	घ	दीर्घकालिक विनिधान			3घ		
			i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान		i	
			ii	अन्य		ii	
			iii	कुल (i+ii)			
		ड	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ड	
4	चालू दायित्व						
	क	अल्पकालिक उधार					

	i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण							
		क	बैंकों से	i क					
			ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख					
			ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग					
			घ अन्य से	i घ					
			ङ कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i क+i ख+i ग+i घ)	i ङ					
		ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)			ii			
		iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)			iii			
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम			iv			
		v	अन्य निक्षेप			v			
		vi	कुल अल्पकालिक उधार (i ङ+ii+iii+iv+v)			4क			
		ख	व्यवसाय संदेय						
	i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i						
		ii अन्य	ii						
		iii कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)		4ख					
	ग	अन्य चालू दायित्व							
	i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i						
		ii वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii						
		iii उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है	iii						
		iv उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	iv						
		v अग्रिम में प्राप्त आय	v						
		vi असंदत्त लाभांश	vi						
		vii प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii						
		viii असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii						
		ix असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ix						
		x अन्य संदेय	x						
		xi कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ग					
घ	अल्पकालिक उपबंध								
	i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i						
		ii आय-कर के लिए उपबंध	ii						
		iii प्रस्तावित लाभांश	iii						
		iv लाभांश पर कर	iv						
		v अन्य	v						
		vi कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ					
ङ	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)				4ङ				
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)					I				
II आस्तियां									
1	गैर-चालू आस्तियां								
	क	स्थिर आस्तियां							
		i	मूर्त आस्तियां						
			क	सकल ब्लाक	i क				
				ख अवक्षयण	i ख				
				ग ह्रास से हुई हानियां	i ग				
				घ शुद्ध ब्लाक (i क- i ख - i ग)	i घ				
		ii	अमूर्त आस्तियां						
		क	सकल ब्लाक	ii क					
			ख क्रमिक अपाकरण	ii ख					

		ग	हास से हुई हानियां	iiग					
		घ	शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग)	iiघ					
	iii	पूँजीगत चालू काम		iii					
	iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां		iv					
	v	कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)					क v		
ख	गैर-चालू विनिधान								
	i	संपत्ति में विनिधान		i					
	ii	शेयर लिखतों में विनिधान							
	क	सूचीबद्ध शेयर		iiक					
		ख गैर-सूचीबद्ध शेयर		iiख					
		ग योग (ii क + ii ख)		iiग					
	iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान		iii					
	iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान		iv					
	v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान		v					
	vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान		vi					
vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान		vii						
viii	अन्य विनिधान		viii						
ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)				ख ix				
ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					ग			
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम								
	i	पूँजी अग्रिम		i					
	ii	प्रतिभूति निक्षेप		ii					
	iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)		iii					
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv					
	v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)						घ v	
	vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो							
क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है		viक						
	ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है		viख						
	ग आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है		viग						
घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां								
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य							
	क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए		iक					
		ख गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए		iख					
		ग शंकास्पद		iग					
		घ कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)		iघ					
ii	अन्य		ii						
iii	योग (iघ + ii)				झii				
	iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है		iv					
ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + झii)					1च			
2	चालू आस्तियां								
	क	चालू विनिधान							
		i	शेयर लिखतों में विनिधान						
क		सूचीबद्ध शेयर		iक					

		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iख			
		ग	योग (ik + i ख)	iग			
	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान			ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान			iii		
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान			iv		
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान			v		
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान			vi		
	vii	अन्य विनिधान			vii		
	viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				कviii	
ख	संपत्ति-सूची						
	i	कच्चा माल			i		
	ii	चालू काम			ii		
	iii	तैयार माल			iii		
	iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)			iv		
	v	भंडार और स्पेयर			v		
	vi	खुले औजार			vi		
	vii	अन्य			vii		
viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				खviii		
ग	व्यापार प्राप्य						
	i	6 मास से अधिक से बकाया			i		
	ii	अन्य			ii		
	iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गiii		
घ	नकदी और नकद समतुल्य						
	i	बैंक नकद			i		
	ii	चैक, ड्राफ्ट			ii		
	iii	नकद अतिशेष			iii		
	iv	अन्य			iv		
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv		
ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
	i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)			i		
	ii	अन्य			ii		
	iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			ङii		
	iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो					
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है					iv क
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है					ivख
	ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है					ivग
च	अन्य चालू आस्तियां					च	
छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)					2छ	
कुल आस्तियां (1च+2छ)						॥	

के रूप में

I	साधारण शेयर और दायित्व	
1	साधारण शेयर	
अ	साधारण शेयर पूंजी	
i	प्राधिकृत	क i
ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	क ii
iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	क iii
iv	कुल (क ii + क iii)	क + iv
आ	अन्य साधारण शेयर	
i	अन्य रिजर्व	
क	पूंजी विमोचन आरक्षित	i क
ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	i ख
ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	i ग
घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	i घ
ड.	कुल अन्य भंडार (i क + i ख + i ग + i घ)	i ड.
ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii
iii	कुल (ख ड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)	ख iii
इ	कुल साधारण शेयर (क iv + ख iii)	1 ग
2	दायित्व	
अ	गैर मौजूदा दायित्व	
I	वित्तीय दायित्व	
उधारी		
क	बांड या डिबेंचर	
1	विदेशी मुद्रा	क 1
2	रुपए	क 2
3	कुल (1 + 2)	क 3
ख	उधार अवधि	
1	विदेशी मुद्रा	ख 1
2	रुपया उधार	
i	बैंकों से	i
ii	अन्य पार्टियों से	ii
iii	कुल (i + ii)	ख 2
3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)	ख 3
ग	आस्थगित संदाय दायित्व	ग
घ	निक्षेप	घ
ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)	ड.
च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता	च
छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक	छ
ज	अन्य उधार	ज
झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)	झ
ञ	व्यापार उधार	ञ
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)	ट
II	उपबंध	
क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क
ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख
ग	कुल उपबंध	II ग
III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	III

	IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व								
		क	अग्रिम	क						
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख						
		ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व							
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झा + I अ + झट + II ग + III + IV ग)						IV ग				
	B	वर्तमान दायित्व								
	I	वित्तीय दायित्व								
	i	उधारी								
		क	मांग पर लौटाने वाले उधार							
		1	बैंकों से	1						
		2	अन्य पार्टियों से	2						
		3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3						
		ख	संबंधित दलों से उधार	ख						
		ग	निक्षेप	ग						
		घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ						
		कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ)				li				
		ii	व्यापार देनदारियां					lii		
		iii	अन्य वित्तीय दायित्व							
			क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क					
			ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख					
			ग	अर्जित ब्याज	ग					
			घ	अवैतनिक लाभांश	घ					
			ड.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज	ड.					
			च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित ब्याज	च					
			छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ					
			ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज					
			झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				liii		
		iv	कुल वित्तीय दायित्व (झा + झii + झiii)					liv		
		II	अन्य चालू दायित्व							
			क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क					
			ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
			ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग					
			घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)				II घ		
		III	उपबंध							
			क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क					
			ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
			ग	कुल उपबंध (क + ख)				III ग		
		IV	वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)					IV		
		कुल मौजूदा दायित्व (liv + II घ + III ग + IV)						2ख		
		कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)						I		
	II	आस्तियां								
		1	गैर तात्कालिक आस्तियां							
			क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर						
			क	सकल ब्लॉक	क					
			ख	मूल्यहास	ख					
		ग	क्षति नुकसान	ग						
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)			क घ				

ख	पूँजीगत कार्य-प्रगति	ख	
ग	निवेश सम्पत्ति		
क	सकल ब्लॉक	क	
ख	मूल्यहास	ख	
ग	क्षति नुकसान	ग	
घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ग घ	
घ	साख		
क	सकल ब्लॉक	क	
ख	क्षति नुकसान	ख	
ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	घ ग	
ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति		
क	सकल ब्लॉक	क	
ख	उधारमुक्ति	ख	
ग	क्षति नुकसान	ग	
घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ड.घ	
च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति	च	
छ	वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां		
क	सकल ब्लॉक	क	
ख	क्षति नुकसान	ख	
ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	छ.ग	
ज	वित्तीय आस्तियां		
I	निवेश		
i	साधारण साम्या लिखत में निवेश		
क	सूचीबद्ध साम्य	i.क	
ख	असूचीबद्ध साम्य	i.ख	
ग	कुल (i.क + i.ख)	ic	
ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii	
iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii	
iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv	
v	म्युचुअल फंड में निवेश	v	
vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi	
vii	साझेदारी फर्मों में निवेश	vii	
viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (i.ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)	ज I	
II	व्यापार स्वीकार योग्य		
क	व्यापार स्वीकार योग्य	क	
ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख	
ग	संदिग्ध	ग	
घ	कुल व्यापार प्राप्य	ज II	
III	उधार		
i	सुरक्षा निक्षेप	i	
ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii	
iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii	
iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))	ज III	
v	ज III में शामिल उधार, जो कि-		
क	व्यापार या वृत्ति के उद्देश्य के लिए	v क	
ख	व्यवसाय या वृत्ति के उद्देश्य के लिए नहीं	v ख	

				ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vc		
			IV		अन्य वित्तीय आस्तियां			
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i		
				ii	अन्य	ii		
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		जIV	
		झ			आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		झ	
		ञ			अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति			
				i	पूँजीगत अग्रिम	i		
				ii	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम	ii		
				iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
				iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ञ	
				v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां	v		
					कुल गैर - मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चF + छग + जI + जII + जIII + जIV + झ + ञ)		1	
		2			वर्तमान आस्ति			
			क		वर्तमान आस्ति			
				i	कच्चा माल	i		
				ii	कार्य प्रगति पर है	ii		
				iii	तैयार माल	iii		
				iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv		
				v	स्टोर और पुर्जों	v		
				vi	ढीला दूल	vi		
				vii	अन्य	vii		
				viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		2क	
			ख		वित्तीय आस्तियां			
			I		निवेश			
				i	साम्या लिखत में निवेश			
				क	सूचीबद्ध साम्या	i क		
				ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
				ग	कुल (i क + i ख)	ig		
				ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
				iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv		
				v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
				vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi		
				vii	अन्य निवेश	vii		
				viii	कुल वर्तमान निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii)		I	
			II		व्यापार स्वीकार योग्य			
				i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		
				ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
				iii	संदिग्ध	iii		
				iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)		II	

III	नकद और नकद समकक्ष					
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
	ii	चेक, हाथ में ड्राफ्ट	ii			
	iii	हाथ में पैसा	iii			
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III	
IV	उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष				IV	
V	उधार					
	i	सुरक्षा निक्षेप	i			
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii			
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V	
	v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
	क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक			
	ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
	ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग			
VI	अन्य वित्तीय आस्तियां				VI	
	कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)				2ख	
ग	चानू कर आस्तियां (शुद्ध)				2ग	
घ	अन्य मौजूदा आस्तियां					
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i			
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii			
	iii	कुल			2घ	
	कुल चानू आस्तियां (2 क + 2 ख + 2ग + 2घ)				2	
	कुल आस्तियां (1 + 2)				II	

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभ हानि लेखा

(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुस्क्षण किया जाता है, वहां मद 1 से 52 भरें, अन्यथा मद 53 भरें)

लाभ-हानि लेखा में जमा

1	परिचालन से राजस्व					
	क	कारबार के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रत्यागम और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)				
		i	उत्पाद/माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य परिचालन राजस्व (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iiiंक		
		ख		iiiख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iiiग		
	iv	ब्याज (वित्तीय कंपनी की दशा में)		iv		
	v	अन्य वित्तीय सेवाएं (वित्तीय कंपनी की दशा में)		v		
	vi	योग (i + ii + iiiग + iv + v)			कvi	
	ख	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
		iv	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		

लाभ-हानि लेख से विकलन		v	राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्य माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vi		
		Viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			
	ग	परिचालन से कुल राजस्व (कvi + खix)				खix
	2	अन्य आय				1ग
		i	ब्याज की आय (वित्तीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में)	i		
		ii	लाभान्श आय	ii		
		iii	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	iii		
		iv	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	iv		
		v	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	v		
		vi	किराया	vi		
		vii	कमीशन	vii		
		viii	करेंसी के उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ	viii		
		ix	कृषि आय	ix		
		x	कोई अन्य आय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xक		
		ख		xख		
		ग	योग (xक + xख)	xग		
	xi	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xग)				2xi
	3	बंद स्टॉक				
		i	कच्चा माल	3i		
		ii	चालू काम	3ii		
		iii	तैयार माल	3iii		
		iv	योग (3i + 3ii + 3iii)			
	4	लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1ग+2 xi +3iv)				3iv
	4	लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1ग+2 xi +3iv)				4
	5	आरंभिक स्टॉक				
		i	कच्ची सामग्री	5i		
		ii	चालू काम	5ii		
		iii	तैयार माल	5iii		
		iv	योग (5i +5ii +5iii)			
	6	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				5iv
	6	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				6
	7	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	7i		
		ii	प्रतिशुल्क	7ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	7iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	7iv		
		v	सेवा कर	7v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	7vi		
		vii	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	7vii		
		viii	राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी)	7viii		
		ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	7ix		
		x	संघ राज्य माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	7x		
		xi	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	7xi		
		xii	योग (7i +7ii +7iii +7iv +7v +7vi +7vii+7viii+7ix+7x+7xi)			
	8	भाड़ा				7xii
	8	भाड़ा				8

9	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	9	
10	विद्युत और ईंधन	10	
11	किराया	11	
12	भवन की मरम्मत	12	
13	संयंत्र, मशीनरी या फर्नीचर की मरम्मत	13	
14	कर्मचारियों को प्रतिकर		
	i वेतन और मजदूरी	14i	
	ii बोनस	14ii	
	iii चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	14iii	
	iv छुट्टी नकदीकरण	14iv	
	v छुट्टी यात्रा फायदा	14v	
	vi अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	14vi	
	vii मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	14vii	
	viii मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	14viii	
	ix किसी अन्य निधि में अभिदाय	14ix	
	x कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	14x	
	xi कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)	14 xi	
	xii क्या कोई प्रतिकर, 14xi में सम्मिलित, अनिवासी को दिया गया है	xiiक	हां/नहीं
	यदि हां, तो अनिवासी को संदत्त रकम	xiiख	
15	बीमा		
	i चिकित्सा बीमा	15i	
	ii जीवन बीमा	15ii	
	iii प्रमुख व्यक्ति का बीमा	15iii	
	iv कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	15iv	
	v बीमा पर कुल व्यय (15i + 15ii + 15iii + 15iv)	15v	
16	कर्मकार और कर्मचारिद्वंद कल्याण व्यय	16	
17	मनोरंजन	17	
18	सत्कार	18	
19	सम्मेलन	19	
20	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)	20	
21	विज्ञापन	21	
22	कमीशन		
	i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i	
	ii अन्य को	ii	
	iii कुल (i + ii)	22iii	
23	रायल्टी		
	i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i	
	ii अन्य को	ii	
	iii कुल (i + ii)	23iii	
24	वृत्तिक/परामर्श फीस/तकनीकी सेवा फीस		
	i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i	
	ii अन्य को	ii	
	iii कुल (i + ii)	24iii	
25	होटल, बोर्डिंग और वास	25	
26	विदेश यात्रा से भिन्न यात्रा पर व्यय	26	
27	विदेश यात्रा व्यय	27	
28	वाहन खर्च	28	

29	टेलीफोन व्यय	29	
30	अतिथि गृह व्यय	30	
31	क्लब व्यय	31	
32	उत्सव समारोह व्यय	32	
33	छात्रवृत्ति	33	
34	दान	34	
35	संदान	35	
36	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	i	संघ उत्पाद शुल्क	36i
	ii	सेवा कर	36ii
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	36iii
	iv	उपकर	36iv
	v	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	36v
	vi	राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी)	36vi
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	36vii
	viii	संघ राज्य माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	36viii
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	36ix
	x	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x
37	लेखा संपरीक्षा फीस	37	
38	अन्य व्यय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i		i
	ii		ii
	iii	कुल (i + ii)	38iii
39	अपलिखित किया गया डूबंत ऋण (उस व्यक्ति, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक रकम के डूबंत ऋण का दावा किया गया है, का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, और रकम का उल्लेख करें)		
	i		39i
	ii		39ii
	iii		39iii
	iv	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	39iv
	v	अन्य (एक लाख रुपए से कम राशि)	39v
	vi	कुल डूबंत ऋण (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)	39vi
40	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		
40			
41	अन्य उपबंध		
41			
42	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ $[4 - (5iv + 6 + 7xi + 8से 13 + 14xi + 15v + 16 से 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 से 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]$		
42			
43	ब्याज		
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i
	ii	अन्य को	ii
	iii	कुल (i + ii)	43iii
44	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		
44			
45	कर पूर्व लाभ (42-43iii - 44)		
45			
48	कर पश्चात् लाभ (45 - 46 - 47)		
48			
49	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष		
49			
50	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48 + 49)		
50			
51	विनियोग		
	i	आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	51i
	ii	प्रस्तावित लाभांश / अंतरिम लाभांश	51ii

लेखा न होने की दशा	iii	लाभांश पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर	51iii		
	iv	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की गतिविधियाँ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कवर कंपनियों के मामले में) के लिए अनुमोदन	51iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	51v		
	vi	कुल (51i + 51ii + 51iii + 51iv + 51v)		51vi	
	52	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (50 – 51vi)		52	
	53	व्यवसाय या वृत्ति की नियमित लेखा बहियाँ न रखे जाने की दशा में, व्यवसाय या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दें			
		क सकल प्राप्तियाँ		53क	
		ख सकल लाभ		53ख	
		ग व्यय		53ग	
		घ शुद्ध लाभ		53घ	

भाग क-लाभ और हानि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि लेखा (ऐसे मामले में 1 से 54मद को भरें, जहां लेखा की नियमित पुस्तकों को रखा गया है, अन्यथा मद 55 भरें)। कंपनी के लिए लागू जिसका वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट)

लाभ-हानि में जमा	1	परिचालन से राजस्व			
	क	कारबार के विक्रय/सकल प्राप्तियाँ (शुद्ध प्रत्यागम और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)			
		i उत्पाद/माल का विक्रय	i		
		ii सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii अन्य परिचालन राजस्व (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	iii क		
		ख	iii ख		
		ग योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv ब्याज (वित्तीय कंपनी की दशा में)	iv		
		v अन्य वित्तीय सेवाएं (वित्तीय कंपनी की दशा में)	v		
		vi योग (i + ii + iii ग + iv + v)		कvi	
	ख	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर			
		i संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii सेवा कर	ii		
		iii मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
		iv केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
		ix योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		खix	
	ग	परिचालन से कुल राजस्व (कvi + खix)		1ग	
	2	अन्य आय			
	i	ब्याज की आय (वित्तीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में)	i		
		ii लाभांश आय	ii		
		iii स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	iii		
		iv ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	iv		
		v अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	v		
		vi किराया	vi		

लाभ-हानि लेख से विकलन	vii कमीशन		vii		
	viii करेंसी के उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ		viii		
	ix कृषि आय		ix		
	x कोई अन्य आय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	क		xक		
		ख	xख		
		ग योग (xक + xख)	xग		
	xi अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xग)				2xi
	3 बंद स्टाक				
	i	कच्चा माल	3i		
	ii	चालू काम	3ii		
	iii	तैयार माल	3iii		
	iv	योग (3i + 3ii + 3iii)			3iv
	4 लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1ग+2 xi +3iv)				4
	5 आरंभिक स्टाक				
	i	कच्ची सामग्री	5i		
	ii	चालू काम	5ii		
	iii	तैयार माल	5iii		
	iv	योग (5i +5ii +5iii)			5iv
	6 क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				6
	7 क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	7i		
	ii	प्रतिशुल्क	7ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	7iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	7iv		
	v	सेवा कर	7v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	7vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	7vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	7viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	7ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	7x		
	xi	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	7xi		
	xii	योग (7i +7ii +7iii +7iv +7v +7vi +7vii+7viii+7ix+7x+7xi)			7xii
	8 भाड़ा				8
	9 भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग				9
	10 विद्युत और ईंधन				10
	11 किराया				11
	12 भवन की मरम्मत				12
	13 संयंत्र, मशीनरी या फर्नीचर की मरम्मत				13
	14 कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	14i		
	ii	बोनस	14ii		
	iii	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	14iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	14iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	14v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	14vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	14vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	14viii		

	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	14ix		
	x	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	14x		
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i +14ii+14iii+14iv +14v +14vi +14vii +14viii +14ix +14x)			
	xii	क्या कोई प्रतिकर, 14xi में सम्मिलित, अनिवासी को दिया गया है	xiiक	हां/नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासी को संदत्त रकम	xiiख		
15	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	15i		
	ii	जीवन बीमा	15ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	15iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	15iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (15i +15ii +15iii +15iv)		15v	
16	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				16
17	मनोरंजन				17
18	सत्कार				18
19	सम्मेलन				19
20	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				20
21	विज्ञापन				21
22	कमीशन				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)		22iii	
23	रायल्टी				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)		23iii	
24	वृत्तिक/परामर्श फीस/तकनीकी सेवा फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)		24iii	
25	होटल, बोर्डिंग और वास				25
26	विदेश यात्रा से भिन्न यात्रा पर व्यय				26
27	विदेश यात्रा व्यय				27
28	वाहन खर्च				28
29	टेलीफोन व्यय				29
30	अतिथि गृह व्यय				30
31	क्लब व्यय				31
32	उत्सव समारोह व्यय				32
33	छात्रवृत्ति				33
34	दान				34
35	संदान				35
36	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	36i		
	ii	सेवा कर	36ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	36iii		
	iv	उपकर	36iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	36v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	36vi		

	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	36vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	36viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	36ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x		
37		लेखा संपरीक्षा फीस	37		
38		अन्य व्यय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	कुल (i + ii)	38iii		
39		अपलिखित किया गया डूबंत ऋण (उस व्यक्ति, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक रकम के डूबंत ऋण का दावा किया गया है, का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, और रकम का उल्लेख करें)			
	i		39i		
	ii		39ii		
	iii		39iii		
	iv	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	39iv		
	v	अन्य (एक लाख रुपए से कम राशि)	39v		
	vi	कुल डूबंत ऋण (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)	39vi		
40		डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	40		
41		अन्य उपबंध	41		
42		ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6+7xii + 8से 13+14xi + 15v + 16 से 21+22iii + 23iii + 24iii + 25 से 35 + 36x + 37+ 38iii + 39vi + 40 + 41)]	42		
43		ब्याज			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)	43iii		
44		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण	44		
45		कर पूर्व लाभ (42-43iii - 44)	45		
48		कर पश्चात् लाभ (45 - 46 - 47)	48		
49		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	49		
50		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+ 49)	50		
51		विनियोग			
	i	आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	51i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश / अंतरिम लाभांश	51ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर	51iii		
	iv	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रिया-कलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	51iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	51v		
	vi	कुल (51i + 51ii + 51iii + 51iv + 51v)	51vi		
52		तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (50 - 51vi)	52		
53		अन्य व्यापक आय			
	क	ऐसी मदें, जो पी एण्ड एल के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी।			
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनर्मापन	ii		
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखत:	iii		
	iv	एफवीटीपीएल पर पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने प्रत्यय जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन सहयोगियों और संयुक्त जोखिमों में उस विस्तार तक,	iv		

		v	उस सीमा तक जिसे पी एण्ड एल में वर्गीकृत नहीं किया जाना है, सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में अन्य व्यापक आय का अंश	v		
		vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
		vii	उन मदों, जिन्हें पी एण्ड एल में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा, से सम्बन्धित आय कर	vii		
		viii	योग			
		ख	मदें, जो पी एण्ड में पुनःवर्गीकृत की जाएंगी			
		i	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन में विनिमय अन्तर	i		
		ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतः	ii		
		iii	नकद प्रवाह बचाव में लिखतों के बचाव पर अभिलाभों और हानि का प्रभावी भाग	iii		
		iv	उस सीमा तक जिसे पी एण्ड एल में वर्गीकृत किया जाना है, सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में अन्य व्यापक आय का अंश	iv		
		v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
		vi	उन मदों, जिन्हें पी एण्ड एल में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा, से सम्बन्धित आय कर	vi		
		vii	योग			
लेखा न होने की दशा		54	कुल व्यापक आय (48 + 53क + 53ख)			54
		55	व्यवसाय या वृत्ति की नियमित लेखा बहियां न रखे जाने की दशा में, व्यवसाय या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2016-2017 के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दें			
		क	सकल प्राप्तियां			55क
		ख	सकल लाभ			55ख
		ग	व्यय			55ग
		घ	शुद्ध लाभ			55घ

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐ नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ ☐ हां ☐ नहीं
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ ☐ हां ☐ नहीं	
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
	ख	परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें				
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ		
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ		
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभितदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज		
	झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ		
	ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट		
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड		
	ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ		
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
	त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त		
	थ	कोई अन्य अनुज्ञेय	6थ		
	द	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6 थ)			6द
	ध	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक)			
		i भारत में अभिनियोजित	i		
		ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii		
		iii कुल	iii		
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकमें				
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क		
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख		
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ		
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज		
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ		
	ट	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)			7
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			

	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच		
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम (40 ख)	अज		
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज	
आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से भिन्न रूप में संदत्त रकम जो धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञेय है	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम		9च	
10		किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज	
11		पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

12	ड	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	च	छुट्टी नकदीकरण मदे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
	13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13	
	14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14	
	15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15	

भाग क - मात्रात्मक व्यौरे मात्रात्मक व्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है)

मात्रात्मक व्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/आधिव्यय, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल			
	क	आरंभिक स्टाक		6 क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		6 ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग		6 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		6 घ	
	ङ	अंतिम स्टाक		6 ङ	
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद		6 च	
	छ	प्राप्त का प्रतिशत		6 छ	
	ज	कमी/आधिव्यय, यदि कोई हो		6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			
	क	आरंभिक स्टाक		7 क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		7 ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा		7 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		7 घ	
	ङ	अंतिम स्टाक		7 ङ	
	च	कमी/आधिव्यय यदि कोई हो		7 च	

भाग क— ओ एल समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता	1	आरम्भिक अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	1i		
	ii	बैंक	1ii		
	iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
	2	प्राप्तियां			
	i	ब्याज	2i		
	ii	लाभांश	2ii		
	iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	2iii क		
		ख	2iii ख		
		ग	2iii ग		
		घ कुल (iii क + iii ख + iii ग)	2iii घ		
	iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v	अन्य (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	2v क		
		ख	2v ख		
		ग कुल अन्य प्राप्ति (v क + v ख)	2v ग		
	vi	कुल प्राप्ति (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi		
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्ति		3	
	4	संदाय			
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv	कमीशन	4iv		
	v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
		क	4v क		
		ख	4v ख		
		ग अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	4v ग		
	vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi		
	5	अंत अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	5i		
	ii	बैंक	5ii		
	iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
	6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3ख) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि		
	i	सटटे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i	
	ii	सटटे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का बी43) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं)	2ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी का सी49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं)	2iii	
	iv	115खख के अधीन पेटेंट से आय (बी पी अनुसूची का 3घ)	2iv	
	v	धारा 115खख के अधीन कार्बन जमाओं के अंतरण से आय (बीपी अनुसूची का 3ड)	2v	
	vi	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv + 2vi)	2vi	

3	पूँजी अभिलाभ						
	क	अल्पकालिक					
		i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 i)	काi			
		ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 iii)	काii			
		iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 iv)	3काii i			
	iv	कुल अल्पकालिक (काi + काii+काiii)					
	ख	दीर्घकालिक					
		i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 v)	खाi			
		ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 vi)	खाii			
	iii	कुल दीर्घकालिक (खाi + खाii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)		खाiii			
	ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3काiv + 3खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)				3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय						
	क	घुड़दौड़ के स्वामित्व और व्यवस्था और लाट्री आदि से जीतना आदि की आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर है (अनुसूची ओ एस के 1ट) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क				
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 1चvi)	4ख				
	ग	घुड़दौड़ के स्वामित्व और व्यवस्था से (अनुसूची ओ एस का 3ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग				
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)			4घ		
5	कुल (1 + 2vi + 3ग + 4घ)				5		
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xiii, 3xiii तथा 4xiii)				6		
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 का योग + 4ख भी)				7		
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xi, 3xi तथा 4xi)				8		
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 xiii ख भी)				9		
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112 आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर				10		
11	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (अनुसूची 10कक का ड)				11		
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां						
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]			12क		
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]			12ख		
	ग	कुल (12क + 12ख) (9-10) तक सीमित)			12ग		
13	कुल आय (9- 11-12ग)				13		
14	विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग				14		
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)				15		
16	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)				16		
17	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग				17		
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)				18		

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)			1क	
	ख	ऊपर (क) पर अधिभार			1ख	
	ग	(1क + 1ख) पर शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित			1ग	
	घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)			1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर				
क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क				
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख				
ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग				
	घ	अधिभार				
	i	एस आई अनुसूची 12(ii) का 25%	2घा			

	ii	एस आई अनुसूची का 12(ii) - 2घ)	2घii			
	iii	कुल (i + ii)		2घiii		
	ड	(2ग+2घiii) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर		2ड		
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)		2च		
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविष्ट करें)				3	
4	पूर्ववर्ष में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)				4	
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]				5	
6	कर अनुतोष					
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख			
	ग	कुल (6क + 6ख)		6ग		
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें)				7	
8	संदेय ब्याज और फीस					
	क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)		8ड		
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)				9	
देय कर	10	संदत्त कर				
		क	अग्रिम कर (16क के स्तंभ 5 से)	10क		
		ख	टीडीएस (16ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
		ग	टीसीएस (16ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
		घ	स्व निर्धारण कर (16क के स्तंभ 5 से)	10घ		
		ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)		10ड	
11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)				11	
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)				12	
बैंक खाता	13	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)(अनिवासियों की दशा में, किसी भी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रतिदाय की जमा के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाएं)				
		क्रम सं.	बैंक का आई एफ एस कोड भारत में धारित बैंक खातों की दशा में विदेशी खातों की दशा में स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	(खाता सं) (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएएन)	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
	i					
	ii					
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (					

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान.....

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

☐ हां ☐
नहीं

15 अनुसूची-आयकर																				
क अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे																				
कर संदाय	क्र.सं	बीएसआर कोड					जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)					चालान की क्रम संख्या			रकम (रुपए में)					
	i																			
	ii																			
	iii																			
	iv																			
	v																			
	vi																			
	टिप्पण-भाग ख-टीडीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें।																			
ख आयकर पर कटौती (टीडीएस) के ब्यौरे (कटौतीकर्ता(ओ)) द्वारा जारी प्ररूप 16 क या उनके द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 26थख/26थग के अनुसार]																				
अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का टैन / क्रेता/ किराएदार का पैन	कटौतीकर्ता/क्रेता/ किराएदार का नाम	अनन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक	अग्रणीत अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस			इस वर्ष दावा किए जा रहे (7) या (8) में से टीडीएस जमा (केवल तब जब तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए दी जा रही है)			अग्रणीत की जाने वाली (7) या (8) में से टीडीएस जमा							
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	अग्रणीत रकम	अपने हाथों से की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हों) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से की गई कटौती	अपने ही हाथों से दावाकृत	नियम 37खक(2) (यदि लागू हों) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से की गई दावाकृत कटौती										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)							
	i							आय	टीडीएस	किसी अन्य व्यक्ति का पैन		आय	टीडीएस	किसी अन्य व्यक्ति का पैन						
	ii																			
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीडीआई के 10ख में स्तंभ (8) का योग भरें																				
ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]																				
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस	इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) या (7) में से रकम (केवल यदि पारस्परिक आय इस वर्ष के कर के लिए प्रस्तावित की गई है)			अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम										
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम															
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)										
	i																			
	ii																			
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीडीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें																				

टिप्पण: कृपया यथा लागू विवरणी प्ररूप (पृष्ठ धा से ध19) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची जत

गृह संपत्ति से आय का ब्योरा

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें) संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा				
	सह-स्वामी(सह-स्वामियों) का नाम		सह-स्वामियों का पैन सं0(वैकल्पिक)		संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा
	I				
	II				
	☒ लगाएं, यदि विकल्प लागू है / ☐ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि लागू हों)
			I		
			II		
	क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			1क
	ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	1ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
	घ	कुल (1 ख + 1 ग)	1घ		
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)	1ङ		
	च	स्वामित्व सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वामित्व प्रतिशत अंश 1ङ)	1च		
	छ	1च का 30%	1छ		
	ज	उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज	1ज		
	झ	कुल (1छ + 1ज)	1झ		
	ञ	गृह संपत्ति से आय (1च - 1झ)	1ञ		
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें) संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा				
सह-स्वामी(यों) का नाम		सह-स्वामियों का पैन सं0(वैकल्पिक)		संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा	
I					
II					
☒ लगाएं, यदि विकल्प लागू है / ☐ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि लागू हों)	
		I			
		II			
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			2क	
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	2ख			
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग			
घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2घ			
ङ	वार्षिक मूल्य(2 क - 2 घ)	2ङ			
च	स्वामित्व सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वामित्व प्रतिशत अंश 2ङ)	2च			
छ	2च का 30%	2छ			
ज	उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	2ज			
झ	कुल (2छ + 2ज)	2झ			
ञ	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2ज)	2ञ			
3	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय				
क	30 प्रतिशत कटौती के पश्चात् धारा 25क के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त/अप्राप्त किराया और किराये का बकाया			3क	
ख	कुल (1ञ + 2ञ + 3क)			3ख	

अनुसूची - कारबार या

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति						
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 45 और 53) / भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 45 और 55) (यदि लागू हों)			1		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविष्ट करें)	2क				
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख				
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय/पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन धारा 115 खख च के अधीन धारा खघ के अधीन समझा जाएगा।	क	गृह संपत्ति	3क		
			ख	पूंजी अभिलाभ	3ख		
			ग	अन्य स्रोत	3ग		
			घ	115खखच के अधीन	3घ		
			ङ	115खखछ के अधीन	3ङ		
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कङ/ 44कच/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44घ/ 44धक अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	क	115ख के अधीन	4क		
			ख	अन्य	4ख		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क			
		ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख			
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
		i		गi			
		ii		गii			
		iii	कुल (गi + गii)	5गiii			
		घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ			
	6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 4- 5घ)				6	
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय जो धारा 115 ख ख च या धारा 115 खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क			
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
		ग	अन्य स्रोत	7ग			
		घ	115खखच के अधीन	7घ			
		ङ	115खखछ के अधीन	7ङ			
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है			8			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8)			9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण				11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i				
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii				
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii			
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)				13		
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)	14					
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट)	15					
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कज)	16					
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)	17					
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज)	18					
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज	19					
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20					

21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई	21		
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23		
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मा से जिसमें कंपनी भागीदार हैं, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24		
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढत या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25		
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26		
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28		
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29		
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद 44 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30		
31	किरी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31		
32	किरी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10छ)	32		
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33		
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढत कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4ड)	34		
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)	35		
37	आय (13+26-35)	36		
	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड	37i		
	ii धारा 44ख	37ii		
	iii धारा 44खख	37iii		
	iv धारा 44खखक	37iv		
	v धारा 44खखख	37v		
	vi धारा 44घ	37vi		
	vii धारा 44घक	37vii		
	viii अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii		
	ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	37ix	क धारा 115ख के अधीन	
			ख अन्य	
	x कुल (37i to 37ix)	37x		
38	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37X)	38		
39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रविष्ट करेक जो 35 में हैं करने के पश्चात विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में हैं/ यदि हानि है तो मद ड का 2झ लें)	अ39		
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	40 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40		
	41 धारा 28 से 44 घक के अनुसार परिवर्धन	41		
	42 धारा 28 से 44 घक के अनुसार कटौतियां	42		
	43 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (40 + 41 - 42) (यदि हानि है तो मद गघट का अंक 6 Xi लें)	43ख		
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
	44 लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	44		
	45 धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार जोड़	45		
	46 धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	46		
	47 विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47		
	48 धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	48		

	49	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 – 48) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)			ई49	
	50	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)			ई50	
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+ ई49)				ई	
उ	चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा					
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय	
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)	
	i	हानि का मजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)		
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)			
	iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)				
	v	मुजरा पश्चात् हानि (i – iv)				

अनुसूची - डीपीएम संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी		
	2	दर (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3(क)	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
	3(ख)	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)			
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन			
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3(क) + 3(ख) + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन			
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
	12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
	13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
	14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
	15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
	16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)			
	17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)			
	18	अन्तरवर्तन, समामेलन, निर्वैलन आदि की स्थिति में अननुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 17 के बाहर)			
	19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			

20	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3(क) - 3(ख) - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
	13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
	14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							
	15	अन्तरवर्तन, समामेलन, निर्वैल्यन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 14 के बाहर)							
	16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
	18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं)	1ग			
	घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)			1घ	
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं)	2क			

ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं)	2ग		
घ	भवन पर कुल अव्यक्षण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 12v)	3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 12vi)	4		
5	पोत (अनुसूची डीओए 12vii)	5		
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)	6		

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क + 1ख + 1ग)	1घ		
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)	3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)	4		
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)	5		
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)	6		

अनुसूची - इएसआर

धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से			
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कां	
क	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कां	

		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii)	कiii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	तुलन कiii - ख iv)	1 ग		
		घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ		
		ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		क 1 ङ	
		2	स्लम्य बिक्री से			
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	(प्रस्म 3गडक का 5)	
		ख	बचनबंद या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	(प्रस्म 3गडक का 6(ङ))	
		ग	स्लम्य की बिक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (2 क- 2 ख)		क 2 ग	
		3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है			
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii		
		iv	योग(i + ii + iii)	ख iv		
		ग	शेष (3 क - ख iv)	3 ग		
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभान्श/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ	
		4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभान्शों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
		क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत किया गया है		क 4	
		ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है		क 4 ख	
		5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (उमर ए 3 से भिन्न)			
		क	i प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		ख	विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
		ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	1 ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		iii	कुल (1 ग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		
		ग	शेष (5 क iii- ख iv)	5 ग		
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभान्श/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ	
		6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
		क	i आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		ख	विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			

</

	घ	धारा 54इग / 54इड़ के अधीन कटौती	2 घ		
	ङ	स्लम के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)		ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (3क - ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 54इग / 54इड़ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3 घ		
	ङ	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3 ग - 3 घ)		ख 3 ड	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (4 क - ख iv)	4 ग		
	घ	धारा 54इग / 54इड़ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ		
	ङ	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4ग-4घ)		ख 4 ड	
5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	क	सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	5क		
	ख	धारा 54इग/ 54इड़ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5 ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (5क-5ख)		ख 5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से				
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित व्यौरा दीजिए:-		
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।		
		ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेष (6क iii- ख iv)			
	घ	धारा 54इग/ 54इड़ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			
	ङ	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 6 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (6ग-6घ)			
				ख 6ङ	
7	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 6 लागू नहीं होते हैं				
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित व्यौरा दीजिए:-		
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।		
		ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	

	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
	ग	शेष (7 क iii - खiv)	7 ग								
	घ	धारा 54घ/54ड ग/ धारा 54इ/ धारा 54छ/ धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट)	7 घ								
	ड	ऊपर ख 7 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (7ग-7घ)			ख 7 ड						
क	8 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं										
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2014-15	54/54घ/54छ/54छक								
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)					ख8					
9	एलटीसीजी की रकम जो क1-क7 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:										
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क7 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या(9))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख9क
	ख	डी टीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर एलटीसीसी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख9ख
10	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3ड + ख 4ड + ख 5ग + ख 6ड + ख 7ड + ख 8 - ख9क) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गचठ)की 9 Xi पर ले जाएं									ख 10	
ग	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क9 + ख10) (यदि हानि हो तो ख 10 को शून्य लें)									ग	
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी										
1	धारा 54ख/54घ / धारा 54ड/ धारा 54छ/ धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें ।										
क	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती										
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख						क i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नई कृषि भूमि की लागत						क ii			
	iii	नई कृषि भूमि के क्रय की तारीख						क iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि						क iv			
	v	दावाकृत कटौती की राशि						क v			
	ख	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख						ख i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत						ख ii			
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख						ख iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि						ख iv			
	v	दावाकृत कटौती की राशि						ख v			
	ग	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख						ग i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)						ग ii			
	iii	निवेश की तारीख						ग iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	दावाकृत कटौती की राशि						ग iv			
	घ	धारा 54इड के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						घां	दिन/मास/वर्ष		
	ii	विनिर्दिष्ट आस्ति में निहित रकम						घां			

		iii	निवेश की तारीख	घांiii	दिन/मास/वर्ष
		iv	दावाकृत कटौती की रकम	घांव	
	ङ	घारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती			
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ङाि	दिन/मास/वर्ष
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ङाii	
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ङाiii	दिन/मास/वर्ष
		iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ङाiv	
		v	दावाकृत कटौती की राशि	ङाv	
	च	घारा 54 छ क के अधीन दावाकृत कटौती			
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	चां	दिन/मास/वर्ष
ii		नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	चांi		
iii		एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	चांiii	दिन/मास/वर्ष	
iv		नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	चांव		
v		दावाकृत कटौती की राशि	चाव		
	छ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)			1छ

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-7 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि			मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	10%	20%	
		1	2	3	4	5	6	7
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)		(क 3 ड+ क 4 क)	क 5 ड	(क 1 ड+ क 2 ग + क 4 ख+ क 6 छ + क 7)	(ख 4 ड+ + ख 6 ड)	(ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड + ख 8)	
ii	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(क 3 ड+ क 4 क)					
iii		30%	क 5 ड					
iv		लागू दर	(क 1 ड+क 2 ग+क 4 ख + क 6 छ + क 7)					
v	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	(ख 4 ड+ + ख 6 ड)					
vi		20%	(ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड+ ख 8)					
vii	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi)							
viii	मुजराई के बाद शेष हानि (i – vii)							

च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	10% की दर से प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
5	20% की दर से प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					

अनुसूची ओएस		अन्य स्रोतों से आय			
अन्य स्रोत	1	आय			
	क	लाभांश, सकल	1क		
	ख	ब्याज, सकल	1ख		

ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय					1ग					
	घ	अन्य, सकल (दौड़ की जीत से आय को छोड़कर) प्रकृति का उल्लेख									
घ	i	लाटरी, वर्ग पहली जीतने से होने वाली आय					1घ				
	ii	क	68 के अधीन नकद जमा								
	ख	69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान									
		69 के अधीन अस्पष्टीकृत धन									
		69 के अधीन अप्रकटीकृत निवेश									
		69 के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय									
		69 के अधीन हंडी पर उधार ली गई या प्रतिसंदित रकम									
		कुल (क + ख + ग + घ + ङ+ च)					1घii				
	iii	धारा 56 (2)(x) में निर्देशित प्रकृति की आय जो कर प्रभार्य है ।									
	क	विना प्रतिफल के प्राप्त कुल धनराशि का कुल योग									
		विना प्रतिफल प्राप्त अवल संपत्ति की स्थिति में संपत्ति की स्थिति में संपत्ति का स्टाम्प शुल्क									
		अपर्याप्त प्रतिफल में प्राप्त अवल संपत्ति की स्थिति में संपत्ति के ऐसे प्रतिफल से अधिक संपत्ति के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क									
		विना प्रतिफल के प्राप्त किसी अन्य संपत्ति की स्थिति में, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य									
		अपर्याप्त प्रतिफल में प्राप्त किसी अन्य संपत्ति की स्थिति में ऐसे प्रतिफल से अधिक संपत्ति का उचित बाजार मूल्य									
		योग (क +ख +ग +घ + ङ)					1घiii				
	iv						1घiv				
	v						1घv				
	vi	योग (1घ+घii+घiii + 1घiv + 1घv)					1घvi				
ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घvi)					1ङ					
च	विशेष दर के कर से प्रभार्य "1ड" में सम्मिलित (अनुसूची एसआईपाले जाने वाला)										
च	i	लाटरी, वर्ग पहली, खेलों, धूत, दांव लगाने, दौड़ों आदि से जीत द्वारा आय से (धारा 115 आआ के अधीन)					1चi				
	ii	115खखङ के अधीन कर दर प्रभार्य मानी गई आय					1चii				
	iii	115खखच के अधीन प्रभार्य पेटेंट से आय					1चiii				
	iv	धारा 115 खखछ के अधीन अंतरण कार्बन जमा से आय					1चiv				
	v	अध्याय XII/XII-A के अधीन कोई अन्य आय जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभार्य है					1चv				
	vi	डीटीए के अधीन विषय दर पर प्रभार्य आय पर कर									
		क्रम स.	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो हाँ/नहीं)	टीआरसी प्राप्त है ()	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या (7) से कम
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		III	डीटीए के अधीन विशेष दर प्रभार्य आय की कुल राशि					1चvi			
		vii	विशिष्ट दर पर कर को प्रभार्य योग्य '1ड' में सम्मिलित ओय (1च + 1चii+ 1चiii + 1चiv + 1चv + 1चvi)					1चvii			
छ	सामान्य लागू दर के कर से प्रभार्य सकल रकम (1ड-1च vii)					1छ					
ज	धारा 57 के अधीन कटौतियां (अनिवासियों के लिए, 1च, 1चii 1चiii 1चiv, 1चv 1चvi और 1चvii के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न)										
	i	व्यय/कटौतियां				जा					
	ii	अवक्षयण				जाi					
	ii	योग				जाii					
	झ	धारा 58 के अधीन ऐसी राशि जिसमें छूट प्राप्त नहीं है					1झ				
ञ	धारा 59 के अधीन कर प्रभार्य लाभ					1ञ					
ट	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न और रकम विशेष दर के कर से प्रभार्य) (1छ + जाiii + 1 झ + 1 ञ) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 4i के अंक ले)					1ट					

2	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1च vii + 1ट) (यदि हानि है तो 1ट के लिए शून्य लिखें)					2	
3	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व के क्रियाकलाप से आय						
	क	प्राप्तियाँ			3क		
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ			3ख		

	ग	धारा 58 के अधीन ऐसी राशि जिसमें छूट प्राप्त नहीं है	3ग		
	घ	धारा 59 के अधीन कर प्रभाय लाभ	3घ		
	ङ	अतिशेष (3क - 3ख + 3 ग + 3 घ) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के अंक 10यां को ले)		3ङ	
4		“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (2 + 3ङ) (यदि हानि है तो 3ङ को शुन्य लिखें)		4	

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न और कर कर विशेष दर से प्राभाय रकम) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
				(		
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा की जाने वाली हानि → (इस पंक्ति को भरें यदि गणना किए गए अंक नकारात्मक हैं)		(अनुसूची-एचपी का 3ख)	(अनुसूची- बीपी का ड का मद 2 v)	(अनुसूची-ओएस का 1ट)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची-एचपी का 3ख)				
iii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची-बीपी का क39)				
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची- बीपी का ड का मद 3 iii)				
v	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची- बीपी का ड का मद 3 iii)				
vi	15% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iii)				
vii	30% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iii)				
viii	लागू दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iv)				
ix	10% की दर से कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीजी का ड का मद 7v)				
x	20% की दर से कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीजी का ड का मद 7vi)				
xi	अन्य स्रोत (दौड के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और कर की विशेष दर से प्राभाय रकम)	(अनुसूची-ओएस का 1ट)				
xii	दौड के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची-ओएस का 3ङ)				
xiii	मुजरा की गई कुल हानि (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii)					
xiv	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xiii)					

अनुसूची-बीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5ii)	(अग्रनीत गृह सम्पत्ति हानि)			
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5iii)	(सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार हानि से भिन्न अग्रनीत कारबार हानि)			
iii	सट्टे से आय	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5iv)	(अग्रनीत सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			

iv	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5v)	(अग्रणीत सामान्य कारबार या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
v	15% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5vi)	(अग्रणीत अल्पकालिक पूंजी हानि)			
vi	30% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5vii)	(अग्रणीत अल्पकालिक पूंजी हानि)			
vii	लागू दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5viii)	(अग्रणीत अल्पकालिक पूंजी हानि)			
viii	10% की दर से कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5ix)	(अग्रणीत अल्पकालिक पूंजी या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
ix	20% की दर से कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5x)	(अग्रणीत अल्पकालिक पूंजी या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
x	अन्य स्रोत (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और कर की विशेष दर से प्राभार्य रकम)	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5xi)				
xi	घुड़दोड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची- सीवाईएलए का 5xii)	(अग्रणीत घुड़दोड़ से हानि)			
xii	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xiii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि	योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5+vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5)				

अनुसूची-सीएफएल		भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण							
क्र.सं. i.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	2010-11								
ii	2011-12								
iii	2012-13								
iv	2013-14								
v	2014-15								
vi	2015-16								
vii	2016-17								
viii	2017-18								
ix	अग्र0 पूर्ववर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची - बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2iv)			(अनुसूची - बीएफएलए का 2xi)
xi	2018-19 (चालू वर्ष की हानि)		(अनुसूची- सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची- सीवाईएलए का 3xiv)	(यदि नकारात्मक अनुसूची बीपी का आ43)	(यदि नकारात्मक अनुसूची बीपी का इ49)	अनुसूची सीजी के मद ड. का (2viii+3viii+4viii)	अनुसूची सीजी के मद ड. का (5viii+6viii)	(यदि नकारात्मक अनुसूची ओएस का 3इ)
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि								

हानि का अग्रनयन

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अग्रणीत अमामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xii)			(बीएफएलए का 4xii)	

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्र0 सं0	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र0 सं0	रकम	
	क	उपक्रम सं0 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ख	उपक्रम सं0 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)				

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
		i				
		ii				
		iii				
		iv	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम

	i				
	ii				
	iii				
	iv	कुल			
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
	i				
	ii				
	iii				
	iv	कुल			
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
	i				
	ii				
	iii				
	vi	कुल			
ङ	कुल दान (क iv + ख iv + ग iv + घ iv)				

अनुसूची 80 धारा 80 के अधीन कटौतियाँ

धारा 80इक के के अधीन कटौतियां	क	धारा 80इक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	ख	धारा 80इक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	ग	धारा 80-इक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घ	धारा 80-इक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	ङ	धारा 80-इक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80इक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
च	धारा 80-इक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2+ ङ1 + ङ2)				च

अनुसूची 80 धारा 80-इख के अधीन कटौती

क	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80इख(4))	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80इख(4))	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80इख(5))	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80इख(7क))	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 10(v))	
		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 10(v))	
ङ	कचेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80इख(7ख))	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 10(v))	
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 10(v))	
च	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80इख(8क))	च1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		च2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
छ	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80इख(9))	छ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		छ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	

ज	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(10))	ज1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ज2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
झ	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11))	झ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		झ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ञ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11क))	ज1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ज2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ट	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11क))	ट1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ट2	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ठ	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11ख))	ठ1	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगख का 11(v))	
		ठ2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगख का 11(v)	
ड	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग))	ड1	उपक्रम सं0 1	प्ररुप 10गगख का 11(d))	
		ड2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगख का 11(d))	
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ड2 का योग)				ढ

अनुसूची-80-इग या 80-इड धारा 80-इग या धारा 80इड के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
					क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
					ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
					ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती									
घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
		घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)						
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)							घज		
ङ	धारा 80इग या धारा 80इङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)							ङ		

अनुसूची-VI-क अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती					
	क	80छ		ख	80छछख		
	ग	80छछक		घ	80छछग		
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)					1	
	2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती					
	ड	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख		

छ	80झकग		ज	80झख	(अनुसूची 80झख का ण)
झ	80झग/ झड.	(अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.)	ज	80जजक	
ट	80जजकक	(प्ररूप 10ड.क का उपाबंध 10)	ठ	80ठक	(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से ठ)				2
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1+2)				3

अनुसूची एसआई विशेष दर झख से से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-7(ii) देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क (शेयर पर एसटीसीजी/इक्वीटी ओरिएंटेड एफएम जिस पर एसटीटी संदत है)	☐	15	(अनुसूची - बीएफएलए का 5v)	
2	115कघ (प्रम्याभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी, जहां एसटीटी संदत है)	☐	30	(अनुसूची - बीएफएलए का 5vi)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5vii)	
4	112(i)(ग)(iii) (विदेशी कंपनी की दशा में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5vii)	
5	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)	
6	115कख (बांड/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)	
7	115कघ (प्रम्याभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची - बीएफएलए का 5ix)	
9	115ख(जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीपी के भाग 37ix क)	
10	115कग (विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड या जीडीआर से अनिवासियों की आय)	☐	10	(अनुसूची - ओएस का भाग 1cii)	
11	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची - ओएस का 1चि)	
12	115खखघ (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 1चii)	
13	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची - ओएस का भाग 1चii)	
14	115क(ख) (विदेशी कंपनी के स्वामित्व की आय)	☐	25	(अनुसूची - ओएस का भाग 1चii)	
15	डीटीएए दर के अधीन प्रभाय	☐		(अनुसूची ओएस के 1एफ vi का भाग + अनुसूची सीजी के क8ब और ख9ब)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(बीपी अनुसूची का 3व)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(ओएस अनुसूची का 1चiii)	
17	115खखछ (कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क प्रधान कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(बीपी अनुसूची का 3ड)	
	ख प्रधान अन्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(ओएस अनुसूची का 1चiv)	
18		☐			
	योग				

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1	
2	लाभांश से आय	2	
3	उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	3	
4	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii	
	iii पूर्व आठ करत कृषि हानिनिर्धारण वर्षों का अनआमेलि-	iii	
	iv वर्ष)i-ii-iii (करें निर्दिष्टयदि हानि है तो शून्य) के लिए शुद्ध कृषि आय (	4	
5	अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	5	
6	योग (1+2+3+4+5)	6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौतीयदि , कोई हों
	1.			i	गृह संपत्ति		
				ii	पूँजी अभिलाभ		
					क अल्पकालिक अवधि		
					ख दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य स्त्रोत		
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
					क धारा 10(23चखख) के अधीन		
					ख धारा के अधीन		
					ग धाराके अधीन		
	2.			i	गृह संपत्ति		
				ii	पूँजी अभिलाभ		
					क अल्पकालिक अवधि		
					ख दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य स्त्रोत		
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
					क धारा 10(23चखख) के अधीन		
					ख धारा के अधीन		
					ग धाराके अधीन		

टिप्पण ►

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एमएटी

धारा 115जख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, - हां- लिखें, यदि नहीं तो - ना- लिखें)	☐
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, - हां- लिखें, यदि नहीं तो - ना- लिखें)	☐
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, - हां- लिखें, यदि नहीं तो - ना- लिखें)	☐
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 48 प्रविष्ट करें)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	

	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क		
	ख	आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख		
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग		
	घ	समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ		
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभार्श	5ङ		
	च	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च		
	छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
	झ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
	ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रचार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	ड	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+ 5ड)	5ड		
6	कटौतियां				
	क	आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रणीत की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है ।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+ 6ट)	6ठ		
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ड – 6ठ)				7
8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें ।				☐ हां ☐ नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		

ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
ख. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
च	शौर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115अख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
10	धारा 115अख के अधीन संदेय कर	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना					
1	निर्धारण वर्ष 2018-19 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)				1		
2	निर्धारण वर्ष 2018-19 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)				2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]				3		
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]						
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
			सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
	i	2008-09					
	ii	2009-10					
	iii	2010-11					
	iv	2011-12					
	v	2012-13					
	vi	2013-14					
	vii	2014-15					
	viii	2015-16					
	ix	2016-17					
	x	2017-18					
	xi	2018-19 (यदि 1+ 2 (से बड़ा) है तो 1-2 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)					
		योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (ix) प्रविष्ट करें]					5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ)ix प्रविष्ट करें]					6	

अनुसूची - डीडीटी		देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और इसके संदाय			
वितरण	क्र. सं.	विवरण	पहले लाभांश के ब्यौरे	दूसरे लाभांश के ब्यौरे	तीसरे लाभांश के ब्यौरे
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

1	देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा जो भी पूर्व हो, की तारीख			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
2	वितरित या संदत्त, घोषित लाभांश की दर						
3	घोषित वितरित या संदत्त लाभांश की रकम						
4	धारा 115ण (1क) के अधीन हटाए जानी वाली रकम						
5	वितरित, घोषित या संदत्त, लाभांश पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 15% की दर से संदेय अतिरिक्त क				
		ख	क पर अधिभार				
		ग	शिक्षा उपकर (क+ख) पर				
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)				
6	धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज						
7	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)						
8	संदत्त कर और ब्याज						
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)						
10	लाभांश वितरण कर जमा की तारीखें			तारीख 1 (दिन/मास/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/मास/वर्ष)	तारीख 1 (दिन/मास/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम						
12	बीएसआर कोड						
13	चालान की क्रम संख्या						
14	जमा रकम						

अनुसूची-बीबीएस

किसी देशी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में सुचीबद्ध नहीं है, के क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर वितरित आय पर कर का विवरण

क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर कर

क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे		दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे		तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
(i)	(ii)		(iii)		(iv)		(v)	
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)		(दिन/मास/वर्ष)		(दिन/मास/वर्ष)	
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम							
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम							
4	कंपनी की वितरित आय (2 – 3)							
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क					
		ख	क पर अधिभार					
		ग	शिक्षा उपकर (क+ख) पर					
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)					
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज							
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)							
8	संदत्त कर और ब्याज							
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)							
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम							
12	बीएसआर कोड							
13	चालान की क्रम संख्या							
14	जमा रकम							

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत						
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
			2						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
			3						
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें						

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)
		योग				
2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)				2	
3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4	
	क	प्रतिदेय कर की रकम	ख	वह निर्धारित वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था	हां/नहीं	
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें				

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	क	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी बैंक खाता रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)										
	क्र. सं.	देश का नाम और कोड	बैंक का नाम और पता	खाताधारक का नाम	प्रास्थिति-स्वामी/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष (रु. में)	खाते में प्रोदभूत व्याज	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी सत्ता में वित्तीय व्याज का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)										
	क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	व्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे व्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी स्थावर संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज				
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
घ	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज				
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
ङ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7)हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	न्यास का	न्यासियों के	अवस्थापक	हिताधिकारियों	जब से पद संभाला है	क्या आपके	यदि (8) हां में है, तो न्यास	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			

		नाम और पता	नाम और पते	का नाम और पता	के नाम और पते	उसकी तारीख	पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	से प्राप्त आय	राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हाँ में है, तो इस विवरणों में पेश की गई आय		
						राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

अनुसूची जीएसटी जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों के साथ कुल व्यय का ब्यौरा (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है के द्वारा 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् व्ययों के संबंध में ब्यौरे फाईल किए जाएंगे)

जीएसटी का ब्यौरा	क्रमसं.	वर्ष के दौरान व्यय की कुल रकम (भाग-क त और ढ के मद 6, 8 से 35, 37 और 38 में की गई रिपोर्ट व्यय के योग)	जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाईयों को किया गया संदाय				जीएसटी के अधीन अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों को किया गया संदाय
			माल या सेवा से संबंधित जीएसटी से छूट	प्रशमन योजना से संबंधित अधोगामी इकाईयों	अन्य रजिस्ट्रीकृत इकाईयों से संबंधित	रजिस्ट्रीकृत इकाईयों को कुल संदाय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

अनुसूची एफडी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

करेंसीवार ब्यौरा	क्रम सं.		रकम (रुपये में)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

प्रकृप

आ.क.वि-7

भारतीय आयकर विवरणी

[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) या 139(4ङ) या 139(4च) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]

(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)

(मार्गदर्शन के लिए संलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष

2	0	1	8	-	1	9

भाग क-साधारण

व्यक्तिगत सूचना

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)				स्थायी लेखा संख्यांक			
फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०				परिसर/भवन/ग्राम का नाम			
सड़क /मार्ग/डाक घर				क्षेत्र/अवस्थान			
नगर/शहर/जिला				राज्य		पिन कोड /जिप कोड	
कार्यालय का दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.				फैक्स सं. / मोबाइल सं.2		आय-कर वार्ड/सर्किल	
ई मेल पता 1							
ई मेल पता 2							
आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे							
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वार्षिक प्राप्तियां का योग			
1							
2							
3							
4							
रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे							
क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का अनुपालन का डाटा	धारा, जिस के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन किया गया	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी			
1							
2							
3							
4							
(क)	फाइल की गई विवरणी [कृपया अनुदेश सं० 6 देखें] ☐ पर या उससे देय तारीख से पूर्व -139(1), ☐ देय तारीख के पश्चात् -139(4), ☐ पुनरीक्षित विवरणी -139(5) ☐ उपांतरित विवरणी 92गघ, ☐ धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9)- त्रुटिपूर्ण, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग						
(ख)	किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ? ☐ 139(4क) ☐ 139(4ख) ☐ 139(4ग) ☐ 139(4घ) ☐ 139(4ङ) ☐ 139(4च)						
(ग)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण के उत्तर में, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें						

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए रसीद सं०. तारीख प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन किसी नोटिस के जवाब में फाइल किया गया है तो ऐसे नोटिस की तारीख प्रविष्ट करें या धारा 92गघ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रविष्ट करें	/ /				
(ङ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी					
(च)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? ☐ हां ☐ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]					
(छ)	क्या संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया है जो अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में अवस्थित हो ☐ हां ☐ नहीं					
(ज)	अनिवासी के मामले में भारत में स्थायी स्थापन (पीई) है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
(झ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (Tick) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें-					
	(1) प्रतिनिधि का नाम					
	(2) प्रतिनिधि का पता					
	(3) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)					
अन्य व्योरे	क	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो			
		क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हां ☐ नहीं	
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां	%	
		ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हां ☐ नहीं	
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां	%	
		ii	यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां			
		क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि		
		क				
		ख				
	ख	I	क्या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?			☐ हां ☐ नहीं
ii		यदि हां तो अनुमोदन संख्यांक प्रविष्ट करें				
iii		अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)			____/____/____	
ग		i	क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों/क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था ?			☐ हां ☐ नहीं
		ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-			
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			____/____/____
		ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है			☐ हां ☐ नहीं
		ग	क्या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्री मंजूर की गई है			☐ हां ☐ नहीं
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			____/____/____
घ		i	क्या धारा 13क के अनुसार कोई राजनैतिक दल है ? (यदि हां तो अनुसूची एलए भरें)			☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो क्या रजिस्ट्रीकृत है ?			☐ हां ☐ नहीं	
	iii	यदि हां, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें				

ड	i	क्या कोई निर्वाचक न्यास है ? (यदि हां तो अनुसूची ईटी भरें)	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो अनुमोदन संख्या प्रविष्ट करें ?	
	iii	अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	____/____/____
च	i	क्या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें ?	
	iii	रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	____/____/____
	iv	क वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान की कुल रकम, यदि कोई हो । ख वह प्रयोजन निर्दिष्ट करें, जिसके लिए उपरोक्त अभिदाय प्राप्त किया गया है	रु. _____
छ	i	क्या कारबार न्यास के साथ सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, तब रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें	
	iii	(दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
ज		क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है	☐ हां ☐ नहीं
झ		क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?	☐ हां ☐ नहीं
ञ		क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें : किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)	

12क																			
क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक का नाम																		
ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक																		
ग	संपरीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)																		
घ	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक																		
ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख																		
च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष																		

सदस्य की जानकारी	ट	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें ।					
		अधिनियम और धारा		(दिन/मास/वर्ष)		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)
	ठ	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2018 को ए ओ पी सदस्यों में थे (पूँजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए ।					
		क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन आई.डी.	आधार/नामांकन	प्रास्थिति (निर्देश देखें)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग ख- कुल आय

तारीख 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

आय का	यदि धारा 12क/धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/10(23ग)(vi) /10(23ग)(vi) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरें (यथा लागू)			
	1	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समय का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय अनुसूची फग (कत खत)ट	1	

2	समग्र से भिन्न सवैच्छिक अभिदाय (अनुसूची कग का ग-(कखख))	2	
3	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vi) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
4	पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
i	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - राजस्व खाता (अनुसूची ईआर का 24(क))	4i	
ii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - पूंजीगत लेखा (उधार ली गई निधियों के उपयोग को उपाजित करते हो)	4ii	
iii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - पूंजीगत लेखा (ऋण का प्रतिसंदाय)	4iii	
iv	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - पूर्व वर्ष के दौरान संचित अधिशेष का उपयोग (अनुसूची ईआर की मद सं. 24(ख) + अनुसूची ईसी की मद सं. 8(ख))	4iv	
v	धारा 11(1) के खंड (2) के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित की गई समझी गई रकम	4v	
क	यदि उपर्युक्त (v) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं. 9क देने का विकल्प है	4vक	
ख	यदि हां. प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	4vख	
vi	पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]	4vi	
Vii	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक् ऊपर (v) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम, यदि धारा 11(2) और धारा 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक में की गई सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं (अनुसूची 1 भरे)	4vii	
viii	धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम	4viii	
क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	4viii क	
ख	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	4viii ख	
ix	कुल [4i + 4ii + 4iii + 4v + 4vi + 4vii + 4viii] (मद 4iv को अपवर्जित करके - किसी पूर्वतम वर्ष की समझी गई आय का उपयोग)	4ix	
5	जोड़ें		
i	धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार प्रभार्य अन्य न्यास या संस्था समग्र संदान (अनुसूची ईआर की मद सं. 15(ii))	5i	
ii	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय	5ii	
iii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	5iii	
iv	ऐसी आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के आधार पर धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है		
क	पूर्ण प्रयोजन के लिए लागू होने की सीमा तक अनुसूची वी सी के घांiii पर अनाम संदान हो	5iv क	
ख	ऊपर (क) से भिन्न	5iv ख	
v	धारा 12(2) के अधीन प्रयार्य आय	5v	
vi	कुल [5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5ivख + 5v]	5vi	
6	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार]	6	
7	योग (2+3-4ix + 5vi + 6)	7	
8	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ख) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम	8	
9	धारा 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कड), 10(23घ), 10(23चक), 10(23 चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम	9	
10	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट की उपयुक्त रकम (धारा 8 और धारा 9 से भिन्न)	10	
11	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	11	
12	राजनैतिक पार्टी या निर्वाचन न्यास की दशा में धारा 13क या धारा 13ख के अधीन छूट प्राप्त/दावा की गई आय (अनुसूची एलए की मद सं. 11 या अनुसूची ईटीवी मद सं. 6vii)	12	
13	उपर्युक्त मद सं 7 और 11 का भाग नहीं बनने वाली आय		
i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का उख) (शून्य भरे यदि हानि)	13i	
ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं ड35 के अनुसार)	13ii	

	iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय				
		a	अल्पकालिक (अनुसूची गछ का 5)	13iii क		
		b	दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख3) (शून्य भरें यदि हानि हो)	13iii ख		
		c	कुल पूंजी अभिलाभ (13iii क + 13iii ख) (शून्य भरें यदि हानि हों)	13iii ग		
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 4 के अनुसार)		13iv		
	v	कुल (13i + 13ii + 13iii क + 13iv)			13v	
14	सकल आय [7+11+13फ]				14	
15	चालू वर्ष में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)				15	
16	कुल आय (14 - 15)				16	
17	धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशेष दर से आय पर प्रभार्य कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है				17	
18	धारा 10कक के अधीन कटौतियां				18	
19	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां, (16 -17 तक सीमित)				19	
20	कुल आय [16-18-19]				20	
21	ऐसी आय जिसे 20 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)				21	
22	दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय				22	
23	कुल आय (20 – 21 + 22) (यदि (20-21) उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)				23	
24	23 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची बी सी का घiii)				24	
25	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय (23-24)				25	

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व

1	क	धारा 115ख और 115जग जो लागू हो के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7/अनुसूची एएमटी का 4)	1क		
	ख	उपर्युक्त (क) पर अधिभार	1ख		
	ग	उपर्युक्त (1क+1ख) पर शिक्षा उपकर	1ग		
	घ	धारा 115ख और 115जग जो लागू हो के अधीन कुल संदेय कर (1क+1ख+1ग)	1घ		
2	कुल आय पर संदेय कर				
	क	भाग ख- आय मद के (23 – 24 – 25) पर सामान्य दरों पर कर	2क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	2ख		
	ग	भाग ख-कुल आय के 24 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर	2ग		
	घ	भाग ख-कुल आय के 25 पर अधिकतम (यदि जवाब हां है तो (यदि जवाब हां है तो यह सुनिश्चित)	2घ		
	ङ	कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 20-21 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभाय है तो लागू हो)	2ङ		
	च	कुल आय पर कर संदाय (2क + 2ख +2ग +2घ – 2ङ)	2च		
3	अधिभार			3	
	i	अनुसूची घझ का 5(ii) का 25%	3i		
	ii	पर (का 2)-अनुसूची घझ का 5(ii)	3ii		
	iii	कुल (i + ii)	3iii		
4	(2च + 3iii) पर शिक्षा उपकर, जिसके अंतर्गत सेकेंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है			4	
5	सकल कर दायित्व (2च+3iii +4)			5	
6	संदेय सकल कर (5 ओर 1घ का उच्चतर)			6	
7	पूर्वतर वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 जकक/ 115 जघ के अधीन प्रत्यय (5 के 1घ से अधिक होने की दशा में)			7	
8	धारा 115 जकक/ 115 जघ के अधीन मुजरा के पश्चात्			8	
9	कर राहत				
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	9क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	9ख		
	ग	कुल (9क+9ख)	9ग		
10	शुद्ध कर दायित्व (8-9ग)			10	

11	देय फीस और ब्याज				
	क	विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	11क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	11ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	11ग		
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	11घ		
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (11क+11ख+11ग + 11घ)			11ङ
12	कुल दायित्व (10+11ङ)				12
13	संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (19क का स्तंभ 5)	13क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (19ख का स्तंभ 9)	13ख		
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (अनुसूची-स्रोत पर कर संग्रहण का स्तंभ 7)	13ग		
	घ	स्वतः कर निर्धारण (19क का स्तंभ 5)	13घ		
	ङ	कुल संदत्त कर (13क+13ख+13ग+13घ)			13ङ
14	संदेय रकम (यदि 12 13ङ से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करे अन्यथा 0 प्रविष्ट करे)				14
15	प्रतिदाय (यदि 13ङ 12 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				15
16	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्याँरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, प्रत्यय के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्याँरे दें)				
	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी कोड)	बैंक का नाम	खाता सं. (विदेशी बैंक खातों की दशा में आईबीएएन)	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना रिफंड क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
	i				
	ii				
17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्थितयां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में विलीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हाँ है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				☐ हाँ ☐ नहीं

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी _____ की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक _____ है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

18	अनुसूची-आयकर																
क	अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के व्यौरे																
	क्र. सं.	बीएसआर कोड				जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)				चालान की क्रम संख्या				रकम (रुपए में)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
	v																
	vi																
	टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।																
ख	आय पर स्रोत पर की गई कटौती के ब्याँरे [कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी प्ररूप 16क या उनके द्वारा दिए गए प्ररूप 26थख, 26थग के अनुसार]																

अन्य आय पर कर कटौती

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का ट्रेन संख्या/क्रेता/किरायदार का पेन संख्या	कटौतीकर्ता / क्रेता/किरायदार का नाम	अनन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक	अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर			(6) और (7) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है			(6) या (7) में से अग्रणीत की गई रकम		
				वित्तीय वर्ष जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई है	अग्रणीत रकम	स्वयं की गई कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हो)		स्वयं किया गया दावा	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा की गई (यदि लागू हो)				
							(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)		
							आय	टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पेन सं.		आय	टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पेन सं.	
i														
ii														

टिप्पणी ▶ कृपया भाग -ख टीटीआई के 13ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें

टिप्पणी ► कृपया भाग -ख टीडीआई के 13ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें

ग									स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]								
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रनीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर	(5) और (6) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रनीत की गई रकम									
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रनीत रकम												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									
	i																
	ii																
टिप्पण ▶ कपया भाग -ख टीटीआई के 13ग में सतंभ (7) योग प्रविष्ट करें																	

टिप्पणी ► कृपया भाग -ख टीडीआई के 13ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ ध1 से ध12) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची 3		धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्याँरे					
संचयन का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकम	उपयोग के लिए अतिशेष रकम (7) = (2) - (4) - (6)	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थातर्गत आय समझी जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2011-12							
2012-13							
2013-14							
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
योग							

अनुसूची ज

पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन [तभी भरा जाए, यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viंक)/10(21) के अधीन अनुमोदित है]

अ	(i)	पूर्ववर्ती वर्ष अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशेष	रु.
	(ii)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशेष	रु.
आ	धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्यौरा		
क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान		विनिधान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
i	सरकार के बचत स्कीम में विनिधान		
ii	डाक घर बचत बैंक खाता		
iii	धारा 11(5)(iii) के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा		
iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान		
v	कोई अन्य		
vi	योग		
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान		
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं	धारित शेयरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
i		☐ हां ☐ नहीं	
ii		☐ हां ☐ नहीं	
iii		☐ हां ☐ नहीं	
iv		☐ हां ☐ नहीं	
v		☐ हां ☐ नहीं	
vi		☐ हां ☐ नहीं	
	योग		
ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान		
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वग
(1)	(2)	(3)	(4)
i		☐ हां ☐ नहीं	
ii		☐ हां ☐ नहीं	
iii		☐ हां ☐ नहीं	
iv		☐ हां ☐ नहीं	
v	योग		
उ	ऐसे स्वेच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है		

क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv	योग			

अनुसूची ट

न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशिष्टियों का विवरण (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

अ	न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं, का/के नाम और पता/पते		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि आधार के लिए पात्र हो)
इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3) (ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
ई	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान् अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

अनुसूची ठक

राजनैतिक दल

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं

2	क	क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	ख	यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
3		क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
		यदि हां तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-	
	क	लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	/...../.....
	ख	लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम	
	ग	लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या	
	घ	लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)	
	ङ	स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.	
	च	लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन) (स्वामित्व/फर्म)	
	छ	लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख	
4		क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई सदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	☐ हां ☐ नहीं
5		क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
6		यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/ मास/ वर्ष	/...../.....
7		क्या धारा 139(4ख) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी धारा 139 के अधीन देय तारीख के भीतर दी गई थी ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं

अनुसूची ड

निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	☐ हां ☐ नहीं
2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
iii	योग (i+ii)	iii
iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम	v
vi	योग (iv+v)	vi
Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम	Vii
viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष	Viii

अनुसूची क

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है) (राजनैतिक दल या निर्वाचन न्यास के सिवाय)

आय	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2
	3	किराया	3
	4	कमीशन	4

5	लाभांश आय	5	
6	ब्याज आय	6	
7	कृषि आय	7	
8	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रकृति	रकम	
	क	क	
	ख	ख	
	ग	ग	
	घ	घ	
	ड	ड	
	कुल (8क + 8ख + 8ग + 8घ)		
9	कुल	8	
		9	

अनुसूची ड पूर्व वर्ष के दौरान न्यास संस्था के भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों को या उनके कथित उद्देश्यों के लिए अनुमोदित रकम राजस्व लेखा (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है) (राजनैतिक दल या निर्वाचन न्यास के सिवाय)

			पूर्व वर्ष के दौरान उद्भूत आय में से (क)	पहले के वर्षों में संचित आधिक्य का उपयोग (ख)
1	किराए	1		
2	मरम्मत	2		
3	कर्मचारियों को प्रतिकर	3		
4	बीमा	4		
5	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	5		
6	मनोरंजन और आतिथ्य	6		
7	विज्ञापन	7		
8	कमीशन	8		
9	स्वामिस्व	9		
10	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस	10		
11	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय	11		
12	विदेशी यात्रा व्यय	12		
13	छात्रवृत्ति	13		
14	उपहार	14		
15	दान	15		
	i समग्र	15i		
	ii समग्र से भिन्न	15ii		
16	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय करें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है)	16		
17	संपरीक्षा फीस	17		
18	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	प्रकृति	रकम		
	क	क		
	ख	ख		
	ग	ग		
	घ	घ		
	ड	ड		
	कुल (viii क + viii ख + viii ग + viii घ)			
19	कुल	18		
20	इंबत ऋण	19		
21	उपबंध	20		
22	ब्याज	21		

23	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण	23		
24	कुल राजस्व व्यय	24		

अनुसूची डग		पूर्व वर्ष के दौरान न्यास/संस्था के भारत में पूर्व या धार्मिक प्रयोजन को या उनके कथित उद्देश्यों के लिए अनुयोजित रकम पूंजीगत लेखा धारा 11 के अधीन उधार ली गई निधियों और धारा 11(1क) के अधीन छूट प्राप्त रकम से आवेदन को छोड़कर (आईटीआर 7 फाइल करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है) (राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास के सिवाय)		
			पूर्व वर्षों के दौरान उदभूत आय में से (क)	पहले के वर्षों के दौरान संचित अधिक्त्य उपयोग जन (ख)
1	कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	1		
2	पूँजी आस्ति का अर्जन (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	2		
3	कुल (1 + 2)	3		
4	पूँजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	4		
5	धारा 11(कअ) के धीन छूट	5		
6	धारा 11(1अ) (4-5) के अधीन छूट की रकम अपवर्जित करते हुए पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल (शून्य के 6 लें, यदि नकारात्मक हो)	6		
7	अन्य पूंजी व्यय			
	i	7i		
	ii	7ii		
	iii	7iii		
	iv कुल व्यय (7i + 7ii + 7iii)	7i v		
8	कुल पूंजी व्यय (3 - 6 + 7)	8		

अनुसूची-एचपी गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड
	क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
	संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक (वैकल्पिक)		संपत्ति में अंश का प्रतिशत
	1				
	2				
	[लागू विकल्प पर ☒ टिक का निशान लगाएं] ☐ यदि किराए पर दिया है ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)
			I		
			II		
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)			1क
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख			
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	1ग			
घ	योग (1ख+1ग)	1घ			

ड	वार्षिक मूल्य (1क-1घ) (यदि अधिनियम की धारा 23(2)के अनुसार स्वयं के अधिभोग में है तो शून्य)	1ड	
च	1ड का 30%	1च	
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ	
ज	योग (1च + 1छ)	1ज	
झ	गृह संपत्ति से आय 1 (1च - 1झ)	1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य
			पिनकोड
	क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)		
	संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता		
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामा (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक (वैकल्पिक)	संपत्ति में अंश का प्रतिशत
1			
2			
	लागू विकल्प पर ☒ टिक का निशान लगाएं	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (यदि उपलब्ध हो)
	☐ यदि किराए पर दिया है	I	
	☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	II	
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (दो में से अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, दो में से कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)	2क	
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2घ	
ड	वार्षिक मूल्य (2 क - 2 घ)	2ड	
च	2ड का 30%	2च	
छ	उधार ली गई संपत्ति पर संदेय ब्याज	2छ	
ज	कुल (2 च + 2 छ)	2ज	
झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)	2झ	
3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय		
क	30% कटौती के पश्चात् धारा 25 के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बिना व्यवस्थीकरण किराया बकाया	3क	
ख	योग (1झ+2झ+3क) (यदि नकारात्मक है तो आंकड़ों को अनुसूची सीवाईएलए 2i पर ले जाएं)	3ख	

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	
	1	आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त))	
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1 क
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
	i	अर्जन की लागत	खi
	ii	सुधार की लागत	खii
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii
	iv	योग (i + ii + iii)	खiv
	ग	अतिशेष (2क-खiv)	1ग
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हो (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	1घ
ड	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)		
2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है		
क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट न किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें	
क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके		

		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग				
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
		iii	कुल (ग + ii)	क iii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	अर्जन की लागत	खा				
		ii	सुधार की लागत	खii				
		iii	अंतरण पर व्यय	खiii				
		iv	योग (i + ii + iii)	खiv				
	ग	अतिशेष (2कiii - खiv)			2ग			
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हो (सकारात्मक मूल्य ही भरें)			2घ			
	ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)			2ङ			
	3	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची का 6-डीसीजी)			अ3			
	4	धारा 11 (1अ) के अधीन से भिन्न छूट (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)			अ4			
	5	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ङ +2ङ +अ3-अ4)			अ5			
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
		1 ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है						
		क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें				
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				
				ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके			
				ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
		iii	कुल (ग + ii)	क iii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खा			
			ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii			
	iii		अंतरण पर व्यय	खiii				
	iv		योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (1कiii-खiv)			1ग			
	घ	धारा 11(1अ) के अधीन छूट			1घ			
	ङ	ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है (1ग-1घ)			1ङ			
		2 ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना)						
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			2क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii	अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग	अतिशेष (2क-खाiv)			2ग		
		घ	धारा 11(1अ) के अधीन छूट, यदि कोई हो (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)			2घ		
		ङ	ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2घ - 2ङ)			2ङ		
	3	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1च (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +2च (यदि हानि है तो शून्य लिखें))			आ3			

इ	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ5+आ3) (यदि हानि है तो आ3 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)	व	

अनुसूची अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

र क ह ए	1	आय		
	क	लाभांश, सकल	1क	
	ख	व्याज, सकल	1ख	
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराए की सकल आय	1ग	
	घ	अन्य आय, सकल (घुड़दौड़ के स्वामित्व रखने से भिन्न आय) स्रोत का उल्लेख करें		
	i	लॉटरी, वर्ग, पहेली आदि से जीतने से हुई आय	1घा	
	ii	क धारा 68 के अधीन नकदी प्रत्यय		
	ख	धारा 69 के अधीन बिना व्याख्या विनिधान		
	ग	धारा 69क के अधीन बिना व्याख्या धन		
	घ	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि		
	ङ	धारा 69ग के अधीन व्यय बिना व्याख्या		
	च	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर रकम उधार किया गया था अन्य संदत्त रकम		
		कुल (क + ख + ग + घ + ङ + च)	1घii	
	iii	धारा 56(2)(भ) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति जो कर से प्रभार्य है		
	क	प्रतिफल के बगैर प्राप्त धनराशि का सकल मूल्य		
	ख	यदि स्थावर संपत्ति प्रतिफल के बगैर प्राप्त की गई है तो संपत्ति के सटाप शुल्क का मूल्य लक का मूल्य		
	ग	यदि अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई तब संपत्ति का सटाप शुल्क मूल्य ऐसे प्रतिफल से अधिक होगा		
	घ	यदि कोई अन्य संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई है तब संपत्ति उचित बाजार मूल्य		
	ङ	यदि कोई संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल से प्राप्त की गई तब संपत्ति का बाजार मूल्य ऐसे प्रतिफल से अधिक होगा		
		योग (क +ख +ग +घ +ङ)	1घiii	
	iv		1घiv	
	v		1घv	
	vi	योग (1घा + 1घii + 1घiii + 1घiv + 1घv)	1घvi	
	ड	योग (1क + 1ख + 1ग + 1घvi)	1ड	
	च	विशेष दर पर कर प्रभार्य 1ड में सम्मिलित आय (अनुसूची एसआई पर ले जाए)		
	i	लाटरी, वर्ग, पहेली, घुड़दौड़, खेल, जुआ, सट्टा आदि से जीत से आय (धारा 115खख के अधीन)	1चा	
	ii	चरेलू कंपनी से लाभांश आय जो रु 10 लाख से अधिक है (धारा 115खखघक के अधीन)	1चii	
	iii	115खखड के अधीन कर के लिए प्रभार्य समझी गई आय	1चiii	
	iv	11खखफ के प्रभार्य पेटेंट प्रभार्य से आय	1चiv	
	v	धारा 155 खखछ के अधीन प्रत्यय के स्थानान्तरण से आय	1चv	
	vi	अध्याय 12/12क के अधीन कोई अन्य आय	1चvi	
	vii	विशेष दर पर प्रभार्य कर '1ड' में सम्मिलित आय (1चा + 1चii + 1चiii + 1चiv + 1चv + 1चvi)	1चvii	
	छ	सामान्य लागू दर पर कर प्रभार्य सकल राशि (1ड-1चvii)	1छ	
	ज	धारा 57 के अधीन कटौतियां (1चा, 1चii, 1चiii, 1चiv, 1चv, 1चvi और 1चvii के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न)		
	i	व्यय/कटौतियां	जा	
	ii	अवक्षयण	जाii	
	iii	योग	जाiii	
	झ	धारा 58 के अंतर्गत रकम छूट योग्य नहीं है	1झ	
	ञ	धारा 59 के अंतर्गत कर के लिए प्रभार्य लाभ	1ञ	
	ट	अन्य स्रोतों से आय (घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व रखने से भिन्न और विशेष दर पर प्रभार्य कर) (1छ-जाiii 1 झ + 1 ञ)	1ट	
		(यदि नकारात्मक है तो इन आंकड़ों को अनुसूची सीवाइएलए के 4i पर ले जाए)		
2		अन्य स्रोतों से (घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने से भिन्न) आय (1चvii + 1ट) (यदि हानि हो तो 1ट में 'शून्य' प्रविष्ट करें)	2	
3		घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके अनुरक्षण के से आय		

क	प्राप्तियां	3क		
ख	(3) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	3ख		
ग	धारा 58 के अंतर्गत रकम छूट योग्य नहीं है	3ग		
घ	धारा 59 के अंतर्गत कर के लिए प्रभार्य लाभ	3घ		
ड	अतिशेष (3क - 3ख + 3 ग + 3 घ)		3ड	
4	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य (2+3ड) (यदि 3ड नकारात्मक हो तो उसे शून्य प्रविष्ट करें)			4

अनुसूची वीसी

स्वैच्छिक अनुदान (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	स्थानीय		
i	समग्र निधि संदान	आi	
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आii	
	(क) सरकार से प्राप्त अनुदान		
	(ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान		
	(ग) अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान		
	(घ) अन्य संदाय		
	(ड) कुल	आi+ड	
iii	स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (आं + आंi+ड)	आiii	
आ	विदेशी अभिदाय		
i	समग्र निधि संदान	आ i	
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आ iii	
इ	कुल अभिदाय (आiii + आiii)	इ	
ई	ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय		
i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो	ii	
iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

अनुसूची ओए

साधारण

	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित बॉक्स प्रविष्ट करें)		
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या ☐	2	
3	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ वाणिज्यिक ☐	3	
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	☐	
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)		
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं ☐ नदृ		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सद्वा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त कारबार एवं वृत्ति धारा 11(4क) में संदर्भित कारबार आय सहित	

कारबार या वृत्ति से आय	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ	1	
	2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें)	2	
	3	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें)	3	
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कड में निर्दिष्ट है	4	
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
		क फर्म (फर्मों) से आय का अंश	5क	
		ख एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख	
		ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग	
		घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
	6	अतिशेष (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)	6	
	7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
	8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है	8	
	9	योग (7 + 8)	9	
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
	11	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय	11	
	12	धारा 28 से 44कघ के अधीन कोई अन्य मद या मर्दे	12	
	13	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मों से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	13	
	14	योग (10 +11+12+13)	14	
	15	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	15	
	16	कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है	16	
	17	योग (15 +16)	17	
	18	आय (14 - 17)	18	
	19	कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि		
		i धारा 44कघ	19i	
		ii धारा 44कघक	19ii	
		iii धारा 44कड	19iii	
		iv योग (19i से 19iii)	19iv	
	20	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv)	20	
	21	नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है)	क21	
	आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	24	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	24	
	25	धारा 28 से 44कघ के अनुसार परिवर्धन	25	
	26	धारा 28 से 44कघ के अनुसार कटौतियां	26	
	27	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26)	ख27	
	इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना	इ	
	28	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	28	
	29	धारा 28 से 44कघ के अनुसार परिवर्धन	29	
	30	धारा 28 से 44कघ के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है)	30	
	31	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30)	31	
	32	धारा 35कघ (1) के अनुसार कटौतियां	32	
	33	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	33	
	34	धारा 35कघ की उपधारा (5) के सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट व्यवसाय को आच्छादित करता है	34	
	अ	लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ23+ आ27 +इ33)	इ34	

उ	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय की संगणना	
35	आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [धारा 11 (4) देखें]	उ35
36	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय [ई34 - उ36]	उ36

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची- (गृह संपत्ति का 3ख)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-37)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 1ए)	
		1	2	3	4	
	समायोजित की जाने वाली हानि					5=1-2-3-4
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vii	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
viii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
ix	मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

चालू वर्ष की हानि समायोजन

अनुसूची एमएटी

धारा 115ख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना

नं०	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां', लिखें, यदि न तो 'नहीं' लिखें)	☐

2	क्या ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए उन समान लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों का अनुपालन और अवकाश की संगणना करने के लिए उन समान पद्धति और दरों का अनुसरण किया गया है, जो कंपनी के समक्ष, उसकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक में रखने हेतु लेखा तैयार करने के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)			☐
3	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर के पश्चात् लाभ	3		
4	जोड़ें (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)			
	क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध	4क		
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख		
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग		
	घ समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ		
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभंश	4ङ		
	च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च		
	छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	4छ		
	ज धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	4ज		
	झ धारा 115खख के अधीन कर के लिए प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के तौर पर उस के द्वारा आय के लिए संबंधित व्यय	4झ		
	ञ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	4ञ		
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	4ट		
	ठ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	4ठ		
	ड अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	4ड		
	ढ कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ + 4ज + 4झ + 4ञ + 4ट + 4ठ + 4ड)	4ढ		
5	कटौतियां			
	क आरक्षित या उपबंधों से निकाली गई रकम, यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है	5क		
	ख धारा 10, 11 या 12 के अधीन [धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर] छूट प्राप्त आय	5ख		
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से निकली गई तथा उस सीमा तक, लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम, जो आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होती है	5ग		
	घ एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5घ		
	ङ धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	5ङ		
	च धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5च		
	छ धारा 115जख के लिए स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामिस्व तौर पर आय	5छ		
	ज धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	5ज		
	झ अग्रनीत की गई हानि या अनामोलित अवक्षयण, जो भी कम हो	5झ		
	ञ रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ, जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	5ञ		
	ट अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों तथा लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	5ट		
	ठ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ + 5च + 5छ + 5ज + 5झ + 5ञ + 5ट)	5ठ		
6	धारा 115जख के अधीन खाता लाभ (3+ 4ढ - 5ठ)	6		

7	धारा 115जख के अधीन संदेय कर	7	

अनुसूची एमएटीसी धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना

एमएटी प्रत्यय

1	निर्धारण वर्ष 2018-19 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2018-19 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 5)	2				
3	कर की रकम, जिसके संबंध में प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2, 1 से बड़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3				
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय (ख)	चालू वर्ष के दौरान उपयोग किया गया एमएटी प्रत्यय (ग)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) (घ) = (ख3)-(ग)	
			सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत बकाया (ख3) = (ख2)-- (ख1)	
	I	2008-09				
	ii	2009-10				
	iii	2010-11				
	iv	2011-12				
	v	2012-13				
	vi	2013-14				
	vii	2014-15				
	viii	2015-16				
	ix	2016-17				
	x	2017-18				
	xi	2018-19 (यदि 1-2 से बड़ा है तो 1 2 भरे अन्यथा शून्य भरें)				
	xii	योग				
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (ix) प्रविष्ट करें]				5	
6	पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4घ (ix) प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची-एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

	1	भाग ख-टीआई की मद 25 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
		क शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ" के अधीन अध्याय 2क 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क	
		ख धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख	
		ग अस्तियों पर अवक्षयण की रकम द्वारा कटौती के रूप में धारा 35गघ के अधीन दावे के लिए कटौती जिस पर ऐसी कटौती में दावा किया गया है।	2ग	
		घ कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)	3	
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर [(3)का 18.5 प्रतिशत] (एओपी, बोओई, एजेपी के मामले में यदि (3)20 लाख से अधिक है तो यह लागू होगा।	4	

अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2018-19 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 1घ)			1	
2	निर्धारण वर्ष 2018-19 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)			2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]			3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोजन (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती				
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	एएमटी प्रत्यय	चालू वर्ष के दौरान	अग्रणीत अतिशेष

	(अ)		उपयोग की गई एएमटी	एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग)
i	2012-13	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)
ii	2013-14			
iii	2014-15			
iv	2015-16			
v	2016-17			
Vi	2017-18			
Vii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1>2 या शून्य प्रविष्ट करें)			
viii	योग			
5	धारा 115अघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]			5
6	पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]			6

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
1.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूँजी अभिलाभ		
			क	अल्पकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य स्त्रोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
			ख	धारा के अधीन		
			ग	धारा.....के अधीन		
2.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूँजी अभिलाभ		
			क	अल्पकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य स्त्रोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
			ख	धारा के अधीन		

पास के माध्यम से आय

					अधीन		
				ग	धारा.....के		
					अधीन		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एसआई विशेष दरों से प्रभावी आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेरों पर एटीसीसी)	☐	15		
2	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर	☐	10		
3	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20		
4	115ख (जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50		
5	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)	☐	30		
6	115 खखघक (धरेलू कंपनी से लाभांश आय 10 लाख रुपये से अधिक है)	☐	10		
7	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
8	115खखच(पेटेंट से आय पर कर)	☐	10		
9	115खखछ (कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)	☐	10		
10					
11			योग		

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय

1	न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी	4i	
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख के लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii	
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफएमवी	4iii	
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5	
6	धारा 115नघ (3-(4-5) के अनुसार अभिवृद्धि आय	6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर	7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8	
9	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज	9	
10	आय और संदत्त ब्याज	10	
11	संदाय/प्रत्यपणीय (9-10)	11	
12	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष
13	बैंक और शाखा का नाम		
14	बीएसआर कोड		
15	चालान की क्रम संख्या		
16	जमा की गई रकम		

अनुसूची- एफएसआई भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे

क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) (ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					

भारत से बाहर होने वाली आय

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी			
1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	कुल				
2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)			2	
3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ)			3	
4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए			4	हां/नहीं
	क	प्रतिदाय कर की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें			

[illegible]

(ii)										
ग	□□□□ वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अचल संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)									
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सौधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
घ	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)									
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सौधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
ङ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है									
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो बाटे में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
								राशि	जहां अनुसूची प्रतिस्थापित की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
च	भारत से बाहर देश की विधियों के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।									
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है									
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता			प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)										
(ii)										

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

आ.क.वि V

पावती

निर्धारण वर्ष 2018-19

..... से कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए

आ.क.वि.सं 1(सहज) → 0 2 → 0 3 → 0 4(सुगम) → 0 5 → 0 7 → 0 में आय की विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की, जिसकी विशिष्टियां इस प्रकार हैं

क1 प्रथम नाम	क2 मध्य नाम		
क3 अंतिम नाम	क4 स्थायी खाता संख्या		
क5 जन्म की तारीख	क6 आयकर वार्ड/ सर्किल	क7 फ्लैट/ द्वार/ भवन	
क8 परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम	क9 सड़क/ गली		
क10 क्षेत्र/ अवस्थान	क 11 नगर/ शहर / जिला	क12 राज्य	
देश	क13 पिन कोड		

क14 केवल एक भर्ने फाइल की गई () नियत तारीख से पहले () नियत तारीख के पश्चात् सुसंशोधित विवरणी-139(9) या सूचना के उत्तर में 142(1) 148 153क/ 153ग या 92गघ या धारा 119(2)(ख) के अधीन

आय की संगणना और कर विवरण

केवल पूर्ण रुपए में

यदि हानि दर्शित करना हो तो बाईं ओर कोठक में ऋण चिन्ह लगाए

ख1 सकल कुल आय	ख1 ()
ख2 अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां	ख2
ख3 कुल आय	ख3 ()
ख4 चालू क्षति, यदि कोई हो	ख4 ()
ख5 निवल संदेय कर	ख5
ख6 संदेय ब्याज	ख6
ख7 कुल संदेय कर और ब्याज	ख7
ख8 कुल संदत्त अग्रिम कर	ख8
ख9 कुल संदत्त स्व निर्धारण कर	ख9
ख10 कुल स्रोत पर कर कटौती	ख10
ख11 कुल स्रोत पर कर संग्रहण	ख11
ख12 कुल संदत्त कर (ख 8 + ख 9 + ख 10 + ख 11)	ख12
ख13 संदेय कर (ख 7 - ख 12, यदि ख 7 > ख 12)	ख13
ख14 प्रतिदाय (ख 12 - ख 7, यदि ख 12 > ख7)	ख14
ख15 छूट प्राप्त आय कृषि	ख15
अन्य	

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	

[फा. सं. 16/2018/फा.सं.370142/1/2018-टीपीएल]

डा. टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 द्वारा अधिसूचना संख्यांक **सा.का.नि.176(अ)**, तारीख 19 फरवरी, 2018 द्वारा किया गया था।

स्पष्टीकारक ज्ञापक : संशोधनकारी नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वर्तमान नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है क्योंकि वे 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए लागू होते हैं, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2018-19।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2018

Income-tax

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2018.
2. In the Income-tax rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—
 - (a) in sub-rule (1),—
 - (I) for the figures “2017”, the figures “2018” shall be substituted;
 - (II) in clause (a),—
 - (i) for the words “an individual”, the words “an individual who is a resident other than not ordinarily resident and” shall be substituted;
 - (ii) in sub-clause (ii), after the words “brought forward loss”, the words “or loss to be carried forward” shall be inserted;
 - (iii) in the proviso, for item (I), the following shall be substituted, namely:—

“(I) has assets (including financial interest in any entity) located outside India;

(IA) has signing authority in any account located outside India;

(IB) has income from any source outside India;

(IC) has income to be apportioned in accordance with provisions of section 5A;”;
 - (III) in clause (c), for the words “derived from a proprietary”, the words “under the head” shall be substituted;
 - (IV) in clause (d), for the words “deriving income from a proprietary”, the words “having income under the head” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (5), for the figures “2016”, the figures “2017” shall be substituted.
3. In the principal rules, in Appendix II, for Forms “Forms Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7 and Form ITR-V”, the following Forms shall be respectively substituted, namely:—

FORM ITR-1
SAHAJ

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For individuals being a resident other than not ordinarily resident having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.) and having total income upto Rs.50 lakh]

(Refer instructions for eligibility)

Assessment Year

2018 - 19

PART A GENERAL INFORMATION

PAN		Name	Aadhaar Number (12 digit)/Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (If eligible for Aadhaar)	
Mobile No.		Address: Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building/Village	
Email Address		Office	Road/Street/Post	
		Area/locality	Town/City/District	State
			Country	Pin code
Return filed (Tick)/Please see instruction- ☐ On or before due date- u/s 139(1), ☐ Belated- u/s 139(4), ☐ Revised - u/s 139(5), ☐ u/s 119(2)(b), or in response to notice u/s ☐ 139(9)-Defective, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A/153C			Employer, if any – ☐ Govt. ☐ PSU ☐ Others	
If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)			/ /	
If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C, enter date of such notice			/ /	
Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick ☒ Yes ☐ No (If "YES" fill PAN of the Spouse)				

PART B GROSS TOTAL INCOME

Whole- Rupee (₹) only

SALARY / PENSION	B1	i Salary (excluding all allowances, perquisites and profit in lieu of salary)	i	
		ii Allowances not exempt	ii	
		iii Value of perquisites	iii	
		iv Profit in lieu of salary	iv	
		v Deductions u/s 16	v	
		vi Income chargeable under the head 'Salaries' (i + ii + iii + iv – v)	B1	
HOUSE PROPERTY	B2	Tick applicable option ☐ Self Occupied ☐ Let Out	If let out, furnish details below –	
		i Gross rent received/ receivable/ letable value	i	
		ii Tax paid to local authorities	ii	
		iii Annual Value (i – ii)	iii	
		iv 30% of Annual Value	iv	
		v Interest payable on borrowed capital	v	
	vi Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v)	B2 ()		
B3	Income from Other Sources			B3
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative)			B4 ()

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)

80C		80D		80G		80TTA	
Any Other (Please specify section)							
Total deductions		C1	Total Income (B4-C1)		C2		

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE

D1	Tax payable on total	D2	Rebate u/s 87A	D3	Tax after Rebate
D4	Cess, on D3	D5	Total Tax and	D6	Relief u/s 89(1)
D7	Interest u/s 234A	D8	Interest u/s 234B	D9	Interest u/s 234C
D10	Fee u/s 234F	D11 Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)			
D12	Total Taxes Paid	D13	Amount payable (D11-D12) (if	D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)
Exempt Income: For reporting		10 (38)	10(34)	Agricultural Income	Others Pls. specify

PART E – OTHER INFORMATION

D15	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	(tick one account ☒ for refund)	
I					
II					

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments

	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/27D issued or Form 26QC furnished by Deductor(s)/ Employer(s)/ Collector(s)]

	TAN of deductor/ PAN of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Amount which is subject to tax deduction	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	Amount out of (5) claimed this Year
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
T1						
T2						

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign
of Receiving Official

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (*Please see instruction*).

Date: _____ **Sign:** _____

Date: _____ **Sign:** _____

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP

Name of TRP

Counter Signature of TRP

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof

FORM

ITR-2

INDIAN INCOME TAX RETURN
[For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Also see attached instructions)

Assessment Year

2	0	1	8	-	1	9

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION

First name	Middle name	Last name	PAN
Flat/Door/Block No.		Name of Premises/Building/Village	Status (Tick) ☒ Individual ☐ HUF
Road/Street/Post Office		Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)	
Area/locality		Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)	
Town/City/District		State	Employer Category (if in employment) (Tick) ☒ Govt. ☐ PSU ☐ Others
		Pin code/Zip code	
Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		Mobile No. 2	
Email Address-1 (self)			Income Tax Ward/Circle
Email Address-2			
(a)	Return filed (Tick) [Please see instruction number-7] ☐ On or before due date-139(1), ☐ After due date-139(4), ☐ Revised Return- 139(5), ☐ Modified return- 92CD, ☐ under section 119(2)(b), or In response to notice ☐ 139(9)-Defective, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A/153C		
(b)	If revised/defective/modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /
(c)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement		/ /
(d)	Residential Status	Tick applicable option ☐ Resident ☐ Non-Resident ☐ Resident but Not Ordinarily Resident	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident) ☐ Yes ☐ No
(e)	Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? ☐ Yes ☐ No		
(f)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick ☒ ☐ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)		
(g)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
	If yes, please furnish following information -		
	(1)	Name of the representative	
	(2)	Address of the representative	
	(3)	Permanent Account Number (PAN) of the representative	

FILING STATUS

PART-B

Part B - TI Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1	
	2	Income from house property (3b of Schedule HP) (enter nil if loss)	2	
	3	Capital gains		
	a	Short term		
	i	Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG)	ai	
	ii	Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG)	a ii	
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG)	a iii	
	iv	Total Short-term (ai + a ii + a iii)	3a iv	

Do not write or stamp in this area (Space for bar code)

For Office Use Only
Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

	b Long-term			
	i	Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG)	bi	
	ii	Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG)	bii	
	iii	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	3biii	
	c Total capital gains (3aiv + 3biii) (enter nil if loss)			3c
4	Income from other sources			
	a	from sources other than from owning race horses and income chargeable to tax at special rate (1k of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b	Income chargeable to tax at special rate (1fviii of Schedule OS)	4b	
	c	from the activity of owning and maintaining race horses (3e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)		4d
5	Total (1+2+3c+4d)			5
6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xi and 3xi of Schedule CYLA)			6
7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+4b)			7
8	Brought forward losses set off against 7 (2x of Schedule BFLA)			8
9	Gross Total income (7-8) (3xi of Schedule BFLA +4b)			9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 9			10
11	Deductions under Chapter VI-A [t of Schedule VIA and limited to (9-10)]			11
12	Total income (9 - 11)			12
13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)			13
14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI)			14
15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]			15
16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)			16

Part B -TTI

Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY

1	Tax payable on total income			
	a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	1a	
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	1b	
	c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1c	
	d	Tax Payable on Total Income (1a + 1b - 1c)		1d
2	Rebate under section 87A			2
3	Tax payable after rebate (1d - 2)			3
4	Surcharge			
	i	25% of 12(ii) of Schedule SI	4i	
	ii	On [(3) - (12(ii) of Schedule SI)]	4ii	
	iii	Total i + ii		4iii
5	Education cess, including secondary and higher education cess on (3 + 4iii)			5
6	Gross tax liability (3 + 4iii + 5)			6
7	Tax relief			
	a	Section 89	7a	
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	7b	
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	7c	
	d	Total (7a + 7b+ 7c)		7d
8	Net tax liability (6 - 7d) (enter zero if negative)			8
9	Interest and fee payable			
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	9a	
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	9b	
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	9c	
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	9d	
	e	Total Interest and Fee Payable (9a+9b+9c+9d)		9e
10	Aggregate liability (8 + 9e)			10

TAXES PAID	11 Taxes Paid			
	a	Advance Tax (from column 5 of 19A)	11a	
	b	TDS (total of column 5 of 19B and column 9 of 19C)	11b	
	c	TCS (total of column 5 of 19D)	11c	
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 19A)	11d	
	e	Total Taxes Paid (11a+11b+11c+11d)	11e	
	12 Amount payable (Enter if 10 is greater than 11e, else enter 0)			12
	13 Refund (If 11e is greater than 10) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)			13
BANK ACCOUNT	14 Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)			
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)
	i			Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)
	ii			
	15 Do you at any time during the previous year,— (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]			☐ Yes ☐ No

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.
I further declare that I am making return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

16 If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP										Name of TRP										Counter Signature of TRP									

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof

17**18 TAX PAYMENTS**

A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax

Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				

NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 11a & 11d of Part B-TTI

B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]

Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I				
II				

NOTE ► Please enter total of column 5 in 11b of Part B-TTI

C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 26QB/26QC furnished by Deductor(s)]

Sl No	TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer/ Tenant	Name of the Deductor/ Buyer/Tenant	Unique TDS Certificate Number	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current fin. Year	TDS credit out of (7) or (8) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	TDS credit out of (7) or (8) being carried forward

				Fin. Year in which deducted	Amount b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)			(11)
							Income	TDS	PAN of spouse/ other person		Income	TDS	PAN of spouse/ other person	
i														
ii														
NOTE ► Please enter total of column 9 in 11b of Part B-TTI														

D		Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]				
TCS	Sl No	Tax Deduction and Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed	Amount out of (4) being claimed in the hands of spouse, if section 5A is applicable
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I					
	ii					
NOTE ► Please enter total of column (5) in 11c of Part B-TTI						

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1 – S13) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule S** Details of Income from Salary

SALARIES	Name of Employer				PAN of Employer (if available)			
	Address of employer		Town/City		State		Pin code	
	1	Salary (Excluding all exempt/ non-exempt allowances, perquisites & profit in lieu of salary as they are shown separately below)				1		
	2	Allowances not exempt (refer Form 16 from employer)				2		
	3	Value of perquisites (refer Form 16 from employer)				3		
	4	Profits in lieu of salary (refer Form 16 from employer)				4		
5	Deduction u/s 16 (Entertainment allowance by Government and tax on employment)				5			
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (1+2+3+4-5)				6			
7	Allowances exempt under section 10 (Not to be included in 6 above)				7			
	i	Travel concession/assistance received [(sec. 10(5))]		7i				
	ii	Tax paid by employer on non-monetary perquisite [(sec. 10(10CC))]		7ii				
	iii	Allowance to meet expenditure incurred on house rent [(sec. 10(13A))]		7iii				
	iv	Other allowances		7iv				

Schedule HP Details of Income from House Property (Please refer to instructions)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City		State		PIN Code	
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)								
	Your percentage of share in the property								
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner(s)		Percentage Share in Property				
	I								
	II								
	(Tick ☒ the applicable option)		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)				
	☐ Let out		I						
	☐ Self-occupied		II						
	☐ Deemed let out								
	a	Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)					1a		
	b	The amount of rent which cannot be realized		1b					
	c	Tax paid to local authorities		1c					
	d	Total (1b + 1c)		1d					
	e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)					1e		
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)					1f		
	g	30% of 1f		1g					
	h	Interest payable on borrowed capital		1h					
	i	Total (1g + 1h)					1i		
	j	Income from house property 1 (1f – 1i)					1j		
2	Address of property 2		Town/ City		State		PIN Code		
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)									
Your percentage of share in the property.									

Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner(s)		Percentage Share in Property											
I															
II															
(Tick ☒ the applicable option)		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)											
☐ Let out		I													
☐ Self-occupied		II													
☐ Deemed let out															
a	Annual lettable value or rent received/ receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)												2a		
b	The amount of rent which cannot be realized		2b												
c	Tax paid to local authorities		2c												
d	Total (2b + 2c)		2d												
e	Annual value (2a – 2d)												2e		
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)												2f		
g	30 % of 2f		2g												
h	Interest payable on borrowed capital		2h												
i	Total (2g + 2h)												2i		
j	Income from house property 2 (2f – 2i)												2j		
3	Income under the head "Income from house property"														
a	Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30 %												3a		
b	Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)												3b		

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule CG Capital Gains

Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)												
	1 From sale of land or building or both												
	a	i	Full value of consideration received/receivable	ai									
		ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii									
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)	aiii									
		b Deductions under section 48											
	i	Cost of acquisition without indexation		bi									
		ii Cost of Improvement without indexation		bii									
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii									
		iv Total (bi + bii + biii)		biv									
	c	Balance (aiii – biv)		1c									
	d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)		1d									
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										A1e	
	2 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)												
	a	Full value of consideration		2a									
		b Deductions under section 48											
		i	Cost of acquisition without indexation		bi								
			ii Cost of Improvement without indexation		bii								
	iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii										
	iv Total (i + ii + iii)		biv										
c	Balance (2a – biv)		2c										
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		2d										
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c + 2d)										A2e		
3 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)													
a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid										A3a		
	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid										A3b		
4 For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD													
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details											

		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares								
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner								
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic				
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares								
		iii	Total (ic + ii)				aiii				
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				
		ii	Cost of improvement without indexation				bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (i + ii + iii)				biv				
	c	Balance (4aiii – biv)				4c					
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				4d					
	e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)					A4e				
	5	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above									
			i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
a				Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares							
b				Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner							
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic				
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares								
iii		Total (ic + ii)				aiii					
b		Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (i + ii + iii)				biv				
c		Balance (5aiii – biv)				5c					
d		In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				5d					
e		STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)					A5e				
6		Amount deemed to be short term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
i	2015-16	54B									
b	Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'										
Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + b)					A6						
7	Amount of STCG included in A1-A6 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A6 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA					A7a				
b	Total amount of STCG chargeable at special rates in India as per DTAA					A7b					
8	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6-A7a)					A8					
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 4, 5 & 6 are not applicable for residents)										
1	From sale of land or building or both										

	a	i	Full value of consideration received/receivable	ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition with indexation	bi			
		ii	Cost of Improvement with indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (aiii – biv)			1c		
	d	Deduction under section 54/54B/54EC/54EE/54F/54GB (Specify details in item D below)			1d		
e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				B1e		
2	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)						
	a	Full value of consideration		2a			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
	c	Balance (2a – biv)		2c			
	d	Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below)		2d			
e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)			B2e			
3	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA						
	a	Full value of consideration		3a			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
	c	Balance (3a – biv)		3c			
	d	Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below)		3d			
e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)			B3e			
4	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
	a	LTCG computed without indexation benefit		4a			
	b	Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below)		4b			
	c	LTCG on share or debenture (4a-4b)			B4c		
5	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD						
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			
	b		Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
	c		Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares					
	iii	Total (ic + ii)	aiii				
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
ii		Cost of improvement without indexation	bii				
iii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii				
iv		Total (bi + bii +biii)	biv				
c	Balance (5aiii – biv)		5c				
d	Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below)		5d				
e	Long-term Capital Gains on assets at 5 above in case of NON-REESIDENT (5c – 5d)			B5e			
6	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)						
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)		6a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		6b			

c		Balance LTCG on sale of specified asset (6a – 6b)				B6c		
d		LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)		6d				
e		Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		6e				
f		Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (6d – 6e)				B6f		
7		From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable						
a		i		In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a		Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				
		b		Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
		c		Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
		ii		Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				
		iii		Total (ic + ii)		aiii		
b				Deductions under section 48				
		i		Cost of acquisition with indexation		bi		
		ii		Cost of improvement with indexation		bii		
		iii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii		
		iv		Total (bi + bii + biii)		biv		
c				Balance (7aiii – biv)		7c		
d				Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below)		7d		
e				Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d)		B7e		
8				Amount deemed to be long-term capital gains				
a				Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?				
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)
		i	2014-15	54/54F/ 54GB				
		ii	2015-16	54B				
b				Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'				
				Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + b)		B8		

9		Amount of LTCG included in B1- B8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B9a
		b	Total amount of LTCG chargeable at special rates as per DTAA									B9b
10		Total long term capital gain chargeable under I.T. Act [B1e + B2e + B3e + B4c + B5e + B6c+ B6f+ B7e+ B8 - B9a] (In case of loss take the figure to 5xi of schedule CFL)									B10	
C		Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A8 + B10) (take B10 as nil, if loss) (If C is negative, take the figure to 4xi of schedule CFL and if it is positive, take the figure to respective row in item E)									C	
D		Information about deduction claimed against Capital Gains										
1		In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54EE/54F/54GB/115F give following details										
		a	Deduction claimed u/s 54									
		i	Date of transfer of original asset					ai	dd/mm/yyyy			
		ii	Cost of new residential house					aii				
		iii	Date of purchase/construction of new residential house					aiii	dd/mm/yyyy			
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv				
		v	Amount of deduction claimed					av				
		b	Deduction claimed u/s 54B									
		i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy			
		ii	Cost of new agricultural land					bii				
		iii	Date of purchase of new agricultural land					biii	dd/mm/yyyy			

	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv	
	v	Amount of deduction claimed	bv	
c	Deduction claimed u/s 54EC			
	i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	cii	
	iii	Date of investment	ciii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	civ	
d	Deduction claimed u/s 54EE			
	i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in specified asset	dii	
	iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	div	
e	Deduction claimed u/s 54F			
	i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy
	ii	Cost of new residential house	eii	
	iii	Date of purchase/construction of new residential house	eiii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv	
	v	Amount of deduction claimed	ev	
f	Deduction claimed u/s 54GB			
	i	Date of transfer of original residential property	fi	dd/mm/yyyy
	ii	PAN of the eligible company	fii	
	iii	Amount utilised for subscription of equity shares of eligible company	fiii	
	iv	Date of subscription of shares	fiv	dd/mm/yyyy
	v	Cost of new plant and machinery purchased by the eligible company	fv	
	vi	Date of purchase of plant and machinery	fvi	dd/mm/yyyy
	vii	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fvii	
	viii	Amount of deduction claimed	fviii	
g	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)			
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset	gi	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	gii	
	iii	Date of investment	giii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	giv	
h	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g)		1h	

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A7 & B9 which is chargeable under DTAA)

Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off			Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	applicable rate	10%	20%	
			1	2	3	4	5	
i	Loss to be set off (Fill this row if computed figure is negative)		(A2e+A3a)	A4e	(A1e+A3b+A5e+A6)	(B3e+B5e+B6c)	(B1e+B2e+B4c+B6f+B7e+B8)	
ii	Short term capital gain	15%	(A2e+A3a)					
iii		30%	A4e					
iv		applicable rate	(A1e+A3b+A5e+A6)					
v	Long term capital gain	10%	(B3e+B5e+B6c)					
vi		20%	(B1e+B2e+B4c+B6f+B7e+B8)					
vii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi)							
viii	Loss remaining after set off (i - vii)							
F	Information about accrual/receipt of capital gain							
	Type of Capital gain / Date		Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.							

2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.</i>					

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES

1	Income										
a	Dividends, Gross								1a		
b	Interest, Gross								1b		
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross								1c		
d	Others, Gross (excluding income from owning race horses) Mention the nature										
i	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc.								1di		
ii	a	Cash credits u/s 68									
	b	Unexplained investments u/s 69									
	c	Unexplained money etc. u/s 69A									
	d	Undisclosed investments etc. u/s 69B									
	e	Unexplained expenditure etc. u/s 69C									
	f	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D									
	Total (a + b + c + d + e + f)								1dii		
iii	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax										
	a	Aggregate value of sum of money received without consideration									
	b	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property									
	c	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration									
	d	In case any other property is received without consideration, fair market value of property									
	e	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration									
	Total (a + b + c + d + e)								1diii		
iv									1div		
v	Total (1di + 1dii + 1diii + 1div)								1dv		
e	Total (1a + 1b + 1c + 1dv)								1e		
f	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI)										
i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. (u/s 115BB)								1fi		
ii	Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA)								1fii		
iii	Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE								1fiii		
iv	Income from patent chargeable u/s 115BBF								1fiv		
v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG								1fv		
vi	Any other income chargeable to tax at the rate specified under Chapter XII/XII-A								1fvi		
vii	Income chargeable at special rates under DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	III	Total amount of income chargeable at special rates under DTAA								1fvii	
viii	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi + 1fii + 1fiii + 1fiv + 1fv + 1fvi + 1fvii)								1fviii		
g	Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fviii)								1g		
h	Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, 1fvi & 1fvii for non-residents)										
	i	Expenses / Deductions						hi			
	ii	Depreciation						hii			
	iii	Total						hiii			
i	Amounts not deductible u/s 58								1i		
j	Profits chargeable to tax u/s 59								1j		
k	Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii + 1i + 1j) (If negative take the figure to 3ix of schedule CYLA)								1k		
2	Income from other sources (other than from owning race horses) (1fviii + 1k) (enter 1k as nil, if negative)								2		
3	Income from the activity of owning and maintaining race horses										
	a	Receipts						3a			
	b	Deductions under section 57 in relation to (4)						3b			

	c	Amounts not deductible u/s 58	3c	
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	3d	
	e	Balance (3a – 3b + 3c + 3d) (if negative take the figure to 6xi of Schedule CFL)	3e	
4	Income under the head “Income from other sources” (2 + 3e) (take 3e as nil if negative)			4

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off →		(3b of Schedule HP)	(1k of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	iii	House property	(3b of Schedule HP)			
	iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	(7ii of item E of schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(7iii of item E of schedule CG)			
	vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(7iv of item E of schedule CG)			
	vii	Long term capital gain taxable @ 10%	(7v of item E of schedule CG)			
	viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(7vi of item E of schedule CG)			
	ix	Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(1k of schedule OS)			
	x	Profit from owning and maintaining race horses	(3e of schedule OS)			
	xi	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
	xii	Loss remaining after set-off (i - xi)				

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
	iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vi	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	vii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery, game etc.)			
	ix	Profit from owning and maintaining race horses	(4x of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
	x	Total of brought forward loss set off (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+ix2)			
	xi	Current year's income remaining after set off Total (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3+ vii3 + viii3+ ix3)			

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

CARRY FORWARD OF LOSS		Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
		1	2	3	4	5	6
	i	2010-11					
	ii	2011-12					
	iii	2012-13					

iv	2013-14					
v	2014-15					
vi	2015-16					
vii	2016-17					
viii	2017-18					
ix	Total of earlier year losses					
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of schedule BFLA)			(2ix of schedule BFLA)
xi	2018-19 (Current year losses)		(2xii of schedule CYLA)	((2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG)	((5viii+6viii) of item E of schedule CG)	(3e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss carried forward to future years					

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80C		b	80CCC	
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)	
	e	80CCD(2)		f	80CCG	
	g	80D		h	80DD	
	i	80DDB		j	80E	
	k	80EE		l	80G	
	m	80GG		n	80GGA	
	o	80GGC				
	2	Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction				
	p	80QQB		q	80RRB	
	r	80TTA		s	80U	
	t	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to s)				

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit			

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)				

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee (income of the minor child, in excess of Rs. 1,500 per child, to be included)

SI No	Name of person	PAN of person (optional)										Relationship	Nature of Income	Amount (Rs)
1														
2														
3														

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 9 for rate of tax)

SPECIAL RATE	SI No	Section	☒	Special rate (%)	Income i	Tax thereon ii
	1	111A (STCG on shares units on which STT paid)	☐	15	(3iii of schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(3iv of schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	5	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	6	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	8	115E (LTCG for non-resident indian on specified asset)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
	9	112 (LTCG on others)	☐	20	(3vii of schedule BFLA)	
	10	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(1fi of schedule OS)	
	11	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	☐	10	(1fii of schedule OS)	
	12	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(1fiii of schedule OS)	
	13	115BBF (Tax on income from patent)	☐	10	(1fiv of schedule OS)	
	14	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	☐	10	(1fv of schedule OS)	
	15	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fvi of schedule OS)	
	16	Chargeable under DTAA rate	☐		(part of 1fvii of schedule OS + A7b and B9b of schedule CG)	
	Total					

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

EXEMPT INCOME	1	Interest income			1	
	2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)			2	
	3	Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid			3	
	4	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii		
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)			4
	5	Others, including exempt income of minor child			5	
	6	Total (1+2+3+4+5)			6	

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
	1.			i	House property		
				ii	Capital Gains		
				a	Short term		
				b	Long term		
				iii	Other Sources		
				iv	Income claimed to be exempt		
				a	u/s 10(23FBB)		
				b	u/s		
				c	u/s		

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India											
FOREIGN ACCOUNTS	A	Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
	Sl No	Country Name and Code	Name and Address of the Bank	Account holder name	Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary	Account Number	Account opening date	Peak Balance During the Year (<i>in rupees</i>)	Interest accrued in the account	Interest taxable and offered in this return			
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country	Nature of	Name and	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
	Name and code	entity	Address of the Entity						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived		Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											
(ii)											

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse					
PAN of the spouse					
	Heads of Income	Income received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL Asset and Liability at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of immovable asset		
	Sl. No.	Description	Address	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
	B	Details of movable asset		
	Sl. No.	Description		Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)		(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.		
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art		
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts		
	(iv)	Financial asset		Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)		
	(b)	Shares and securities		
	(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given		
	(e)	Cash in hand		
	C	Liability in relation to Assets at (A + B)		

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

FORM

ITR-3

INDIAN INCOME TAX RETURN

(For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession)

(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

(Also see attached instructions)

Assessment Year

2018-19

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION

First name	Middle name	Last name	PAN
Flat/Door/Block No		Name Of Premises/Building/Village	Status (Tick) ☒ Individual ☐ HUF
Road/Street/Post Office		Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)	
Area/locality		Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)	
Town/City/District		State	Pin code/Zip code
		Country	Employer Category (if in employment) (Tick) ☒ Govt. ☐ PSU ☐ Others
Residential/Office Phone Number with STD code / Mobile No. 1			Mobile No. 2
Email Address-1 (self)			Income Tax Ward/Circle
Email Address-2			

FILING STATUS

(a)	Return filed (Tick) [Please see instruction number-7] ☐ On or Before due date -139(1) ☐ After due date -139(4) ☐ Revised Return-139(5), ☐ Modified return- 92CD ☐ under section 119(2)(b), or In response to notice ☐ 139(9)-Defective ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153A/153C		
(b)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /
(c)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement		/ /
(d)	Residential Status Tick applicable option ☐ Resident ☐ Non-Resident ☐ Resident but Not Ordinarily Resident	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)	☐ Yes ☐ No
(e)	Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? ☐ Yes ☐ No		
(f)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) ☒ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)		
(g)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, furnish following information -		
	(1)	Name of the representative	
	(2)	Address of the representative	
	(3)	Permanent Account Number (PAN) of the representative	
(h)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) ☒ Yes ☐ No		

AUDIT INFORMATION

(a)	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
	If Yes, furnish the following information below		
	(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /	
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report	
	(3)	Membership No. of the auditor	
	(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
	(5)	Proprietorship/firm registration number	
	(6)	Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm	

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

(7)	Date of report of the audit															
(d)	If liable to furnish other audit report, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 6))															
	92E							115JC								

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS															
S.No.	Code [Please see instruction No.7(i)]	Trade name of the proprietorship, if any				Description											
(i)																	
(ii)																	
(iii)																	

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2018 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6)

SOURCES OF FUNDS	1		Proprietor's fund							
	a		Proprietor's capital					a		
	b		Reserves and Surplus							
	i		Revaluation Reserve			bi				
	ii		Capital Reserve			bii				
	iii		Statutory Reserve			biii				
	iv		Any other Reserve			biv				
	v		Total (bi + bii + biii + biv)							bv
	c		Total proprietor's fund (a + bv)					1c		
	2		Loan funds							
	a		Secured loans							
	i		Foreign Currency Loans			ai				
	ii		Rupee Loans							
			A	From Banks			iiA			
			B	From others			iiB			
			C	Total (iiA + iiB)			iiC			
	iii		Total (ai + iiC)							aiii
b		Unsecured loans (including deposits)								
i		From Banks			bi					
ii		From others			bii					
iii		Total (bi + bii)								biii
c		Total Loan Funds (aiii + biii)					2c			
3		Deferred tax liability					3			
4		Sources of funds (1c + 2c +3)					4			
APPLICATION OF FUNDS	1		Fixed assets							
	a		Gross: Block			1a				
	b		Depreciation			1b				
	c		Net Block (a – b)			1c				
	d		Capital work-in-progress			1d				
	e		Total (1c + 1d)							1e

2	Investments							
	a Long-term investments							
		i	Government and other Securities - Quoted	ai				
		ii	Government and other Securities – Unquoted	aii				
		iii	Total (ai + aii)			aiii		
	b Short-term investments							
		i	Equity Shares, including share application money	bi				
		ii	Preference Shares	bii				
		iii	Debentures	biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv		
	c Total investments (aiii + biv)					2c		
3	Current assets, loans and advances							
	a Current assets							
		i	Inventories					
			A	Stores/consumables including packing material	iA			
			B	Raw materials	iB			
			C	Stock-in-process	iC			
			D	Finished Goods/Traded Goods	iD			
			E	Total (iA + iB + iC + iD)			iE	
	ii Sundry Debtors					aii		
	iii Cash and Bank Balances							
		A	Cash-in-hand	iiiA				
		B	Balance with banks	iiiB				
		C	Total (iiiA + iiiB)			iiiC		
	iv Other Current Assets					aiv		
	v Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)					av		
	b Loans and advances							
		i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received		bi			
		ii	Deposits, loans and advances to corporates and others		bii			
		iii	Balance with Revenue Authorities		biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv		
	c Total of current assets, loans and advances (av + biv)					3c		
d Current liabilities and provisions								
		i	Current liabilities					
			A	Sundry Creditors	iA			
			B	Liability for Leased Assets	iB			
			C	Interest Accrued on above	iC			
			D	Interest accrued but not due on loans	iD			
	E	Total (iA + iB + iC + iD)			iE			
	ii Provisions							
		A	Provision for Income Tax	iiA				
		B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB				
		C	Other Provisions	iiC				
		D	Total (iiA + iiB + iiC)			iiD		
	iii Total (iE + iiD)					diii		
	e Net current assets (3c – diii)					3e		
4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted		4a				
	b	Deferred tax asset		4b				
	c	Profit and loss account/ Accumulated balance		4c				

NO ACCOUNT CASE	d	Total (4a + 4b + 4c)	4d	
	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)	5	
	6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 st day of March, 2018, in respect of business or profession)		
	a	Amount of total sundry debtors	6a	
	b	Amount of total sundry creditors	6b	
	c	Amount of total stock-in-trade	6c	
	d	Amount of the cash balance	6d	

Part A-P&L Profit and Loss Account for the financial year 2017-18 (fill items 1 to 52 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 53)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	1	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		a		iiia	
		b		iiib	
		c	Total (iiia + iiib)	iiic	
	iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv
	B	Gross receipts from Profession			B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		i	Union Excise duties	i	
		ii	Service tax	ii	
		iii	VAT/ Sales tax	iii	
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv	
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v	
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi	
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii	
		viii	Any other duty, tax and cess	viii	
	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Cix
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)			1D
	2	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
		v	Profit on sale of fixed assets	v	
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi	
		vii	Profit on sale of other investment	vii	
		viii	Profit on account of currency fluctuation	viii	
		ix	Agricultural income	ix	
		x	Any other income (specify nature and amount)		
		a		xa	
		b		xb	
		c	Total (xa + xb)	xc	
	xi	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc)			2xi
	3	Closing Stock			
		i	Raw material	3i	
		ii	Work-in-progress	3ii	

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	iii	Finished goods	3iii		
	Total (3i + 3ii + 3iii)				3iv
	4	Total of credits to profit and loss account (1D + 2xi + 3iv)			4
	5	Opening Stock			
	i	Raw material	5i		
	ii	Work-in-progress	5ii		
	iii	Finished goods	5iii		
	iv	Total (5i + 5ii + 5iii)			5iv
	6	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			6
	7	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased			
	i	Custom duty	7i		
	ii	Counter veiling duty	7ii		
	iii	Special additional duty	7iii		
	iv	Union excise duty	7iv		
	v	Service tax	7v		
	vi	VAT/ Sales tax	7vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	7vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	7viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	7ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	7x		
	xi	Any other tax, paid or payable	7xi		
	xii	Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii + 7ix + 7x + 7xi)			7xii
	8	Freight			8
	9	Consumption of stores and spare parts			9
	10	Power and fuel			10
	11	Rents			11
	12	Repairs to building			12
	13	Repairs to machinery			13
	14	Compensation to employees			
	i	Salaries and wages	14i		
	ii	Bonus	14ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	14iii		
	iv	Leave encashment	14iv		
	v	Leave travel benefits	14v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	14vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	14vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	14viii		
	ix	Contribution to any other fund	14ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	14x		
	xi	Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)			14xi
	xii a	Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
	b	If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
	15	Insurance			
	i	Medical Insurance	15i		
	ii	Life Insurance	15ii		
	iii	Keyman's Insurance	15iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	15iv		
	v	Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv)			15v
	16	Workmen and staff welfare expenses			16

17	Entertainment	17	
18	Hospitality	18	
19	Conference	19	
20	Sales promotion including publicity (other than advertisement)	20	
21	Advertisement	21	
22	Commission		
	i Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i	
	ii To others	ii	
	iii Total (i + ii)	22iii	
23	Royalty		
	i Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i	
	ii To others	ii	
	iii Total (i + ii)	23iii	
24	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services		
	i Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i	
	ii To others	ii	
	iii Total (i + ii)	24iii	
25	Hotel, boarding and Lodging	25	
26	Traveling expenses other than on foreign traveling	26	
27	Foreign travelling expenses	27	
28	Conveyance expenses	28	
29	Telephone expenses	29	
30	Guest House expenses	30	
31	Club expenses	31	
32	Festival celebration expenses	32	
33	Scholarship	33	
34	Gift	34	
35	Donation	35	
36	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)		
	i Union excise duty	36i	
	ii Service tax	36ii	
	iii VAT/ Sales tax	36iii	
	iv Cess	36iv	
	v Central Goods & Service Tax (CGST)	36v	
	vi State Goods & Services Tax (SGST)	36vi	
	vii Integrated Goods & Services Tax (IGST)	36vii	
	viii Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	36viii	
	ix Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	36ix	
	x Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x	
37	Audit fee	37	
38	Other expenses (specify nature and amount)		
	i	i	
	ii	ii	
	iii Total (i + ii)	38iii	
39	Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)		
	i	39i	
	ii	39ii	

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	iii										39iii		
	iv	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available									39iv		
	v	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)									39v		
	vi	Total Bad Debt (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)									39vi		
	40	Provision for bad and doubtful debts									40		
	41	Other provisions									41		
	42	Profit before interest, depreciation and taxes [4 – (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]									42		
	43	Interest											
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company							i				
	ii	To others							ii				
	iii	Total (i + ii)									43iii		
	44	Depreciation and amortisation									44		
	45	Profit before taxes (42 – 43iii – 44)									45		
	46	Provision for current tax									46		
	47	Provision for Deferred Tax and deferred liability									47		
	48	Profit after tax (45 - 46 - 47)									48		
	49	Balance brought forward from previous year									49		
	50	Amount available for appropriation (48 + 49)									50		
	51	Transferred to reserves and surplus									51		
	52	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (50 – 51)									52		
NO ACCOUNT CASE	53	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year 2017-18 in respect of business or profession											
	(i)	For assessee carrying on Business											
	a	Gross receipts									53(i)a		
	b	Gross profit									53(i)b		
	c	Expenses									53(i)c		
	d	Net profit									53(i)d		
	(ii)	For assessee carrying on Profession											
	a	Gross receipts									53 (ii)a		
	b	Gross profit									53 (ii)b		
	c	Expenses									53 (ii)c		
	d	Net profit									53 (ii)d		
		Total (53(i)d + 53(ii)d)									53		

Part A- OI

Other Information (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash											
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No											
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]									3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]									3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year											
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)											☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)											☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No											
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A									4d		
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A									4e		
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -											
	a	the items falling within the scope of section 28							5a				

	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses			
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Any other disallowance	6q		
	r	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6q)		6r	
	7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i		
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		7j	
	8	A	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40		
		a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	

	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		8Aj	
	B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A		9f	
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		

	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)			11h		
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of						
	a	Union Excise Duty	12a				
	b	Service tax	12b				
	c	VAT/sales tax	12c				
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d				
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e				
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f				
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g				
	h	Any other tax	12h				
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i		
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA					13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41					14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)					15	

Part A – QD		Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB)				
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern				
	1	Opening stock			1	
	2	Purchase during the previous year			2	
	3	Sales during the previous year			3	
	4	Closing stock			4	
	5	Shortage/ excess, if any			5	
	(b)	In the case of a manufacturing concern				
	6	Raw materials				
	a	Opening stock			6a	
	b	Purchases during the previous year			6b	
	c	Consumption during the previous year			6c	
	d	Sales during the previous year			6d	
	e	Closing stock			6e	
	f	Yield finished products			6f	
	g	Percentage of yield			6g	
	h	Shortage/ excess, if any			6h	
	7	Finished products/ By-products				
	a	opening stock			7a	
	b	purchase during the previous year			7b	
	c	quantity manufactured during the previous year			7c	
	d	sales during the previous year			7d	
	e	closing stock			7e	
	f	shortage/ excess, if any			7f	

Part B – TI		Computation of total income				
TOTAL INCOME	1	Salaries (6of Schedule S)			1	
	2	Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss)			2	
	3	Profits and gains from business or profession				
	i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i			
	ii	Profit and gains from speculative business (B42 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii			
	iii	Profit and gains from specified business (C48 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii			
	iv	Income from patent u/s 115BBF (3e of Schedule BP)	3iv			
	v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG (3f of Schedule BP)	3v			

	vi	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v) (enter nil if 3vi is a loss)				3vi	
4	Capital gains						
	a	Short term					
		i	Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG)	ai			
		ii	Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG)	a ii			
		iii	Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG)	a iii			
		iv	Total Short-term (ai + a ii + a iii)	4aiv			
	b	Long-term					
		i	Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG)	bi			
		ii	Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG)	b ii			
		iii	Total Long-term (bi + b ii) (enter nil if loss)	4biii			
	c	Total capital gains (4aiv + 4biii) (enter nil if loss)					4c
5	Income from other sources						
	a	from sources other than from owning race horses and income chargeable to tax at special rate (1k of Schedule OS) (enter nil if loss)		5a			
	b	Income chargeable to tax at special rate (1fvii of Schedule OS)		5b			
	c	from the activity of owning and maintaining race horses (3e of Schedule OS) (enter nil if loss)		5c			
	d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)					5d
6	Total (1 + 2 + 3vi +4c +5d)					6	
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xiv,3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)					7	
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of column 5 of Schedule CYLA+5b)					8	
9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xiii, 3xiii and 4xiii of Schedule BFLA)					9	
10	Gross Total income (8-9) (5xiv of Schedule BFLA+ 5b)					10	
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 10					11	
12	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)					12	
13	Deductions under Chapter VI-A						
	a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (10-11)]				13a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A and limited upto (10-11-3iii)]				13b	
	c	Total (13a + 13b) [limited upto (10-11)]				13c	
14	Total income (10 - 12-13c)					14	
15	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)					15	
16	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI)					16	
17	Aggregate income (14-15+16) [applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]					17	
18	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)					18	

Part B – TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)				1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)				1b	
		c	Education Cess, including secondary and higher education cess on (1a+1b) above				1c	
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)				1d	
	2	Tax payable on total income						
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a				
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b				
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c				
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)				2d	
		e	Rebate under section 87A				2e	
		f	Tax payable after rebate (2d – 2e)				2f	
		g	Surcharge					
		i	25% of 13(ii) of Schedule SI	2gi				
		ii	On [(2f) – (13(ii) of Schedule SI)]	2gii				
		iii	Total (i + ii)				2giii	
		h	Education cess, including secondary and higher education cess on (2f + 2giii)				2h	

	i	Gross tax liability (2f + 2giii + 2h)			2i		
3	Gross tax payable (higher of 1d and 2i)					3	
4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)					4	
5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)					5	
6	Tax relief						
	a	Section 89	6a				
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	6b				
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)	6c				
	d	Total (6a + 6b+ 6c)			6d		
7	Net tax liability (5 - 6d) (enter zero if negative)					7	
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)					9	
10	Taxes Paid						
	a	Advance Tax (from column 5 of 18A)	10a				
	b	TDS (total of column 5 of 18B and column 8 of 18C)	10b				
	c	TCS (column 7 of 18D)	10c				
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A)	10d				
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)					11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)					12	
13	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)						
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)		
	i						
	ii						
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]					☐ Yes ☐ No	

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Place
Date

Sign here →

15 If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		16
17 TAX PAYMENTS		

ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																											
	SI No		BSR Code						Date of Deposit (DD/MM/YYYY)								Serial Number of Challan				Amount (Rs)							
	(1)		(2)						(3)								(4)				(5)							
	i																											
	ii																											
	iii																											
	iv																											
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in SI No. 10a & 10d of Part B-TTI																										
TDS ON SALARY	B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																											
	SI No		Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer						Name of the Employer								Income chargeable under Salaries				Total tax deducted							
	(1)		(2)						(3)								(4)				(5)							
	I																											
	II																											
	NOTE ►		Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI																									

C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 26QB/26QC furnished by Deductor(s)]														
TDS ON OTHER INCOME	Sl No	TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer/ Tenant	Name of the Deductor/ Buyer/Tenant	Unique TDS Certificate Number	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current fin. Year			TDS credit out of (7) or (8) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			TDS credit out of (7) or (8) being carried forward	
					Fin. Year in which deducted	Amount b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	
								Income	TDS	PAN of spouse/ other person		Income	TDS	PAN of spouse/ other person
	i													
	ii													
NOTE ► Please enter total of column 8 in 10b of Part B-TTI														

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
TDS ON OTHER INCOME	Sl. No.	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	i							
	ii							
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1-S22) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule S Details of Income from Salary**

SALARIES	Name of Employer				PAN of Employer (if available)					
	Address of employer				Town/City		State		Pin code	
	1	Salary (Excluding all exempt/ non-exempt allowances, perquisites & profit in lieu of salary as they are shown separately below)						1		
	2	Allowances not exempt (refer Form 16 from employer)						2		
	3	Value of perquisites (refer Form 16 from employer)						3		
	4	Profits in lieu of salary (refer Form 16 from employer)						4		
	5	Deduction u/s 16 (Entertainment allowance by Government and tax on employment)						5		
	6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (1 + 2 + 3 + 4 – 5)						6		
	7	Allowances exempt under section 10 (Not to be included in 6 above)						7		
		i	Travel concession/assistance received [(sec. 10(5))]				7i			
	ii	Tax paid by employer on non-monetary perquisite [(sec. 10(10CC))]				7ii				
	iii	Allowance to meet expenditure incurred on house rent [(sec. 10(13A))]				7iii				
	iv	Other allowances				7iv				

Schedule HP Details of Income from House Property (Please refer to instructions)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City		State		PIN Code		
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Your percentage of share in the property.											
	Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner (s)				Percentage Share in Property			
	I											
	II											
	[Tick ☒ the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN of Tenant(s) (if available)			
	☐ Let out				I							
	☐ Self-occupied				II							
	☐ Deemed let out											
	a	Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)							1a			
	b	The amount of rent which cannot be realized				1b						
	c	Tax paid to local authorities				1c						
	d	Total (1b + 1c)				1d						
	e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)							1e			
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)							1f			
	g	30% of 1f				1g						
	h	Interest payable on borrowed capital				1h						
	i	Total (1g+ 1h)							1i			
	j	Income from house property 1 (1f – 1i)							1j			
	2	Address of property 2				Town/ City		State		PIN Code		
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Your percentage of share in the property												
Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner (s)				Percentage Share in Property (optional)				
I												
II												
[Tick ☒ the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN(s) of Tenant (if available)				
				I								

☐ Let out ☐ Self-occupied ☐ Deemed let out		II															
a	Annual lettable value or rent received or receivable (<i>higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year</i>)												2a				
b	The amount of rent which cannot be realized												2b				
c	Tax paid to local authorities												2c				
d	Total (2b + 2c)												2d				
e	Annual value (2a – 2d)												2e				
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)												2f				
g	30% of 2f												2g				
h	Interest payable on borrowed capital												2h				
i	Total (2g + 2h)												2i				
j	Income from house property 2 (2f – 2i)												2j				
3	Income under the head “Income from house property”																
a	Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30%												3a				
b	Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)												3b				

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A From business or profession other than speculative business and specified business														
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 45 and 53 of Part A-P&L)											1		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)											2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)											2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG										a	Salaries	3a	
												b	House property	3b	
												c	Capital gains	3c	
												d	Other sources	3d	
												e	u/s 115BBF	3e	
												f	u/s 115BBG	3f	
	4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/44D/44DA/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act													
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt													
		a	Share of income from firm(s)									5a			
		b	Share of income from AOP/ BOI									5b			
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)												
		i										ci			
	ii										cii				
	iii	Total (ci + cii)									5ciii				
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)											5d			
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f – 4– 5d)											6			
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG										a	Salaries	7a		
											b	House property	7b		
											c	Capital gains	7c		
											d	Other sources	7d		
											e	u/s 115BBF	7e		
											f	u/s 115BBG	7f		
8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income											8			
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8)											9			
10	Adjusted profit or loss (6+9)											10			
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account											11			
12	Depreciation allowable under Income-tax Act														
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP)									12i				

	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
13		Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)		13	
14		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of PartA-OI)	14		
15		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of PartA-OI)	15		
16		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)	16		
17		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)	17		
18		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of PartA-OI)	18		
19		Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	19		
20		Deemed income under section 41	20		
21		Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA	21		
22		Deemed income under section 43CA	22		
23		Any other item of addition under section 28 to 44DA	23		
24		Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24		
25		Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25		
26		Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)		26	
27		Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28		Deduction allowable under section 32AD	28		
29		Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
30		Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of PartA-OI)	30		
31		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of PartA-OI)	31		
32		Any other amount allowable as deduction	32		
33		Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34		Total (27+28+29+30+31+32+33)		34	
35		Income (13+26-34)		35	
36		Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD	36i		
	ii	Section 44ADA	36ii		
	iii	Section 44AE	36iii		
	iv	Section 44B	36iv		
	v	Section 44BB	36v		
	vi	Section 44BBA	36vi		
	vii	Section 44BBB	36vii		
	viii	Section 44D	36viii		
	ix	Section 44DA	36ix		(item 4 of Form 3CE)
	x	First Schedule of Income-tax Act	36x		

	xi	Total (36i to 36x)	36xi	
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35+36xi)		37	
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E)		A38	
B	Computation of income from speculative business			
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account		39	
40	Additions in accordance with section 28 to 44DA		40	
41	Deductions in accordance with section 28 to 44DA		41	
42	Income from speculative business (39+40-41) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)		B42	
C	Computation of income from specified business under section 35AD			
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		43	
44	Additions in accordance with section 28 to 44DA		44	
45	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		45	
46	Profit or loss from specified business (43+44-45)		46	
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)		47	
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL)		C48	
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C49	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B42+C48)		D	
E	Intra head set off of business loss of current year			
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or (1)	Business loss set off (2)	Business income remaining after set off (3) = (1) - (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	
ii	Income from speculative business	(B42)		
iii	Income from specified business	(C48)		
iv	Total loss set off (ii + iii)			
v	Loss remaining after set off (i - iv)			

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
3(a)	Written down value on the first day of previous year				
3(b)	Written down value on the first day of previous year, of those block of assets which were eligible for depreciation @ 50%, 60% or 80% as per the old Table				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3(a) + 3(b) + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				

9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)			
10	Depreciation on 6 at full rate			
11	Depreciation on 9 at half rate			
12	Additional depreciation, if any, on 4			
13	Additional depreciation, if any, on 7			
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days			
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)			
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
17	Net aggregate depreciation (15-16)			
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3(a) - 3(b) - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)			
21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)			

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
	17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
	18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery		
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a	
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b	
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c	
	d	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c)		1d
	2	Building (not including land)		
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a	
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b	
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c	
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)		2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 12v)		3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 12vi)		4
	5	Ships (Schedule DOA- 12vii)		5
	6	Total depreciation (1d+2d+3+4+5)		6

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

DEEMED CAPITAL GAINS

Plant and machinery			
Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b		
Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
Total (1a+1b + 1c)		1d	
Building (not including land)			
Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
Total (2a + 2b + 2c)		2d	
Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)		3	
Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)		4	
Ships (Schedule DOA- 17vii)		5	
Total (1d+2d+3+4+5)		6	

Schedule ESR Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
V	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			

viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			

Schedule CG Capital Gains

A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)			
Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both	
	a	i	Full value of consideration received/receivable
		ii	Value of property as per stamp valuation authority
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)
	b	Deductions under section 48	
		i	Cost of acquisition without indexation
		ii	Cost of Improvement without indexation
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer
		iv	Total (bi + bii + biii)
	c	Balance (aiii – biv)	
	d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)	
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)	
			A1e
	2	From slump sale	
	a	Full value of consideration	2a (5 of Form 3CEA)
	b	Net worth of the under taking or division	2b (6(e) of Form 3CEA)
	c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)	
			A2c
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)	
	a	Full value of consideration	3a
	b	Deductions under section 48	
		i	Cost of acquisition without indexation
		ii	Cost of Improvement without indexation
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer
		iv	Total (i + ii + iii)
	c	Balance (3a – biv)	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)	
			A3e
	4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)	
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid	
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid	
			A4a A4b
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD	
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares
		iii	Total (ic + ii)
	b	Deductions under section 48	
		i	Cost of acquisition without indexation
		ii	Cost of improvement without indexation
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer
		iv	Total (i + ii + iii)
	c	Balance (5aiii – biv)	
			5c

		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)					5d				
		e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)							A5e		
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above											
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details									
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares									
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner									
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)					ic				
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares									
		iii	Total (ic + ii)					aiii				
	b	Deductions under section 48										
		i	Cost of acquisition without indexation					bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation					bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii				
		iv	Total (i + ii + iii)					biv				
	c	Balance (6aiii – biv)							6c			
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					6d					
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)					6e					
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA					6f					
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)							A6g			
7	Amount deemed to be short term capital gains											
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
					Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
		i	2014-15	54D/54G/54GA								
		ii	2015-16	54B								
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54D/54G/54GA, other than at 'a'										
	Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + b)										A7	
8	Amount of STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax as per DTAA									A8a	
	b	Total amount of STCG chargeable at special rates as per DTAA									A8b	
9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 -A8a)										A9	
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5, 6 & 7 are not applicable for residents)											
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both										
		a	i	Full value of consideration received/receivable					ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority					aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)					aiii			

	b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition with indexation	bi		
		ii	Cost of Improvement with indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (aiii – biv)		1c		
	d Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54EE/54F/54G/54GA/54GB (Specify details in item D below)				1d	
	e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				B1e	
2	From slump sale					
	a	Full value of consideration		2a	(5 of Form 3CEA)	
	b	Net worth of the under taking or division		2b	(6(e) of Form 3CEA)	
	c	Balance (2a – 2b)		2c		
	d	Deduction u/s 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below)		2d		
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)		B2e		
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)					
	a	Full value of consideration		3a		
	b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Balance (3a – biv)		3c		
	d	Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below)		3d		
	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)		B3e		
4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA					
	a	Full value of consideration		4a		
	b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Balance (4a – biv)		4c		
	d	Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D		4d		
e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e			
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	LTCG computed without indexation benefit		5a		
	b	Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D		5b		
	c	LTCG on share or debenture (5a-5b)		B5c		
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD					
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			
	iii	Total (ic + ii)		aiii		
	b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
			Cost of improvement without indexation	bii		
			Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
Total (bi + bii +biii)			biv			
c	Balance (6aiii – biv)		6c			

		d	Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D)				6d					
		e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c – 6d)						B6e			
7	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)											
		a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)				7a					
		b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)				7b					
		c	Balance LTCG on sale of specified asset (7a – 7b)						B7c			
		d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)				7d					
		e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)				7e					
		f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (7d – 7e)						B7f			
8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable											
		a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares								
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner								
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic				
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares								
			iii	Total (ic + ii)				aiii				
		b	Deductions under section 48									
			i	Cost of acquisition with indexation				bi				
			ii	Cost of improvement with indexation				bii				
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
			iv	Total (bi + bii + biii)				biv				
		c	Balance (8aiii – biv)						8c			
		d	Deduction under section 54D/54EC/54EE /54F/54G/54GA (Specify						8d			
		e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c-8d)						B8e			
9	Amount deemed to be long-term capital gains											
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
					Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
		i	2014-15	54/54D/54F/54G/54GA								
		ii	2015-16	54B								
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
		Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + b)									B9	
10	-Amount of LTCG included in items B1 to B9 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
		Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B9 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B10a	
	b	Total amount of LTCG chargeable at special rates as per DTAA									B10b	
11	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act [B1e +B2e+ B3e +B4e + B5c + B6e + B7c + B7f + B8e+ B9-B10a] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)									B11		
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9 + B11) (take B11 as nil, if loss)									C		
D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
	1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC/54EE /54F/54G/54GA/115F give following details										
		a	Deduction claimed u/s 54									
		i	Date of transfer of original asset				ai	dd/mm/yyyy				

	ii	Cost of new residential house	aii	
	iii	Date of purchase /construction of new residential house	aiii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv	
	v	Amount of deduction claimed	av	
	b	Deduction claimed u/s 54B		
	i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy
	ii	Cost of new agricultural land	bii	
	iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv	
	v	Amount of deduction claimed	bv	
	c	Deduction claimed u/s 54D		
	i	Date of acquisition of original asset	ci	dd/mm/yyyy
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	cii	
	iii	Date of purchase of new land or building	ciii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
	v	Amount of deduction claimed	cv	
	d	Deduction claimed u/s 54EC		
	i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	dii	
	iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy
	iv	Amount of deduction claimed	diiiv	
	e	Deduction claimed u/s 54EE		
	i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy
	ii	Amount invested in specified asset	eii	
	iii	Date of investment	eiii	dd/mm/yyyy
iv	Amount of deduction claimed	eiv		
f	Deduction claimed u/s 54F			
i	Date of transfer of original asset	fi	dd/mm/yyyy	
ii	Cost of new residential house	fii		
iii	Date of purchase/construction of new residential house	fiii	dd/mm/yyyy	
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fiv		
v	Amount of deduction claimed	fv		
g	Deduction claimed u/s 54G			
i	Date of transfer of original asset from urban area	gi	dd/mm/yyyy	
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	gii		
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	giii	dd/mm/yyyy	
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	giv		
v	Amount of deduction claimed	gv		
h	Deduction claimed u/s 54GA			
i	Date of transfer of original asset from urban area	hi	dd/mm/yyyy	
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	hii		
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	hiii	dd/mm/yyyy	
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	hiv		
v	Amount of deduction claimed	hv		
i	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)			
i	Date of transfer of original foreign exchange asset	ii	dd/mm/yyyy	
ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	iii		
iii	Date of investment	iiii	dd/mm/yyyy	
iv	Amount of deduction claimed	iiiv		
j	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h + 1i)		1j	
2	In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company			
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B10 which is chargeable under DTAA)			

Sl.	Type of Capital Gain		Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off			Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6)
				15%	30%	applicable rate	10%	20%	
				1	2	3	4	5	6
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →			(A3e+A4a)	A5e	(A1e+A2c+A4b+A6g+A7+A8b)	(B4e+B6e+B7c)	(B1e+B2e+B3e+B5c+B7f+B8e+B9)	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e+A4a)						
iii		30%	A5e						
iv		applicable rate	(A1e+A2c+A4b+A6g+A7+A8b)						
v	Long term capital gain	10%	(B4e+ + B6e+B7c)						
vi		20%	(B1e+B2e+B3e+ B5c+B7f+B8e+B9)						
vii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi)								
viii	Loss remaining after set off (i – vii)								
F	Information about accrual/receipt of capital gain								
		Type of Capital gain / Date		Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1		Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.							
2		Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.							
3		Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.							
4		Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.							
5		Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.							

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES

1 Income			
a	Dividends, Gross	1a	
b	Interest, Gross	1b	
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross	1c	
d	Others, Gross (excluding income from owning race horses) <i>Mention the nature</i>		
i	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc.	1di	
ii	a Cash credits u/s 68		
	b Unexplained investments u/s 69		
	c Unexplained money etc. u/s 69A		
	d Undisclosed investments etc. u/s 69B		
	e Unexplained expenditure etc. u/s 69C		
	f Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D		
	Total (a + b + c + d + e + f)	1dii	
iii	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax		
a	Aggregate value of sum of money received without consideration		
b	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		
c	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		
d	In case any other property is received without consideration, fair market value of property		

	e	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration												
		Total (a+ b + c +d + e)					1diii							
		iv						1div						
		v						1dv						
		vi	Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div+1dv)					1dvi						
e		Total (1a + 1b + 1c + 1dvi)									1e			
f		Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI)												
	i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB)									1fi			
		Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA)									1fii			
		Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE									1fiii			
		Income from patent chargeable u/s 115BBF									1fiv			
		Income from transfer of credits u/s 115BBG									1fv			
		Any other income chargeable to tax at the rate specified under Chapter XII/XII-A									1fvi			
	vii	Income chargeable at special rates under DTAA												
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act			Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	
		I												
		II												
		III Total amount of income chargeable at special rates under DTAA									1fvii			
		viii Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii + 1fiii+1fiv+1fv+1fvi + 1fvii)									1fviii			
		g		Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e – 1fviii)									1g	
		h		Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, 1fvi & 1fvii)										
		i	Expenses / Deductions					hi						
ii	Depreciation					hii								
iii	Total					hiii								
i		Amounts not deductible u/s 58									1i			
j		Profits chargeable to tax u/s 59									1j			
k		Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii + 1i + 1j) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)									1k			
2		Income from other sources (other than from owning race horses) (1fviii + 1k) (enter 1k as nil, if negative)									2			
3		Income from the activity of owning and maintaining race horses												
a	Receipts					3a								
b	Deductions under section 57 in relation to (4)					3b								
c	Amounts not deductible u/s 58					3c								
d	Profits chargeable to tax u/s 59					3d								
e		Balance (3a – 3b + 3c + 3d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)									3e			
4		Income under the head "Income from other sources" (2 + 3e) (take 3e as nil if negative)									4			

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	SLNo	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off ->		(3b of Schedule – HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(1k of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(7 of Schedule S)				
	iii	House property	(3b of Schedule HP)				

iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A38 of Schedule BP)				
v	Speculative Income	(3ii of item E of schedule BP)				
vi	Specified Business Income	(3iii of item E of schedule BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(7ii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(7iii of item E of schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(7iv of item E of schedule CG)				
x	Long term capital gain taxable @ 10%	(7v of item E of schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(7vi of item E of schedule CG)				
xii	Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(1k of schedule OS)				
xiii	Profit from owning and maintaining race horses	(3e of schedule OS)				
xiv	Total loss set off					
xv	Loss remaining after set-off (i - xiv)					

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	Salaries	(5ii of schedule CYLA)				
ii	House property	(5iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
x	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(5xii of schedule CYLA)				
xii	Profit from owning and maintaining race horses	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xiii	Total of brought forward loss set off (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+viii2+ix2+x2+xii2)					
xiv	Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5 +xii5)					

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	2010-11								

ii	2011-12								
iii	2012-13								
iv	2013-14								
v	2014-15								
vi	2015-16								
vii	2016-17								
viii	2017-18								
ix	Total of earlier year losses b/f								
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)	(2v of schedule BFLA)				(2xii of schedule BFLA)
xi	2018-19 (Current year losses)	(2xv of schedule CYLA)	(3xv of schedule CYLA)	(B42 of schedule BP, if -ve)	(C48 of schedule BP, if -ve)	(2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG)	((5viii+6viii) of item E of schedule CG)		(3e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss Carried forward to future years								

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	Total		(3xiii of BFLA)			(4xiii of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)

b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
c	Total deduction under section 10AA (a + b)				c

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
		i				
		ii				
		iii	Total			
	E	Total eligible amount of donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)				

Schedule 80-IA

a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	b1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	c1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	d1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2)				e

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)
		k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)
m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)	m		

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim				a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh				b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand				c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d Deduction in respect of undertaking located in North-East							
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			

		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)				dh
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80C		b	80CCC	
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)	
	e	80CCD(2)		f	80CCG	
	g	80D		h	80DD	
	i	80DDB		j	80E	
	k	80EE		l	80G	
	m	80GG		n	80GGC	
	Total Deduction under Part B (total of a to n)					1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	o	80-IA	(e of Schedule 80-IA)	p	80-IAB	
	q	80-IB	(m of Schedule 80-IB)	r	80-IBA	
	s	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	t	80JJA	
	u	80JJAA		v	80QQB	
	w	80RRB				
	Total Deduction under Part C (total of o to w)					2
	3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction				
	x	80TTA		y	80U	
	Total Deduction under Part CA and D (total of x and y)					3
	4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)				4

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI	1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)		
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading “C.—Deductions in respect of certain incomes”	2a	
b	Deduction claimed u/s 10AA	2b	
c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c	
d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d	
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)	3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)	4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2018-19 (1d of Part-B-TTI)				1		
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2018-19 (2i of Part-B-TTI)				2		
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3		
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
vii	Total						
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)]				5		
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6		

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee (income of the minor child, in excess of Rs. 1,500 per child, to be included)

Sl No	Name of person	PAN of person (optional)	Relationship	Nature of Income	Amount (Rs)
1					
2					
3					

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 7 for rate of tax)

Sl No	Section	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares units on which where STT paid)	☐	15	(5vi of schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(5vii of schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
5	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	

SPECIAL RATE

6	115AC (Income of non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fii of schedule OS)	
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
9	115E (LTCG for non-resident indian on specified asset)	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
10	112 (LTCG on others)	☐	20	(5x of schedule BFLA)	
11	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(1fi of schedule OS)	
12	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10lakh)	☐	10	(1fii of schedule OS)	
13	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(1fiii of schedule OS)	
14	115BBF (Tax on income from patent)				
	a Income under head business or profession	☐	10	(3e of schedule BP)	
	b Income under head other sources	☐	10	(1fiv of schedule OS)	
15	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a Income under head business or profession	☐	10	(3f of schedule BP)	
	b Income under head other sources	☐	10	(1fv of schedule OS)	
16	115A(b) (Income of a non-resident from Royalty)	☐	25	(part of 1fvi of schedule OS)	
17	Chargeable under DTAA rate	☐		(part of 1fvii of schedule OS + A8b and B10b of schedule CG)	
18		☐			
			Total		

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 st March in the firm
							i	ii
	1							
	2							
	3							
	4	Total						

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

EXEMPT INCOME	1	Interest income				1	
	2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)				2	
	3	Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid				3	
	4	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture	ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii			
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)				4
	5	Others, including exempt income of minor child (please specify)				5	
6	Total (1+2+3+4+5)				6		

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
	1.			i	House property		
				ii	Capital Gains		
					a	Short term	
					b	Long term	
				iii	Other Sources		
				iv	Income claimed to be exempt		
					a	u/s 10(23FBB)	
					b	u/s	
					c	u/s	
	2.			i	House property		
				ii	Capital Gains		
					a	Short term	
					b	Long term	
				iii	Other Sources		
				iv	Income claimed to be exempt		
					a	u/s 10(23FBB)	
					b	u/s	
					c	u/s	

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

INCOME FROM OUTSIDE INDIA

Schedule FSI				Details of Income from outside India and tax relief						
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
1			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Business or Profession						
			iv	Capital Gains						
			v	Other sources						
			Total							
2			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Business or Profession						
			iv	Capital Gains						
			v	Other sources						
			Total							
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of I(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of I(d))				3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No
	a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

[illegible]

B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)											
(ii)											

NOTE ►

Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A**Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code**

Name of the spouse					
PAN of the spouse					
	Heads of Income	Income received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL**Asset and Liability at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)**

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable asset			
	Sl. No.	Description	Address	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
	B Details of movable asset			
	Sl. No.	Description	Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)	(3)	
	(i)	Jewellery, bullion etc.		
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art		
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts		
	(iv)	Financial asset	Amount (cost) in Rs.	
		(a) Bank (including all deposits)		
		(b) Shares and securities		
		(c) Insurance policies		
		(d) Loans and advances given		
		(e) Cash in hand		
	C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof			
	Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP	Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
	D Liability in relation to Assets at (A + B + C)			
	NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.			

FORM

ITR-4
SUGAM

INDIAN INCOME TAX RETURN FOR PRESUMPTIVE INCOME FROM BUSINESS & PROFESSION

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Also see attached instructions)

Assessment Year

2	0	1	8	-	1	9

(A1) First Name		(A2) Middle Name		(A3) Last Name		(A4) Permanent Account Number	
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)		(A6) Income Tax Ward/Circle		(A7) Flat/Door/Building			
(A8) Name of Premises/ Building/ Village		(A9) Road/Street		(A10) Area/locality			
(A11) Town/City/District		(A12) State & Country		(A13) Pin code/Zip code			
(A14) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)						(A15) Status	
						Individual ☐ HUF ☐ Firm (other than LLP) ☐	
(A16) Mobile No.1 /Residential/Office Phone Number with STD code				(A17) Mobile No. 2		(A18) Email Address	
(A19) Fill only one-		Tax Refundable —		Tax Payable —		Nil Tax Balance —	
(A20) Fill only one--		☐ Resident		☐ Non-Resident		☐ Resident but Not Ordinarily Resident	
(A21) Fill only one: Filed- ☐ On or before due date -139(1), ☐ After due date -139(4), ☐ Revised Return-139(5) or In response to notice ☐ 139(9)-Defective ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153A/153C or ☐ u/s 119(2)(b)							
(A22) Whether Person governed by Portuguese Civil Code under Section 5A ☐							
(A23) If A22 is applicable, PAN of the Spouse							
(A24) If revised/defective, then enter Receipt No and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)				DD/MM/YYYY			
(A25) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153A/153C, enter the date of such notice				DD / MM / YYYY			

PART B GROSS TOTAL INCOME				Whole- Rupee(·) only	
B1	Income from Business & Profession NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP			B1	
B2	i	Salary (excluding all allowances, perquisites and profit in lieu of salary)	i		
	ii	Allowances not exempt	ii		
	iii	Value of perquisites	iii		
	iv	Profit in lieu of salary	iv		
	v	Deductions u/s 16	v		
		vi	Income chargeable under the head 'Salaries' (i + ii + iii + iv - v) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1" given in Page 5)	B2	
B3	Tick applicable option Self Occupied ☐ Let Out ☐ If let out, furnish details below -				
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value	i		
	ii	Tax paid to local authorities	ii		
	iii	Annual Value (i - ii)	iii		
	iv	30% of Annual Value	iv		
	v	Interest payable on borrowed capital	v		
		vi	Income chargeable under the head 'House Property' (iii - iv - v) (If loss, put the figure in negative)	B3 ()	
B4	Income from Other Sources NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS2" given in Page 5			B4 ()	
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4)			B5 ()	

FOR OFFICE USE ONLY

STAMP RECEIPT NO. HERE

SEAL, DATE AND SIGNATURE OF RECEIVING OFFICIAL

PAN--

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for limits on Amount of Deductions as per “Income Tax Act”)

C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)		
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80CCG		
C7	80D		C8	80DD		C9	80DDB		
C10	80E		C11	80EE		C12	80G		
C13	80GG		C14	80GGC		C15	80QQB		
C16	80RRB		C17	80TTA		C18	80U		
C19	Total deductions (Add items C1 to C18)								C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)								C20

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Surcharge if applicable	D4	
D5	Cess on (D3+D4)	D5	
D6	Total Tax, Surcharge and Cess (D3+D4+D5)	D6	
D7	Relief u/s 89	D7	
D8	Balance Tax after Relief (D6-D7)	D8	
D9	Total Interest u/s 234A	D9	
D10	Total Interest u/s 234B	D10	
D11	Total Interest u/s 234C	D11	
D12	Fee u/s 234F	D12	
D13	Total Tax, Fee and Interest(D8+D9+D10+D11+D12)	D13	
D14	Total Advance Tax Paid	D14	
D15	Total Self-Assessment Tax Paid	D15	
D16	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 7 of Schedule-TDS2)	D16	
D17	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D17	
D18	Total Taxes Paid (D14+D15+D16+D17)	D18	
D19	Amount payable (D13- D18, If D13> D18)	D19	
D20	Refund (D18 – D13, If D18 > D13)	D20	
D21	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5)	D21	

BANK ACCOUNT	D22	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)			
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)
	i				
	ii				

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction)

Place: _____ Sign here →

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)										Name of TRP										Counter Signature of TRP									
Amount to be paid to TRP																													

PAN--

NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION IF MORE THAN ONE BUSINESS INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS			
S.No.	Code	Name of the Business	Description
(i)			
(ii)			
(iii)			

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION				
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44AD				
E1	Gross Turnover or Gross Receipts			
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date		E1a
	b	Any other mode		E1b
E2	Presumptive Income under section 44AD			
	a	6% of E1a		E2a
	b	8% of E1b		E2b
	c	Total (a + b)		E2c
NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form				
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44ADA (PROFESSION)				
E3	Gross Receipts			E3
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3)			E4
NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form				
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44AE				
E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE			E5
NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then the regular ITR 3/5 form has to be filled and not this form				
E6	Salary and interest paid to the partners			E6
NOTE – This is to be filled up only by firms				
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)			E7
E8	Income chargeable under Business or Profession (E2c+E4+E7)			E8
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST				
E9	GSTR No.			E9
E10	Amount of turnover/Gross receipt as per the GST return filed			E10
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS				
NOTE—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2018				
E11	Partners/ Members own capital			E11
E12	Secured loans			E12
E13	Unsecured loans			E13
E14	Advances			E14
E15	Sundry creditors			E15
E16	Other liabilities			E16
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)			E17
E18	Fixed assets			E18
E19	Inventories			E19
E20	Sundry debtors			E20
E21	Balance with banks			E21
E22	Cash-in-hand			E22
E23	Loans and advances			E23
E24	Other assets			E24

E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)	E25	
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)			

Schedule AL Asset and Liability at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable asset			
	Sl. No.	Description	Address	
	(1)	(2)	(3)	
	(i)			
	(ii)			
	B Details of movable asset			
	Sl. No.	Description	Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)	(3)	
	(i)	Jewellery, bullion etc.		
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art		
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts		
	(iv)	Financial asset	Amount (cost) in Rs.	
	(a)	Bank (including all deposits)		
	(b)	Shares and securities		
	(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given		
	(e)	Cash in hand		
	C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof			
	Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP	Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
	(1)	(2)	(3)	(4)
(i)				
(ii)				
D Liability in relation to Assets at (A + B + C)				
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.				

[illegible][illegible]

NOTE ►

Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS.	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed	Amount out of (4) being claimed in the hands of spouse, if section 5A is applicable
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
i						
ii						

NOTE ►

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ►

[illegible]

T4												
NOTE ► Please enter total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 7 of Schedule-TDS2 in D15												

PAN--

Supplementary Schedule TDS 1(to be used only after exhausting item S1-S3 of Schedule TDS1 in main form etc.)				
	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S4				
S5				
S6				
S7				
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				
S13				
S14				
S15				
S16				
S17				
S18				
S19				
S20				
S21				
S22				
S23				
S24				
S25				
S26				
S27				
S28				
S29				
S30				

PAN--

Supplementary Schedule TDS 2(to be used only after exhausting item T1-T4 of Schedule TDS2 in main form etc)							
	TAN of the deductor	Name of the Deductor	Unique TDS Certificate Number	Deducted Year	Tax Deducted	Amount out of (6) claimed this Year	If A23 is applicable, amount claimed in the hands of spouse
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)	Col (7)
T5							
T6							
T7							
T8							
T9							
T10							
T11							
T12							
T13							
T14							
T15							
T16							
T17							
T18							
T19							
T20							
T21							
T22							
T23							
T24							
T25							
T26							
T27							
T28							
T29							
T30							
T31							

PAN--

Supplementary Schedule IT (to be used only after exhausting item R1-R5 of Schedule IT in main form etc)				
	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Challan No.	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R6				
R7				
R8				
R9				
R10				
R11				
R12				
R13				
R14				
R15				
R16				
R17				
R18				
R19				
R20				
R21				
R22				
R23				
R24				
R25				
R26				
R27				
R28				
R29				
R30				
R31				

R32				

PAN-

Supplementary Schedule TCS (to be used only after exhausting item U1-U5 of Schedule TCS in main form etc)

	Tax Collection Account Number	Name of the Collector	Total Collected	Amount out of (3) claimed this Year	If A23 is applicable amount claimed in the hands of spouse
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
U4					
U5					
U6					
U7					
U8					
U9					
U10					
U11					
U12					
U13					
U14					
U15					
U16					
U17					
U18					
U19					
U20					
U21					
U22					
U23					
U24					
U25					
U26					
U27					
U28					
U29					
U30					

FORM ITR-5	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons other than,- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Also see attached instructions)	Assessment Year 2018 - 19

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	Name		PAN		
	Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name		Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable		
	Flat/Door/Block No	Name of Premises/Building/Village		Date of formation (DDMMYYYY)	
	Road/Street/Post Office	Area/Locality		Status (firm-1, local authority-2, cooperative bank-3, other cooperative society-4, LLP-5, private discretionary trust -6, any other AOP/BOI- 7, artificial juridical person-8)	
	Town/City/District	State	Pin code/Zip code		Income Tax Ward/Circle
	Country				
	Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1			Mobile No. 2	
	Email Address -1				
	Email Address -2				
	FILING STATUS	(a) Return filed [Please see instruction number-6] ☐ On or before due date-139(1), ☐ After due date-139(4), ☐ Revised Return-139(5), ☐ Modified return- 92CD ☐ under section 119(2)(b), OR In response to notice ☐ 139(9)- Defective ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153A ☐ 153C			
(b)		If revised/in response to notice for Defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /	
(c)		If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement			/ /
(d)		Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident			
(e)		Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? ☐ Yes ☐ No			
(f)		In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No			
(g)		Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.			
(h)		Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No			
If yes, please furnish following information -					
		(1)	Name of the representative		
	(2)	Address of the representative			
	(3)	Permanent Account Number (PAN) of the representative			
AUDIT INFORMATION	a	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No			
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No			
	c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No			
	If Yes, furnish the following information-				
		(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /		
		(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report		
	(iii)	Membership no. of the auditor			
	(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)			

PARTNERS/ MEMBERS/TRUST INFORMATION	(v)	Proprietorship/firm registration number																			
	(vi)	Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)																			
	(vii)	Date of audit report																			
	d	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing of the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 6(ii))																			
		92E									115JC										
	e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?																			
		Act and section				(DD/MM/YY)				Act and section				(DD/MM/YY)							
	A	Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) ☒ Yes ☐ No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the following details																			
		Sl.	Name of the Partner/member			Admitted/Retired		Date of admission/retirement			Percentage of share (if determinate)										
		1.																			
	2.																				
B	Is any member of the AOP/BOI a foreign company? (Tick) ☒ Yes ☐ No																				
C	If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI ☐ ☐																				
D	Whether total income of any member of the AOP/BOI (excluding his share from such association or body) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) ☒ Yes ☐ No																				
E	Particulars of persons who were partners/ members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust on 31 st day of March, - 2018 or date of dissolution																				
	S.No	Name and Address			Percentage of share (if determinate)		PAN		Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)		Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP		Status (see instruction No. 6(iii))		Rate of Interest on Capital		Remuneration paid/ payable				
	(1)	(2)			(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				
For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	F	To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)																			
	1	Whether shares of the beneficiary are indeterminate or unknown?														☐ Yes ☐ No					
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?														☐ Yes ☐ No					
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?														☐ Yes ☐ No					
	4	If both the responses to "1" & "2" above are "No", please furnish the following details:																			
	(i)	Whether any of the beneficiaries has income exceeding basic exemption limit?														☐ Yes ☐ No					
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?														☐ Yes ☐ No					
	(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?														☐ Yes ☐ No					
	(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?														☐ Yes ☐ No					
	NATURE OF BUSINESS	G	Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products																		
S.No.		Code [Please see instruction No.7(i)]			Description																
(i)																					
(ii)																					

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2018 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds					
	1 Partners' / members' fund					
		a Partners' / members' capital	a			
		b Reserves and Surplus				
		i Revaluation Reserve	bi			
		ii Capital Reserve	bii			
		iii Statutory Reserve	biii			
		iv Any other Reserve	biv			
		v Credit balance of Profit and loss account	bv			
		vi Total (bi + bii + biii + biv + bv)	bvi			
	c Total partners' / members' fund (a + bvi)	1c				
	2 Loan funds					
		a Secured loans				
		i Foreign Currency Loans	ai			
		ii Rupee Loans	A From Banks	iiA		
			B From others	iiB		
			C Total (iiA + iiB)	iiC		
			iii Total secured loans (ai + iiC)	aiii		
		b Unsecured loans (including deposits)				
i Foreign Currency Loans		bi				
	ii Rupee Loans	A From Banks	iiA			
		B From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB			
		C From others	iiC			
		D Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)	iiD			
iii Total unsecured loans (bi + iiD)	Biii					
c Total Loan Funds (aiii + Biii)	2c					
3 Deferred tax liability		3				
4 Advances						
	i From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i				
	ii From others	ii				
	iii Total Advances (i + ii)	4iii				
5 Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)		5				
APPLICATION OF FUNDS	B Application of funds					
	1 Fixed assets					
		a Gross: Block	1a			
		b Depreciation	1b			
		c Net Block (a – b)	1c			
		d Capital work-in-progress	1d			
		e Total (1c + 1d)	1e			
	2 Investments					
		a Long-term investments				
		i Investment in property	i			
		ii Equity instruments	A Listed equities	iiA		
			B Unlisted equities	iiB		

Page 251

			a	for the purpose of business or profession	va				
			b	not for the purpose of business or profession	vb				
		c	Total (av + biv)				3c		
		d	Current liabilities and provisions						
		i	Current liabilities						
			A	Sundry Creditors					
				1	Outstanding for more than one year	1			
				2	Others	2			
				3	Total (1 + 2)	A3			
			B	Liability for leased assets	iB				
			C	Interest Accrued and due on borrowings	iC				
			D	Interest accrued but not due on borrowings	iD				
			E	Income received in advance	iE				
			F	Other payables	iF				
		G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)					iG	
		ii	Provisions						
			A	Provision for Income Tax	iiA				
			B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB				
			C	Other Provisions	iiC				
		D	Total (iiA + iiB+ iiC)				iiE		
		iii	Total (iE + iiD)				diii		
		e	Net current assets (3c – diii)				3e		
	4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted			4a			
		b	Deferred tax asset			4b			
		c	Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance			4c			
		d	Total (4a + 4b + 4c)				4d		
	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)					5		
NO ACCOUNT CASE	C	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, - 2018, in respect of business or profession							
		1	Amount of total sundry debtors				C1		
		2	Amount of total sundry creditors				C2		
		3	Amount of total stock-in-trade				C3		
		4	Amount of the cash balance				C4		

Part A-P&L

Profit and Loss Account for the financial year 2017-18 (fill items 1 to 53 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 54)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	1	Revenue from operations					
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)					
		i	Sale of goods	i			
		ii	Sale of services	ii			
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)				
		a		iiia			
		b		iiib			
		c	Total (iiia + iiib)	iiic			
	iv	Total (i + ii + iiic)					Aiv
	B	Gross receipts from Profession					B
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
		i	Union Excise duties	i			
		ii	Service tax	ii			

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
		viii	Any other duty, tax and cess	viii		
		ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			
						Cix
		D Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)				1D
	2	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Profit on account of currency fluctuation	viii		
		ix	Agricultural income	ix		
		x	Any other income (specify nature and amount)			
		a		xa		
		b		xb		
		c	Total (xa + xb)	xc		
		xi Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc)				2xi
	3	Closing Stock				
		i	Raw material	3i		
		ii	Work-in-progress	3ii		
		iii	Finished goods	3iii		
		Total (3i + 3ii + 3iii)				3iv
	4	Total of credits to profit and loss account (1D + 2xi + 3iv)				4
	5	Opening Stock				
		i	Raw material	5i		
		ii	Work-in-progress	5ii		
		iii	Finished goods	5iii		
		iv	Total (5i + 5ii + 5iii)			5iv
	6	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				6
	7	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
		i	Custom duty	7i		
		ii	Counter veiling duty	7ii		
		iii	Special additional duty	7iii		
		iv	Union excise duty	7iv		
		v	Service tax	7v		
		vi	VAT/ Sales tax	7vi		
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	7vii		
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	7viii		
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	7ix		
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	7x		
		xi	Any other tax, paid or payable	7xi		
		xii	Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii + 7ix + 7x + 7xi)			7xii
	8	Freight				8

9	Consumption of stores and spare parts				9	
10	Power and fuel				10	
11	Rents				11	
12	Repairs to building				12	
13	Repairs to machinery				13	
14	Compensation to employees					
	i	Salaries and wages	14i			
	ii	Bonus	14ii			
	iii	Reimbursement of medical expenses	14iii			
	iv	Leave encashment	14iv			
	v	Leave travel benefits	14v			
	vi	Contribution to approved superannuation fund	14vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	14vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	14viii			
	ix	Contribution to any other fund	14ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	14x			
xi	Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)				14xi	
	xii	Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
15	Insurance					
	i	Medical Insurance	15i			
	ii	Life Insurance	15ii			
	iii	Keyman's Insurance	15iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	15iv			
	v	Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv)			15v	
16	Workmen and staff welfare expenses				16	
17	Entertainment				17	
18	Hospitality				18	
19	Conference				19	
20	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				20	
21	Advertisement				21	
22	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			22iii	
23	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			23iii	
24	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			24iii	
25	Hotel, boarding and Lodging				25	
26	Traveling expenses other than on foreign traveling				26	
27	Foreign travelling expenses				27	
28	Conveyance expenses				28	

TAX AND APPR.	29	Telephone expenses	29	
	30	Guest House expenses	30	
	31	Club expenses	31	
	32	Festival celebration expenses	32	
	33	Scholarship	33	
	34	Gift	34	
	35	Donation	35	
	36	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)		
	i	Union excise duty	36i	
	ii	Service tax	36ii	
	iii	VAT/ Sales tax	36iii	
	iv	Cess	36iv	
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	36v	
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	36vi	
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	36vii	
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	36viii i	
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	36ix	
	x	Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x	
	37	Audit fee	37	
	38	Salary/Remuneration to Partners of the firm (total of col. (8) of item E of Partner's/Members information under Part A-Gen)	38	
	39	Other expenses (specify nature and amount)		
TAX AND APPR.	i		i	
	ii		ii	
	iii	Total (i + ii)	39iii	
	40	Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)		
	i		40i	
	ii		40ii	
	iii		40iii	
	iv	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available	40iv	
	v	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	40v	
	vi	Total Bad Debt (40i + 40ii + 40iii + 40iv + 40v)	40vi	
	41	Provision for bad and doubtful debts	41	
	42	Other provisions	42	
	43	Profit before interest, depreciation and taxes [4 – (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38 + 39iii + 40vi + 41+42)]	43	
	44	Interest		
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		
	A	To Partners	ia	
	B	To others	ib	
	ii	Paid in India, or paid to a resident		
	A	To Partners	iaa	
	B	To others	iib	
	iii	Total (ia + ib + iia + iib)	44iii	
	45	Depreciation and amortisation	45	
	46	Profit before taxes (43 – 44iii – 45)	46	
	47	Provision for current tax	47	
	48	Provision for Deferred Tax and deferred liability	48	

NO ACCOUNT CASE	49	Profit after tax (46 - 47 - 48)	49	
	50	Balance brought forward from previous year	50	
	51	Amount available for appropriation (49 + 50)	51	
	52	Transferred to reserves and surplus	52	
	53	Balance carried to balance sheet in partner's account (51 - 52)	53	
	54	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year -2017-18 in respect of business or profession		
	(i)	For assessee carrying on Business		
	a	Gross receipts	54(i)a	
	b	Gross profit	54(i)b	
	c	Expenses	54(i)c	
	d	Net profit	54(i)d	
	(ii)	For assessee carrying on Profession		
	a	Gross receipts	54(ii)a	
	b	Gross profit	54(ii)b	
	c	Expenses	54(ii)c	
	d	Net profit	54(ii)d	
		Total (54(i)d + 54(ii)d)	54	

Part A- OI

Other Information (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash		
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No		
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a	
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b	
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No		
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
	a	the items falling within the scope of section 28	5a	
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
	d	any other item of income	5d	
	e	capital receipt, if any	5e	
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-		
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiia)]	6e	

f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	Amount of contributions to any other fund	6j	
	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m	
	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6q	
	Any other disallowance	6r	
	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)	6s	
t	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)		
	i deployed in India	i	
	ii deployed outside India	ii	
	iii Total	iii	
7 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	
	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
	Any other penalty or fine	7f	
	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	Amount of any liability of a contingent nature	7h	
	Any other amount not allowable under section 37	7i	
	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)	7j	
8 A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af	

		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
		i	Any other disallowance	Ai		
		j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		8Aj	
		B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A					
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a			
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b			
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c			
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d			
	e	Any other disallowance	9e			
	f	Total amount disallowable under section 40A			9f	
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year					
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a			
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g			
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)			10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B					
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a			
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g			
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)			11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of					
	a	Union Excise Duty	12a			
	b	Service tax	12b			
	c	VAT/sales tax	12c			
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d			

	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15	

Part A – QD Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock		1	
	2	Purchase during the previous year		2	
	3	Sales during the previous year		3	
	4	Closing stock		4	
	5	Shortage/ excess, if any		5	
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock		6a	
	b	Purchases during the previous year		6b	
	c	Consumption during the previous year		6c	
	d	Sales during the previous year		6d	
	e	Closing stock		6e	
	f	Yield finished products		6f	
	g	Percentage of yield		6g	
	h	Shortage/ excess, if any		6h	
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock		7a	
	b	purchase during the previous year		7b	
	c	quantity manufactured during the previous year		7c	
	d	sales during the previous year		7d	
	e	closing stock		7e	
	f	shortage/ excess, if any		7f	

Part B – TI Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss)			1	
	2	Profits and gains from business or profession				
	i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP)(enter nil if loss)	2i			
	ii	Profits and gains from speculative business (B42 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii			
	iii	Profits and gains from specified business (C48 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii			
	iv	Income from patent u/s 115BBF (3d of Schedule BP)	2iv			
	v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG	2v			
	vi	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv + 2v) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)		2vi		
	3	Capital gains				
	a	Short term				
	i	Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG)	ai			
	ii	Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG)	aii			
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG)	aiii			

	iv	Total Short-term (ai + aii + aiii)	3aiv		
b	Long-term				
	i	Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG)	bi		
	ii	Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG)	bii		
	iii	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	biii		
c	Total capital gains (3aiv + 3biii) (enter nil if loss)				3c
4	Income from other sources				
	a	from sources other than from owning and maintaining race horses and income chargeable to tax at special rate (1k of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (1fvii of Schedule OS)	4b		
	c	from owning and maintaining race horses (3e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)			4d
5	Total (1 + 2vi + 3c + 4d)				5
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xiii, 3xiii and 4xiii of Schedule CYLA)				6
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b)				7
8	Brought forward losses to be set off losses against 7 (total of 2xii, 3 xii and 4xii of Schedule BFLA)				8
9	Gross Total income (7 – 8) (also 5xiii of Schedule BFLA + 4b)				9
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 9				10
11	Deduction u/s 10AA (c of Schedule 10AA)				11
12	Deductions under Chapter VI-A				
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)]			12a
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2iii)]			12b
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (9-10)]			12c
13	Total income (9 – 11-12c)				13
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)				14
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI)				15
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]				16
17	Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL)				17
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)				18

Part B - TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY

	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)				1a		
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)				1b		
		c	Education Cess, including secondary and higher education cess on 1a+1b above				1c		
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)				1d		
	2	Tax payable on total income							
		a	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a				
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b				
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c				
		d	Tax Payable on total income (2a+2b -2c)				2d		
		e	Surcharge						
			i	25% of 12(ii) of Schedule SI		2ei			
			ii	On [(2d) – (12(ii) of Schedule SI)]		2eii			
			iii	Total (i + ii)				2eiii	
		f	Education cess, including secondary and higher education cess on 2d+2eiii				2f		
		g	Gross tax liability (2d + 2eiii + 2f)				2g		
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)						3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)						4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)						5	
	6	Tax relief							

TAXES PAID AND BANK DETAILS	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	6a		
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b		
	c	Total (6a + 6b)	6c		
	7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)	7		
	8	Interest and fee payable			
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a		
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b		
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c		
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d		
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)	8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)	9			
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid			
	a	Advance Tax (from column 5 of 16A)	10a		
	b	TDS (total of column 9 of 16B)	10b		
	c	TCS (total of column 7 of 16C)	10c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 16A)	10d		
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)	10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)	11			
12	Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)	12			
BANK ACCOUNT	13	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)			
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)
	i				
	ii				
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]				☐ Yes ☐ No

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction)

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

15	TAX PAYMENTS																				
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)							
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)							
	i																				
	ii																				
	iii																				
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI																					
B	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 26QB/26QC furnished by Deductor(s)]																				

TDS ON INCOME	Sl No	TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer/ Tenant	Name of the Deductor/Buyer/ Tenant	Unique TDS Certificate Number	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current fin. year			TDS credit out of (7) or (8) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			TDS credit out of (7) or (8) being carried forward	
					Fin. Year in which deducted	Amount b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	
								Income	TDS	PAN of other person		Income	TDS	PAN of other person
	i													
	ii													
NOTE ► Please enter total of column (8) in 10b of Part B-TTI														
TCS ON INCOME	C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]													
	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Amount out of (5) or (6) being carried forward				
				Fin. Year in which collected	Amount b/f									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)				
	i													
	ii													
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI														

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1 – S20) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule HP** Details of Income from House Property (Please refer instructions)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City		State		PIN Code				
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)											
	Assessee's percentage of share in the property											
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property							
	I											
	II											
	/Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)							
	☐ Let out		I									
	☐ Deemed let out		II									
	a		Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)						1a			
	b		The amount of rent which cannot be realized		1b							
	c		Tax paid to local authorities		1c							
	d		Total (1b + 1c)		1d							
	e		Annual value (1a – 1d)						1e			
	f		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)						1f			
	g		30% of 1f		1g							
	h		Interest payable on borrowed capital		1h							
	i		Total (1g + 1h)						1i			
	j		Income from house property 1 (1f – 1i)						1j			
	HOUSE PROPERTY	2	Address of property 2		Town/ City		State		PIN Code			
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)												
Assessee's percentage of share in the property												
Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property								
I												
II												
/Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)								
☐ Let out		I										
☐ Deemed let out		II										
a		Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)						2a				
b		The amount of rent which cannot be realized		2b								
c		Tax paid to local authorities		2c								
d		Total (2b + 2c)		2d								
e		Annual value (2a – 2d)						2e				
f		Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)						2f				
g		30% of 2f		2g								
h		Interest payable on borrowed capital		2h								
i		Total (2g + 2h)						2i				
j		Income from house property 2 (2f – 2i)						2j				
HOUSE PROPERTY		3	Income under the head "Income from house property"									
	a	Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30%								3a		
	b	Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)								3b		

Schedule BP Computation of income from business or profession

BUSINESS	A	From business or profession other than speculative business and specified business			
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 46 & 54 of Part A-P&L)		1	

2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2a			
2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2b			
3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	a	House property	3a		
		b	Capital gains	3b		
		c	Other sources	3c		
		d	u/s 115BBF	3d		
		e	u/s 115BBG	3e		
4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/ 44D/ 44DA/ 44DB/	a	u/s 115B	4a		
		b	Other	4b		
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt					
	a	Share of income from firm(s)	5a			
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b			
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)				
	i		ci			
	ii		cii			
	iii	Total (ci + cii)	5ciii			
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d			
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 4– 5d)				6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG	a	House property	7a		
		b	Capital gains	7b		
		c	Other sources	7c		
		d	u/s 115BBF	7d		
		e	u/s 115BBG	7e		
8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8)			9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)				10	
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account				11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act					
	I	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (column 6 of Schedule-DEP)	12i			
	Ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii			
	Iii	Total (12i + 12ii)	12iii			
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)				13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)			14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 8Aj of Part A-OI)			16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)			17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19		
20	Deemed income under section 41			20		
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/			21		
22	Deemed income under section 43CA			22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB			23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)			24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)			25		

26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		27		
28	Deduction allowable under section 32AD		28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item 24 of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)		29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)		30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of Part A-OI)		31		
32	Any other amount allowable as deduction		32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)		33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)			34	
35	Income (13+26-34)			35	
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AD	36i		
	ii	Section 44ADA	36ii		
	iii	Section 44AE	36iii		
	iv	Section 44B	36iv		
	v	Section 44BB	36v		
	vi	Section 44BBA	36vi		
	vii	Section 44BBB	36vii		
	viii	Section 44D	36viii		
	ix	Section 44DA	36ix	(item 4 of Form 3CE)	
	x	Section 44DB	36x		
	xi	First Schedule of Income-tax Act	36xi		
	xii	Total (36i to 36x)		36xii	
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35+36xi)			37	
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E)			A38	
B	Computation of income from speculative business				
39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			39	
40	Additions in accordance with section 28 to 44DB			40	
41	Deductions in accordance with section 28 to 44DB			41	
42	Income from speculative business (39+40-41) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)			B42	
C	Computation of income from specified business under section 35AD				
43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			43	
44	Additions in accordance with section 28 to 44DB			44	
45	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			45	
46	Profit or loss from specified business (43+44-45)			46	
47	Deductions in accordance with section 35AD(1)			47	
48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL)			C48	
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C49	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B42+C48)			D	
E	Intra head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)

i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	
ii	Income from speculative business	(B42)		
iii	Income from specified business	(C48)		
iv	Total loss set off (ii + iii)			
v	Loss remaining after set off (i – iv)			

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3(a)	Written down value on the first day of previous year			
	3(b)	Written down value on the first day of previous year, of those block of assets which were eligible for depreciation @ 50%, 60% or 80% as per the old Table			
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year			
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4			
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3(a) + 3(b) + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)			
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year			
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7			
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)			
	10	Depreciation on 6 at full rate			
	11	Depreciation on 9 at half rate			
	12	Additional depreciation, if any, on 4			
	13	Additional depreciation, if any, on 7			
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days			
	15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)			
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
	17	Net aggregate depreciation (15-16)			
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
	20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3(a) - 3(b) - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)			
	21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)			

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEPRECIATION ON	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation* (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c)	1d		
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)	2d		
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 12v)	3		
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 12vi)	4		
	5	Ships (Schedule DOA- 12vii)	5		
	6	Total depreciation (1d+2d+3+4+5)	6		

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

1	Plant and machinery		
a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a	

	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Total (1a +1b + 1c)		1d	
2	Building (not including land)				
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)		2d	
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)				
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)				
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)				
6	Total (1d+2d+3+4+5)				

Schedule ESR Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			

Schedule CG Capital Gains

Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)				
	1	From sale of land or building or both			
		a	I Full value of consideration received/receivable	ai	
			ii Value of property as per stamp valuation authority	aii	
			iii Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)	aiii	
		b	Deductions under section 48		
			I Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii Cost of Improvement without indexation	bii	
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv Total (bi + bii + biii)	biv	
		c	Balance (aiii – biv)	1c	
		d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)	1d	
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)		A1e
	2	From slump sale			
		a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)
		b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)
		c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)		A2c
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)			
		a	Full value of consideration	3a	
		b	Deductions under section 48		
			I Cost of acquisition without indexation	bi	
			ii Cost of Improvement without indexation	bii	
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
			iv Total (i + ii + iii)	biv	
		c	Balance (3a – biv)	3c	

	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		3d			
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)				A3e	
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)						
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid				A4a	
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid				A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD						
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (i + ii + iii)	biv			
	c	Balance (5aiii – biv)		5c			
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d			
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)				A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above						
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (i + ii + iii)	biv			
	c	Balance (6aiii – biv)		6c			
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d			
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)		6e			
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA		6f			
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)				A6g	
7	Amount deemed to be short term capital gains						
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below						
Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	

	i	2014-15	54D/54G/54GA									
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'											
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)										A7	
8	Amount of STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA									A8a	
	b	Total amount of STCG chargeable at special rates in India as per DTAA									A8b	
9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 –A8a)										A9	
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5 & 6 are not applicable for residents)											
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both										
	a	I	Full value of consideration received/receivable							ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)							aiii		
	b	Deductions under section 48										
		I	Cost of acquisition with indexation							bi		
		ii	Cost of Improvement with indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)							biv		
	c	Balance (aiii – biv)										1c
	d	Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below)										1d
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										B1e
	2	From slump sale										
	a	Full value of consideration					2a	(5 of Form 3CEA)				
	b	Net worth of the under taking or division					2b	(6(e) of Form 3CEA)				
	c	Balance (2a – 2b)					2c					
	d	Deduction u/s 54EC/54EE					2d					
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)										B2e
	3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)										
	a	Full value of consideration							3a			
	b	Deductions under section 48										
		I	Cost of acquisition without indexation							bi		
		ii	Cost of improvement without indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)							biv			
c	Balance (3a – biv)										3c	
d	Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below)										3d	
e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)										B3e	
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable											
a	Full value of consideration							4a				
b	Deductions under section 48											
	i	Cost of acquisition without indexation							bi			
	ii	Cost of improvement without indexation							bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii			
	iv	Total (bi + bii +biii)							biv			
c	Balance (4a – biv)										4c	
d	Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below)										4d	
e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)										B4e	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)											
a	LTCG computed without indexation benefit							5a				
b	Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below)										5b	

c		LTCG on share or debenture (5a-5b)								B5c	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD										
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares								
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner								
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)					ic			
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares								
		iii	Total (ic + ii)					aiii			
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation					bi			
		ii	Cost of improvement without indexation					bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)					biv			
	c	Balance (6aiii – biv)					6c				
	d	Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below)					6d				
	e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c – 6d)								B6e	
7	From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable										
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares								
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner								
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)					ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted								
		iii	Total (ic + ii)					aiii			
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition with indexation					bi			
		ii	Cost of improvement with indexation					bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)					biv			
	c	Balance (7aiii – biv)					7c				
	d	Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D)					7d				
	e	Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d)								B7e	
8	Amount deemed to be long-term capital gains										
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
	i	2014-15	54/54D/54F/54G/54GA								
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'									
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)										B8
9	Amount of LTCG included in items B1 to B8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	

	I											
	II											
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA									B9a	
	b	Total amount of LTCG chargeable at special rates in India as per DTAA									B9b	
10	Total long term capital gain [B1e + B2e + B3e + B4e + B5c + B6e + B7e + B8-B9a] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)										B10	
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9+ B10) (take B10 as nil, if loss)										C	
D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
1	In case of deduction u/s 54B/54D/54EC/54EE /54G/54GA give following details											
	a	Deduction claimed u/s 54B										
	i	Date of transfer of original asset				ai	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost of new agricultural land				aii						
	iii	Date of purchase of new agricultural land				aiii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv						
	v	Amount of deduction claimed				av						
	b	Deduction claimed u/s 54D										
	i	Date of acquisition of original asset				bi	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking				bii						
	iii	Date of purchase of new land or building				biii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				biv						
	v	Amount of deduction claimed				bv						
	c	Deduction claimed u/s 54EC										
	i	Date of transfer of original asset				ci	dd/mm/yyyy					
	ii	Amount invested in specified/notified bonds				cii						
	iii	Date of investment				ciii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount of deduction claimed				civ						
	d	Deduction claimed u/s 54EE										
	i	Date of transfer of original asset				di	dd/mm/yyyy					
	ii	Amount invested in specified asset				dii						
	iii	Date of investment				diii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount of deduction claimed				div						
	e	Deduction claimed u/s 54G										
	i	Date of transfer of original asset				ei	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset				eii						
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area				eiii	dd/mm/yyyy					
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				eiv							
v	Amount of deduction claimed				ev							
f	Deduction claimed u/s 54GA											
i	Date of transfer of original asset from urban area				fi	dd/mm/yyyy						
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset				fii							
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ				fiii	dd/mm/yyyy						
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				fiv							
v	Amount of deduction claimed				fv							
g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)									g		
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B9 which is chargeable under DTAA)											
Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off			Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6)				
			15%	30%	applicable rate	10%	20%					
		1	2	3	4	5	6	7				
i	Loss to be set off (Fill this row if computed figure is negative)		(A3e+A4a)	A5e	(A1e+A2c+A4b+A6g+A7)	(B4e++ B6e)	(B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7e+B8)					
ii	Short term capital gain	15%	(A3e+A4a)									
iii		30%	A5e									

iv		applicable rate	(A1e+A2c+A4b+A6g +A7)					
v	Long term	10 %	(B4e+ + B6e)					
vi	capital gain	20 %	(B1e+B2e+B3e+B5c+ B7e+B8)					
vii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi)							
viii	Loss remaining after set off (i – vii)							

F Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15 % <i>Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30 % <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Long- term capital gains taxable at the rate of 10 % <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 20 % <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>					

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES	1	Income			
	a	Dividends, Gross	1a		
	b	Interest, Gross	1b		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross	1c		
	d	Others, Gross (excluding income from owning race horses) mention the nature			
	i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.	1di		
	ii	a Cash credits u/s 68			
		b Unexplained investments u/s 69			
		c Unexplained money etc. u/s 69A			
		d Undisclosed investments etc. u/s 69B			
		e Unexplained expenditure etc. u/s 69C			
		f Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			
		Total (a + b + c + d + e + f)	1dii		
	iii	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax			
	a	Aggregate value of sum of money received without consideration			
	b	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			
	c	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			
	d	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			
	e	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			
		Total (a + b + c + d + e)	1diii		
	iv		1div		
	v		1dv		
	vi	Total (1di + 1dii+ 1diii + 1div+1dv)	1dvi		
	e	Total (1a + 1b + 1c + 1dvi)	1e		
	f	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI)			
	i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB)	1fi		
	ii	Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA) (only for firms)	1fii		
	iii	Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE	1fiii		

	iv	Income from patent chargeable u/s 11BBF									1fiv		
	v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG									1fv		
	vi	Any other income chargeable to tax at the rate specified under chapter XII/XII-A									1fvi		
	vii	Income chargeable at special rates taxed under DTAA											
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty <i>(enter NIL, if not chargeable)</i>	Whether TRC obtained <i>(Y/N)</i>	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act			Applicable rate <i>[lower of (6) or (9)]</i>
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
		I											
		II											
		III Total amount of income chargeable at special rates under DTAA											1fvii
		viii	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi + 1fii + 1fiii + 1fiv + 1fv + 1fvi + 1fvii)									1fviii	
	g	Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fviii)									1g		
	h	Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, 1fvi & 1fvii)											
		i	Expenses / Deductions						hi				
	ii	Depreciation						hii					
	iii	Total						hiii					
	i	Amounts not deductible u/s 58									1i		
	j	Profits chargeable to tax u/s 59									1j		
	k	Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii + 1i + 1j) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)									1k		
2	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (1fviii + 1k) (enter 1k as nil, if negative)									2			
3	Income from the activity of owning race horses												
	a	Receipts					3a						
	b	Deductions under section 57 in relation to (4)					3b						
	c	Amounts not deductible u/s 58					3c						
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					3d						
	e	Balance (3a – 3b + 3c + 3d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)							3e				
4	Income under the head “Income from other sources” (2 + 3e) (take 3e as nil if negative)									4			

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off →		(3b of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(1k of Schedule-OS)	
	ii	House property	(3b of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
	iv	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
	v	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
	vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(7ii of item E of schedule CG)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(7iii of item E of schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(7iv of item E of schedule CG)				
	ix	Long term capital gain taxable @ 10%	(7v of item E of schedule CG)				
	x	Long term capital gain taxable @ 20%	(7vi of item E of schedule CG)				
	xi	Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(1k of schedule OS)				
	xii	Profit from owning and maintaining race horses	(3e of schedule OS)				
	xiii	Total loss set off (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii)					

xiv	Loss remaining after set-off (i - xiii)				

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iii	Speculation Income	(5iv of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	iv	Specified Business Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	x	Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(5xi of schedule CYLA)				
	xi	Profit from owning and maintaining race horses	(5xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
	xii	Total of brought forward loss set off					
	xiii	Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5)					

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

CARRY FORWARD OF LOSS	Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	i	2010-11								
	ii	2011-12								
	iii	2012-13								
	iv	2013-14								
	v	2014-15								
	vi	2015-16								
	vii	2016-17								
	viii	2017-18								
	ix	Total of earlier year losses b/f								
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)			(2xi of schedule BFLA)
	xi	2018-19 (Current year losses)		(2xiv of schedule CYLA)	(3xiv of schedule CYLA)	(B42 of schedule BP, if -ve)	(C48 of schedule BP, if -ve)	(2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG)	((5viii+6viii) of item E of schedule CG)	(3e of schedule OS, if -ve)
	xii	Total loss Carried forward to future years								

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation	Allowance under section 35(4)

		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	Total		(3xii of BFLA)			(4xii of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a + b + c + d)					

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G			
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii	Total			
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit			
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				

	iii	Total			
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)				

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA

a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	d1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	e1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2 + e1 + e2)				f

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)	
		k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	

m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)	m

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East					
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1			
			da2	Undertaking no. 2			
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1			
			db2	Undertaking no. 2			
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1			
			dc2	Undertaking no. 2			
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1			
			dd2	Undertaking no. 2			
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1			
			de2	Undertaking no. 2			
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1			
			df2	Undertaking no. 2			
	dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1			
			dg2	Undertaking no. 2			
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			dh		
	e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e		

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments						
	a	80G		b	80GGC			
	Total Deduction under Part B (a + b)						1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes						
	c	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	d	80-IAB			
	e	80-IAC		f	80-IB	(m of Schedule 80-IB)		
	g	80-IBA		h	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)		
	i	80JJA		j	80JJAA			
	k	80LA	(9 of Annexure to Form 10CCF)	l	80P			
	Total Deduction under Part C (total of c to l)						2	
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)					3		

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI			1		
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		2a		

	b	Deduction Claimed u/s 10AA	2b		
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed			
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (In the case of Individual, HUF, AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2018-19 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2018-19 (2g of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2012-13				
	ii	2013-14				
	iii	2014-15				
	iv	2015-16				
	v	2016-17				
	vi	2017-18				
	vii	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)				
	viii	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

SPECIAL RATE	SI No	Section/Description	☑	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	☐	15	(5v of schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(5vi of schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	☐	20	(5ix of schedule BFLA)	
	9	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50	(part of 4a of schedule BP)	
	10	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fii of schedule OS)	
	11	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(1fi of schedule OS)	
	12	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	☐	10	(1fii of schedule OS)	
	13	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(1fiii of schedule OS)	
	14	115BBF (Tax on income from patent)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(3d of schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(1fiv of schedule OS)	
	15	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(3e of schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(1fv of schedule OS)	

16	115A(b) (Income of a non-resident from Royalty)	☐	25	(part of 1fvi of schedule OS)	
17	Chargeable under DTAA rate	☐		(part of 1fvii of schedule OS + A8b and B9b of schedule CG)	
18		☐			
19		☐			
Total					

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

EXEMPT INCOME	1	Interest income	1	
	2	Dividend income	2	
	3	Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid	3	
	4	i Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i	
		ii Expenditure incurred on agriculture	ii	
		iii Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii	
		iv Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)	4	
	5	Others, including exempt income of minor child (please specify)	5	
	6	Total (1+2+3+4+5)	6	

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
	1.			i	House property		
				ii	Capital Gains		
					a Short term		
					b Long term		
				iii	Other Sources		
				iv	Income claimed to be exempt		
					a u/s 10(23FBB)		
					b u/s		
					c u/s		
	2.			i	House property		
				ii	Capital Gains		
					a Short term		
					b Long term		
				iii	Other Sources		
				iv	Income claimed to be exempt		
					a u/s 10(23FBB)		
					b u/s		
					c u/s		

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					

Schedule TR**Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India**

TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India	

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.**Schedule FA****Details of Foreign Assets and Income from any source outside India**

DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
	Sl No	Country Name and Code	Name and Address of the Bank	Account holder name	Status-Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary	Account Number	Account opening date	Peak Balance During the Year (in rupees)	Interest accrued in the account	Interest taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
	Sl No	Country Name and code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
	Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(i)											
	(ii)											
	D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
	Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above.												

Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F	Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor										
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession										
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)											
(ii)											

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

FORM

ITR-6

INDIAN INCOME TAX RETURN
[For Companies other than companies claiming exemption
under section 11]
(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Also see attached instructions)

Assessment Year

2	0	1	8	-	1	9

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION

Name		PAN	
Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name		Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA	
Flat/Door/Block No	Name of Premises/Building/Village		Date of incorporation (DD/MM/YYYY)
Road/Street/Post Office	Area/Locality		Type of company (Tick any one) ☒
			(i) Domestic Company ☐
			(ii) Foreign Company ☐
Town/City/District	State	Pin code/Zip code	If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Company Act) ☐
	Country		
Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		Mobile No. 2	Income Tax Ward/Circle
Email Address-1			
Email Address-2			

FILING STATUS

(a)	Return filed (Tick) [Please see instruction number-5] ☐ On or before due date-139(1), ☐ After due date-139(4), ☐ Revised Return-139(5) ☐ Modified return-92CD, ☐ under section 119(2)(b), Or In response to notice ☐ 139(9)- Defective, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A, ☐ 153C
(b)	If revised/in response to defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) _____ / _____ / _____
(c)	If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement _____ / _____ / _____
(d)	Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident
(e)	Whether opting for section 115BA? (Yes/No) (applicable on Domestic Company)
(f)	Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2015-16 exceeds 50 crore rupees? (Yes/No) (applicable on Domestic Company)
(g)	Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?
(h)	In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No
(i)	Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies?
(j)	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) ☒ Yes ☐ No
(k)	Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No
(l)	Whether the assessee company is under liquidation (Tick) ☒ Yes ☐ No
(m)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.
(n)	Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? ☐ Yes ☐ No
(o)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -
	(1) Name of the representative assessee
	(2) Address of the representative assessee
	(3) Permanent Account Number (PAN) of the representative assessee

AUDIT INFORMATION

(a)	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No
(b)	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No
(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information below
	(1) Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)

	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report																				
	(3)	Membership No. of the auditor																				
	(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)																				
	(5)	Proprietorship/firm registration number																				
	(6)	Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)																				
	(7)	Date of audit report																				
(d)	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing the audit report? (<i>DD/MM/YY</i>) (<i>Please see Instruction 5(ii)</i>)																					
	92E						115JB															
(e)	Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act																					
	<i>Act and section</i>					(DD/MM/YY)					<i>Act and section</i>					(DD/MM/YY)						
HOLDING STATUS	(a)	Nature of company (write 1 if holding company, write 2 if a subsidiary company, write 3 if both, write 4 if any other) ☐																				
	(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company																				
		PAN	Name of Holding Company							Address of Holding Company							Percentage of Shares held					
	(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies																				
		PAN	Name of Subsidiary Company							Address of Subsidiary Company							Percentage of Shares held					
BUSINESS ORGANISATION	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company																				
		PAN	Name of Amalgamated Company							Address of Amalgamated Company												
	(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company																				
		PAN	Name of Amalgamating Company							Address of Amalgamating Company												
	(c)	In case of demerged company, mention the details of resulting company																				
		PAN	Name of Resulting Company							Address of Resulting Company												
	(d)	In case of resulting company, mention the details of demerged company																				
		PAN	Name of Demerged Company							Address of Demerged Company												
KEY PERSONS	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year																					
	S.No.	Name	Designation					Residential Address					PAN					Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director				
SHAREHOLDERS INFORMATION	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year																					
	S.No.	Name and Address							Percentage of shares held							PAN (if allotted)						
OWNERSHIP INFORMATION	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year (<i>if available</i>)																					
	S.No.	Name and Address							Percentage of shares held							PAN (if allotted)						
NATURE OF COMPANY	Nature of company																			(Tick) ☒ Yes ☐ No		
1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act																				☐ Yes ☐ No	

2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India	☐ Yes	☐ No
3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank	☐ Yes	☐ No
4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949	☐ Yes	☐ No
5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act	☐ Yes	☐ No
6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)	☐ Yes	☐ No
7	Whether a company being a non-banking Financial Institution	☐ Yes	☐ No
Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products			
S.No.	Code [Please see instruction No.7(i)]	Description	
(i)			
(ii)			
(iii)			

Part A-BS BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2018 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION

EQUITY AND LIABILITIES	I Equity and Liabilities						
	1 Shareholder's fund						
	EQUITY AND LIABILITIES	A Share capital	i Authorised		Ai		
			ii Issued, Subscribed and fully Paid up		Aii		
			iii Subscribed but not fully paid		Aiii		
			iv Total (Aii + Aiii)		Aiv		
		B Reserves and Surplus	i Capital Reserve		Bi		
			ii Capital Redemption Reserve		Bii		
			iii Securities Premium Reserve		Biii		
			iv Debenture Redemption Reserve		Biv		
			v Revaluation Reserve		Bv		
			vi Share options outstanding amount		Bvi		
			vii Other reserve (specify nature and amount)	a		vii a	
				b		vii b	
				c Total (vii a + vii b)		Bvii	
			viii Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure)		Bviii		
	ix Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure)		Bix				
	C Money received against share warrants		1C				
	D Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C)		1D				
	2 Share application money pending allotment						
	EQUITY AND LIABILITIES	i Pending for less than one year		i			
		ii Pending for more than one year		ii			
		iii Total (i + ii)		2			
	3 Non-current liabilities						
EQUITY AND LIABILITIES	A Long-term borrowings	i Bonds/ debentures					
		a Foreign currency		ia			
		b Rupee		ib			
		c Total (ia + ib)		ic			
	ii Term loans						
	a Foreign currency		ia				

	b	Rupee loans						
			1	From Banks	b1			
			2	From others	b2			
			3	Total (b1 + b2)	b3			
	c	Total Term loans (iia + b3)					iic	
	iii	Deferred payment liabilities					iii	
	iv	Deposits from related parties (<i>see instructions</i>)					iv	
	v	Other deposits					v	
	vi	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)					vi	
	vii	Other loans and advances					vii	
	viii	Long term maturities of finance lease obligations					viii	
	ix	Total Long term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)					3A	
	B	Deferred tax liabilities (net)					3B	
C	Other long-term liabilities							
	i	Trade payables			i			
	ii	Others			ii			
	iii	Total Other long-term liabilities (i + ii)						3C
D	Long-term provisions							
	i	Provision for employee benefits			i			
	ii	Others			ii			
	iii	Total (i + ii)						3D
E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)					3E		
4	Current liabilities							
	A	Short-term borrowings						
	i	Loans repayable on demand						
		a	From Banks			ia		
			From Non-Banking Finance Companies			ib		
			From other financial institutions			ic		
			From others			id		
		e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)					ie
	ii	Deposits from related parties (<i>see instructions</i>)					ii	
	iii	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)					iii	
	iv	Other loans and advances					iv	
	v	Other deposits					v	
	vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)					4A	
	B	Trade payables						
		i	Outstanding for more than 1 year			i		
		ii	Others			ii		
		iii	Total Trade payables (i + ii)					
	C	Other current liabilities						
		i	Current maturities of long-term debt			i		
		ii	Current maturities of finance lease obligations			ii		
		iii	Interest accrued but not due on borrowings			iii		
		iv	Interest accrued and due on borrowings			iv		
		v	Income received in advance			v		
		vi	Unpaid dividends			vi		
		vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued			vii		
		viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon			viii		
		ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon			ix		
		x	Other payables			x		

	xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)		4C		
D	Short-term provisions					
	i	Provision for employee benefit	i			
	ii	Provision for Income-tax	ii			
	iii	Proposed Dividend	iii			
	iv	Tax on dividend	iv			
	v	Other	v			
	vi	Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v)		4D		
E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)				4E	
Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)					I	
II ASSETS						
1	Non-current assets					
A	Fixed assets					
	i	Tangible assets				
	a	Gross block	ia			
	b	Depreciation	ib			
	c	Impairment losses	ic			
	d	Net block (ia – ib - ic)	id			
	ii	Intangible assets				
	a	Gross block	iiia			
	b	Amortization	iiib			
	c	Impairment losses	iiic			
	d	Net block (iiia – iiib - iiic)	iiid			
	iii	Capital work-in-progress		iii		
	iv	Intangible assets under development		iv		
	v	Total Fixed assets (id + iia + iii + iv)		Av		
B	Non-current investments					
	i	Investment in property	i			
	ii	Investments in Equity instruments				
	a	Listed equities	iiia			
	b	Unlisted equities	iiib			
	c	Total (iiia + iiib)	iiic			
	iii	Investments in Preference shares		iii		
	iv	Investments in Government or trust securities		iv		
	v	Investments in Debenture or bonds		v		
	vi	Investments in Mutual funds		vi		
	vii	Investments in Partnership firms		vii		
	viii	Others Investments		viii		
	ix	Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Bix		
C	Deferred tax assets (Net)				C	
D	Long-term loans and advances					
	i	Capital advances	i			
	ii	Security deposits	ii			
	iii	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)		iii		
	iv	Other Loans and advances		iv		
	v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)		Dv		
	vi	Long-term loans and advances included in Dv which is				
	a	for the purpose of business or profession	via			

		b	not for the purpose of business or profession	vib		
		c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic		
E	Other non-current assets					
	i	Long-term trade receivables				
		a	Secured, considered good	ia		
		b	Unsecured, considered good	ib		
		c	Doubtful	ic		
		d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)	id		
	ii	Others				ii
	iii	Total (id + ii)				Eiii
	iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act			iv	
F	Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)					
2	Current assets					
A	Current investments					
	i	Investment in Equity instruments				
		a	Listed equities	ia		
		b	Unlisted equities	ib		
		c	Total (ia + ib)	ic		
	ii	Investment in Preference shares				ii
	iii	Investment in government or trust securities				iii
	iv	Investment in debentures or bonds				iv
	v	Investment in Mutual funds				v
	vi	Investment in partnership firms				vi
	vii	Other investment				vii
	viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Aviii
B	Inventories					
	i	Raw materials			i	
	ii	Work-in-progress			ii	
	iii	Finished goods			iii	
	iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)			iv	
	v	Stores and spares			v	
	vi	Loose tools			vi	
	vii	Others			vii	
	viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Bviii
C	Trade receivables					
	i	Outstanding for more than 6 months			i	
	ii	Others			ii	
	iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)				Ciii
D	Cash and cash equivalents					
	i	Balances with Banks			i	
	ii	Cheques, drafts in hand			ii	
	iii	Cash in hand			iii	
	iv	Others			iv	
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)				Dv
E	Short-term loans and advances					
	i	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)			i	
	ii	Others			ii	

		iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)				Eiii	
		iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is					
			a	for the purpose of business or profession		iva		
			b	not for the purpose of business or profession		ivb		
			c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		ivc		
	F	Other current assets					F	
	G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)					2G	
Total Assets (1F + 2G)							II	

Part A-BS – Ind AS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2018 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

I	Equity and Liabilities								
1	Equity								
	A	Equity share capital							
		i	Authorised	Ai					
		ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii					
		iii	Subscribed but not fully paid	Aiii					
		iv	Total (Aii + Aiii)			Aiv			
	B	Other Equity							
		i	Other Reserves						
			a	Capital Redemption Reserve	ia				
			b	Debenture Redemption Reserve	ib				
			c	Share Options Outstanding account	ic				
			d	Other (specify nature and amount)	id				
			e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)				ie	
	ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as –ve figure)		ii					
	iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as –ve figure)			Biii				
	C	Total Equity (Aiv + Biii)				1C			
	2	Liabilities							
		A	Non-current liabilities						
		I	Financial Liabilities						
			Borrowings						
			a	Bonds or debentures					
1				Foreign currency	a1				
				2	Rupee	a2			
3			Total (1 + 2)			a3			
b			Term loans						
			1	Foreign currency	b1				
				2	Rupee loans				
				i	From Banks	i			
				ii	From other parties	ii			
				iii	Total (i + ii)				b2
3			Total Term loans (b1 + b2)			b3			
c		Deferred payment liabilities				c			
d		Deposits				d			
e		Loans from related parties (see instructions)				e			
f		Long term maturities of finance lease obligations				f			
g	Liability component of compound financial instruments				g				

	h	Other loans			h		
	i	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)			i		
	j	Trade Payables			j		
	k	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)			k		
II	Provisions						
	a	Provision for employee benefits	a				
	b	Others (specify nature)	b				
	c	Total Provisions		IIc			
III	Deferred tax liabilities (net)				III		
IV	Other non-current liabilities						
	a	Advances	a				
	b	Others (specify nature)	b				
	c	Total Other non-current liabilities		IVc			
Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIC + III + IVc)					2A		
B	Current liabilities						
I	Financial Liabilities						
i	Borrowings						
	a	Loans repayable on demand					
		1	From Banks	1			
		2	From Other parties	2			
		3	Total Loans repayable on demand (1 + 2)	3			
	b	Loans from related parties		b			
	c	Deposits		c			
	d	Other loans (specify nature)		d			
	Total Borrowings (a3 + b + c + d)				Ii		
	ii	Trade payables			Iii		
	iii	Other financial liabilities					
		a	Current maturities of long-term debt	a			
		b	Current maturities of finance lease obligations	b			
		c	Interest accrued	c			
		d	Unpaid dividends	d			
		e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e			
		f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f			
		g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g			
		h	Others (specify nature)	h			
		i	Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)		Iiii		
	iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)			Iiv		
II	Other Current liabilities						
		a	Revenue received in advance	a			
		b	Other advances (specify nature)	b			
		c	Others (specify nature)	c			
		d	Total Other current liabilities (a + b+ c)				IId
III	Provisions						
		a	Provision for employee benefits	a			
		b	Others (specify nature)	b			
		c	Total provisions (a + b)				IIIc
IV	Current Tax Liabilities (Net)				IV		
Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)					2B		
Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)					I		

II ASSETS						
II	1	Non-current assets				
	A	Property, Plant and Equipment				
		a	Gross block	a		
		b	Depreciation	b		
		c	Impairment losses	c		
		d	Net block (a – b - c)		Ad	
	B	Capital work-in-progress				B
	C	Investment Property				
		a	Gross block	a		
		b	Depreciation	b		
		c	Impairment losses	c		
		d	Net block (a – b - c)		Cd	
	D	Goodwill				
		a	Gross block	a		
		b	Impairment losses	b		
		c	Net block (a – b)		Dc	
	E	Other Intangible Assets				
		a	Gross block	a		
		b	Amortisation	b		
		c	Impairment losses	c		
		d	Net block (a – b - c)		Ed	
	F	Intangible assets under development				F
	G	Biological assets other than bearer plants				
		a	Gross block	a		
		b	Impairment losses	b		
		c	Net block (a – b)		Gc	
	H	Financial Assets				
	I	Investments				
	i	Investments in Equity instruments				
		a	Listed equities	ia		
		b	Unlisted equities	ib		
		c	Total (ia + ib)		ic	
	ii	Investments in Preference shares		ii		
	iii	Investments in Government or trust securities		iii		
	iv	Investments in Debenture or bonds		iv		
	v	Investments in Mutual funds		v		
	vi	Investments in Partnership firms		vi		
	vii	Others Investments (specify nature)		vii		
	viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				HI
	II	Trade Receivables				
		a	Secured, considered good	a		
		b	Unsecured, considered good	b		
		c	Doubtful	c		
		d	Total Trade receivables		III	
	III	Loans				
		i	Security deposits	i		
		ii	Loans to related parties (see instructions)	ii		
		iii	Other loans (specify nature)	iii		

				iv	Total Loans (i + ii + iii)			HIII				
				v	Loans included in HIII above which is-							
				a	for the purpose of business or profession	va						
				b	not for the purpose of business or profession	vb						
				c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc						
			IV	Other Financial Assets								
				i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i						
				ii	Others	ii						
				iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)			HIV				
				I	Deferred Tax Assets (Net)			I				
				J	Other non-current Assets							
				i	Capital Advances	i						
				ii	Advances other than capital advances	ii						
				iii	Others (specify nature)	iii						
				iv	Total non-current assets (i + ii + iii)			J				
				v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act			v				
				Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)							1	
				2	Current assets							
				A	Inventories							
				i	Raw materials	i						
				ii	Work-in-progress	ii						
				iii	Finished goods	iii						
				iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv						
				v	Stores and spares	v						
				vi	Loose tools	vi						
				vii	Others	vii						
				viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)					2A		
B	Financial Assets											
I	Investments											
i	Investment in Equity instruments											
a	Listed equities	ia										
b	Unlisted equities	ib										
c	Total (ia + ib)	ic										
ii	Investment in Preference shares			ii								
iii	Investment in government or trust securities			iii								
iv	Investment in debentures or bonds			iv								
v	Investment in Mutual funds			v								
vi	Investment in partnership firms			vi								
vii	Other Investments			vii								
viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I								
II	Trade receivables											
i	Secured, considered good	i										
ii	Unsecured, considered good	ii										
iii	Doubtful	iii										
iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)					II						
III	Cash and cash equivalents											
i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)			i								

		ii	Cheques, drafts in hand	ii				
		iii	Cash on hand	iii				
		iv	Others (specify nature)	iv				
		v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)				III	
	IV	Bank Balances other than III above				IV		
	V	Loans						
		i	Security Deposits	i				
		ii	Loans to related parties (<i>see instructions</i>)	ii				
		iii	Others(specify nature)	iii				
		iv	Total loans (i + ii + iii)				V	
		v	Loans and advances included in V above which is-					
		a	for the purpose of business or profession	va				
		b	not for the purpose of business or profession	vb				
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc				
	VI	Other Financial Assets				VI		
	Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)					2B		
	C	Current Tax Assets (Net)				2C		
	D	Other current assets						
		i	Advances other than capital advances	i				
		ii	Others(specify nature)	ii				
		iii	Total				2D	
	Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)					2		
	Total Assets (1 + 2)					II		

Part A-P & L

Profit and Loss Account for the financial year 2017-18 (fill items 1 to 52 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 53)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

1	Revenue from operations							
A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)							
	i	Sale of products/goods	I					
	ii	Sale of services	Ii					
	iii	Other operating revenues (specify nature and amount)						
	a		Iiia					
		b		Iiib				
		c	Total (iia + iib)	Iiic				
	iv	Interest (in case of finance company)	Iv					
	v	Other financial services (in case of finance company)	V					
vi	Total (i + ii + iic + iv + v)				Avi			
B	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied							
	i	Union Excise duties	i					
	ii	Service tax	ii					
	iii	VAT/ Sales tax	iii					
	iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv					
	v	State Goods & Services Tax (SGST)	v					
	vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi					
	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vi					
	viii	Any other duty, tax and cess	viii					
	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)						Bix
C	Total Revenue from operations (Avi + Bix)					1C		
2	Other income							

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	i Interest income (in case of a company, other than a finance company)		I		
	ii Dividend income		II		
	iii Profit on sale of fixed assets		iii		
	iv Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)		iv		
	v Profit on sale of other investment		v		
	vi Rent		vi		
	vii Commission		vii		
	viii Profit on account of currency fluctuation		viii		
	ix Agricultural income		ix		
	x Any other income (specify nature and amount)				
	a		xa		
	b		xb		
	c	Total (xa + xb)	xc		
	xi Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc)				2xi
	3 Closing Stock				
	i	Raw material	3i		
	ii	Work-in-progress	3ii		
	iii	Finished goods	3iii		
	Total (3i + 3ii + 3iii)				3iv
	4 Total of credits to profit and loss account (1C + 2xi + 3iv)				4
	5 Opening Stock				
	i	Raw material	5i		
	ii	Work-in-progress	5ii		
	iii	Finished goods	5iii		
	iv	Total (5i + 5ii + 5iii)			5iv
	6 Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				6
	7 Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	7i		
	ii	Counter veiling duty	7ii		
	iii	Special additional duty	7iii		
	iv	Union excise duty	7iv		
	v	Service tax	7v		
	vi	VAT/ Sales tax	7vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	7vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	7viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	7ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	7x		
	xi	Any other tax, paid or payable	7xi		
	7xii	Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii+7viii+7ix+7x+7xi)			7xii
	8 Freight				8
	9 Consumption of stores and spare parts				9
	10 Power and fuel				10
	11 Rents				11
	12 Repairs to building				12
	13 Repairs to plant, machinery or furniture				13
	14 Compensation to employees				
	i	Salaries and wages	14i		
	ii	Bonus	14ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	14iii		

	iv	Leave encashment	14iv			
	v	Leave travel benefits	14v			
	vi	Contribution to approved superannuation fund	14vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	14vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	14viii			
	ix	Contribution to any other fund	14ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	14x			
	xi	Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)				14xi
	xii	Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-resident	xiia	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
15	Insurance					
	i	Medical Insurance	15i			
	ii	Life Insurance	15ii			
	iii	Keyman's Insurance	15iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	15iv			
	v	Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv)				15v
16	Workmen and staff welfare expenses				16	
17	Entertainment				17	
18	Hospitality				18	
19	Conference				19	
20	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				20	
21	Advertisement				21	
22	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				22iii
23	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				23iii
24	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				24iii
25	Hotel, boarding and Lodging				25	
26	Traveling expenses other than on foreign traveling				26	
27	Foreign traveling expenses				27	
28	Conveyance expenses				28	
29	Telephone expenses				29	
30	Guest House expenses				30	
31	Club expenses				31	
32	Festival celebration expenses				32	
33	Scholarship				33	
34	Gift				34	
35	Donation				35	
36	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	36i			
	ii	Service tax	36ii			

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	iii	VAT/ Sales tax	36ii		
	iv	Cess	36iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	36v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	36vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	36vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	36viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl. STT and CTT	36ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x		
	37	Audit fee	37		
	38	Other expenses (specify nature and amount)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)	38iii		
	39	Bad debts written off (specify PAN of the person, if it is available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)			
	i		39i		
	ii		39ii		
	iii		39iii		
	iv	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available	39iv		
	v	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	39v		
	vi	Total Bad Debt (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)	39vi		
	40	Provision for bad and doubtful debts	40		
	41	Other provisions	41		
	42	Profit before interest, depreciation and taxes [4 – (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]	42		
	43	Interest			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)	43iii		
	44	Depreciation and amortization	44		
	45	Profit before taxes (42 – 43iii – 44)	45		
	46	Provision for current tax	46		
	47	Provision for Deferred Tax and deferred liability	47		
	48	Profit after tax (45 - 46 - 47)	48		
	49	Balance brought forward from previous year	49		
	50	Amount available for appropriation (48 + 49)	50		
	51	Appropriations			
	i	Transfer to reserves and surplus	51i		
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend	51ii		
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years	51iii		
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)	51iv		
	v	Any other appropriation	51v		
	vi	Total (51i + 51ii + 51iii + 51iv + 51v)	51vi		
	52	Balance carried to balance sheet (50-51vi)	52		
NO ACCOUNT CASE	53	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year 2017-18 in respect of business or profession			
	a	Gross receipts	53a		
	b	Gross profit	53b		
	c	Expenses	53c		
	d	Net profit	53d		

Part A-P&L – Ind AS

Profit and Loss Account for the financial year 2017-18 (fill items 1 to 54 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 55) [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	1	Revenue from operations				
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
		i	Sale of products/goods	i		
		ii	Sale of services	ii		
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
		a		iiia		
		b		iiib		
		c	Total (iiia + iiib)	iiic		
		iv	Interest (in case of finance company)	iv		
		v	Other financial services (in case of finance company)	v		
		vi	Total (i + ii + iiic + iv + v)		Avi	
	B	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
		i	Union Excise duties	i		
		ii	Service tax	ii		
		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
		viii	Any other duty, tax and cess	viii		
	ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Bix		
C	Total Revenue from operations (Avi + Bix)				1C	
2	Other income					
	i	Interest income (in case of a company, other than a finance company)	i			
	ii	Dividend income	ii			
	iii	Profit on sale of fixed assets	iii			
	iv	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	iv			
	v	Profit on sale of other investment	v			
	vi	Rent	vi			
	vii	Commission	vii			
	viii	Profit on account of currency fluctuation	viii			
	ix	Agricultural income	ix			
	x	Any other income (specify nature and amount)				
	a		xa			
	b		xb			
	c	Total (xa + xb)	xc			
	xi	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc)			2xi	
3	Closing Stock					
	i	Raw material	3i			
	ii	Work-in-progress	3ii			
	iii	Finished goods	3iii			
	Total (3i + 3ii + 3iii)				3iv	
4	Total of credits to profit and loss account (1C + 2xi + 3iv)				4	
PROFIT AND LOSS	5	Opening Stock				
		i	Raw material	5i		
		ii	Work-in-progress	5ii		
		iii	Finished goods	5iii		

	iv	Total (5i + 5ii + 5iii)		5iv	
6	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			6	
7	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	7i		
	ii	Counter veiling duty	7ii		
	iii	Special additional duty	7iii		
	iv	Union excise duty	7iv		
	v	Service tax	7v		
	vi	VAT/ Sales tax	7vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (GST)	7vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	7viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	7ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	7x		
	xi	Any other tax, paid or payable	7xi		
	xii	Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii+7viii + 7ix + 7x + 7xi)		7xii	
8	Freight			8	
9	Consumption of stores and spare parts			9	
10	Power and fuel			10	
11	Rents			11	
12	Repairs to building			12	
13	Repairs to plant, machinery or furniture			13	
14	Compensation to employees				
	i	Salaries and wages	14i		
	ii	Bonus	14ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	14iii		
	iv	Leave encashment	14iv		
	v	Leave travel benefits	14v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	14vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	14vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	14viii		
	ix	Contribution to any other fund	14ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	14x		
	xi	Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x)		14xi	
	xii	Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-resident	xiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
15	Insurance				
	i	Medical Insurance	15i		
	ii	Life Insurance	15ii		
	iii	Keyman's Insurance	15iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	15iv		
	v	Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv)		15v	
16	Workmen and staff welfare expenses			16	
17	Entertainment			17	
18	Hospitality			18	
19	Conference			19	
20	Sales promotion including publicity (other than advertisement)			20	
21	Advertisement			21	
22	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		

	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		22iii	
23	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		23iii	
24	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		24iii	
25	Hotel, boarding and Lodging				25
26	Traveling expenses other than on foreign traveling				26
27	Foreign traveling expenses				27
28	Conveyance expenses				28
29	Telephone expenses				29
30	Guest House expenses				30
31	Club expenses				31
32	Festival celebration expenses				32
33	Scholarship				33
34	Gift				34
35	Donation				35
36	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	36i		
	ii	Service tax	36ii		
	iii	VAT/ Sales tax	36iii		
	iv	Cess	36iv		
	v	Goods & Service Tax (GST)	36v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	36vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	36vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	36viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl. STT and CTT	36ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v + 36vi + 36vii + 36viii + 36ix)	36x		
37	Audit fee				37
38	Other expenses (specify nature and amount)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)		38iii	
39	Bad debts written off (specify PAN of the person, if it is available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)				
	i			39i	
	ii			39ii	
	iii			39iii	
	iv	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available	39iv		
	v	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	39v		
	vi	Total Bad Debt (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v)	39vi		
40	Provision for bad and doubtful debts				40
41	Other provisions				41
42	Profit before interest, depreciation and taxes [4 – (5iv + 6 + 7xii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36x + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)]				42
43	Interest				

PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
		ii	To others	ii		
		iii	Total (i + ii)			43iii
	44	Depreciation and amortization				44
	45	Profit before taxes (42 – 43iii – 44)				45
	46	Provision for current tax				46
	47	Provision for Deferred Tax and deferred liability				47
	48	Profit after tax (45 - 46 - 47)				48
	49	Balance brought forward from previous year				49
	50	Amount available for appropriation (48 + 49)				50
	51	Appropriations				
		i	Transfer to reserves and surplus	51i		
		ii	Proposed dividend/ Interim dividend	51ii		
		iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years	51iii		
		iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)	51iv		
		v	Any other appropriation	51v		
		vi	Total (51i + 51ii + 51iii + 51iv+51v)			51vi
	52	Balance carried to balance sheet (50 – 51vi)				52
	53	Other Comprehensive Income				
		A	Items that will not be reclassified to P&L			
			i	Changes in revaluation surplus	i	
			ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii	
			iii	Equity instruments through OCI	iii	
			iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv	
			v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures , to the extent not to be classified to P&L	v	
			vi	Others (Specify nature)	vi	
			vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii	
			viii	Total		53A
		B	Items that will be reclassified to P&L			
			i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i	
			ii	Debt instruments through OCI	ii	
			iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii	
			iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L	iv	
			v	Others (Specify nature)	v	
			vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L	vi	
			vii	Total		53B
	54	Total Comprehensive Income (48 + 53A + 53B)				54
NO ACCOUNT CASE	55	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year 2017-18 in respect of business or profession				
		a	Gross receipts			55a
		b	Gross profit			55b
		c	Expenses			55c
		d	Net profit			55d

Part A- OI

Other Information (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

OTHER	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No

3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]		3a	
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]		3b	
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No		
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
	a	the items falling within the scope of section 28	5a	
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
	d	any other item of income	5d	
	e	capital receipt, if any	5e	
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-			
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiia)]	6e	
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	j	Amount of contributions to any other fund	6j	
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m	
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
	q	Any other disallowance	6q	
	r	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6q)	6r	
	s	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)		
		i deployed in India	i	
		ii deployed outside India	ii	
		iii Total	iii	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	

	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
	f	Any other penalty or fine	7f	
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h	
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i	
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j	
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		7k
	8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40		
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af	
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag	
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah	
	i	Any other disallowance	Ai	
	j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		Aj
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a	
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b	
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c	
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d	
	e	Any other disallowance	9e	
	f	Total amount disallowable under section 40A		9f
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g	
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	

	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g			
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)				11h
	12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a			
	b	Service tax	12b			
	c	VAT/sales tax	12c			
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d			
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e			
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f			
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g			
	h	Any other tax	12h			
i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i		
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15	

Part A – QD

Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1		
	2	Purchase during the previous year	2		
	3	Sales during the previous year	3		
	4	Closing stock	4		
	5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock	6a		
	b	Purchases during the previous year	6b		
	c	Consumption during the previous year	6c		
	d	Sales during the previous year	6d		
	e	Closing stock	6e		
	f	Yield finished products	6f		
	g	Percentage of yield	6g		
	h	Shortage/ excess, if any	6h		
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock	7a		
	b	purchase during the previous year	7b		
	c	quantity manufactured during the previous year	7c		
	d	sales during the previous year	7d		
	e	closing stock	7e		
	f	shortage/ excess, if any	7f		

Part A – OL**Receipt and payment account of company under liquidation**

Receipt and payment account of company under liquidation

Receipt and payment account of company under liquidation	1	Opening balance				
		i	Cash in hand	1i		
		ii	Bank	1ii		
		iii	Total opening balance	1iii		
	2	Receipts				
		i	Interest	2i		
		ii	Dividend	2ii		
		iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)			
		a		2iiia		
		b		2iiib		
		c		2iiic		
		d	Total (iiia + iiib + iiic)	2iiid		
		iv	Realisation of dues/debtors	2iv		
		v	Others (pls. specify nature and amount)			
		a		2va		
		b		2vb		
		c	Total of other receipts (va + vb)	2vc		
		vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)	2vi		
	3	Total of opening balance and receipts				3
	4	Payments				
		i	Repayment of secured loan	4i		
		ii	Repayment of unsecured loan	4ii		
		iii	Repayment to creditors	4iii		
		iv	Commission	4iv		
	v	Others (pls. specify)				
	a		4va			
	b		4vb			
	c	Total of other payments (4va + 4vb)	4vc			
	vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi			
5	Closing balance					
	i	Cash in hand	5i			
	ii	Bank	5ii			
	iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	5iii			
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)				6	

Part B - TI**Computation of total income**

TOTAL INCOME

TOTAL INCOME	1	Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss)				1
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A39 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (B43 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (C49 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii		
		iv	Income from patent u/s 115BBF (3d of Schedule BP)	2iv		
		v	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG (3e of Schedule BP)	2v		
		vi	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv + 2v)	2vi		
	3	Capital gains				
		a	Short term			
		i	Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG)	ai		
	ii	Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG)	aii			

	iii	Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG)	aiii				
	iv	Total Short-term (ai + aii + aiii)	3aiv				
	b	Long-term					
		i	Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG)	bi			
		ii	Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG)	bii			
		iii	Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss)	biii			
	c	Total capital gains (3aiv + 3biii) (enter nil if loss)				3c	
	4	Income from other sources					
	a	from sources other than from owning and maintaining race horses and income chargeable to tax at special rate (1k of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a				
	b	Income chargeable to tax at special rate (1fvi of Schedule OS)	4b				
	c	from owning and maintaining race horses (3e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c				
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d			
5	Total (1 + 2vi + 3c + 4d)			5			
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xiii, 3xiii and 4xiii of Schedule CYLA)			6			
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b)			7			
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xii, 3xii and 4xii of Schedule BFLA)			8			
9	Gross Total income (7 – 8) (5xiii of Schedule BFLA + 4b)			9			
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 9			10			
11	Deduction u/s 10AA (e of Sch. 10AA)			11			
12	Deductions under Chapter VI-A						
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)]		12a			
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2iii)]		12b			
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (9-10)]		12c			
13	Total income (9 – 11-12c)			13			
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)			14			
15	Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)			15			
16	Net agricultural income(4 of Schedule EI)			16			
17	Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL)			17			
18	Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)			18			

Part B - TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY

1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)				1a	
	b	Surcharge on (a) above				1b	
	c	Education cess, including secondary and higher education cess on (1a+1b) above				1c	
	d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)				1d	
2	Tax payable on total income						
	a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a				
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b				
	c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)					2c
	d	Surcharge					
	i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2di				
	ii	On [(2d) – (12(ii) of Schedule SI)]	2dii				
	iii	Total (i + ii)		2diii			
	e	Education cess, including secondary and higher education cess on (2c+2diii)			2e		
	f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)			2f		
3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)					3	
4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)					4	
5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]					5	
6	Tax relief						

	a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)	6a				
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b				
	c	Total (6a + 6b)	6c				
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d				
e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e			
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 16A)	10a			
		b	TDS (total of column 9 of 16B)	10b			
		c	TCS (total of column 7 of 16C)	10c			
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 16A)	10d			
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)			10e		
11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12		
BANK ACCOUNT	13	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)					
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)		
	i						
	ii						
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]					☐ Yes ☐ No

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.
 I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).
 I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with.
 (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

15 TAX PAYMENTS							
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax						
	Sl No	BSR Code			Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
	i						
	ii						
	iii						
NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI							
TDS ON INCOME	B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 26QB/26QC furnished by Deductor(s)]						
	Sl No	TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer/ Tenant	Name of the Deductor/Buyer/ Tenant	Unique TDS Certificate Number	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current fin. year	TDS credit out of (7) or (8) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)

					Fin. Year in which deducted	Amount b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)			(11)
								Income	TDS	PAN of other person		Income	TDS	PAN of other person	
	i														
	ii														
NOTE ► Please enter total of column (8) in 10b of Part B-TTI															
C	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]														
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward							
				Fin. Year in which collected	Amount b/f										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
	i														
	ii														
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI															

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1- S21) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions)					
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City	State	PIN Code	
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Assessee's percentage of share in the property						
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property		
	I						
	II						
	☒ [Tick the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)		
	a	Annual letable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)				1a	
	b	The amount of rent which cannot be realized		1b			
	c	Tax paid to local authorities		1c			
	d	Total (1b + 1c)		1d			
	e	Annual value (1a – 1d)				1e	
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f	
	g	30% of 1f		1g			
	h	Interest payable on borrowed capital		1h			
	i	Total (1g + 1h)				1i	
	j	Income from house property 1 (1f – 1i)				1j	
	2	Address of property 2		Town/ City	State	PIN Code	
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Assessee's percentage of share in the property						
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property		
	I						
	II						
	☒ [Tick the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN of Tenant(s) (if available)		
	a	Annual letable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)				2a	
b	The amount of rent which cannot be realized		2b				
c	Tax paid to local authorities		2c				
d	Total (2b + 2c)		2d				
e	Annual value (2a – 2d)				2e		
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)				2f		
g	30% of 2f		2g				
h	Interest payable on borrowed capital		2h				
i	Total (2g + 2h)				2i		
j	Income from house property 2 (2e – 2h)				2j		
3	Income under the head "Income from house property"						
a	Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30%				3a		
b	Total (1j + 2j + 3a)				3b		

Schedule BP		Computation of income from business or profession				
INCOME FROM BUSINESS OR	A	From business or profession other than speculative business and specified business				
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 45 or 53 of Part A-P&L) / (item 45 or 55 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable)			1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account	a	House property	3a	

	considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	b	Capital gains	3b		
		c	Other sources	3c		
		d	u/s 115BBF	3d		
		e	u/s 115BBG	3e		
4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/ 44D/44DA/ Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act	a	u/s 115B	4a		
		b	Other	4b		
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt					
	a	Share of income from firm(s)	5a			
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b			
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)				
	i		ci			
	ii		cii			
	iii	Total (ci + cii)	5ciii			
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d		
6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4- 5d)					6
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	a	House property	7a		
		b	Capital gains	7b		
		c	Other sources	7c		
		d	u/s 115BBF	7d		
		e	u/s 115BBG	7e		
8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8)			9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)					10
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account					11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act					
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP)		12i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)		12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)			12iii	
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 + 11 - 12iii)					13
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of Part A-OI)			14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)			15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)			17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19		
20	Deemed income under section 41			20		
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA			21		
22	Deemed income under section 43CA			22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA			23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)			24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)			25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)					26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27		
28	Deduction allowable under section 32AD			28		
29	Amount allowable as deduction under section 32AC			29		
30	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			30		
31	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)			31		

	32	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10g of Part A-OI)			32			
	33	Any other amount allowable as deduction			33			
	34	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)			34			
	35	Total (27+28+29+30+31+32+33+34)					35	
	36	Income (13+26-35)					36	
	37	Profits and gains of business or profession deemed to be under -						
		i	Section 44AE	37i				
		ii	Section 44B	37ii				
		iii	Section 44BB	37iii				
		iv	Section 44BBA	37iv				
		v	Section 44BBB	37v				
		vi	Section 44D	37vi				
		vii	Section 44DA	37vii	(item 4 of Form 3CE)			
		viii	Chapter-XII-G (tonnage)	37viii	(total of col. 7 of item 10 of Form 66)			
		ix	First Schedule of Income-tax Act	37ix	a	u/s 115B		
					b	Other		
		x	Total (37i to 37ix)				37x	
	38	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34+37x)					38	
	39	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 38) (If loss take the figure to 2i of item E)					A39	
	B	Computation of income from speculative business						
		40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account				40	
		41	Additions in accordance with section 28 to 44DA				41	
		42	Deductions in accordance with section 28 to 44DA				42	
		43	Income from speculative business (40+41-42) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)				B43	
	C	Computation of income from specified business under section 35AD						
		44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account				44	
		45	Additions in accordance with section 28 to 44DA				45	
		46	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)				46	
	47	Profit or loss from specified business (44+45-46)				47		
	48	Deductions in accordance with section 35AD(1)				48		
	49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL)				C49		
	50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)				C50		
D	Income chargeable under the head ‘Profits and gains from business or profession’ (A38+B43+C49)					D		
E	Intra head set off of business loss of current year							
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)		Business loss set off		Business income remaining after set off	
			(1)		(2)		(3) = (1) – (2)	
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)			(A39)			
	ii	Income from speculative business	(B43)					
	iii	Income from specified business	(C49)					
	iv	Total loss set off (ii + iii)						
	v	Loss remaining after set off (i – iv)						

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)		
DEPRECIATION ON PLANT	1	Block of assets	Plant and machinery	
	2	Rate (%)	15	30
			(i)	(ii)
	3(a)	Written down value on the first day of previous year		

3(b)	Written down value on the first day of previous year, of those block of assets which were eligible for depreciation @ 50%, 60% or 80% as per the old Table			
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year			
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4			
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3(a) + 3(b) + 4 -5) (enter 0, if result is negative)			
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year			
8	Consideration or other realizations during the year out of 7			
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)			
10	Depreciation on 6 at full rate			
11	Depreciation on 9 at half rate			
12	Additional depreciation, if any, on 4			
13	Additional depreciation, if any, on 7			
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days			
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)			
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
17	Net aggregate depreciation (15-16)			
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3(a) - 3(b) - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)			
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)			

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							

16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP	Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c)	1d					
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)	2d					
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 12v)	3					
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 12vi)	4					
	5	Ships (Schedule DOA- 12vii)	5					
	6	Total depreciation (1d+2d+3+4+5)	6					

Schedule DCG	Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

1	Plant and machinery							
a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a						
b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b						
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c						
d	Total (1a +1b + 1c)	1d						
2	Building (not including land)							
a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a						
b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b						
c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c						
d	Total (2a + 2b + 2c)	2d						
3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)	3						
4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)	4						
5	Ships (Schedule DOA- 17vii)	5						
6	Total (1d+2d+3+4+5)	6						

Schedule ESR	Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			

vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			

Schedule CG

Capital Gains

Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)				
	1 From sale of land or building or both				
	a	i	Full value of consideration received/receivable	ai	
		ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii	
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)	aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	
	c	Balance (aiii – biv)			1c
	d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)			1d
	e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				A1e
	2 From slump sale				
	a	Full value of consideration		2a	(5 of Form 3CEA)
		b Net worth of the under taking or division		2b	(6(e) of Form 3CEA)
		c Short term capital gains from slump sale (2a-2b)			
	3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)				
	a	Full value of consideration		3a	
		b Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of Improvement without indexation		bii	
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii	
		iv Total (i + ii + iii)		biv	
c	Balance (3a – biv)			3c	
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			3d	
e Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)				A3e	
4 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid			A4a	
	b STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid			A4b	
5 For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			
c		Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic	
ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				
	iii Total (ic + ii)		aiii		
	b Deductions under section 48				
i	Cost of acquisition without indexation		bi		
	ii Cost of improvement without indexation		bii		
	iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii		
	iv Total (i + ii + iii)		biv		
	c	Balance (5aiii – biv)			5c
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)			5d	
e Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)				A5e	
6 From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			

Long-term Capital Gains			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner						
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)				ic		
			ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares						
			iii	Total (ic + ii)				aiii		
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (i + ii + iii)				biv			
	c	Balance (6aiii – biv)				6c				
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d				
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)				6e				
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA				6f				
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)							A6g	
	7	Amount deemed to be short-term capital gains								
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below								
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
	i	2014-15	54D/54G/54GA							
	b	Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'								
	Total Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA (aXi + b)								A7	
8	Amount of STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA							A8a		
b	Total amount of STCG chargeable at special rates in India as per DTAA							A8b		
9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7-A8a)							A9		
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5 & 6 are not applicable for residents)									
1	From sale of land or building or both									
	a	i	Full value of consideration received/receivable				ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii)				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition with indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement with indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below)				1d				
e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							B1e		
2	From slump sale									
	a	Full value of consideration				2a	(5 of Form 3CEA)			
	b	Net worth of the under taking or division				2b	(6(e) of Form 3CEA)			
	c	Balance (2a – 2b)				2c				
	d	Deduction u/s 54EC/54EE				2d				

	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)		B2e	
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)				
	a	Full value of consideration	3a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (3a – biv)	3c		
	d	Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below)	3d		
	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)		B3e	
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable				
	a	Full value of consideration	4a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (4a – biv)	4c		
	d	Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below)	4d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	a	LTCG computed without indexation benefit	5a		
	b	Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below)	5b		
	c	LTCG on share or debenture (5a-5b)		B5c	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD				
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (6aiii – biv)	6c		
	d	Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below)	6d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-REESIDENT (6c – 6d)		B6e	
7	From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable				
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares			
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition with indexation	bi		
	ii	Cost of improvement with indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (7aiii – biv)	7c		
	d	Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below)	7d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d)		B7e	

8 Amount deemed to be long-term capital gains										
a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
i	2014-15	54/54D/54F/54G/54GA	Year in which asset acquired/constructed	Amount 319 utilized out of Capital Gains account						
b Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + b)										B8
9 Amount of LTCG included in items B1 to B8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
a Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA										B9a
b Total amount of LTCG chargeable at special rates in India as per DTAA										B9b
10 Total long term capital gain [B1e + B2e+ B3e + B4e + B5c + B6e + B7e+ B8-B9a] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)										B10
C Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9 + B10) (take B10 as nil, if loss)										C
D Information about deduction claimed against Capital Gains										
1 In case of deduction u/s 54B/54D/54EC/54EE /54G/54GA give following details										
a Deduction claimed u/s 54B										
i	Date of transfer of original asset					ai	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new agricultural land					aii				
iii	Date of purchase of new agricultural land					aiii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv				
v	Amount of deduction claimed					av				
b Deduction claimed u/s 54D										
i	Date of acquisition of original asset					bi	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					bii				
iii	Date of purchase of new land or building					biii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					biv				
v	Amount of deduction claimed					bv				
c Deduction claimed u/s 54EC										
i	Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy			
ii	Amount invested in specified/notified bonds					cii				
iii	Date of investment					ciii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount of deduction claimed					civ				
d Deduction claimed u/s 54EE										
i	Date of transfer of original asset					di	dd/mm/yyyy			
ii	Amount invested in specified asset					dii				
iii	Date of investment					diii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount of deduction claimed					div				
e Deduction claimed u/s 54G										
i	Date of transfer of original asset from urban area					ei	dd/mm/yyyy			
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					eii				
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area					eiii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					eiv				
v	Amount of deduction claimed					ev				
f Deduction claimed u/s 54GA										
i	Date of transfer of original asset from urban area					fi	dd/mm/yyyy			

		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii						
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	fiii	dd/mm/yyyy					
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fiv						
		v	Amount of deduction claimed	fv						
		g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)	1g						
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A7 & B9 which is chargeable under DTAA)									
	Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off			Long term capital loss set off		Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6)	
				15%	30%	applicable rate	10%	20%		
			1	2	3	4	5	6	7	
	i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e+A4a)	A5e	(A1e+A2c+A4b+A6g+A7)	(B4e++B6e)	(B1e+B2e+B3e+B5c+B7e+B8)		
	ii	Short term capital gain	15%	(A3e+A4a)						
	iii		30%	A5e						
	iv		applicable rate	(A1e+A2c+A4b+A6g+A7)						
	v	Long term capital gain	10%	(B4e++B6e)						
	vi		20%	(B1e+B2e+B3e+B5c+B7e+B8)						
	vii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi)								
	viii	Loss remaining after set off (i – vii)								
F	Information about accrual/receipt of capital gain									
		Type of Capital gain / Date				Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
	1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.								
	2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.								
	3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.								
	4	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.								
	5	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.								

Schedule OS

Income from other sources

OTHER SOURCES	1	Income						
	a	Dividends, Gross				1a		
	b	Interest, Gross				1b		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c		
	d	Others, Gross (excluding income from owning race horses) Mention the nature						
		i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.			1di		
		ii	a	Cash credits u/s 68				
			b	Unexplained investments u/s 69				
			c	Unexplained money etc. u/s 69A				
			d	Undisclosed investments etc. u/s 69B				
			e	Unexplained expenditure etc. u/s 69C				
			f	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D				
				Total (a + b + c + d + e + f)			1dii	
		iii	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax					
			a	Aggregate value of sum of money received without consideration				
		b	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property					
		c	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration					
		d	In case any other property is received without consideration, fair market value of property					

	e	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration												
		Total (a+ b + c +d + e)										1diii		
		iv											1div	
		v											1dv	
		vi	Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div+1dv)										1dvi	
		Total (1a + 1b + 1c + 1dvi)											1e	
		Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI)												
		i	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB)										1fi	
		ii	Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE										1fii	
		iii	Income from patent chargeable u/s 115BBF										1fiii	
iv	Income from transfer of carbon credits u/s 115BBG										1fiv			
v	Any other income chargeable to tax at the rate specified under chapter XII/XII-A										1fv			
vi	Income chargeable at special rates under DTAA													
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	I													
	II													
	III	Total amount of income chargeable at special rates under DTAA										1fvi		
	vii	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii + 1fiii+1fiv+1fv + 1fvi)										1fvii		
	g	Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e – 1fvii)										1g		
	h	Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv & 1fvi)												
	i	Expenses / Deductions						hi						
	ii	Depreciation						hii						
	iii	Total						hiii						
	i	Amounts not deductible u/s 58										1i		
	j	Profits chargeable to tax u/s 59										1j		
	k	Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii + 1i + 1j) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										1k		
2	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (1fvii + 1k) (enter 1k as nil, if negative)										2			
3	Income from the activity of owning race horses													
	a	Receipts						3a						
	b	Deductions under section 57 in relation to (4)						3b						
	c	Amounts not deductible u/s 58						3c						
	d	Profits chargeable to tax u/s 59						3d						
	e	Balance (3a – 3b + 3c + 3d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)										3e		
4	Income under the head "Income from other sources" (2 + 3e) (take 3e as nil if negative)										4			

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off →		(3b of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(1k of Schedule-OS)	
	ii	House property	(3b of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(A39 of Schedule BP)				
	iv	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
	v	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
	vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(7ii of item E of schedule CG)				

vii	Short-term capital gain taxable @ 30 %	(7iii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(7iv of item E of schedule CG)				
ix	Long term capital gain taxable @ 10 %	(7v of item E of schedule CG)				
x	Long term capital gain taxable @ 20 %	(7vi of item E of schedule CG)				
xi	Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(1k of schedule OS)				
xii	Profit from owning and maintaining race horses	(3e of schedule OS)				
xiii	Total loss set off (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii)					
xiv	Loss remaining after set-off (i - xiii)					

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iii	Speculation Income	(5iv of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	iv	Specified Business Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 15 %	(5vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 30 %	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Long-term capital gain taxable @ 10 %	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	ix	Long term capital gain taxable @ 20 %	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
	x	Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax)	(5xi of schedule CYLA)				
	xi	Profit from owning and maintaining race horses	(5xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
	xii	Total of brought forward loss set off					
	xiii	Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5+ v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5)					

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

CARRY FORWARD OF LOSS	Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	i	2010-11								
	ii	2011-12								
	iii	2012-13								
	iv	2013-14								
	v	2014-15								
	vi	2015-16								

vii	2016-17								
viii	2017-18								
ix	Total of earlier year losses b/f								
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)			(2xi of schedule BFLA)
xi	2018-19 (Current year losses)		(2xiv of schedule CYLA)	(3xiv of schedule CYLA)	(B43 of schedule BP, if -ve)	(C49 of schedule BP, if -ve)	(2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG)	((5viii+6viii) of item E of schedule CG)	(3e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss Carried forward to future years								

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv	Total		(3xii of BFLA)			(4xii of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (<i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i>)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (<i>if positive</i>)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (<i>if negative</i>)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone					
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)	
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)			c	

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation	
	i					
	ii					
	iii					
	iv	Total				
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation	
	i					
	ii					
	iii					

	iv	Total			
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii				
	iv	Total			
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit				
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation	Eligible Amount of donation
	i				
	ii				
	iii				
	iv	Total			
E	Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)				

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA

DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
			a2	Undertaking no. 2	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	b1	Undertaking no. 1	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
			b2	Undertaking no. 2	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	c1	Undertaking no. 1	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
			c2	Undertaking no. 2	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
	d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	d1	Undertaking no. 1	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
			d2	Undertaking no. 2	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
	e	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	e1	Undertaking no. 1	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
			e2	Undertaking no. 2	<i>(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
	f	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2+ e1 + e2)				f

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		a2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		b2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		c2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	<i>(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)</i>	
		d2	Undertaking no. 2	<i>(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)</i>	
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	<i>(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)</i>	
		e2	Undertaking no. 2	<i>(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)</i>	
f	Deduction in the case of company carrying on scientific research [Section 80-IB(8A)]	f1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		f2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
g	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	g1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		g2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
h	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	h1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		h2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
i	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	i1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		i2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		j2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	k1	Undertaking no. 1	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	
		k2	Undertaking no. 2	<i>(30 of Form 10CCB of the undertaking)</i>	

l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	11	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)	
		12	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
m	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	m1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	
		m2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	
n	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to m2)				n

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE			
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim		a1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				a2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh		b1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				b2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal		c1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				c1	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)		dh	
	e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)		e	

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80G		b	80GGB	
		c	80GGA	d	80GGC	
	Total Deduction under Part B (a + b + c + d)					1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	e	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	f	80-IAB	
		g	80-IAC	h	80-IB	
		i	80-IBA	j	80-IC/ 80-IE	
		k	80JJA	l	80JJAA	
		m	80LA	(9 of Annexure to Form 10CCF)		
	Total Deduction under Part C (total of e to m)					2
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)				3

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

A	SI No	Section/Description	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)

1	111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	☐	15	(5v of schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(5vi of schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10	(part of 5viii of schedule BFLA)	
8	112 (LTCG on others)	☐	20	(5ix of schedule BFLA)	
9	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50	(part of 37ix of schedule BP)	
10	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fii of schedule OS)	
11	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(1fi of schedule OS)	
12	115BBB (Dividend received from specified foreign company)	☐	15	(part of 1fiv of schedule OS)	
13	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(1fii of schedule OS)	
14	115A(b) (Income of a foreign company from Royalty)	☐	25	(part of 1fiv of schedule OS)	
15	Chargeable under DTAA rate	☐		(part of 1fvi of schedule OS + A8b and B9b of schedule CG)	
16	115BBF (Tax on income from patent)				
	a Income under head business or profession	☐	10	(3d of schedule BP)	
	b Income under head other sources	☐	10	(1fiii of schedule OS)	
17	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a Income under head business or profession	☐	10	(3e of schedule BP)	
	b Income under head other sources	☐	10	(1fiv of schedule OS)	
18		☐			
			Total		

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

EXEMPT INCOME	1	Interest income	1	
	2	Dividend income	2	
	3	Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid	3	
	4	i Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i	
		ii Expenditure incurred on agriculture	ii	
		iii Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii	
		iv Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)	4	
	5	Others, including exempt income of minor child (please specify)	5	
	6	Total (1+2+3+4+5)	6	

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
1.			i	House property		
			ii	Capital Gains		
			a	Short term		
			b	Long term		
			iii	Other Sources		
			iv	Income claimed to be exempt		
			a	u/s 10(23FBB)		
			b	u/s		
			c	u/s		
2.			i	House property		
			ii	Capital Gains		
			a	Short term		
			b	Long term		
			iii	Other Sources		
			iv	Income claimed to be exempt		
			a	u/s 10(23FBB)		
			b	u/s		
			c	u/s		

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule MAT

Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

MINIMUM ALTERNATE TAX	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')			☐
	2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')			☐
	3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')			☐
	4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 48 of Part A-P&L)			4
	5	Additions (if debited in profit and loss account)			
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a		
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b		
	c	Provisions for unascertained liability	5c		
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d		
	e	Dividend paid or proposed	5e		
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f		
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g		
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h		
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i		
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j		
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k		
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	5l		
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m		
	n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)			5n
	6	Deductions			
	a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a		
	b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b		
	c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c		
	d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d		
e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e			
f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f			
g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g			
h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h			
i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less	6i			
j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j			
k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k			
l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)			6l	
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)			7	
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-			☐ Yes ☐ No	
	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB				
a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"			8a	
b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger			8b	
c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)			8c	

d	Others (including residual adjustment)	8d	
e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e	
B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB			
f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head “ <i>items that will not be reclassified to profit & loss</i> ”	8f	
g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g	
h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h	
i	Others (including residual adjustment)	8i	
j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j	
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)	9	
10	Tax payable under section 115JB	10	

Schedule MATC**Computation of tax credit under section 115JAA**

MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2018-19 (1d of Part-B-TTI)				1	
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2018-19 (2f of Part-B-TTI)				2	
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]					
	S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit			MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)		
	i	2008-09					
	ii	2009-10					
	iii	2010-11					
	iv	2011-12					
	v	2012-13					
	vi	2013-14					
	vii	2014-15					
	viii	2015-16					
	ix	2016-17					
	x	2017-18					
	xi	2018-19 (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
	xii	Total					
	5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)ix]				5	
	6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)ix]				6	

Schedule- DDT**Details of tax on distributed profits of domestic companies and its payment**

DIVIDEND DISTRIBUTION TAX	Sl	Description	Details of 1 st dividend		Details of 2 nd dividend		Details of 3 rd dividend	
	(i)	(ii)	(iii)		(iv)		(v)	
	1	Date of declaration or distribution or payment, whichever is earliest, of dividend by domestic company	(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)	
	2	Rate of dividend, declared, distributed or paid						
	3	Amount of dividend declared, distributed or paid						
	4	Amount of reduction as per section 115-O(1A)						
	5	Tax payable on dividend declared, distributed or paid	a	Additional income-tax @15% payable under section 115-O on (3-4)				
			b	Surcharge on 'a'				
			c	Education cess on (a+b)				
			d	Total tax payable (a+b+c)				
	6	Interest payable under section 115P						
	7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)						
	8	Tax and interest paid						
	9	Net payable/refundable (7-8)						
	10	Date(s) of deposit of dividend distribution tax	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)

11	Name of Bank and Branch						
12	BSR Code						
13	Serial number of challan						
14	Amount deposited						

Schedule- BBS		Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares, not listed on stock exchange						
Sl	Description		Details of 1 st buy-back		Details of 2 nd buy-back		Details of 3 rd buy-back	
(i)	(ii)		(iii)		(iv)		(v)	
1	Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)	
2	Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares							
3	Amount received by the company for issue of such shares							
4	Distributed Income of the company (2 – 3)							
5	Tax payable on distributed income	a	Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4					
		b	Surcharge on 'a'					
		c	Education cess on (a+b)					
		d	Total tax payable (a+b+c)					
6	Interest payable under section 115QB							
7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)							
8	Tax and interest paid							
9	Net payable/refundable (7-8)							
10	Date(s) of deposit of tax on distribution income		Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)
11	Name of Bank and Branch							
12	BSR Code							
13	Serial number of challan							
14	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief						
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
2			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
NOTE ►			Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))					2

3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))							3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below							4	Yes/No
	a	Amount of tax refunded				b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

DETAILS OF FOREIGN ASSETS

A Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and Code	Name and Address of the Bank	Account holder name	Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary	Account Number	Account opening date	Peak Balance During the Year (in rupees)	Interest accrued in the account	Interest taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule

Schedule GST Break-up of total expenditure with entities registered or not registered under the GST (Details in respect of expenditure on or after 01st July, 2017 to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)

DETAILS OF GST	Sl. No.	Total amount of Expenditure during the year (aggregate of expenditure reported at items 6, 8 to 35, 37 & 38 of Part-A-P&L / P&L – Ind AS)	Expenditure in respect of entities registered under GST				Expenditure relating to entities not registered under GST
			Relating to goods or services exempt from GST	Relating to entities falling under composition scheme	Relating to other registered entities	Total payment to registered entities	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule FD Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)

Foreign Currency Transaction	S. No.	Amount (in Rs.)
	i	Payments made during the year on capital account
	ii	Payments made during the year on revenue account
	iii	Receipts during the year on capital account
	iv	Receipts during the year on revenue account

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

FORM

ITR-
7

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) or 139(4E) or 139(4F)]
(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Also see attached instructions for guidance)

Assessment Year

2018 - 19

Part A-GEN

PERSONAL INFORMATION

Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)				PAN			
Flat/Door/Block No				Name Of Premises/Building/Village			
Road/Street/Post Office				Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY) / /			
Town/City/District				State		Pin code/Zip code	
Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1				Fax Number/Mobile No. 2		Income Tax Ward/Circle	
Email Address 1							
Email Address 2							
Details of the projects/institutions run by you							
Sl.	Name of the project/institution (see instruction para 11ca)	Nature of activity (see instruction para 11d)	Classification (see instructions para 11d)	Aggregate annual receipts			
1							
2							
3							
4							
Details of registration or approval							
Sl.	Date of registration or approval	Section under which registered or approved	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority			
1							
2							
3							
4							
FILING STATUS	(a) Return filed [Please see instruction No.-6] ☐ On or before due date-139(1), ☐ After due date-139(4), ☐ Revised Return-139(5) ☐ Modified return-92CD ☐ under section 119(2)(b), OR In response to notice u/s ☐ 139(9)- defective, ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A, ☐ 153C						
	(b) Return furnished under section —139(4A) —139(4B) —139(4C) —139(4D) —139(4E) —139(4F)						

(c)	If revised/in response to defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	/ /
(e)	Residential status? (Tick) ☐ Resident ☐ Non-resident	
(f)	Whether any income included in total income for which for which claim under section 90/90A/91 has been made? ☐ Yes ☐ No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]	
(g)	Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? ☐ Yes ☐ No	

For Office Use Only

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

(h)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
	If yes, please furnish following information -		
	(1)	Name of the representative	
	(2)	Address of the representative	
	(3)	Permanent Account Number (PAN) of the representative	
OTHER DETAILS	A	i	Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-
		a	i whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)? ☐ Yes ☐ No
			ii If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts %
		b	i whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)? ☐ Yes ☐ No
			ii If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts %
		ii	If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution
		Sl.	Name of the project/Institution
			Amount of aggregate annual receipts from such activities
		a	
		b	
B	i	Whether approval obtained u/s 80G? ☐ Yes ☐ No	
	ii	If yes, then enter Approval No.	
	iii	Date of Approval (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
C	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration was granted? ☐ Yes ☐ No	
	ii	If yes, please furnish following information:-	
	a	date of such change (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
	b	whether an application for fresh registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A ☐ Yes ☐ No	
	c	whether fresh registration has been granted under section 12AA ☐ Yes ☐ No	
	d	date of such fresh registration (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
D	i	Whether a political party as per section 13A? (if yes, please fill schedule LA) ☐ Yes ☐ No	
	ii	If yes, then whether registered? ☐ Yes ☐ No	
	iii	If yes, then enter registration number under section 29A of the Representation of People Act, 1951	
E	i	Whether an Electoral Trust? (if yes, please fill schedule ET) ☐ Yes ☐ No	
	ii	If yes, then enter approval number?	
	iii	Date of Approval (DD/MM/YYYY) ____/____/____	
F	i	Whether registered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA)? ☐ Yes ☐ No	
	ii	If yes, then enter Registration No.	

Part B – TI		STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2018		
		If registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via), fill out items 1 to 7 (as applicable)		
1	Voluntary contribution forming part of corpus as per section 11(1)(d) [(Ai + Bi) of schedule VC]	1		
2	Voluntary Contributions other than corpus(C – (Ai+Bi) of schedule VC)	2		
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv),10(23C)(v),10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (9 of Schedule AI)	3		
4	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-			
	i	Amount applied during the previous year - Revenue Account [24(A) of Schedule ER]	4i	
	ii	Amount applied during the previous year–Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds] [8(A) of Schedule EC]	4ii	

	iii	Amount applied during the previous year - Capital Account (Repayment of Loan)			4iii		
	iv	Amount applied during the previous year - Utilisation of surplus accumulated during an earlier year [item No. 24(B) of Schedule ER + item No.8(B) of Schedule EC]			4iv		
	v	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1)			4v		
	a	If (v) above applicable, whether option Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer		4va			
		b If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)		4vb			
	vi	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) [restricted to the maximum of 15% of (2 + 3) above]			4vi		
	vii	Amount in addition to amount referred to in(v) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled (fill out schedule I)			4vii		
	viii	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)			4viii		
		a	Approval number given by the Board		4viii a		
			b Date of approval by board		4viii b		
ix		Total [4i +4ii+4iii+4v+4vi+4vii+4viii] (excluding the item 4iv - Utilisation of deemed income of an earlier year)			4ix		
5	Additions						
	i	Corpus donation to other trust or institution chargeable as per Explanation 2 to section 11(1) [item No. 15(i) of Schedule ER]			5i		
	ii	Income chargeable under section 11(1B)			5ii		
	iii	Income chargeable under section 11(3)			5iii		
	iv	Income in respect of which exemption under section 11 is not available by virtue of provisions of section 13					
	a	Being anonymous donation at Diii of schedule VC to the extent applied for charitable purpose		5iva			
		b Other than (a) above		5ivb			
	v	Income chargeable under section 12(2)			5v		
	vi	Total [5i + 5ii+5iii+5iva+5ivb+5v]			5vi		
6	Income chargeable u/s 11(4) [as per item No. E36 of Schedule BP]			6			
7	Total (2+3-4ix+5vi+6)			7			
8	Amount eligible for exemption under section 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23B)			8			
9	Amount eligible for exemption under section 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)			9			
10	Amount eligible for exemption under any other clause of section 10 (other than those at 8 and 9)			10			
11	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21)			11			
12	Income claimed/ exempt under section 13A or 13B in case of a Political Party or Electoral Trust (item No. 11 of Schedule LA or item No. 6vii of Schedule ET)			12			
13	Income not forming part of item No. 7 & 11 above						
	i	Income from house property [3b of Schedule HP] (enter nil if loss)			13i		
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. E 35 of schedule BP]			13ii		
	iii	Income under the head Capital Gains					
	a	Short term (A5 of schedule CG)		13iia			
		b Long term (B3 of schedule CG) (enter nil if loss)		13iib			
		c Total capital gains (13iia +13iib) (enter nil if loss)		13iic			
iv	Income from other sources [as per item No. 4 of Schedule OS]			13iv			
v	Total (13i + 13ii + 13iic + 13iv)			13v			
14	Gross income [7+11+13v]			14			
15	Losses of current year to be set off against 13v (total of 2ix, 3ix and 4ix of Schedule CYLA)			15			
16	Gross Total Income (14-15)			16			
17	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 16			17			
18	Deduction u/s 10AA			18			
19	Deductions under chapter VIA [limited to (16-17)]			19			
20	Total Income [16-18-19]			20			
21	Income which is included in 20 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)			21			
22	Net Agricultural income for rate purpose			22			
23	Aggregate Income (20-21+22) [applicable if (20-21) exceeds maximum amount not chargeable to tax]			23			

24	Anonymous donations, included in 23, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of schedule VC)	24
25	Income chargeable at maximum marginal rates (23-24)	25

Part B - TTI Computation of tax liability on total income

TAX LIABILITY	1	1a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB or 115JC as applicable (7 of Schedule MAT/ 4 of Schedule AMT)			1a	
		1b	Surcharge on (a) above			1b	
		1c	Education Cess on (1a+1b) above			1c	
		1d	Total Tax Payable u/s 115JB or 115JC as applicable (1a+1b+1c)			1d	
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on (23-24-25) of Part B-TI		2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on 24 of Part B-TI		2c		
		d	Tax at maximum marginal rate on 25 of Part B-TI		2d		
		e	Rebate on agricultural income [applicable if (20-21) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2e		
		f	Tax Payable on Total Income (2a + 2b+2c+2d – 2e)		2f		
	3	Surcharge					
		i	25% of 5(ii) of Schedule SI		3i		
		ii	On [(2f) – (5(ii) of Schedule SI)]		3ii		
		iii	Total (i + ii)		3iii		
4	Education cess, including secondary and higher education cess on (2f+3iii+4)					4	
5	Gross tax liability (2f+3iii+4)					5	
6	Gross tax payable (higher of 5 and 1d)					6	
7	Credit under section 115JAA/115JD of tax paid in earlier years (if 5 is more than 1d) (5 of Schedule MATC/AMTC)					7	
8	Tax payable after credit under section 115JAA/115JD [(6 – 7)]					8	
9	Tax relief						
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)		9a			
	b	Section 91 (3 of Schedule TR)		9b			
	c	Total (9a + 9b)		9c			
10	Net tax liability (8 – 9c)					10	
11	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		11a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		11b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		11c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		11d			
	e	Total Interest and Fee Payable (11a+11b+11c+11d)		11e			
12	Aggregate liability (10 + 11e)					12	
TAXES PAID	13	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 19A)		13a		
		b	TDS (total of column 9 of 19B)		13b		
		c	TCS (total of column 7 of 19C)		13c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 19A)		13d		
		e	Total Taxes Paid (13a+13b+13c + 13d)		13e		
14	Amount payable (Enter if 12 is greater than 13e, else enter 0)					14	
15	Refund (If 13e is greater than 12) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)					15	
BANK ACCOUNT	16	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)					
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number ((IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)		

	i				
	ii				
17	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>				☐ Yes ☐ No

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

18	TAX PAYMENTS																
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
	NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 13a & 13d of Part B-TTI																
B	Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 26QB/26QC furnished by Deductor(s)]																
TDS ON INCOME	Sl No	TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer/ Tenant	Name of the Deductor/ Buyer/Tenant	Unique TDS Certificate Number	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current fin. year			Amount out of (6) or (7) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Amount out of (6) or (7) being carried forward				
					Fin. Year in which deducted	Amount b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)				
								Income	TDS	PAN of other person		Income	TDS	PAN of other person			
	i																
	ii																
	NOTE ▶ Please enter total of column (8) in 13b of Part B-TTI																
C	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]																
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward									
				Fin. Year in which collected	Amount b/f												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									
	i																
ii																	
	NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 13c of Part B-TTI																

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (S1 - S15) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule I Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2)) or in terms of third proviso to section 10(23C)

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/religious purposes upto the beginning of the previous year	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5)	Amounts applied for charitable or religious purpose during the previous year	Balance amount available for application (7) = (2) - (4) - (6)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2011-12							
2012-13							
2013-14							
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
Total							

Schedule J Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year [to be filled if registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via)/10(21)]

DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS	A		i Balance in the corpus fund as on the last day of the previous year		Rs. _____			
			ii Balance in the non-corpus fund as on the last day of the previous year		Rs. _____			
	B		Details of investment/deposits made under section 11(5)					
	Sl No	Mode of investment as per section 11(5)		Date of investment	Date of maturity	Amount of investment	Maturity amount	
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
	i	Investment in Government Saving Scheme						
	ii	Post Office Saving Bank						
	iii	Deposit in Schedule Bank or co-operative societies as per section 11(5)(iii)						
	iv	Investment in UTI						
	v	Any Other						
vi	TOTAL							
C		Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) have a substantial interest						
Sl No	Name and address of the concern	Where the concern is a company (tick as applicable ☒)	Number of shares held	Class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable ☒)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No	
ii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No	
iii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No	

iv		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
v		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	TOTAL						
D	Other investments as on the last day of the previous year						
Sl.No	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)	Class of shares held	Number of shares held	Nominal value of investment		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
i		☐ Yes ☐ No					
ii		☐ Yes ☐ No					
iii		☐ Yes ☐ No					
iv		☐ Yes ☐ No					
v	TOTAL						
E	Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided						
Sl.No	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
i							
ii							
iii							
iv	TOTAL						

Schedule K Statement of particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution (to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7)

A	Name(s) of author(s) / founder(s) / Settlor(s) and address(es), if alive		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
B	Name(s) of the person(s) who was / were trustee(s) / manager(s) during the previous year(s)		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)
C	Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b)		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
D	Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives		

Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)

**Schedule
LA**
Political Party

POLITICAL PARTY	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
	2	a	Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
		b	If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	3	Whether the accounts have been audited? (tick as applicable ☒)		☐ Yes ☐ No
		If yes, furnish the following information:-		
		a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	____/____/____
		b	Name of the auditor signing the audit report	
		c	Membership No. of the auditor	
		d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
		e	Proprietorship/firm registration No.	
		f	Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)	
		g	Date of audit report	
	4	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable ☒)		☐ Yes ☐ No
	5	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted?(tick as applicable ☒)		☐ Yes ☐ No
6	If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)		____/____/____	
7	Whether the return of income for the previous year as per provisions of section 139(4B) was furnished within the due date under section 139? (tick as applicable ☒)		☐ Yes ☐ No	

Schedule ET
Electoral Trust

ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No	
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No	
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No	
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No	
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)		____/____/____	
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax?(tick as applicable ☒)		☐ Yes ☐ No	
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year			
		i	Opening balance as on 1 st April	i	
		ii	Voluntary contribution received during the year	ii	
		iii	Total (i + ii)	iii	
		iv	Amount distributed to Political parties	iv	
		v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust	v	
	vi	Total (iv + v)	vi		
	vii	Total amount eligible for exemption under section 13B	vii		

	viii	Closing balance as on 31 st March (iii – vi)	viii	

Schedule AI Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7 (except Political Party or Electoral Trust)]

AGGREGATE OF INCOME	1	Receipts from main objects			1	
	2	Receipts from incidental objects			2	
	3	Rent			3	
	4	Commission			4	
	5	Dividend income			5	
	6	Interest income			6	
	7	Agriculture income			7	
	8	Any other income (specify nature and amount)				
		Nature		Amount		
	a		a			
	b		b			
	c		c			
	d		d			
	e	Total (8a+8b+8c+8d)		e	8	
	9	Total			9	

Schedule ER Amount applied to charitable or religious purposes in India or for the stated objects of the trust/institution during the previous year - Revenue Account [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7 (except Political Party or Electoral Trust)]

				Out of income derived during the previous year (A)	Utilisation of surplus accumulated during earlier years (B)
1	Rents			1	
2	Repairs			2	
3	Compensation to employees			3	
4	Insurance			4	
5	Workmen and staff welfare expenses			5	
6	Entertainment and Hospitality			6	
7	Advertisement			7	
8	Commission			8	
9	Royalty			9	
10	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services			10	
11	Conveyance and Traveling expenses other than on foreign travel			11	
12	Foreign travel expenses			12	
13	Scholarship			13	
14	Gift			14	
15	Donation			15	
	i	Corpus	15i		
	ii	Other than corpus	15ii		
16	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)			16	
17	Audit fee			17	
18	Other expenses (Specify nature and amount)				
		Nature	Amount		
	a		a		

	b		b				
	c		c				
	d		d				
	e	Total (viii a + viii b + viii c + viii d)	e		18		
19	Total				19		
20	Bad debts				20		
21	Provisions				21		
22	Interest				22		
23	Depreciation and amortization				23		
24	Total revenue expenses				24		

Schedule EC		Amount applied to charitable or religious purposes in India or for the stated objects of the trust/institution during the previous year–Capital Account [excluding application from borrowed funds and amount exempt u/s 11(1A)] [[to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7 (except Political Party or Electoral Trust)]						
						Out of income derived during the previous year (A)	Utilisation of surplus accumulated during earlier years (B)	
1	Addition to Capital work in progress (for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)					1		
2	Acquisition of capital asset (not claimed earlier as application of income and for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)					2		
3	Total (1 + 2)					3		
4	Net consideration on transfer of capital asset					4		
5	Exemption u/s 11(1A)					5		
6	Net consideration on transfer of capital asset excluding amount exempt u/s 11(1A) (4 - 5) (take 6 as nil, if negative)					6		
7	Other capital expenses							
	i		7i					
	ii		7ii					
	iii		7iii					
	iv	Total expenses (7i + 7ii+7iii)				7i v		
8	Total capital expenses (3 – 6 + 7)					8		

Schedule HP Details of Income from House Property (Please refer to instructions)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City		State		PIN Code		
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)									
	Your percentage of share in the property									
	Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner(s) (optional)			Percentage Share in Property		
	I									
	II									
	☒ Let out ☐ Deemed let out				Name(s) of Tenant (if let out)			PAN of Tenant(s) (if available)		
					I					
					II					
	a				Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)					1a
b				The amount of rent which cannot be realized		1b				
c				Tax paid to local authorities		1c				

d	Total (1b + 1c)	1d	
e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)	1e	
f	30% of 1e	1f	
g	Interest payable on borrowed capital	1g	
h	Total (1f + 1g)	1h	
i	Income from house property 1 (1f – 1i)	1i	
2	Address of property 2	Town/ City	State PIN Code
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)			
Your percentage of share in the property.			
Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner(s) (optional)	Percentage Share in Property
I			
II			
(Tick ☒ the applicable option)		Name(s) of Tenant (if let out)	PAN of Tenant(s) (if available)
☐ Let out		I	
☐ Deemed let out		II	
a	Annual letable value or rent received/ receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)	2a	
b	The amount of rent which cannot be realized	2b	
c	Tax paid to local authorities	2c	
d	Total (2b + 2c)	2d	
e	Annual value (2a – 2d)	2e	
f	30% of 2f	2f	
g	Interest payable on borrowed capital	2g	
h	Total (2f + 2g)	2h	
i	Income from house property 2 (2e – 2h)	2i	
3	Income under the head "Income from house property"		
a	Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30%	3a	
b	Total (1i + 2i + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3b	

Schedule CG Capital Gains

CAPITAL GAINS	A	Short-term capital gain	
	1	From assets (shares/units) where section 111A is applicable (STT paid)	
	a	Full value of consideration	1a
	b	Deductions under section 48	
	i	Cost of acquisition	bi
	ii	Cost of Improvement	bii
	iii	Expenditure on transfer	biii
	iv	Total (i + ii + iii)	biv
	c	Balance (1a – biv)	1c
	d	Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or	1d
	e	Short-term capital gain (1c + 1d)	A1e
	2	From assets where section 111A is not applicable	
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted	
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	
c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a	ic	
ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		

		iii Total (ic + ii)		aiii					
		b Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition	bi				
			ii	Cost of Improvement	bii				
			iii	Expenditure on transfer	biii				
			iv	Total (i + ii + iii)	biv				
		c	Balance (2aiii – biv)		2c				
		d	Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only)		2d				
		e	Short-term capital gain (2c + 2d)		2e				
		3	Deemed short term capital gain on depreciable assets		A3				
		4	Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section)		A4				
		5	Total short term capital gain (A1e + 2e + A3 - A4)		A5				
		B	Long term capital gain						
				1 From asset where proviso under section 112(1) is not applicable					
				a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
						a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		
						b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		
						c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or	ic	
				ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				
					iii	Total (ic + ii)	aiii		
b Deductions under section 48									
	i			Cost of acquisition after indexation	bi				
	ii			Cost of improvement after indexation	bii				
	iii			Expenditure on transfer	biii				
	iv			Total (bi + bii + biii)	biv				
c	Balance (1aiii – biv)			1c					
d	Exemption u/s 11(1A)			1d					
e	Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is not applicable (1c			B1e					
2	From asset where proviso under section 112(1) is applicable (without indexation)								
a	Full value of consideration			2a					
b Deductions under section 48									
	i	Cost of acquisition without indexation	bi						
	ii	Cost of improvement without	bii						
	iii	Expenditure on transfer	biii						
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv						
c	Balance (2a – biv)		2c						
d	Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section)		2d						
e	Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is applicable (2c –		B2e						
3	Total long term capital gain (B1e + B2e)		B3						
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A5 + B3) (enter B3 as nil, if		C						

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES	1	Income			
	a	Dividends, Gross	1a		
	b	Interest, Gross	1b		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross	1c		
	d	Others, Gross (excluding income from owning race horses) <i>Mention the source</i>			
	i	Income from winnings from lotteries, crossword puzzles etc.		1di	
		ii	a	Cash credits u/s 68	
			b	Unexplained investments u/s 69	
			c	Unexplained money etc. u/s 69A	
			d	Undisclosed investments etc. u/s 69B	

		e	Unexplained expenditure etc. u/s 69C				
		f	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D				
		Total (a + b + c + d + e + f)		1dii			
	iii	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax					
			a	Aggregate value of sum of money received without consideration			
			b	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of			
			c	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			
			d	In case any other property is received without consideration, fair market value of			
			e	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			
		Total (a+ b + c +d + e)		1diii			
	iv			1div			
	v			1dv			
vi	Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div+1dv)		1dvi				
e	Total (1a + 1b + 1c + 1dvi)				1e		
f	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI)						
		i	Income from winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. (u/s 115BBB)		1fi		
		ii	Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA)		1fii		
		iii	Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE		1fiii		
		iv	Income from patent chargeable u/s 11BBF		1fiv		
		v	Income from transfer of credits u/s 115BBG		1fv		
		vi	Any other income under chapter XII/XII-A		1fvi		
		vii	Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii+1fiii+1fiv + 1fv + 1fvi)		1fvii		
g	Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e – 1fvii)				1g		
	h	Deductions under section 57(other than those relating to income under 1fi,1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, 1fvi & 1fvii)					
			i	Expenses / Deductions	hi		
			ii	Depreciation	hii		
			iii	Total	hiii		
	i	Amounts not deductible u/s 58				1i	
j	Profits chargeable to tax u/s 59				1j		
k	Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii + 1i + 1j) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)				1k		
2	Income from other sources (other than from owning race horses) (1fvii + 1k) (enter 1k as nil, if				2		
3	Income from the activity of owning and maintaining race horses						
		a	Receipts	3a			
		b	Deductions under section 57 in relation to (3)	3b			
		c	Amounts not deductible u/s 58	3c			
		d	Profits chargeable to tax u/s 59	3d			
		e	Balance (3a – 3b + 3c + 3d)		3ex		
4	Income under the head "Income from other sources" (2 + 3e) (take 3e as nil if negative)				4		

Schedule- VC Voluntary Contributions (to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7)

A	Local				
	i	Corpus fund donation		Ai	
	ii	Other than corpus fund donation			
	(a)	Grants Received from Government			
	(b)	Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility			
	(c)	Other specific grants			

	(d)	Other Donations		
	(e)	Total	Aiie	
iii		Voluntary contribution local (Ai + Aiie)	Aiii	
B		Foreign contribution		
i		Corpus fund donation	Bi	
ii		Other than corpus fund donation	Bii	
iii		Foreign contribution (Bi + Bii)	Biii	
C		Total Contributions (Aiii + Biii)	C	
D		Anonymous donations, included in C, chargeable u/s 115BBC		
i		Aggregate of such anonymous donations received	i	
ii		5% of total donations received at C or 1,00,000 whichever is higher	ii	
iii		Anonymous donations chargeable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)	iii	

Schedule OA General

	Do you have any income under the head business and profession? ☐ Yes ☐ No (if “yes” please enter following			
1	Nature of Business or profession (refer to the instructions)			1
2	Number of branches			2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile			3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes			4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A			5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			6
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐			
d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A			6d

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business [including business income as referred to in section 11(4A)]			
	1	Profit before tax as per profit and loss account		1	
	2	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2		
	3	Net profit or loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	3		
	4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44AE	4		
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt			
	a	share of income from firm(s)	5a		
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b		
	c	Any other exempt income	5c		
	d	Total exempt income	5d		
	6	Balance (1– 2 – 3 – 4– 5d)			6
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income	7		
	8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income	8		
	9	Total (7 + 8)		9	
	10	Adjusted profit or loss (6+9)			10
	11	Deemed income under section 33AB/33ABA/35ABB	11		

12	Any other item or items of addition under section 28 to 44DA	12		
13	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which	13		
14	Total (10 +11+12+13)	14		
15	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	15		
16	Any other amount allowable as deduction	16		
17	Total (15 +16)	17		
18	Income (14 – 17)	18		
19	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i Section 44AD	19i		
	ii Section 44ADA	19ii		
	iii Section 44AE	19iii		
	iv Total (19i to 19iii)	19iv		
20	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (18 + 19iv)	20		
21	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 7C, if applicable (If rule 7A, 7B or 7C is not applicable, enter same figure as in 20)	A21		
B	Computation of income from speculative business			
24	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account	24		
25	Additions in accordance with section 28 to 44DA	25		
26	Deductions in accordance with section 28 to 44DA	26		
27	Profit or loss from speculative business (24+25-26) (enter nil if loss)	B27		
C	Computation of income from specified business under section 35AD	C		
28	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	28		
29	Additions in accordance with section 28 to 44DA	29		
30	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	30		
31	Profit or loss from specified business (28+29-30)	31		
32	Deductions in accordance with section 35AD(1)	32		
33	Profit or loss from specified business (31-32) (enter nil if loss)	33		
34	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	35		
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A21+B27+C33)	D34		
E	Computation of income chargeable to tax under section 11(4)			
35	Income as shown in the accounts of business under taking [refer section 11(4)]	E35		
36	Income chargeable to tax under section 11(4) [D34-E35]	E36		

Schedule CYLA Details of Income after set-off of current years losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	SL.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
				Total loss (3b of Schedule -HP)	Total loss (A21 of Schedule-BP)	Total loss (1k of Schedule-OS)	
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
		Loss to be adjusted ->					
	i	House property					
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
	iii	Speculation income					
	iv	Specified business income					

v	Short-term capital gain					
vi	Long term capital gain					
vii	Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
viii	Profit from owning and maintaining race horses					
ix	Total loss set-off					
x	Loss remaining after set-off					

**Schedule
MAT**
Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

MINIMUM ALTERNATE TAX	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')			☐
	2	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')			☐
	3	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account			3
	4	Additions (if debited in profit and loss account)			
	a	Income Tax paid or payable or its provision -including the amount of deferred tax and the provision therefor	4a		
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	4b		
	c	Provisions for unascertained liability	4c		
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	4d		
	e	Dividend paid or proposed	4e		
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	4f		
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	4g		
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of Explanation 1 to section 115JB	4h		
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of Explanation 1 to section 115JB	4i		
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	4j		
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	4k		
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	4l		
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	4m		
	n	Total additions (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g+4h+4i+4j+4k+4l+4m)	4n		
	5	Deductions			
	a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	5a		
	b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5b		
	c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	5c		
	d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	5d		
	e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	5e		
f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of Explanation 1 to section 115JB	5f			
g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of Explanation 1 to section 115JB	5g			
h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	5h			
i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less	5i			
j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	5j			
k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	5k			
l	Total deductions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k)	5l			
6	Book profit under section 115JB (3+ 4n – 5l)			6	

7	Tax payable under section 115JB	7	

Schedule MATC Computation of tax credit under section 115JAA

MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2018-19 (1d of Part-B-TTI)			1	
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2018-19 (5 of Part-B-TTI)			2	
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]			3	
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]				
		S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit		Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
				Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)
		i	2008-09			
		ii	2009-10			
		iii	2010-11			
		iv	2011-12			
		v	2012-13			
		vi	2013-14			
		vii	2014-15			
		viii	2015-16			
		ix	2016-17			
		x	2017-18			
		xi	2018-19 (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)			
		xii	Total			
	5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)x]			5	
	6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)x]			6	

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 25 of PART-B-TI				1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a			
	b	Deduction Claimed u/s 10AA	2b			
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c			
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+2c)	2d			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2018-19 (1d of Part-B-TTI)			1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2018-19 (5 of Part-B-TTI)			2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]			3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)				

S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance brought forward (B3) = (B1) – (B2)		
i	2012-13					
ii	2013-14					
iii	2014-15					
iv	2015-16					
v	2016-17					
vi	2017-18					
vii	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
viii	Total					
5 Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4C]					5	
6 Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4D]					6	

Schedule PTI

Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any	
	1.			i	House property			
				ii	Capital Gains			
					a	Short term		
					b	Long term		
				iii	Other Sources			
				iv	Income claimed to be exempt			
					a	u/s 10(23FBB)		
					b	u/s		
					c	u/s		
	2.			i	House property			
				ii	Capital Gains			
					a	Short term		
					b	Long term		
				iii	Other Sources			
				iv	Income claimed to be exempt			
					a	u/s 10(23FBB)		
					b	u/s		
					c	u/s		
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.								

Schedule SI

Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction]

Sl No	Section	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares where STT paid)	☐	15		

2	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10		
3	112 (LTCG on others)	☐	20		
4	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50		
5	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30		
6	115BBDA (Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh)	☐	10		
7	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60		
8	115BBF (Tax on income from patent)	☐	10		
9	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	☐	10		
10					
11			Total		

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD

1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of trust/institution			1	
2	Less: Total liability of trust/institution			2	
3	Net value of assets (1 – 2)			3	
4	(i)	FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i		
	(ii)	FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration u/s 12AA, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period	4ii		
	(iii)	FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii		
	(iv)	Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv		
5	Liability in respect of assets at 4 above			5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4 – 5)]			6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate			7	
8	Interest payable u/s 115TE			8	
9	Additional income-tax and interest payable			9	
10	Tax and interest paid			10	
11	Net payable/refundable (9 – 10)			11	
12	Date(s) of deposit of tax on accreted income		Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY
13	Name of Bank and Branch				
14	BSR Code				
15	Serial number of challan				
16	Amount deposited				

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
					Total					
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					

D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)											
(ii)											

NOTE ►

Please refer to instructions for filling out this schedule.

ITR- V	ACKNOWLEDGEMENT	AY 2018-19

Received with thanks from _____ a return of income in ITR No. 1(SAHAJ)→O 2→O 3→O 4(SUGAM)→O 5→O 7→O for assessment year 2018-19, having the following particulars

(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) Permanent Account Number
(A5) Date of Birth(DD/MM/YYYY) D D M M Y Y Y Y		(A6) Income Tax Ward/Circle	(A7) Flat/Door/Building
(A8) Name of Premises/ Building/ Village		(A9) Road/ Street	(A10) Area/ locality
(A11) Town/ City/ District	(A12) State	Country	(A13) Pin code
(A14) Fill only one: Filed- ☐ On or before due date -139(1), ☐ After due date -139(4), ☐ Revised Return-139(5) OR In response to notice under section ☐ 139(9)-Defective ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153A/153C OR ☐ Under Sec. 119(2)(b)			

COMPUTATION OF INCOME AND TAX RETURN Whole – Rupee (₹) only.			
B1	Gross Total Income	B1 ()	
B2	Deductions under Chapter-VI-A	B2	
B3	Total Income	B3 ()	
B4	Current loss, if any	B4 ()	
B5	Net Tax Payable	B5	
B6	Interest Payable	B6	
B7	Total Tax and Interest Payable	B7	
B8	Total Advance Tax Paid	B8	
B9	Total Self Assessment Tax Paid	B9	
B10	Total TDS deducted	B10	
B11	Total TCS collected	B11	
B12	Total Prepaid Taxes (B8 + B9 + B10+ B11)	B12	
B13	Tax Payable (B7-B12, If B7>B12)	B13	
B14	Refund (B12-B7, If B12>B7)	B14	
B15	Exempt Income	B15	
	Agriculture Others		

SIGN HERE

FOR OFFICIAL USE ONLY

STAMP RECEIPT NO. HERE
**SEAL, DATE AND SIGNATURE OF RECEIVING
OFFICIAL.**

[F. No.16/2018/ F.No.370142/1/2018-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (First Amendment) Rules, 2018, vide notification number GSR 176 (E), dated 19th February, 2018.

Explanatory Memorandum: By giving retrospective effect to the amendment rules, no one will be adversely affected and the retrospectivity is being given to the present rules as these are applicable for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2018 i.e. Assessment Year 2018-19.